VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2018

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 5

1.1. आधार संवैधानिक रूप से वैध 5

1.2. पदोन्नति में आरक्षण....7

1.3. राजनीति का अपराधीकरण....8

1.4 भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का विघटन....11

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 13

2.1. विश्व व्यापार संगठन....13

2.2. दक्षिण एशियाई व्यापार की असाधित सम्भावना....15

2.3. RCEP हेतु अर्ली-हार्वेस्ट पैकेज....17

2.4. रूस एवं चीन संबंध 19

2.5. भारत एवं बांग्लादेश....21

2.6. मालदीव में चुनाव....23

2.7. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी....25

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 27

3.1. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संकट....27

3.2. बैंक समेकन 30

3.3. भुगतान नियामक....32

3.4. भारतीय डाक भुगतान बैंक....36

3.5. रुपए और चालू खाता घाटे (CAD) पर नियंत्रण....39

3.6. प्रधानमंत्री जनधन योजना....39

3.7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) 41

3.8. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष 42

3.9. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक....43

3.10. मानव विकास सूचकांक 46

3.11. जीवन सुगमता सूचकांक 48

3.12. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018....49

3.13. स्थावर संपदा निवेश न्यास....51

3.14. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क 53

VISION IAS

4. सुरक्षा (Security) **54**

4.1. स्मार्ट बॉर्डर फेंस 54

4.2. LCA तेजस की मिड-एयर रिफ्यूलिंग....55

4.3. सैन्य अभ्यास....56

5. पर्यावरण (Environment) **57**

5.1. ब्लैक कार्बन 57

5.2. भारत में निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन 59

5.3. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान....61

5.4. प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास का संरक्षण 62

5.5. दूरसंचार सेवाओं को आपदाओं के प्रति अभेद्य बनाना 64

5.6. भूस्खलन चेतावनी प्रणाली 66

5.7 हिमनद झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़....68

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **70**

6.1. फूड फोर्टिफिकेशन 70

6.2. निश्चित खुराक संयोजन (FDCs) 71

6.3 हाइड्रोजन-सीएनजी 72

6.4. विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रेन....74

6.5. अप्सरा - U 75

6.6. कणों का क्षय....76

6.7. आइससैट-2 77

6.8. पोलारिमेट्री डॉप्लर मौसम रडार 78

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **79**

7.1 सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 79

7.2. दहेज़ उत्पीड़न क़ानून 80

7.3. व्यभिचार....81

7.4. धारा 377 को गैर-आपराधिक घोषित किया गया 82

7.5. यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस....85

7.6. मैला ढोने की प्रथा 86

7.7. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 89

7.8. HIV / AIDS अधिनियम, 2017....91

7.9. अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम 93

7.10. स्वच्छता ही सेवा अभियान 94

8. संस्कृति (Culture) 96

8.1. हाइफा का युद्ध 96

8.2. पर्यटन पर्व, 2018....96

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 98

9.1. सांसदों और विधायकों के लिए आचरण संहिता 98

10. विविध (Miscellaneous) 100

10.1 'चैम्पियन ऑफ़ द अर्थ' पुरस्कार....100

10.2. मैग्सेसे पुरस्कार 100

10.3 आपूर्ति ऐप 101

10.4 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट....101

10.5. हाथी पक्षी वोरोम्बे टाइटन 101

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. आधार संवैधानिक रूप से वैध

(Aadhaar Constitutionally Valid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

26 सितंबर, 2018 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 4:1 बहुमत से कुछ प्रशर्तों के साथ आधार (Aadhaar) की वैधता को बनाए रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- आधार हेतु एक व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं, जिसे निजता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध माना गया है।
- आधार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को वैधानिक समर्थन प्रदान करने हेतु आधार अधिनियम, 2016 को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। इसे धन विधेयक के रूप में पारित करना भी विवाद का विषय रहा था।
- अब तक भारत में कोई विशिष्ट डेटा गोपनीयता कानून विद्यमान नहीं है, जो राज्य निगरानी और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग संबंधी चिंताओं को उत्पन्न करता है।

आधार:

- **जहां आवश्यक है:**
  - कल्याणकारी योजनाएं (PDS, LPG, मनरेगा इत्यादि)
  - आयकर रिटर्न
  - पैन कार्ड से लिंक करना
- **आवश्यक नहीं है:**
  - बैंक खाते
  - सिम कार्ड
  - निजी कंपनियों
  - स्कूल में प्रवेश
  - NEET, UGC, CBSE

इस निर्णय के प्रमुख बिंदु:

- आधार की संवैधानिकता:आधार अधिनियम द्वारा समर्थित आधार योजना निजता से संबंधित **पुट्टास्वामी वाद** के निर्णय में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के उल्लंघन की तर्कसंगतता का निर्धारण करता है।
  - **विधि की विद्यमानता (Existence of a law)**: संविधि अर्थात आधार अधिनियम, 2016 द्वारा समर्थित।
  - एक वैध राज्य हित **(A legitimate state interest)** - पात्र एवं निर्धन वर्ग तक सामाजिक लाभ योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
  - **आनुपातिकता की जांच (Test of proportionality)** - आधार के संतुलित लाभ और निजता के मौलिक अधिकार संबंधी संभावित खतरे।
- **राज्य द्वारा निगरानी किए जाने संबंधी भय की समाप्ति:** आधार अधिनियम के प्रावधान "निगरानी करने वाले राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं"।
  - आधार के अंतर्गत आईरिस और फिंगरप्रिंट के रूप में न्यूनतम बॉयोमीट्रिक डेटा एकत्र किया जाता है तथा UIDAI (जिसके द्वारा आधार के नामांकन सम्बन्धी कार्यों की निगरानी की जाती है) प्रयोजनपूर्ण, अवस्थिति या लेन-देनों के विवरण संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं करता है।
  - नॉन ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु, न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रमाणीकरण रिकाड्‌र्स को प्रमाणीकरण विनियमों के मौजूदा विनियम 27 (1) के तहत निर्धारित पांच वर्षों के स्थान पर छह माह पश्चात ही हटा दिया जाना चाहिए।
- **बॉयोमीट्रिक डेटा की सुरक्षा:** UIDAI द्वारा बॉयोमीट्रिक आधारित प्रमाणीकरण संबंधी लेन-देनों के संचालन हेतु केवल पंजीकृत उपकरणों के उपयोग को ही अधिकृत किया गया है।

VISION IAS

- होस्ट एप्लिकेशन और UIDAI के मध्य एक **एन्क्रिप्टेड, एकदिशीय संबंध** है। यह संग्रहीत बॉयोमीट्रिक डेटा के उपयोग या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त बॉयोमीट्रिक्स डेटा के पुनःप्रदर्शन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है।
- इसके अतिरिक्त, विनियमों के अनुसार, प्रमाणीकरण एजेंसियों को आधार प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त बॉयोमीट्रिक्स डेटा को संग्रहित करने की अनुमति नहीं है।

- **वित्तीय लेन-देन के साथ आधार को जोड़ना:** धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 2005 के नियम 9 में 2017 में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा बैंक खातों एवं म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी जैसे अन्य सभी वित्तीय उपकरणों को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया। **चूंकि संशोधन के अंतर्गत ट्रिपल टेस्ट में आनुपातिक जांच का प्रावधान नहीं किया गया है,** इस प्रकार यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें बैंकों से संबंधित विवरण भी शामिल हैं।
- **धन विधेयक के रूप में आधार अधिनियम:** अधिनियम का मुख्य प्रावधान धारा 7 है। उच्चतम न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में पारित आधार अधिनियम की वैधता को बनाए रखा है। आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत सब्सिडी, लाभ या सेवा इत्यादि प्राप्त करने हेतु आधार आधारित प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि इस प्रकार की सब्सिडी, लाभ या सेवा के संबंध में किए गए व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
- इस प्रकार के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा धारा 59 की वैधता को बनाए रखा गया है, जो आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने से पूर्व किए गए सभी आधार नामांकन को भी वैधता प्रदान करती है। न्यायालय द्वारा कहा गया है कि चूंकि नामांकन की प्रकृति स्वैच्छिक थी, इसलिए जो लोग विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान करने से मना करते हैं, उन्हें आधार योजना से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त होगी।

निर्णय का प्रभाव

- **विनियम 27 (1) को अमान्य घोषित करना** और प्रमाणीकरण डेटा की भंडारण अवधि को पांच वर्ष से छह माह करना, यह सुनिश्चित करेगा कि **व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग नहीं किया गया है।** विनियम 26 में संशोधन करने और लेन-देन से संबंधित मेटाबेस को अस्वीकार्य बनाने से आधार धारक की फेक प्रोफाइलिंग की रोकथाम होगी।
- धारा 47 को अमान्य घोषित करने का अर्थ है कि **नागरिक, डेटा चोरी के मामले में शिकायत दर्ज कर सकते हैं**, जो पूर्व में केवल सरकार (अर्थात् UIDAI) द्वारा ही किया जा सकता था।
- आधार अधिनियम की **धारा 57** के उस भाग को असंवैधानिक माना गया है, जो निगम और व्यक्तिगत निकाय को प्रमाणीकरण करने हेतु सक्षम बनाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि **आधार का उपयोग केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है, न कि निजी पक्षों द्वारा।**
- यह निर्णय आधार के अनेक पहलुओं से संबंधित **अस्पष्टता को स्पष्ट** करता है तथा सुशासन और सामाजिक कल्याण सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए इसकी क्षमता को प्रकट करता है।
- संवैधानिक पीठ द्वारा आधार अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद को अमान्य घोषित किया गया है, जबकि आधार अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत सूचनाओं के प्रकटीकरण से पूर्व नागरिकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के आधार डेटा की अधिक गोपनीयता को सुनिश्चित करता है, वहीं सरकार की इस डेटा तक पहुंच को सीमित करता है।
- शिक्षा और स्कूल में दाखिले के लिए आधार की आवश्यकता को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसने बच्चों (6-14 वर्ष) के शिक्षा के मूल अधिकार (अनुच्छेद 21A) को बनाए रखा है और माना है कि दाखिला न तो एक सेवा है और न ही सब्सिडी।
- न्यायालय द्वारा अनिवार्य सामाजिक कल्याणकारी अनिवार्यताओं एवं नागरिक के निजता के मूल अधिकार के मध्य एक संवेदनशील संतुलन स्थापित किया गया है।

आधार अधिनियम की धारा 33 कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण को संदर्भित करती है:

- **धारा 33 (1):** यदि न्यायालय (जिसकी अधिकारिता जिला न्यायाधीश से नीचे की न हो) द्वारा आदेश दिया गया है तो यह धारा पहचान और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के प्रकट करने सहित सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति प्रदान करती है।
- **धारा 33 (2):** यह, एक अधिकारी (भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे उच्च रैंक) के निदेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पहचान और प्रमाणीकरण डेटा को उद्घाटित करने की अनुमति प्रदान करती है।
- आधार अधिनियम की **धारा 47** अपराधों के संज्ञान को संदर्भित करती है। इस धारा के अंतर्गत, किसी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के संज्ञान लेने की अनुमति नहीं है।

VISION IAS

चुनौतियां, जो अभी भी विद्यमान हैं:

- **फिनटेक कंपनियों के लिए,** जहां धोखाधड़ी और प्रतिरूपण का उच्च जोखिम है, आधार एक सुदृढ़ सहायता प्रदान करता है। यह ग्राहकों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान करता है, जिससे वित्तीय सेवाओं का त्वरित प्रचालन किया जाता है और सेवा संबंधी पहलुओं में भी सुधार करता है। यह निर्णय डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्थान पर इसकी एक **समर्थकारी भूमिका को समाप्त करने** की भांति कार्य करता है।
- **निर्धनों पर आधार को अनिवार्य बनाने के प्रभाव:** आसान पहुंच को सक्षम बनाने के स्थान पर, तकनीकी प्रमाणीकरण समस्याओं के कारण उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करके हानि पहुंचा सकता है।
- **निजता**: हमें एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है जो सरकार और निजी पक्षों को आधार के गैर-सहमति प्राप्त उपयोग करने से प्रतिबंधित करता हो ।
  इस संबंध में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।
- संग्रहित आधार डेटा से संबंधित **राईट टू फॉरगॉटन मुद्दें** में अभी भी अस्पष्टताएं विद्यमान हैं। इस निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया गया है कि बैंकों और मोबाइल कंपनियों जैसी इकाईयों को एकत्रित सूचनाओं को हटाना होगा।
- **आधार एक एकल पहचानकर्ता के रूप में:** यदि आधार संख्या प्रत्येक डेटाबेस (ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा, बैंक खाता, मोबाइल फोन, रोजगार वृत्तांत, स्वास्थ्य आदि) में 'निहित' है, तो यह इन डेटा संग्रहों को एकीकृत करता है।इस प्रकार आधार असंबद्ध डेटा भंडारों के मध्य की संयोजक कड़ी (bridge) बन गया है। सरकारी कर्मचारी उस एकल पहचानकर्ता का उपयोग करके विभिन्न डेटाबेस से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों की 'प्रोफ़ाइल' का निर्माण करने में सक्षम हों सकेंगे। इस प्रकार की प्रोफाइलिंग के माध्यम से स्व -नियंत्रण (self-censorship) को बढ़ावा मिलने तथा असहमति को समाप्त करने की संभावना है।
- **अल्पमत निर्णय:** बहुमत वाले न्यायाधीशों के विपरीत, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सभी तर्कों को अस्वीकृत कर दिया और आधार अधिनियम को निजता के उल्लंघन, सर्वव्यापी राज्य नियंत्रण और अपवर्जन के आधार पर असंवैधानिक माना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" था।

1.2. पदोन्नति में आरक्षण

(Reservation in Promotions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि इस सन्दर्भ में नागराज वाद, 2006 में यह निर्धारित किया गया था कि इन समुदायों के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने वाले "मात्रात्मक डेटा के संग्रह" की आवश्यकता नहीं हैं।

पृष्ठभूमि

- **इंदिरा साहनी वाद (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ**
  - उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग के 27 प्रतिशत कोटा को बनाए रखा गया, लेकिन एक शर्त यह है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - इसने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को भी अस्वीकृत कर दिया।
  - पिछड़ा वर्ग से क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाना चाहिए।
  - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

जब इंदिरा साहनी वाद में पदोन्नति और अनुवर्ती वरिष्ठता में आरक्षण को अस्वीकृत कर दिया गया,संसद द्वारा 1995, 2000 और 2002 में तीन संवैधानिक संशोधन किए गए,जिसमें सबसे अधिक विवादास्पद अनुच्छेद 16 (4A) रहा।

- **अनुच्छेद 16 (4A):** यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हैं) को अनुवर्ती वरिष्ठता सहित पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की अनुमति प्रदान करता है।
- **नागराज वाद में पांच न्यायाधीशों की पीठ (2006)**
  - न्यायालय द्वारा संशोधन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया।
  - लेकिन यह भी कहा गया कि पदोन्नति में कोटा प्रदान करने वाले राज्यों द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करना अनिवार्य होगा:
    - अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के पिछड़ेपन संबंधी मात्रात्मक डेटा।
    - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य।
    - समग्र प्रशासनिक दक्षता।

हाल के निर्णय से संबंधित अन्य तथ्य

- केंद्र ने आरोप लगाया था कि एम नागराज वाद निर्णय द्वारा कोटा लाभ प्रदान करने हेतु अनावश्यक शर्तें रखी गयी है।
- पीठ द्वारा 2006 के नागराज वाद निर्णय द्वारा प्रदान की गई दो अन्य शर्तों के संबंध में परिवर्तन नहीं किया गया, जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित थी।
- न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने वाले मात्रात्मक डेटा को संग्रहित करने संबंधी आवश्यकता,1992 के इंदिरा साहनी निर्णय में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के "विपरीत" थी।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र की SC/ST की सम्पूर्ण जनसंख्या को कोटा हेतु पात्र मानने संबंधी याचिका को भी अस्वीकृत कर दिया गया।
- न्यायालय ने सरकार से SC और ST के लिए क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधान को प्रस्तावित करने की संभावना की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को कुछ वर्गों द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाएगा तो इसके परिणामस्वरूप शेष वर्ग पिछड़ेपन की अपनी पूर्व स्थिति में ही बना रहेगा। इसके कारण कुछ अवसरों पर इस निर्णय की आलोचना भी हुई है।
- हालांकि,इसने 2006 के नागराज वाद के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया।

पदोन्नति में आरक्षण के विपक्ष में तर्क

- **प्रशासनिक दक्षता में कमी:** यह पहलू उच्च तकनीकी क्षेत्रों जैसे परमाणु अनुसंधान,अंतरिक्ष कार्यक्रम इत्यादि में महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **लाभों का कुछ ही वर्गों तक सीमित होना:** आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण के समान,पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी केवल कुछ ही जातियों और जनजातियों तक ही सीमित हो जाएगा।
- **आरक्षण ही पर्याप्त है:** उच्च सेवाओं के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि SC और ST कर्मचारियों का पिछड़ापन उनके सरकारी सेवा में शामिल होने के पश्चात समाप्त हो जाता है।

पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में तर्क

- **"दक्षता" संबंधी गलत धारणा**
    - 'दक्षता में कमी' संबंधी तर्क व्यापक रूप से 'योग्यता' की अत्यंत रूढ़िवादी समझ का परिणाम है।
    - इस तर्क के आधार को उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया है और इसे सदैव एक स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में वर्णित किया गया है इसके अतिरिक्त,यह किसी भी प्रकार के आनुभविक अध्ययन पर आधारित नहीं है।
    - किसी भी व्यक्ति को तब तक पदोन्नत नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेहतर रेटिंग प्राप्त न कर लें जो वर्तमान में दक्षता का मापदंड है।
- **उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी:**
    - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में मुख्य रूप से ग्रुप A स्तर की नौकरियों में प्रतिनिधित्व की कमी है, जिसमें सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं हैं। इन समुदायों के सदस्यों के लिए इस स्तर के पदों को प्राप्त करने हेतु पदोन्नति ही एकमात्र माध्यम है।
    - 2017 में सरकार में सचिव रैंक पर केवल 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी पदासीन थे।
- **रिक्त पदों की अधिक संख्या:** "पिछड़ा वर्ग " अभिव्यक्ति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी जिसके आधार पर "मात्रात्मक आंकड़े" एकत्र किए जाने थे। परिणामतः, नागराज वाद के पश्चात की गयी सभी पदोन्नतियों को इस आधार पर रोक दिया गया कि कोई मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
- **ऐतिहासिक पिछड़ापन:** यह देखते हुए कि अनुसूचित जाति को अस्पृश्य के रूप में ऐतिहासिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है, अत:पदोन्नति के लिए मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा पिछड़ापन सिद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आगे की राह

- SC/ST आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण के संदर्भ में, इस प्रकार के विवादास्पद मुद्दों पर कोई निर्णय लेने से पूर्व सभी हितधारकों के साथ वार्ता आयोजित की जानी चाहिए।
- जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, अभी तक पदोन्नति प्रक्रिया में अस्पष्टता और अनिश्चितता विद्यमान है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप एक व्यापक विधि निर्माण की आवश्यकता है।

1.3. राजनीति का अपराधीकरण

(Criminalisation of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाद** में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राजनीति को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- प्रचलित विधि के अनुसार, विधि निर्माताओं और प्रत्याशियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत आपराधिक मामले में दोष सिद्धि के पश्चात् ही चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- वर्तमान निर्णय को एक प्रश्न पर स्पष्ट किया गया था कि क्या आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले विधि निर्माताओं को उनके विरुद्ध आरोप तय करने के चरण में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्देश

- राजनीति के अपराधीकरण की समस्या "असाध्य नहीं है" लेकिन लोकतंत्र के लिए "घातक" होने से पूर्व इस पर **तत्काल ध्यान** दिए जाने की आवश्यकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए कि गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश न कर पायें ।
- न्यायालय द्वारा किसी उम्मीदवार को भारत के निर्वाचन आयोग और अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अपने विरुद्ध लंबित **आपराधिक मामलों की जानकारी** देने हेतु निर्देशित किया है।
- इसके अतिरिक्त, प्रत्याशियों के पूर्ववर्ती आपराधिक मामलों को संबंधित राजनीतिक दलों की वेबसाइटों सहित मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा **व्यापक रूप से प्रचारित** किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने राजनीतिक दलों के संबंध में भी निरीक्षण किया तथा कहा कि राजनीतिक दल देश की सरकार का गठन करते हैं, संसद में प्रतिनिधि भेजते हैं और देश के शासन को संचालित करते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित करना आवश्यक है।

राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण

- **वोट बैंक:** उच्चतम न्यायालय ने अपने निरीक्षण में यह पाया है कि हम एक मतदाता के रूप में अभी तक व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, इसलिए अधिकांश मतदाताओं के मत सरलता से परिवर्तित किए या ख़रीदे जा सकते हैं। अपराधियों के माध्यम से मत खरीदने और अन्य गैरकानूनी उद्देश्यों हेतु किया गया व्यय राजनेताओं और अपराधियों के मध्य गठजोड़ को प्रोत्साहित करता है।
- **भ्रष्टाचार:** प्रत्येक चुनाव में बिना किसी अपवाद के सभी दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अनेक उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं और सामान्यतः ये उम्मीदवार निर्वाचित भी हो जाते हैं। **भ्रष्टाचार के संस्थानीकरण** और भ्रष्टाचार से निपटने में विफलता के कारण विधि की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह राजनीति के अपराधीकरण के साथ संबद्ध होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। विगत तीन लोकसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि या लंबित मुकदमों वाले सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है जो कि 2004 में 124, 2009 में 162 और 2014 में 182 थी।

महत्वपूर्ण डेटा (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स: ADR)- (2014 के लोक सभा चुनाव)

- इसके तहत कुल 542 निर्वाचित सांसदों का विश्लेषण किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि कुल 185 (34%) सांसदों ने स्वयं अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
- निर्वाचित सांसदों में से 112 (21%) द्वारा अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की गई है जिनमे हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक दंगे, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि शामिल हैं।
- आंकड़ों के अनुसार चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों के जीतने की संभावना 13% होती है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि एक स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना मात्र 5% होती है।

- **निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में विद्यमान त्रुटियाँ:** पिछले कई आम चुनावों से निर्वाचन आयोग और मतदाता के मध्य निरंतर एक अंतराल बना हुआ है। जन सामान्य को आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती। उम्मीदवारों द्वारा बिना किसी कठोर प्रतिक्रिया के भी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाता है।

विधिक एवं न्यायिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 102(1) और 191(1)** कुछ आधारों पर क्रमशः एक सांसद और विधायक को अयोग्य घोषित करते हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8,** दोषी राजनेताओं पर प्रतिबंध आरोपित करती है। परंतु अत्यधिक गंभीर आरोपों में भी ट्रायल का सामना करने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **लिली थॉमस वाद (2013)** में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसे सांसदों और विधायकों जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया है, को दोषसिद्धि की स्थिति में अपील के लिए तीन माह का समय दिए बिना ही सदन की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा (पूर्व स्थिति के अनुसार)।

VISION IAS

- **मार्च 2014** में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में सभी अधीनस्थ न्यायालयों को एक वर्ष के भीतर विधायकों से संबंधित मामलों पर अपना निर्णय देने या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा न करने के लिए उत्तरदायी कारण बताने का निर्देश दिया है। हालाँकि, इस मामले में हुई प्रगति की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

- **न्याय और विधि के शासन की अवज्ञा:** चुनाव लड़ने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनों का अभाव इस प्रक्रिया को अधिक प्रोत्साहित करता है। दिसंबर 2017 में, सरकार ने मौजूदा सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान हेतु देश में 12 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की थी। लंबित मामलों में से 40 प्रतिशत को विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है - जिनमें से केवल 136 मामलों (11%) में निर्णय दिए गए हैं।
- हालांकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में एक मौजूदा विधायक या प्रत्याशी को अयोग्य घोषित करने के कुछ आधारों का प्रावधान किया गया है, परन्तु किसी दल की आंतरिक नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक राजनेता को विधायक होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, किन्तु वह आरोप सिद्ध होने के बाद भी अपने दल के भीतर उच्च पदों को धारण कर सकता है, इस प्रकार वह विधि द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका का निर्वहन जारी रख सकता है। दोषी राजनेता दल को नियंत्रित करके और विधायिका में प्रॉक्सी उम्मीदवारों के माध्यम से विधि निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

अपराधीकरण का प्रभाव

- **कानून का उल्लंघन करने वालों का कानून निर्माताओं के रूप में निर्वाचन-** विभिन्न अपराधों में संलिप्त आरोपी व्यक्ति को संपूर्ण देश के लिए विधि निर्माण का अवसर दिया जाता है, जिसके कारण संसद की शुचिता में कमी आती है।
- **न्यायिक व्यवस्था पर जन विश्वास में कमी-** यह स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रभाव वाले लोग सुनवाई में देरी करके, बार-बार स्थगन प्राप्त करने और किसी भी सार्थक प्रगति को रोकने के लिए असंख्य वादकालीन (interlocutory) याचिकाओं को दायर करके अपने प्रभाव का लाभ उठाते हैं। यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- **विकृत लोकतंत्र:** जहां विधि का शासन अप्रभावी होता है और सामाजिक विभाजन व्यापक होते हैं, वहां प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को परिसंपत्ति के रूप में माना जा सकता है। यह राजनीति में बाहुबल और धनबल की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **स्वयं के स्थायीकरण की क्षमता:** चूंकि राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी की जीतने की क्षमता पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है (यह दलों के आंतरिक लोकतंत्र को भी बाधित करता है), इसलिए वे अधिक से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को दल में शामिल करते हैं। इस प्रकार, राजनीति का अपराधीकरण स्वयं को स्थायी बनाए रखता है और समग्र चुनावी संस्कृति को दूषित करता है।

राजनीति के अपराधीकरण पर विभिन्न समितियों के अवलोकन

संथानम समिति रिपोर्ट, 1963

- इसने राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया और केंद्र एवं राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग के गठन की अनुशंसा की।

वोहरा समिति रिपोर्ट (1993)

- इसने भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के मध्य गठजोड़ और राजनीति के अपराधीकरण की समस्या का अध्ययन किया। हालांकि 25 वर्ष पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी सरकार द्वारा अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति (2000)

- इसने यह पाया कि भ्रष्टाचार पुलिस के राजनीतिकरण और अपराधीकरण दोनों का मूल कारण है।
- पुलिस के अपराधीकरण को राजनीति के अपराधीकरण से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण दण्डाभाव की संस्कृति का निर्माण एवं प्रचार हुआ है जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी को कृत्य एवं अकृत्य (commission and omission) के अपने अपराधों से बचने की अनुमति प्रदान करता है।

आगे की राह

- चुनाव लड़ने के लिए सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु **चुनाव प्रचार अभियान की उच्च लागत को नियंत्रित** करना आवश्यक है।
- **चुनावी अयोग्यता पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसाओं** के अनुसार, पर्याप्त रक्षापायों के साथ, आरोप निर्धारित करने के चरण में भ्रष्ट राजनेताओं की अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को प्रभावित करके, राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार को रोका जा सकता है।
- एक गलत शपथ-पत्र दाखिल करना, अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। विधि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर गलत शपथ-पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग द्वारा अपराधियों और राजनेताओं के मध्य गठजोड़ को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

- चुनावों में धार्मिक और अन्य गैर-कानूनी साधनों के दुरुपयोग के लिए उम्मीदवारों और दलों को दंडित करने हेतु जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 में उपबंध किए गए हैं। दुर्भाग्यवश इन उपबंधों को राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और दीर्घकालिक विधिक संघर्ष और मुकदमेबाजी के कारण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

1.4 भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का विघटन

(Dissolution of Medical Council Of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के विघटन और इसे **बोर्ड ऑफ़ गवर्नर (BOG)** द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अध्यादेश **भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956** में संशोधन करता है और संसद में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) विधेयक को मंजूरी मिलने तक, एक वर्ष के लिए MCI के अधिक्रमण की अनुमति प्रदान करता है।
- अंतरिम अवधि में, केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स का गठन किया जाएगा, जो MCI की शक्तियों का उपयोग करेगा।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BOG) में **7 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष (नीति आयोग के सदस्य डॉ.वी.के.पॉल)** के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017

- यह विधेयक **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)** की स्थापना करता है, जो भारत में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक के रूप में **MCI** (भारतीय चिकित्सा परिषद) को प्रतिस्थापित करेगा। इससे संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं:
    - इसमें 25 सदस्य हैं।
    - चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने संबंधी नीतियों का निर्माण।
    - चिकित्सा संबंधी योग्यताओं की पहचान करना।
    - निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में कुछ सीटों के लिए फीस निर्धारित करना।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक **चिकित्सा सलाहकार परिषद (MAC)** की स्थापना की जाएगी।
- NMC के पर्यवेक्षण में **चार स्वायत्त बोर्ड स्थापित** किए गए हैं।
    - अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB),
    - पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB),
    - मेडिकल एसेसमेन्ट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB), तथा
    - एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन।
- विधेयक द्वारा नियंत्रित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक **राष्ट्रीय योग्यता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET)** आयोजित की जाएगी।
- **राज्य चिकित्सा परिषदें** स्थापित की जाएंगी, जिनकी राज्य स्तर पर NMC के समान भूमिका होगी।
- स्नातक के पश्चात् प्रैक्टिस करने के लिए चिकित्सकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु **नेशनल लाइसेन्शीएट एग्जामिनेशन (NLE)** आयोजित होगा।
- यह विधेयक आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के चिकित्सकों को **'ब्रिज कोर्स'** उत्तीर्ण करने के पश्चात् एलोपैथिक दवाओं को प्रीस्क्राइब करने का लाइसेंस प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- **रणजीत रॉय चौधरी समिति (2015), लोढा पैनल और अरविंद पनगढ़िया** जैसी विभिन्न समितियों द्वारा पूर्व में भी MCI को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था।
- MCI की निगरानी हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर गठित पर्यवेक्षण समिति ने हाल ही में "MCI द्वारा उनके निर्देशों का अनुपालन न करने" के कारण त्यागपत्र दे दिया।

MCI को समाप्त करने संबंधी तर्क

- **भ्रष्टाचार के आरोप:** MCI पदाधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने के अनेक मामले सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि MCI अध्यक्ष को स्वयं रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

- **अपारदर्शी कार्यप्रणाली:** MCI के विरुद्ध प्रमुख तर्कों में से एक मेडिकल कॉलेजों की अपारदर्शी प्रत्यायन प्रक्रिया है।
- **कार्यों का पृथक्करण:** MCI की एक ही निकाय के तहत सभी नियामकीय कार्यों के संकेन्द्रण और केंद्रीकरण के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि यह चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा प्रैक्टिस दोनों को नियंत्रित करता है।
- **हितों का टकराव**
  - MCI के सदस्यों को उसी चिकित्सा समूह में से चुना जाता है जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते हैं। अतः स्पष्ट रूप से हितों का टकराव होता है तथा MCI "चिकित्सकों द्वारा, चिकित्सकों के लिए एवं चिकित्सकों का" विशिष्ट संगठन बन गया है"।
  - यह कॉर्पोरेट क्षेत्र के अस्पतालों से अत्यधिक प्रभावित है और इसके साथ ही उन्हें मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता का आकलन भी करता है।
- **चिकित्सा संबंधी नैतिकता पर कम बल:** MCI का वर्तमान ध्यान केवल मेडिकल कॉलेजों को लाइसेंस प्रदान करने पर है और शिक्षा में चिकित्सा नैतिकता के प्रवर्तन पर कोई बल नहीं दिया जाता है।
- **चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती लागत:** यह उच्च कैपिटेशन फीस के लिए निजी कॉलेजों में चिकित्सा सीटों की बिक्री को रोकने में विफल रहा है।
- **पर्याप्त श्रम शक्ति का अभाव:**
  - यह पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को तैयार करने में विफल रहा है। WHO के प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक चिकित्सक संबंधी मानदंड के विपरीत भारत में प्रत्येक 1674 लोगों पर 1 चिकित्सक उपलब्ध है।
  - मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

नई व्यवस्था के कार्यान्वयन के समक्ष मुद्दे

- **स्वायत्तता:**
  - आलोचकों का तर्क है कि MCI की समाप्ति के पश्चात् चिकित्सा शिक्षा संबंधी स्वायत्तता पूर्णतः सरकार के हाथों में केन्द्रित हो जाएगी।
  - मनोनीत सदस्य होने के कारण मुख्य योग्यता का निर्धारण तत्कालीन सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- **NMC बिल के समक्ष विद्यमान मुद्दे:**
  - **फीस निर्धारण के संबंध में दुविधा:** NMC द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 40% तक सीटों के लिए फीस का निर्धारण किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा फीस निर्धारण के संबंध में कई तर्क दिए गए हैं, जैसे:
    - कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फीस को 'चिकित्सा शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु' निर्धारित किया जाना चाहिए।
    - दूसरी तरफ, कुछ के द्वारा सुझाव दिया गया है कि फीस का निर्धारण निजी कॉलेजों के प्रवेश को हतोत्साहित करेगा।
  - **विविध हितधारकों की आवश्यकता:** NMC में दो तिहाई सदस्य चिकित्सक (मेडिकल प्रैक्टिशनर) हैं। विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसा की गई है कि चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने में चिकित्सकों के प्रभाव को कम करने हेतु नियामक तंत्र के अंतर्गत अधिक विविध हितधारकों को शामिल करना चाहिए।
  - **संघीय व्यवस्था के विरुद्ध:** इससे पूर्व, भारतीय चिकित्सा परिषद् में सभी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व था, जबकि NMC बिल में चक्रीय आधार पर केवल कुछ ही राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
  - **अपीलीय प्राधिकरण:** चिकित्सकों के पेशेवर या नैतिक दुर्व्यवहार के मामलों में, प्रैक्टिशनर NMC के निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार को अपील कर सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ,क्यों किसी न्यायिक निकाय के स्थान पर केंद्र सरकार को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है।
  - **लाइसेंस का नवीनीकरण:** प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस के आवधिक नवीकरण की आवश्यकता नहीं है। कुछ देशों में चिकित्सकों को अद्यतन करने, प्रैक्टिस हेतु स्वस्थ रहने और रोगियों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जांच की व्यवस्था की गई है।
  - **ब्रिज कोर्स के समक्ष मुद्दे:** कुछ व्यक्ति दवाओं की पारंपरिक और आधुनिक पद्धतियों के मध्य अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हैं, जबकि अन्य इस कदम को आयुष के स्वतंत्र विकास के लिए हानिकारक मानते हैं।

आगे की राह

- संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित विधेयक में कुछ संशोधन स्वीकार करके सरकार ने एक समझौताकारी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है:
  - **नेशनल लाइसेन्शीएट एग्जामिनेशन संबंधी प्रावधान को समाप्त करना:** MBBS की अंतिम परीक्षा का आयोजन देश भर में एक साझा परीक्षा के रूप में किया जाएगा तथा यह परीक्षा एग्जिट टेस्ट जिसे नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जाएगा के रूप में सम्पन्न की जाएगी।
  - आयुष चिकित्सकों के लिए **ब्रिज कोर्स के प्रावधान को समाप्त करना।**
  - निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में **50% सीटों** (विधेयक में 40%) **के लिए फीस का विनियमन करना।**

अतः सरकार को संसद में NMC विधेयक पारित करने हेतु तत्काल कदम उठाना चाहिए।

- इस सुधार का वृहद लक्ष्य देश के भीतर चिकित्सा प्रैक्टिस एवं चिकित्सा शिक्षा दोनों में सुधार करना होना चाहिए।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने चीन और अमेरिका के मध्य चल रहे ट्रेड वॉर, WTO के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान उत्पन्न गतिरोध तथा अमेरिका के WTO से बाहर निकलने के विचार आदि का सामना करने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधारों की मांग की है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और इसका विकास

- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** की स्थापना उरुग्वे दौर (1986-1994) की वार्ता के परिणाम के रूप में **मराकेश संधि (1994)** के तहत की गई थी।
- एक संगठन के रूप में WTO से **बेहतर जीवनस्तर, रोजगार सृजन, विकासशील देशों के हिस्से में वृद्धि के साथ व्यापार विस्तार और समग्र सतत विकास** में बड़ी भूमिका के निष्पादन की अपेक्षा की गई थी। व्यापार उदारीकरण को उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया था।
- व्यापार उदारीकरण के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे:
    - **गैर-भेदभाव-** देश एक-दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। यह मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे अर्थात् निष्पक्ष व्यापार संबंध तथा गैर-घरेलू उत्पादकों से राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।
    - **पारस्परिकता-** देशों द्वारा प्रदत्त रियायतें पारस्परिक होनी चाहिए।
- ये सिद्धांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं। इन सम्मेलनों में **'एक देश एक मत' (जो WTO की लोकतांत्रिक संरचना और प्रक्रियाओं** को प्रदर्शित करता है) पर आधारित **सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों** को स्वीकार किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त एक **विवाद निवारण** तंत्र स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। WTO का प्रयोजन उसकी नियम आधारित बाध्यकारी प्रतिबद्धता में निहित है जिससे पीछे हटने से अत्यधिक जोखिम उत्पन्न होते हैं तथा सदस्य देशों के लिए एक प्रतिकूल परिदृश्य का निर्माण होता है।

WTO का संगठनात्मक ढांचा

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस)-** इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी **बैठक दो वर्षों में एक बार** होती है। **11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना** में आयोजित हुआ था।
- **सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) -** यह **विवाद निपटान निकाय तथा व्यापार नीति समीक्षा निकाय** के रूप में कार्य करता है।

असंतोष का प्रकटीकरण

- लोकतांत्रिक समावेशी WTO में असंतोष के संकेत प्रकट होने प्रारम्भ हो चुके हैं। सर्वप्रथम, इसके प्रथम सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (1996) में कुछ विवादास्पद मुद्दे दृष्टिगोचर हुए थे।
- सिंगापुर सम्मेलन के मुद्दे सीएटल, कानकुन और अंततः दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक में परिलक्षित हुए। अमेरिका और चीन के मध्य हालिया ट्रेड वॉर, जिसमें अमेरिका द्वारा आयात शुल्कों में वृद्धि की जा रही है, व्यापक क्षति का द्योतक है।

WTO के कमजोर पड़ने के कारण

- **परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था:** WTO जैसे संगठनों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एकध्रुवीय विश्व का प्रतिनिधित्व किया जाता था। इस चरण के दौरान व्यापार की प्रकृति नियम आधारित हो गई थी तथा यह पश्चिम को पक्षपोषित करता था। परन्तु यह एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था विकासशील देशों के उत्थान तथा विश्व व्यापार में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों का सामना कर रही है। इन परिवर्तनों को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिकूल माना गया है तथा उन्होंने इसके विरोध में संरक्षणवाद की नीतियों का आश्रय लिया है। उदाहरणार्थ - व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) के माध्यम से चीन पर हमला, विवाद निपटान निकाय में भारत के विरुद्ध सौर पैनल मामला आदि।
- **प्रक्रिया संबंधी कमियाँ:** यद्यपि वार्ता प्रक्रिया प्रथम दृष्टया लोकतांत्रिक प्रतीत होती है परन्तु मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों पर अपारदर्शी तथा अत्यधिक तकनीकी होने का आरोप लगाया जाता है। ग्रीन रूम मीटिंग्स अधिकांश देशों की सहभागिता को निषिद्ध करती हैं। यह विकसित देशों के लिए विषमतापूर्ण ढंग से लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति आधारित निर्णय निर्माण, सुधारों में रुकावट का एक मूल कारक बन गया है।

VISION IAS

- **समझौतों की प्रकृति:** WTO के तहत हस्ताक्षरित समझौतों पर कार्यपद्धति में भेदभावपरक और अपवर्जनात्मक होने का आरोप लगाया जाता है। दोहा विकास एजेंडा (DDA) भी घरेलू समर्थन के तहत सब्सिडियों हेतु स्थाई समाधान उपलब्ध करवाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। इसके साथ ही WTO के पास डिजिटल इनेबल्ड ट्रेड अर्थात् ई-कॉमर्स के सन्दर्भ में कोई समझौता नहीं है।

  विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। वे जेनेरिक औषधियों, अनिवार्य लाइसेंस और आयात प्रतिस्थापन का विरोध करते हैं। दूसरी ओर विकासशील देश लोक स्वास्थ्य चिंताओं को उद्धृत करते हैं तथा औषध कंपनियों के विरुद्ध एवर-ग्रीनिंग का आरोप लगाते हैं।
- **विवाद समाधान:** विवाद निवारण तंत्र महंगा और अधिक समय लेने वाला है। इसका आश्रय प्रमुख रूप से विकसित देशों द्वारा लिया जाता है तथा विकासशील देश इस तंत्र में प्रायः पीड़ित होते रहते हैं। अपीलीय निकाय में नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्रक्रियाओं का राजनीतिकरण किया गया है। सौर पैनल विवाद में अमेरिका के पक्ष में निर्णय दिया जाना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा सुझाए गए सुधार

1. WTO में भविष्य की नियम-निर्माण गतिविधियों हेतु प्रस्ताव

- EU ने WTO सदस्यों द्वारा अपने निर्धारित सब्सिडी दायित्वों का पूर्णतया पालन करने पर प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव रखा है ताकि सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त औद्योगिक सब्सिडी में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। यह SCM (सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय) समझौते के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता करेगा।
- इसने राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) को प्रदान किए गए बाजार-विकृतकारी समर्थन को बेहतर ढंग से रोकने हेतु नियमों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है ताकि वे SCM प्रणाली से बच न सकें।
- इसने सेवाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विशेषतया सीमा-पार से "बलात प्रौद्योगिकी हस्तांतरण" जैसे मुद्दों, के सन्दर्भ में विदेशी निवेश हेतु भेदभावपूर्ण प्रथाओं एवं बाधाओं के निराकरण के लिए नियम भी प्रस्तावित किए हैं।

2. विकासात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में लोचशीलताओं हेतु एक नवीन दृष्टिकोण के लिए प्रस्ताव

- EU के अनुसार WTO व्यवस्था लोचशीलताओं के प्रति पुरातन दृष्टिकोण के कारण अवरुद्ध बनी हुई है। यह लोचशीलता अत्यधिक तीव्र, विशाल एवं गतिशील अर्थव्यवस्थाओं (भारत, चीन, ब्राज़ील इत्यादि) सहित दो-तिहाई सदस्यों को विशेष और विभेदकारी व्यवहार का दावा करने की अनुमति प्रदान करती है।
- अल्प विकसित देशों (LCDs) के प्रति लोचशील व्यवहार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसने विशेष और विभेदकारी व्यवहार (जितना अधिक सम्भव हो उतना लक्षित करना) को सुनिश्चित करने हेतु अन्य सदस्यों से एक आवश्यकता-संचालित तथा साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को अपनाने व व्यापक छूटों का त्याग करने का आग्रह किया है।

3. WTO की नियम निर्माणकारी गतिविधियों के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव

- लचीला बहुपक्षवाद- इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सदस्यों को , जो किसी ऐसे निश्चित उद्देश्य का अनुसरण करने में में रुचि रखते हैं जो सम्पूर्ण बहुपक्षीय सर्वसम्मति हेतु अभी तक तैयार नहीं है, उनको ऐसी दशा में इस मुद्दे को आगे बढाने तथा एक समझौते पर पहुँचने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जिससे इसका लाभ MFN के रूप में सभी सदस्यों को प्रदान किया जा सके।
- विभिन्न वार्ताओं और साथ ही साथ क्रियान्वयन एवं निगरानी कार्यों के समर्थन में WTO सचिवालय की भूमिका को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

WTO का अस्तित्व क्यों आवश्यक है?

- WTO के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी विश्व व्यापार को एकीकृत करने और विस्तार देने में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।
- WTO वैश्विक व्यापार प्रवाहों के 98% हिस्से का विनियमन करता है। इसके अतिरिक्त 1942 के बाद से प्रशुल्कों का औसत मूल्य 85% तक कम हुआ है। साथ ही प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ प्रशुल्क कटौती ने वैश्विक व्यापार के असाधारण विस्तार का संचालन किया है।
- GDP के एक भाग के रूप में व्यापार, वर्ष 1960 के 24% से बढ़कर वर्ष 2015 में 60% हो गया है। व्यापार के विस्तार ने सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक विकास को गति प्रदान की है, रोजगारों का सृजन किया है तथा परिवारों की आय में वृद्धि की है।
- GATT और WTO के तहत एक अत्यधिक सशक्त नियम आधारित व्यवस्था ने अधिक खुलापन, पारदर्शिता तथा स्थिरता की स्थापना की है।

VISION IAS

- व्यापार ने निर्धनता को कम करते हुए तथा छोटे उद्यमों, महिलाओं, किसानों और साथ ही मछुआरों के लिए अवसरों के सृजन के द्वारा समावेशी विकास के एक शक्तिशाली बल के रूप में कार्य किया है।
- चूँकि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं परस्पर अत्यधिक निर्भर हो गई हैं अत: एक व्यापार संगठन का विघटन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था हेतु क्षतिकारक सिद्ध हो सकता है।

आगे की राह

WTO को वैश्विक संरचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए:

- **बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं-** चूँकि WTO एक सदस्य आधारित संगठन है अत: सभी देशों अर्थात् विकसित एवं विकासशील देशों को इसकी संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार हेतु आपस में सहयोग करना चाहिए। WTO को बहुपक्षीय वार्ताओं का आयोजन करना चाहिए जहाँ समान विचारधारा वाले देश उनसे संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने तथा सामान्य मुद्दों के संबंध में नियम बनाने हेतु आगे आ सकें।
- **व्यापार समझौते-** वर्तमान में व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी सक्षम बन गया है और **ई-कॉमर्स** के संदर्भ में एक समझौते का निर्माण करना अत्यावश्यक है। वस्तुतः राष्ट्रीय सरकारों की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखने वाला पारदर्शी और विनियमित ई-कॉमर्स सुनिश्चित करना वर्तमान समय की मांग है।
- वर्तमान में **सेवाएं** व्यापार के एक वृहद भाग अर्थात् वैश्विक GDP के दो तिहाई हिस्से का सृजन करती हैं। इसके बाद भी वस्तु व्यापार की तुलना में अत्यधिक अवरोधों का सामना करने के कारण सेवाओं से संबंधित वैश्विक व्यापार नीतियाँ पिछड़ी हुई हैं। इनमें सुधार करने हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) को और अधिक खुला एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकाधिकारवादी प्रथाओं, वित्तीय विनियमों तथा अनियमित आप्रवास नीतियों का समाधान करना होगा।
- **समावेशिता हेतु व्यापार संबंधी नीतियाँ-**
    - सभी सदस्य देशों को विभिन्न देशों के विकास के विविध स्तरों को समझने की आवश्यकता है। इस आधार पर एक परामर्श समिति का गठन किया जाना चाहिए। वार्ता बैठकें अत्यधिक खुली, पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए।
    - विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंताओं के समाधान हेतु कृषि संबंधी समझौतों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
    - ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ई-कॉमर्स को लघु एवं मध्यम उद्यमों और महिला उद्यमों हेतु लाभप्रद बनाया जाना चाहिए।
    - सामाजिक सुरक्षा कानून, कौशल उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन श्रमिकों की आवाजाही को सुगम बनाना बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अधिक स्थिरता तथा धारणीयता प्रदान करेगा।
- **सामूहिक सौदेबाजी-** G-33, अफ्रीकन कम्युनिटी जैसे समान विचारधारा वाले समूहों को कृषि, सेवाओं, बौद्धिक संपदा इत्यादि पर समझौतों में अपने अनुकूल प्रावधानों की मांग हेतु अपनी सामूहिक सौदेबाजी में वृद्धि करनी चाहिए। विवाद समाधान तंत्र को अधिक शक्तिशाली तथा सदस्यों द्वारा संचालित होना चाहिए।
- **विकसित देशों की मानसिकता में परिवर्तन-** यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को उनके विकास तथा खुली व्यापार व्यवस्था बनाए रखने में WTO द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। वस्तुतः समय आ गया है जब बहुपक्षवाद और इसके संस्थानों को आकार प्रदान करने के सन्दर्भ में उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील विश्व की भूमिका में वृद्धि की जाए। अतः विकसित देशों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा।

2.2. दक्षिण एशियाई व्यापार की असाधित सम्भावना

(Unrealized Potential of South Asian Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने "ए ग्लास हाफ फुल: द प्रॉमिस ऑफ़ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

दक्षिण एशिया में व्यापारिक प्रवृत्तियाँ

- **अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार-** यह दक्षिण एशिया में कुल व्यापार के 5% से कुछ अधिक, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कुल व्यापार के 50% तथा उप-सहारा अफ्रीका में 22% हेतु उत्तरदायी है।
- **क्षेत्रीय GDP के भाग के रूप में अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार -** दक्षिण एशिया की अपेक्षाकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार उनकी GDP का केवल 1% है। इसके विपरीत यह उप-सहारा अफ्रीका में 2.6 प्रतिशत और पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 11 प्रतिशत है।
- **व्यापार प्रतिबंधात्मकता -** वैश्विक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशिया से आयातों हेतु व्यापार प्रतिबंधात्मक सूचकांक (trade restrictiveness index) भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के मामले में शेष विश्व की तुलना में 2 से 9 गुना उच्च है।
- **व्यापार की लागत का विषमतापूर्ण होना-** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यापार लागत, ASEAN की तुलना में 20% अधिक है।

VISION IAS

इस विषम प्रवृत्ति के कारण

- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA) का क्रियाशील न होना**
  - **पैरा टैरिफ्स (प्रशुल्क)-** ये घरेलू उत्पादन को छोड़कर आयातों पर आरोपित शुल्क होते हैं। इनको SAFTA से बाहर रखा गया है तथा इस प्रकार ये कृत्रिम उच्च प्रशुल्कों का कारण बनते हैं। उदाहरणार्थ बांग्लादेश में पैरा टैरिफ के कारण सामान्य औसत प्रशुल्क वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग दोगुना (13.3% से 25.6%) हो गया था।
  - **संवेदनशील सूची-** यह सूची उन वस्तुओं को शामिल करती है जिन्हें प्रशुल्क तर्कसंगतता से छूट प्रदान की गई है। दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 35% संवेदनशील सूची प्रशुल्कों के अधीन है। इस सूची को चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु SAFTA में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- **गैर-प्रशुल्क उपाय-** स्वच्छता, श्रम, फाइटो सैनिटरी (पादप-स्वच्छता) आदि के रूप में आरोपित गैर-प्रशुल्क अवरोध (NTBs) दक्षिण एशिया में विशिष्ट उत्पादों तथा बाजार संयोजनों हेतु असाधारण रूप से उच्च हैं। ये 75% से 2000% तक परिवर्तित होते रहते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के कई देशों द्वारा बंदरगाह प्रतिबन्ध आरोपित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान ने अटारी-वाघा भूमि मार्ग से भारत में केवल 138 मदों के आयात को अनुमति प्रदान की है जबकि यह मार्ग दोनों देशों के मध्य एकमात्र भू-मार्ग है। यह बाजार पहुंच अवसरों को कम करता है। इसके साथ ही इसमें सम्पूर्ण क्षेत्र में गैर-प्रशुल्क अवरोधों के विभिन्न रूपों से संबंधित सूचना विषमताओं के द्वारा भी वृद्धि होती है।
- **सीमा अवसंरचना का अभाव तथा प्रक्रियात्मक विलम्ब-** सम्पूर्ण दक्षिण एशिया सीमा क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना अत्यंत ख़राब है। अपर्याप्त कस्टम और सीमा प्रक्रियाएं व्यापार को धीमा बनाती हैं जिससे व्यापार लागत बढ़ जाती है। उदाहरण- औषधियों (pharma) के आयात हेतु उत्पाद पंजीकरण तथा आवश्यक अनुमति की जटिल प्रक्रियाएं।
- **खराब क्षेत्रीय संयोजकता (कनेक्टिविटी) -** क्षेत्र में वायु, स्थल और जल परिवहन का अभाव है। प्रतिकूल वीज़ा प्रणालियों के कारण सेवा व्यापार वृहद स्तर पर बाधित है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास को अवरुद्ध करता है।
- **भारत और पाकिस्तान के मध्य सामान्य व्यापार का अभाव-** भारत और पाकिस्तान के मध्य जटिल व्यापार संबंध दक्षिण एशिया के व्यापार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। दोनों देश क्षेत्र की GDP के 88% हेतु उत्तरदायी हैं। दोनों देशों के मध्य 37 बिलियन डॉलर की व्यापार सम्भावना है, जो वर्तमान में केवल 2 बिलियन डॉलर पर स्थिर है।

भारत-पाकिस्तान व्यापार संबंध- शांति हेतु उपाय

वर्तमान स्थिति- ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति के साथ व्यापार में धीमी प्रगति

- यद्यपि वर्ष 2000-05 के मध्य व्यापार में 3.5 गुना वृद्धि हुई है परन्तु यह बहुत धीमी थी। यह व्यापार वर्ष 2013-14 के 2.70 बिलियन डॉलर से गिरकर वर्ष 2017 में 2.40 बिलियन डॉलर हो गया।
- वर्ष 2012 में आयात नीति में पाकिस्तान द्वारा किए गए परिवर्तनों के पश्चात् **भारतीय निर्यातों में न्यूनतम वृद्धि** हुई है। वर्ष 2016-17 में नवीन निर्यात पाकिस्तान को किए गए भारत के कुल निर्यात का केवल 12% था।
- पूर्ण व्यापारिक संबंधों की अनुपस्थिति में पश्चिम एशिया और नेपाल के माध्यम से अनियंत्रित **अवैध व्यापार** संचालित हो रहा है।
- संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से **अप्रत्यक्ष व्यापार** सामान्य द्विपक्षीय व्यापार का 10 गुना है।

आवश्यक परिवर्तन

- वस्त्र, औषधियों और खेल के सामानों में **क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं का विकास**। वस्त्र उद्योग केन्द्रों जैसे कि लाहौर, सूरत इत्यादि के मध्य संपर्कों का विकास।
- **व्यापार संबंधों का सामान्यीकरण** अर्थात् ये प्रकृति में गैर-भेदभावपूर्ण हों ताकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन किया जा सके।
- दोनों देशों की ओर से **संवेदनशील सूची की मदों को कम किया जाना** तथा गैर-प्रशुल्क अवरोधों को कम किया जाना।
- **व्यवसाय स्तरीय संवाद-** इसमें शामिल हैं- व्यापारिक समुदायों में सामाजिक पूँजी का निर्माण, नेशनल चैम्बर्स के माध्यम से बिज़नेस टू बिज़नेस लिंकेज का विकास तथा सार्क (SAARC) वीज़ा व्यवस्था का क्रियान्वयन।

- **विश्वास की कमी-** क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में भारत के विशाल आकार के कारण दक्षिण एशिया में सुरक्षा सम्बन्धी दुविधा विद्यमान है। यह भय और असुरक्षा की भावना एवं अविश्वास में वृद्धि करती है जो लोगों से लोगों के मध्य संपर्कों और सहभागिता के अभाव के द्वारा और अधिक सुदृढ़ होती है।

VISION IAS

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- **SAFTA का पुनर्गठन-** SAFTA की संवेदनशील सूची को आगामी दस वर्षों में समाप्त किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में इसे छोटा करने से शुरुआत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पैरा टैरिफ कटौती के उन्मूलन और गैर-संवेदनशील सूची से पैरा टैरिफ को शीघ्र हटाये जाने पर निर्णय हेतु विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया जाना चाहिए।
- **गैर-प्रशुल्क अवरोधों (NTBs) में कमी-** सूचना अंतरालों को भरने, सीमा अवसंरचना के विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के माध्यम से NTBs का समाधान किया जा सकता है। सम्पूर्ण क्षेत्र में एक जागरुकता कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र अनिवार्य है। सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान-प्रदान, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और सिंगल विंडो की स्थापना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि-** कनेक्टिविटी व्यापार संबंधों का मुख्य घटक है। सड़क, रेल और वायु कनेक्टिविटी व्यापार को प्रेरित करेगी। द्विपक्षीय वायु सेवा नीतियों तथा सरलीकृत वीजा प्रणालियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। भारत-श्रीलंका वायु सेवा समझौते की सफलता इसका उदाहरण है।
- **विश्वास निर्माण-** विश्वास व्यापार को प्रेरित करता है तथा व्यापार के परिणामस्वरूप शान्ति एवं समृद्धि आती है। उदाहरण: भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट। इसने दोनों देशों के मध्य सामाजिक पूँजी को विकसित करने में सहायता की है।

व्यापार में वृद्धि के लाभ

- **सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां-** दक्षिण एशियाई क्षेत्र निर्धनता, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव इत्यादि समान समस्याओं से पीड़ित है। क्षेत्र में सभी देश क्षेत्रीय व्यापार से लाभ अर्जित कर सकते हैं क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायता करेगा।
- **विभिन्न हितधारकों को लाभ-** उपभोक्ता खाद्य उत्पादों, सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच से लाभ अर्जित कर सकते हैं। उत्पादक और निर्यातक आगतों, निवेशों एवं उत्पादन नेटवर्क के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक संघ, वस्तुओं और सेवाओं में विस्तृत बाजार पहुंच से लाभ अर्जित कर सकते हैं।
- **स्थल-रुद्ध देशों तथा उप-क्षेत्रों तक पहुंच में वृद्धि-** अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे स्थल-रुद्ध देशों और पृथक उप क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर भारत और खैबर-पख्तूनख्वाह तथा पाकिस्तान में संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र आदि परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स लागतों में कमी होने से लाभ अर्जित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप पहुंच में वृद्धि होगी।

2.3. RCEP हेतु अर्ली-हार्वेस्ट पैकेज

(Early-Harvest Package for RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के सदस्यों ने वर्ष के अंत तक व्यापार वार्ताओं को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ एक **अर्ली-हार्वेस्ट "पैकेज"** को अंतिम रूप प्रदान किया है।

RCEP के बारे में

- RCEP को **10 सदस्यीय ASEAN गुट और इसके 6 FTA भागीदारों** यथा- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड **के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के रूप में घोषित किया गया है।
- अपने अंतिम चरण में पहुंचने के पश्चात् RCEP, सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार गुट का सृजन करेगा तथा GDP के 25%, वैश्विक व्यापार के 30% तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाहों के 26% का निर्माण करेगा।
- RCEP के 'मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों' के अनुसार- " **वस्तुओं, सेवाओं, निवेश** और अन्य क्षेत्रों में **व्यापार पर वार्ताएं** एक व्यापक और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने हेतु समानांतर रूप में सम्पन्न की जाएंगी।"

पृष्ठभूमि

- RCEP का निर्माण **वर्ष 2012 में कम्बोडिया में ASEAN सम्मेलन** के दौरान किया गया था। इसे पक्षकारों के मध्य सहभागिता को गहन और विस्तृत करने तथा क्षेत्र में **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित** करने हेतु साझेदारी को सुगम बनाने के लिए निर्मित किया गया था।
- किन्तु वर्ष 2012 में प्रारम्भ हुई वार्ताओं के दौरान सदस्य राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मतभेदों के कारण **गतिरोध** उत्पन्न हो गया।
- प्रारम्भिक मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत ने यह स्पष्ट किया था कि वह एक **"अर्ली हार्वेस्ट"** के पक्ष में नहीं है। अर्ली हार्वेस्ट से आशय यह है कि वार्ताओं के **सभी तीन स्तम्भों** अर्थात् वस्तुओं, सेवाओं और निवेश **पर समझौते** एक पैकेज के रूप में किए जा सकते हैं किन्तु प्रत्येक के लिए अलग-अलग नहीं किये जा सकते। अर्थात् यदि वस्तुओं के सन्दर्भ में शीघ्र ही सर्वसम्मति पर पहुंचा भी जाता है (जिनकी अधिकांश राष्ट्र इच्छा रखते हैं), तो भी उसे पृथक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
- वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा हेतु 16 RCEP सदस्यों के व्यापार मंत्रियों की बैठक सिंगापुर में 30 अगस्त 2018 को सम्पन्न हुई थी।

VISION IAS

RCEP वार्त्ताएँ जिनका इस वर्ष कोई निष्कर्ष नहीं निकला है:

- वर्ष के अंत तक प्रदेय वस्तुओं के व्यापक पैकेज पर सहमति बननी चाहिए थी।
- देशों द्वारा 'द्विपक्षीय युग्मन (Bilateral Pairing)' के आधार पर एक-दूसरे के लिए शुल्क कटौती का निर्णय लिया जाना था।

संपन्न वार्ताओं में शामिल विषय:

- आर्थिक, तकनीकी सहयोग,
- लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs),
- व्यापार सुगमता तथा
- सरकारी खरीद।

भारत के सरोकार

- भारत ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में लोचशीलता सुनिश्चित की।
- गुट में पेशेवरों की सुगम आवाजाही हेतु **सदस्यों** की प्रतिबद्धता।
- **प्रस्तावित** मनमाने मानदंड कुछ क्षेत्रों को बाहर कर सकते हैं।

अन्य बिंदु

- RCEP के पक्षकारों द्वारा वार्ताओं में चीन के अतिरिक्त अन्य साझेदारों हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रशुल्क रियायतें प्रदान करने की भारत की मांग पर भी सहमति प्रकट की गई।
- 16 देशों में से तीन देशों यथा- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं। इसके लिए वार्ताएं पृथक रूप से अब एक "द्विपक्षीय जोड़ियों वाली प्रणाली" में आयोजित की जाएंगी।
- सदस्यों द्वारा क्षेत्र में पेशेवरों (जिन्हें व्यापारिक बोल-चाल में मोड-4 कहते हैं) की सुगम आवाजाही हेतु बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी अपनायी जाएगी। यह भारत की दीर्घकालिक मांग है।

RCEP में शामिल होने से भारत को संभावित लाभ

- **निर्यातों से संबंधित लाभ:** निर्यात वृद्धि के संभावित क्षेत्रों यथा प्रसंस्कृत खाद्य, धातु निर्माण, रत्न इत्यादि के अतिरिक्त, ASEAN के साथ सेवाओं में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को ASEAN क्षेत्र के लिए एक सेवा निर्यात केंद्र बनने हेतु अपने प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।
    - यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का ध्यान उसके लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों वाले उत्पादों पर केन्द्रित रहा है। इसका अर्थ है कि अन्तः-उद्योग (intra-industry) व्यापार पैटर्न के अंतर्गत इन उत्पादों से प्राप्त प्रति-इकाई विदेशी मुद्रा, समान उत्पादों के आयातों पर प्रति-इकाई विदेशी मुद्रा व्यय से अधिक होगी।
- **FDI लाभ:** RCEP परिष्कृत क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्कों में भारत के एकीकरण को सुगम बनाएगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप समूह में शामिल अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार-संबंधी नियमों, निवेश और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाओं के सुसंगत होने की अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही इससे अंतर्गामी और बहिर्गामी **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (विशेष रूप से **निर्यात-उन्मुख FDI**) में वृद्धि होगी।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जुड़ना:** ASEAN, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क (इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क; IPN) के निर्माण में एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इस प्रकार भारत क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को एकीकृत करने में अपने अनुभव और सहायता से लाभ अर्जित कर सकता है।
- **बेहतर सहभागिताएं:** यह सदस्य देशों के मध्य एकीकरण को सुदृढ़ कर सकता है। यह देखते हुए कि ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) में भारत के शामिल होने की अभी कोई सम्भावना नहीं है; RCEP की सदस्यता से भविष्य में बड़े FTAs में बेहतर तरीके से संलग्न होने के लिए भारत को तैयार होने में सहायता प्राप्त होगी।

VISION IAS

- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति का एक अपरिहार्य घटक है तथा RCEP में शामिल होने से इस नीति को प्रोत्साहन प्राप्त होने की सम्भावना है।

यदि भारत RCEP से बाहर रहता है तो यह इसके **निर्यात मूल्य को अप्रतिस्पर्धी** बना देगा क्योंकि अन्य RCEP सदस्य अधिमान्य पहुंच (preferential access) का लाभ उठाएंगे। इसके परिणामस्वरूप होने वाली निर्यात क्षति **विदेशी मुद्रा अभाव** और रुपए के अवमूल्यन के अनुवर्ती विस्तार में योगदान करेगी।

RCEP से भारत के समक्ष उत्पन्न संभावित चुनौतियाँ

- **भारत का व्यापार घाटा-** RCEP समूह के साथ भारत का **104 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** है, जो वर्ष 2017-18 के **भारत के कुल व्यापार घाटे का 64%** है। भारत चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयातित वस्तुओं के 74% पर **प्रशुल्क उदारीकरण** उपलब्ध कराने हेतु पहले से ही सहमत हैं तथा यह अन्य RCEP सदस्यों हेतु 86% तक जा सकता है। इससे घाटे में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।
- **चीन के उत्पादों से खतरा-** RCEP में शामिल होने से भारत के बाजारों विशेषतया इस्पात और वस्त्र उद्योग क्षेत्र में चीन के उत्पादों का अत्यधिक प्रवाह हो सकता है, जिससे स्थानीय उद्योगों को क्षति पहुंचेगी और व्यापार भी विकृत हो जाएगा।
    - भारत के लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र को विशेष रूप से चीन से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केवल यही एक क्षेत्र है जिसमें भविष्य में रोजगार सृजित किया जा सकता है क्योंकि भारत में शीर्ष स्तर की विनिर्माण इकाइयाँ (अर्थात् बड़े पैमाने के उद्योग) वृहद पैमाने पर रोबोटिक्स और स्वचालन को अपना रही हैं।
- **महंगे कानूनी मुकदमे-** एक **निवेशक राज्य विवाद समाधान तंत्र (Investor State Dispute Settlement mechanism)** के समावेशन के कारण भारत को कॉर्पोरेट्स द्वारा इसके विरुद्ध दायर **महंगे कानूनी मुकदमों** का सामना करना पड़ सकता है।
- **कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) तंत्र का मुद्दा-** भारत को ऐसे उपायों से सावधान होने की आवश्यकता है जो पेटेंट अवधि के विस्तार और **डेटा अनन्यता** से संबंधित एक **कठोर IPR व्यवस्था** के प्रवर्तन के कारण **उसके सस्ती जेनेरिक औषधियों के उत्पादन के अधिकार को हानि** पहुंचा सकते हैं।

आगे की राह

- भारत को अपनी **श्रमशक्ति को कुशलता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित** करना चाहिए क्योंकि इसके **जनांकिकीय लाभांश** के कारण वृद्ध हो रही जनसंख्या वाले एशियाई देशों को भारत से कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
- प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्रों के लिए समझौता वार्ता करने के साथ-साथ भारत को अपनी घरेलू नीतियों में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता होगी। ये इसके व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कारक बाजारों (फैक्टर मार्किट) में भी सुधार करेंगे। इसके अतिरिक्त ये सुधार अन्य बाजारों तक भारत की बेहतर पहुंच में सहायता करेंगे।
- एक ऐसा व्यापार समझौता किया जाना चाहिए जो कठोर आयात प्रतिस्पर्धा की स्थिति में **छोटे किसानों और उद्योगों** (विशेष रूप से लघु स्तरीय उत्पादकों) **की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित** करने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए।
- सरकार को **भारत की RCEP में कम होती सहभागिता के गहन सामरिक संकटों** पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अर्थात् इस कमी के कारण क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा संरचना में चीन को और अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

2.4. रूस एवं चीन संबंध

(Russia and China Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस एवं चीन द्वारा मंगोलिया के साथ मिलकर रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्र एवं प्रशांत महासागर में रूसी सैन्य अभ्यास **वोस्तोक 2018** का संचालन किया गया।

सैन्य अभ्यास के बारे में

- **सैन्य अभ्यास की प्रकृति एवं पैमाना:** रूस द्वारा इस अभ्यास को चीन एवं रूस के मध्य रणनीतिक साझेदारी को सुनिश्चित करने हेतु एक **पुनर्मिलाप कदम (rapprochement move)** के रूप में घोषित किया गया है। 1981 के पश्चात, रूस द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।

यह अभ्यास क्यों? इस सन्दर्भ में तथ्य:

- **अमेरिका का वर्चस्व:** हाल ही में अमेरिका ने अपनी नई रक्षा नीति की घोषणा की है। इस नीति में अमेरिका ने रूस एवं चीन द्वारा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित किया है, अतः ये दोनों देश अमेरिका के विरुद्ध एक हो गए हैं। अब दोनों देश अमेरिका से निपटते हुए अपनी यथास्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं।
- **भू-राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव:** विगत एक दशक से चीन के उदय तथा अपनी खोई हुई विशाल शक्ति की पुनःप्राप्ति हेतु रूस द्वारा किए जा रहे प्रयासों द्वारा अमेरिका के नेतृत्व वाले एकध्रुवीय विश्व को निरंतर चुनौती दी जा रही है। आज दोनों देश विश्व को शक्ति के विभिन्न केंद्रों के साथ बहुध्रुवीय विश्व के रूप में देखते हैं।

VISION IAS

ये किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं?

- **रूस के हित**
  - पश्चिमी प्रतिबंधों में निरंतर वृद्धि एवं रूस के पड़ोस (जैसे कि पूर्वी यूरोप) में नाटो की आक्रामक रणनीति के चलते रूस अपनी क्षति को कम करने हेतु अन्य साझेदारों की खोज में है। चूंकि रूसी अर्थव्यवस्था सैन्य आधारित है, अतः चीन के सहयोग से इसके **रक्षात्मक उपायों में वृद्धि होगी**।
  - इस अभ्यास के माध्यम से रूस अपने राष्ट्रीय हितों एवं संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है।
  - सुदूर-पूर्व में इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास का आयोजन करने का उद्देश्य इस क्षेत्र में अपने विकासपथ को सुनिश्चित करना है जो विगत वर्षों में कई बार विचलित हुआ है, जैसे कि 1904-05 में रूस पर जापान की जीत, 1969 में चीनी आक्रामकता, इत्यादि।
- **चीन के हित**
  - चीन का उद्देश्य अमेरिका को अपने (चीन के) विरुद्ध रूस का सहारा लेने (the Russian card) के प्रयास को लेकर एक कठोर संदेश देना है।
  - चीन अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों विशेषकर भारत एवं वियतनाम को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी युद्ध तकनीकों की क्षमता का प्रदर्शन कर चेतावनी देना चाहता है।
  - इसके अतिरिक्त चीन, सीरिया एवं पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा उपयोग किए जाने वाली उग्रवाद विरोधी कार्रवाई की रणनीति के सम्बन्ध में रूसी सेना के अनुभव से सीखना चाहता था।

भारत-रूस संबंध पर प्रभाव

- रूस एवं चीन के मध्य स्थापित संबंधों से भारत पर **दीर्घकालिक सुरक्षा एवं रणनीतिक प्रभाव** पड़ सकते हैं।
- भारत के रूस के साथ विशिष्ट एवं विशेषाधिकारपूर्ण रणनीतिक संबंध रहे हैं, परंतु हाल ही में इनमें गिरावट आई है। एक लम्बे समय से भारत ने रूस के साथ संबंधों में निष्क्रियता दिखाई है।
- भारत अपने रक्षात्मक उपायों को विविधता प्रदान कर रहा है तथा अमेरिका के साथ अपनी मिलनसारिता में वृद्धि कर रहा है। ऐसा करने में भारत ने रूसी चिंताओं को समायोजित नहीं किया है, अतः इसके परिणामस्वरूप भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- रूस ने चीन के साथ अपने संबंधों में व्याप्त पुराने रवैए में परिवर्तन किया है। यह दीर्घावधि तक चीन के साथ सैन्य एवं व्यापार संबंधों में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। सुखोई 35 लड़ाकू विमान, आर्मर क्लास सबमरीन इत्यादि की बिक्री आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त रूस ने चीन की ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि की है और साथ ही यह चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके अलावा रूस ने भारत को वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) पहल का समर्थन करने हेतु कहा है।
- इसके साथ ही रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर लंबे समय से आरोपित प्रतिबंधों को भी कम कर दिया गया है तथा अब यह अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में तालिबान का पक्ष ले रहा है।
- चीन के साथ रूस के सुदृढ़ संबंध प्रत्यक्ष रूप से चीन एवं पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करेंगे। भारत एवं चीन के मध्य सीमा, पाकिस्तान, OBOR, दक्षिण चीन सागर इत्यादि को लेकर विवाद मौजूद हैं। चीन रूसी समर्थन के साथ इन मुद्दों पर अधिक प्रभावशाली बन सकता है जिससे भारत के रणनीतिक हितों को क्षति पहुँच सकती है। इसके अतिरिक्त रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा, परमाणु एवं साइबर सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और साथ ही एक विश्वसनीय साझेदार है। दोनों देशों के मध्य संबंधों में कमी आने से भारत के सुरक्षा हित भी प्रभावित होंगे।

भारत को क्या करना चाहिए?

चीन के साथ क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने हेतु भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- **सुदृढ़ आर्थिक साझेदारी का निर्माण:** भारत-रूस संबंधों में व्यापार सबसे कमजोर कड़ी रहा है। वर्तमान युग में सुदृढ़ पारस्परिक आर्थिक निर्भरता के बिना किसी संबंध को बनाये रखना संभव नहीं है। भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 बिलियन डॉलर है जबकि रूस-चीन व्यापार 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। भारत को व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों जैसे कि वीज़ा व्यवस्था का समाधान करने तथा साथ ही अमेरिका द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार करने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करने की आवश्यकता है।
- **रूस-चीन संबंधों को सीमित करना:** यद्यपि रूस एवं चीन साझेदारी का विकास कर रहे हैं, तथापि दोनों देशों के मध्य वर्तमान विश्व में उनकी यथास्थिति, आर्थिक विकास का स्तर, अमेरिका के साथ संबंध और मध्य एशिया एवं यूरोप में इनकी भूमिका को लेकर संरचनात्मक मतभेद भी विद्यमान हैं। भारत को दोनों देशों के मध्य निहित इन भिन्न-भिन्न हितों का लाभ उठाना चाहिए। रूस और भारत मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं क्योंकि चीन के विपरीत भारत इन क्षेत्रों में रूस की स्थिति को खतरा नहीं पहुंचाता है। 'रूस विश्व में एक महान शक्ति रहा है और अभी भी एक बड़ी शक्ति है'- भारत को इस छवि के पुनर्निर्माण में रूस की सहायता करने की आवश्यकता है।
- **तीनों देशों के सामान्य हित-** भारत, चीन और रूस को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए क्योंकि तीनों देश बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था, अफगानिस्तान में शांति तथा मध्य एशिया में स्थिरता का समर्थन करते हैं। इस कार्य की पूर्ति हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मंच शंघाई सहयोग संगठन है।

निष्कर्ष

भारत को रणनीतिक एवं सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु रूस के साथ अपने संबंधों को जीवंत करने की आवश्यकता है।

2.5. भारत एवं बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं बांग्लादेश ने सयुंक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में विविध परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

आरंभ की गई परियोजनाओं के बारे में

इन परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- भारत द्वारा बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति।
- ढाका-टोंगी एवं टोंगी-जयदेवपुर रेलवे लाइन एवं बांग्लादेश के हिस्से वाली अखौरा-अगरतला रेलवे लाइन का निर्माण।
- बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शहबाजपुर खंड का पुनर्निर्माण।
- तेल के परिवहन तथा सिलीगुड़ी (भारत) और पार्बतीपुर (बांग्लादेश) को जोड़ने के लिए 130 किलोमीटर लंबी **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन** परियोजना का निर्माण।

इस कदम का महत्त्व

- इससे बांग्लादेश एवं भूमिबद्ध पूर्वोत्तर के मध्य व्यापार एवं कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।
- बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शहबाजपुर खंड के पुनर्निर्माण को ट्रांस-एशियाई रेलवे परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जोड़ना है।
- यह दोनों देशों के मध्य ऊर्जा भागीदारी को सुदृढ़ बनाएगा, जो कि भारत की 'पड़ोसी पहले' (Neighbourhood First) नीति का अनुसरण करता है।

भारत एवं चीन द्वारा बांग्लादेश में किए गए विकासात्मक प्रयासों के मध्य अंतर :

सहयोग का क्षेत्र	बांग्लादेश में भारत के विकासात्मक प्रयास	बांग्लादेश में चीन के विकासात्मक प्रयास
ऊर्जा	• भारत-रूसी समझौते के तहत **रूपपुर परियोजना** पहली ऐसी पहल है, जो बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगी। भारत, बांग्लादेश में परियोजना स्थल पर कार्मिक प्रशिक्षण, परामर्श समर्थन, स्थापना एवं निर्माण कार्य में भागीदारी तथा नॉन क्रिटिकल सामग्रियों की आपूर्ति में सहयोग प्रदान करेगा। • वर्तमान में भारत दैनिक आधार पर बांग्लादेश को 660 **मेगावाट विद्युत का निर्यात** करता है।	• चीन 1320 मेगावाट विद्युत संयंत्र सहित 25 ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है। • चीन की कुछ कंपनियों का एक समूह संयुक्त रूप से बांग्लादेश में प्रथम स्वच्छ कोयला विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। • इसके अतिरिक्त चीन ने **बांग्लादेश के दूसरे परमाणु संयंत्र** को दिए जाने वाले समर्थन का विस्तार किया है।
कनेक्टिविटी	• **प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वॉटर ट्रांजिट एंड ट्रेड (PIWTT)** के माध्यम से भारत बांग्लादेश की उसकी इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी एवं इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी, दोनों से सम्बद्ध जलमार्गों की क्षमता से लाभान्वित होने में सहायता कर रहा है। • BBIN पहल का लक्ष्य वस्तुओं के ट्रांस-शिपमेंट की आवश्यकता के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में कार्गो तथा यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है।	• चीन बांग्लादेश को म्यांमार से होते हुए युनान प्रांत को जोड़ने के लिए राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क के निर्माण कार्य में सहायता कर रहा है। • बांग्लादेश को समुद्री अर्थव्यवस्था से लाभान्वित करने हेतु चीन पत्तन आधुनिकीकरण एवं इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है।
व्यापार	• सीमा शुल्क और प्रवास संबंधी दस्तावेजों में कटौती, 49 भू-अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों की स्थापना, एकीकृत चेक पोस्टों इत्यादि द्वारा बांग्लादेश के साथ बाह्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।	• बांग्लादेशी उत्पादों को चीन में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने से बांग्लादेश की घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

रक्षा	• डिफेन्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पैक्ट के माध्यम से, भारत रणनीतिक और परिचालन अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी कर रहा है।	• चीन बांग्लादेश को रक्षा सामानों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके साथ ही यह चटगांव पत्तन के समीप मिसाइल लॉंच पैड के निर्माण में भी बांग्लादेश की सहायता कर रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार	• भारत ने बांग्लादेश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों आदि में वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त भारत ने बांग्लादेश के साथ शिक्षा की डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु **नेशनल नॉलेज नेटवर्क** को भी विस्तारित किया है।	• चीन **इंफो सरकार-3 परियोजना** एवं **मॉडर्नाइजेशन ऑफ़ टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी (MoTN)** को वित्तपोषित कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सभी मंत्रालयों व विभागों को पब्लिक नेटवर्क के अंतर्गत लाने के साथ-साथ टेली-डेंसिटी में वृद्धि करना है।
आजीविका	• भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर सीमा हाट का भी विकास कर रहा है। इसमें **स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की पारंपरिक प्रणाली की स्थापना** करना सम्मिलित है।	• चीन **कौशल एवं प्रशिक्षण उन्नयन** परियोजना हेतु तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य बांग्लादेश को उच्च उत्पादकता वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
अंतरिक्ष	• आपदा प्रबंधन, टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन और अंतरसरकारी नेटवर्कों के क्षेत्रों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु **साउथ एशियन सेटेलाइट (SAARC सेटेलाइट)** का प्रक्षेपण किया गया।	• चीनी सरकार के साथ वार्ता एवं वित्तीय सहयोग के माध्यम से बांग्लादेश के प्रथम संचार उपग्रह **बंगबंधु-1** का प्रक्षेपण किया गया।

बांग्लादेश के प्रति भारत एवं चीन के दृष्टिकोणों में अंतर :

बांग्लादेश के प्रति भारत का दृष्टिकोण	बांग्लादेश के प्रति चीन का दृष्टिकोण
• भारत सहायता के मार्ग से बांग्लादेश में अपनी पहुँच स्थापित करना चाहता है। • भारत के राजनयिक प्रयास साझा इतिहास, एकसमान विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य तथा कला के प्रति सद्भावना से जुड़े हैं। • बांग्लादेश को पूर्वोत्तर क्षेत्र के जोखिम स्थायित्व को कम कर सकने वाले मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता है। इस जोखिम को चीनी प्रभाव, आतंकवादी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं आदि द्वारा बढ़ावा मिलता है। • पत्तन कनेक्टिविटी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रारंभिक बिंदु तथा एशियाई-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक संभावना के रूप में देखा जाता है। • **40 वर्षीय गतिरोध के पश्चात हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement)** के माध्यम से प्राप्त समाधान को जल विवाद, अवैध प्रवासियों, मानव तस्करी, अवैध ड्रग व्यापार इत्यादि जैसे अन्य विवादित मुद्दों को सुलझाने वाले प्रयास के रूप में देखा जाता है। • बांग्लादेश को **चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स पहलों** की उभरती प्रवृत्ति के विरुद्ध तटस्थ बिंदु के रूप में देखा जाता है।	• चीन ने अधिक पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाया है और बांग्लादेश में कई महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। • इसके दृष्टिकोण का लक्ष्य दक्षिण चीन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर तक अपने समुद्री गलियारे को सुदृढ़ बनाना है। • वर्तमान में म्यांमार सीमा के साथ ऊर्जा अवसंरचनात्मक विकास को **चीन के ऊर्जा गलियारे** (Energy Corridor) के विस्तार के रूप में देखा जाता है। • बांग्लादेश के पत्तन चीन हेतु बड़े आकर्षण के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये चीन को ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए **मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) पर निर्भरता को कम करने** हेतु आकर्षक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं। • यद्यपि चीन एवं बांग्लादेश **रणनीतिक अभिसरण के कई बिंदुओं** को साझा करते हैं, इसके बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी का मुद्दा अभी भी दोनों देशों के मध्य विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। • इसके अतिरिक्त, चीन **भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीनी प्रभाव** को बनाए रखने हेतु बांग्लादेश को एक रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में भी देखता है।

VISION IAS

2.6. मालदीव में चुनाव

(Maldives Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलीह की अप्रत्याशित जीत का स्वागत किया है। इसके साथ ही यहाँ राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम यामीन का पांच वर्षीय विवादास्पद कार्यकाल भी समाप्त हो गया।

पृष्ठभूमि

- यामीन सरकार जोकि 2013 के विवादास्पद चुनावों के पश्चात सत्ता में आई थी, ने दमनात्मक शासन किया था। इस शासन में कॉमनवेल्थ से मालदीव के बाहर निकलने, चीन की ओर संदेहास्पद झुकाव और भारत के साथ पारंपरिक संबंधों में कमी आने (जैसे कि माले एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण हेतु भारतीय कंपनी GMR के अनुबंध को रद्द करना, मालदीव में कार्यरत भारतीयों के वीज़ा नवीनीकरण को अस्वीकार करना तथा वर्ष के प्रारंभ में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने से मना करना) जैसे कुछ अप्रत्याशित कार्य हुए।
- यामीन सरकार पर चीन को मालदीव द्वीपों में 'भूमि हड़पने (लैंड ग्रैब)' की अनुमति देने तथा प्रमुख अवसंरचना और यहां तक कि अत्यावश्यक सुविधाओं (essential utilities) में भी चीन के अत्यधिक हस्तक्षेप को अनुमति देने के आरोप लगाए गए। इससे न केवल मालदीव की सम्प्रभुता बल्कि संपूर्ण हिन्द महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

- हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अवस्थित मालदीव द्वीपसमूह (Archipelago) में 1,200 प्रवाल द्वीप शामिल हैं। यह प्रमुख शिपिंग लेन के साथ-साथ अवस्थित है जोकि चीन, जापान तथा भारत जैसे देशों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- विशिष्ट दक्षिण एशियाई शक्ति एवं हिंद महासागरीय क्षेत्र में 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider)' के रूप में, भारत को मालदीव के साथ सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्रकों में सहयोग करने की आवश्यकता है।
- भारत मालदीव को 1965 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्रदान करने तथा उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में प्रथम था।
- लगभग 26,000 की संख्या के साथ मालदीव में भारतीयों का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय निवास करता है। भारतीय प्रवासी समुदाय में श्रमिकों के साथ-साथ पेशेवर भी शामिल हैं।
- भारतीय सेना के 'ऑपरेशन कैक्टस' ने मालदीव में होने वाले तख़्तापलट को विफल कर दिया था। इस तख्तापलट का प्रयास 1988 में ईलम समर्थक समूह द्वारा किया गया था।
- वर्ष 2009 से ही मालदीव के आग्रह पर भारत की वहां पर नौसैनिक उपस्थिति रही है।

मालदीव के चुनाव महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- **राजनीतिक संकट:** चुनावों का आयोजन देश में व्याप्त असाधारण स्थिति की पृष्ठभूमि में किया गया था। वस्तुतः राष्ट्रपति यामीन ने अपने सौतेले भाई और पूर्व राष्ट्रपति मौमून गयूम की गिरफ़्तारी का आदेश दे दिया था, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और साथ ही न्याय पीठ द्वारा अपनी सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णय को बदलने हेतु दबाव डालने के लिए दो न्यायाधीशों की गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया था।
- **चीन का समर्थन:** चुनावों में बड़ी मात्रा में धन एवं शक्ति (muscle power) का प्रयोग किया गया था, जिसका एक बड़ा स्रोत चीन द्वारा प्राप्त सहायता थी। यामीन के पांच वर्षीय कार्यकाल के दौरान इस द्वीपीय देश की भारत-समर्थक नीति चीन-समर्थक नीति में परिवर्तित हो गयी।
- इस प्रकार नव निर्वाचित राष्ट्रपति, चीन-समर्थक नीति को भारत-समर्थक नीति में पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का अवसर प्राप्त होगा।

मालदीव में चीन की उपस्थिति

- दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और चीन के महत्त्वाकांक्षी मेरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव पहल को समर्थन देने समेत कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद मालदीव चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला दूसरा देश बन गया है।
- **मालदीव की उसके कुल ऋण के 70 प्रतिशत भाग की देयता चीन के प्रति है,** इस प्रकार मालदीव **ऋण जाल (debt trap)** से ग्रस्त है।
- मालदीव ने चीन के वन बेल्ट, वन रोड पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, साथ ही चीन को कुछ प्रमुख द्वीपसमूह पट्टे पर देने हेतु कानूनों में भी परिवर्तन किया है। बीजिंग को **माकूनूडु** में एक निगरानी केंद्र स्थापित करने हेतु भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह सुदूर पश्चिम में अवस्थित प्रवालद्वीप है तथा भारत से अधिक दूर नहीं है।

VISION IAS

- चीनी कंपनियों को मालदीव में कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु अनुबंध प्रदान किए गए थे। इनमें हाल ही प्रारम्भ सिनामाले ब्रिज, जो माले को हुलहुले द्वीप से जोड़ता है तथा हुलहुमाले (बीजिंग द्वारा सागर से पुनर्प्राप्त भूमि पर बसाया गया उपनगर) में 1000 अपार्टमेंट वाली हाउसिंग परियोजना शामिल हैं।

भारत के लिए अवसर

- फिलहाल, भारत के विपक्षी दलों के साथ उत्कृष्ट संबंध हैं और इसे अपनी सकारात्मक भूमिका के कारण वहाँ के समाज में भी व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। विशेषकर विगत एक वर्ष में, जब फरवरी माह में 45 दिनों के लिए आपात की घोषणा की गई थी तथा मौजूदा सरकार ने व्यापक स्तर पर दमनकारी नीति को अपनाया था, यह भूमिका अधिक बढ़ी है।
- भारत सरकार ने नेपाल में अघोषित नाकेबंदी के दौरान अपने कटु अनुभव से सबक सीखा है। उस दौरान नेपाली लोगों के मध्य भारत की सद्भावना को काफी क्षति पहुंची थी।
- श्रीलंका के अनुभव से भारत को यह समझना चाहिए कि अपने आर्थिक एवं रणनीतिक प्रभुत्व के कारण चीन मालदीव सहित संपूर्ण क्षेत्र में एक प्रभावशाली अभिकर्ता बना रहेगा। हिंद महासागर के इस रणनीतिक द्वीपसमूह से चीन को बाहर रखने हेतु विचार करने के बजाय, भारत को अन्य शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना सुगमता से हो।
- मालदीव के साथ अपने ख़राब होते द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने हेतु भारत को आत्मविश्वास और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

चीन का नए प्रकार का उपनिवेशवाद

- चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, रणनीतिक स्थलों पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने तथा अपने औद्योगिक अधिशेष के निर्यात हेतु विश्वभर के देशों में बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त पोषित एवं कार्यान्वित कर रहा है।
- BRI (Belt and Road Initiative: बेल्ट एवं रोड पहल) परियोजनाओं में बंद एवं अपारदर्शी निविदा प्रक्रिया द्वारा, चीन प्रायः इनकी लागत में वृद्धि करता है। इससे सम्बंधित देश को अपना कर्ज चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई देश एक बार चीन के ऋण जाल में फंस जाए तो उसके पश्चात उसे पुनर्भुगतान की कमी के कारण अपने ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करने के लिए निकृष्टतम समझौते करने हेतु विवश किया जाता है।
- श्रीलंका को चीन द्वारा निर्मित रणनीतिक हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए औपनिवेशिक शैली आधारित पट्टे पर चीन को स्थानांतरित करने के लिए विवश किया गया था, क्योंकि श्रीलंका ऋण का भुगतान करने में विफल रहा था।

चीन के विरुद्ध लिए गए निर्णयों के कुछ अन्य उदाहरण

- चीन के प्रति मालदीव के 70 प्रतिशत ऋण की देयता के साथ ही यह गंभीर ऋण जाल की समस्या से ग्रस्त है। नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया है की सरकार चीन को प्रदान किए गए उन सभी अवसंरचनात्मक अनुबंधों की समीक्षा करेगी जोकि वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हैं एवं जिनमें पारदर्शिता का अभाव है।
- **मलेशिया** ने अपने यहाँ की प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का प्रयोग करने एवं छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने हेतु मुश्किल भुगतान वाले ऋण प्रदान करने के लिए चीन की निंदा की है। मलेशियाई राष्ट्रपति, जिन्होंने पूर्व में मलेशिया में चीनी निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया था, ने 23 बिलियन डॉलर की लागत वाली चीनी परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा की।
- **म्यांमार** ने चीनी ऋण जाल में फंसे बिना आवश्यक अवसंरचना विकसित करने की आशा के साथ अपने प्रस्तावित क्यूकप्यू बंदरगाह की लागत को 7.3 बिलियन डॉलर से 1.3 बिलियन डॉलर तक कम करने के लिए बातचीत की है तथा कम नहीं किये जाने की स्थिति में इसको रद्द करने की धमकी दी है।
- **पाकिस्तान** भारत से निपटने हेतु चीन के साथ मिलकर कार्य करता है तथा साथ ही BRI वित्त पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। किन्तु हाल ही में नव निर्वाचित सरकार ने गंभीर ऋण जाल से निपटने हेतु सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने या उन पर पुन:वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है।
- विभिन्न देशों यथा **बांग्लादेश, हंगरी और तंज़ानिया** ने भी अधिकांश BRI परियोजनाओं को रद्द कर दिया है अथवा अपनी भागीदारी वापस ले ली है।
- विश्व के सबसे छोटे गणतंत्र **नौरू** के राष्ट्रपति ने भी दक्षिण प्रशांत में चीन की 'हठ धर्मी' उपस्थिति पर विरोध जताया है।
- अधिकांश देशों ने चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग या दंडात्मक शुल्क आरोपित किए हैं। इसके साथ ही देशों ने यह भी चिंता व्यक्त है कि चीन उन्हें अपने ऋण जाल में फंसा सकता है, जोकि BRI के संचालन में भी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। हाल ही में **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने भी चीन के साथ व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) में वृद्धि की है।
- **यूरोपीय संघ** ने बाजार पहुँच प्रदान करने हेतु सशर्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दबाव डालने वाले चीन के व्यवहार के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज की थी। WTO नियमों के तहत, कोई भी देश अपने यहाँ के घरेलू उद्योगों को प्रभावित करने वाली विदेशी सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रशुल्क आरोपित कर सकता है।

VISION IAS

2.7. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गूटेरेस ने भारत एवं अमेरिका सहित आठ देशों से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) को अंगीकृत करने की अपील की है।

क्या है CTBT?

- यह **एक बहुपक्षीय संधि है जोकि सैन्य एवं नागरिक उद्देश्यों, दोनों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध** लगाती है।
- जेनेवा में आयोजित **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** में इस पर विचार-विमर्श किया गया तथा तत्पश्चात इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था। 24 सितम्बर 1996 को इसे हस्ताक्षर के लिए सामने रखा गया था।
- CTBT अपने 183 हस्ताक्षरकर्ताओं एवं अंगीकृत करने वाले 163 देशों के साथ **व्यापक स्तर पर समर्थित हथियार-नियंत्रक संधियों** में से एक है।
- यह केवल तभी प्रभाव में आ सकेगी जब यह परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमता वाले आठ देशों नामतः **चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा अंगीकृत कर ली जाएगी।
- केवल उत्तर कोरिया ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, अतः सुरक्षा परिषद् ने उसकी निंदा करने के साथ ही उस पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं।
- इस संधि के तहत विएना में **CTBT संगठन (CTBTO)** की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य **इसके प्रावधानों (जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण मानदंड संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।**

यह संधि कितनी महत्वपूर्ण है?

- परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार व्यवस्था के अंतर्गत CTBT एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।
- परमाणु हथियारों के विकास एवं उनमें गुणात्मक सुधार को अवरुद्ध करने के साथ ही **यह संधि परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण और उन देशों के लिए व्यवधान** उत्पन्न करती है जो अपने अप्रसार समझौतों का उल्लंघन कर परमाणु हथियारों का विकास, विनिर्माण एवं अधिप्राप्ति करना चाहते हैं।
- परमाणु परीक्षण का **पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है। जब यह संधि कार्यान्वित हो जायेगी तब यह परमाणु परीक्षण के विरुद्ध वैधानिक मानदंड प्रदान करेगी।

CTBT पर भारत का पक्ष

1996 में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) का समर्थन नहीं किया था और अभी तक नहीं करने के निम्नलिखित कारण हैं:

- **संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण:** भारत सैद्धांतिक रूप से समयबद्ध चरणों में सार्वभौमिक एवं पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल देता है। CTBT संपूर्ण निरस्त्रीकरण का समाधान प्रस्तुत नहीं करती है।
- **पक्षपातपूर्ण प्रकृति:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को भावी परीक्षण करने की शायद ही कोई आवश्यकता हो। इन देशों ने पहले ही पर्याप्त परमाणु परीक्षण कर रखे हैं और परमाणु हथियारों को संगृहीत भी कर रखा है। CTBT भारत के लिए परमाणु परीक्षण करने एवं इसकी प्रौद्योगिकी का विकास करने में केवल एक अवरोधक का कार्य करेगी।
- **एंट्री इंटू फोर्स क्लॉज़:** चिंता का एक अन्य विषय अनुच्छेद XIV एंट्री इंटू फोर्स क्लॉज़ (EIF) था, जिसे भारत उसके द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि में स्वेच्छा से भागीदारी न करने के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानता था। संधि ने प्रारंभ में इसके EIF हेतु उन देशों के लिए अनुसमर्थन को अनिवार्य कर दिया था जिन्हें CTBT की अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रणाली (इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम; IMS) के भाग के रूप में इस संधि में शामिल होना था। इसी के परिणामस्वरूप भारत ने IMS से अपनी भागीदारी वापस ले ली थी।
- **तकनीकी मतभेद:** ऐसी संभावना है कि जिन देशों के पास पूर्व से ही परमाणु हथियार मौजूद हैं, वे अपने शस्त्रागार को सब-क्रिटिकल एवं प्रयोगशाला संचालित परीक्षणों के माध्यम से उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें CTBT के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** भारत को पाकिस्तान तथा चीन से अनिश्चित खतरों का सामना करना पड़ता है। चीन ने CTBT पर वार्ताओं के दौरान भी परमाणु परीक्षण किए थे। CTBT के एक पक्षकार के रूप में भारत को अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं विकास की संभावना को त्यागना पड़ेगा जबकि चीन NPT के अनुसार अपने शस्त्रागार को बनाए रखने में सक्षम होगा। पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि चीन ने अब तक इसे अंगीकृत नहीं किया है।

अन्य संधियों पर भारत का पक्ष

- भारत ने **1963 की लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी** हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ था। यद्यपि इस संधि से वैश्विक संघर्षों में कमी आई थी, परंतु इसने परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने में अल्प भूमिका ही निभाई थी।

VISION IAS

- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने अमेरिकी प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया था और नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाया था। भारत ने भी इसके प्रत्युत्तर में अपनी नागरिक तथा सैन्य सुविधाओं को पृथक करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसके तहत **अपनी सम्पूर्ण नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना,** फिसाइल मटेरियल कट-ऑफ़ ट्रीटी (FMCT) की समाप्ति हेतु अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करना और परमाणु परीक्षण पर अपने स्वैच्छिक स्थगन को जारी रखना शामिल था।
- भारत ने गैर-परमाणु हथियार राष्ट्र के रूप में **अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty)** को हस्ताक्षरित करने की किसी भी संभावना से इंकार किया है। परन्तु भारत **परमाणु विस्फोट परीक्षण करने के अपने स्वैछिक स्थगन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध** रहेगा।
- भारत ने 7 जुलाई 2017 को न्यूयॉर्क में संपन्न हुई **परमाणु हथियार निषेध संधि** पर आयोजित वार्ताओं में यह कहते हुए भाग नहीं लिया था कि भारत जेनेवा आधारित निरस्त्रीकरण सम्मेलन या कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेण्ट (CD) को एक एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में मानता है।

- **परमाणु हथियारों हेतु अप्रसार संधि (NPT) 1968:** इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु निरस्त्रीकरण (समग्र एवं संपूर्ण रूप से) करना है। भारत इस संधि का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि, 2017:** यह पहला एक ऐसा कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जोकि राज्य पक्षकारों को परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, आधिपत्य या भंडारण इत्यादि हेतु प्रतिबंधित करता है।
- **परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्र (NWFZ):** यह वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण मानदंडों को सुदृढ़ करने तथा शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समेकित करने हेतु एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संकट (IL&FS Crisis)

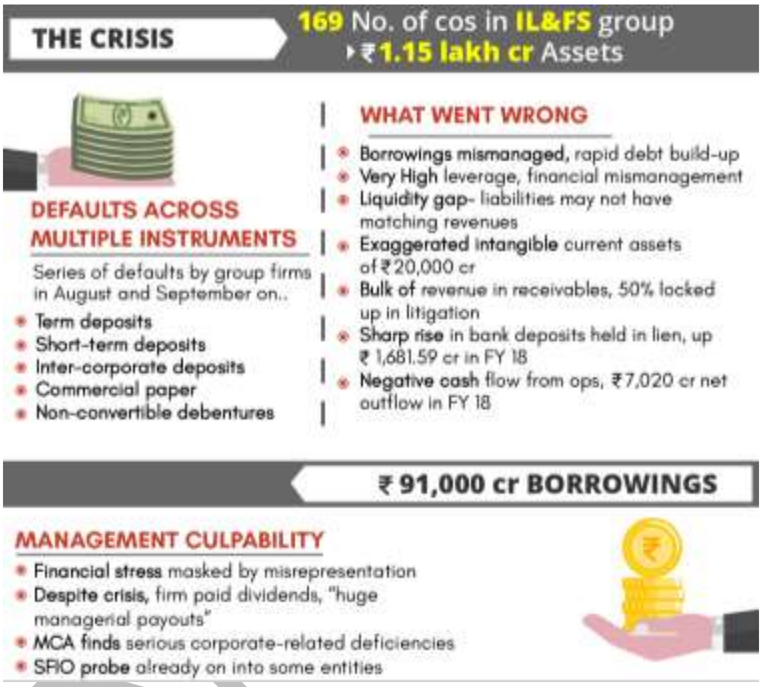

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)', जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल (डिफॉल्टर) रही है।

पृष्ठभूमि

- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज **(IL&FS) जटिल कार्पोरेट संरचना वाला** एक विशाल समूह है जो संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तीयन करता है, जैसे कि भारत की चेनानी-नाशरी सड़क सुरंग परियोजना। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग परियोजना है और इसमें देश के कारपोरेट ऋण बाजार से कई बिलियन डॉलर धन का निवेश किया गया है।
- 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) **प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार्य कोर निवेश कंपनी (Systematically Important Non-Deposit Core Investment Company: CIC-ND-SI) है**, अर्थात 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) में उत्पन्न किसी प्रकार का संकट न केवल इक्विटी और ऋण बाजारों को प्रभावित करेगा बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व की अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को भी स्थगित कर सकता है।
- LIC, HDFC और SBI जैसे कई प्रमुख कॉरपोरेट, बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, इत्यादि 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' समूह में शेयरधारक हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार्य कोर निवेश कंपनी (Systematically Important Non-Deposit Core Investment Company CIC-ND-SI) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो -

- 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली कंपनी हो।
- समूह कंपनियों में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कर्ज़ या ऋण इत्यादि में निवेश के रूप में न्यूनतम 90% निवल परिसंपत्ति रखती हो।
- समूह कंपनियों के इक्विटी शेयरों (उन लिखितों सहित, जो निर्गत तारीख से 10 वर्षों के भीतर इक्विटी शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय हो) में निवेश, निवल परिसंपत्तियों के 60% से कम न हो।
- यह हिस्सेदारी कम करने या विनिवेश के उद्देश्य से ब्लॉक सेल (block sale) के माध्यम के अतिरिक्त समूह की कंपनियों में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कर्ज़ या ऋण में अपने निवेश हेतु व्यापार न करती हो।
- यह सार्वजनिक वित्त स्वीकार करती है।

शैडो बैंकिंग सिस्टम

- **शैडो बैंकिंग** वित्तीय प्रणाली का वह भाग है, जिसमें क्रेडिट मध्यस्थता में सम्मिलित संस्थाएं और गतिविधियां नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर स्थित होती हैं। इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 2007 में अर्थशास्त्री पॉल मैक्कुले द्वारा किया गया था।
- **कार्य संरचना:** इनके वित्तीयन की लागत उच्च होती है। लेकिन विनियामकीय निरीक्षण के अभाव के कारण ये बैंकों की तुलना में अधिक जोखिम उठाने में सक्षम होती हैं। इसलिए, ये लागत को कम करने के लिए कुछ खर्चों की अवहेलना कर उच्च प्रतिफल अर्जित कर सकती हैं। इस कारण से वे कभी भी दिवालिया या धन चुकाने में असमर्थ भी हो सकती हैं।
- **महत्व:** ये बैंक वित्तीयन का एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध कराती हैं और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने में सहायता करती हैं। ये बैंकिंग प्रणाली से ऋण आपूर्ति की विविधता के लिए भी एक इच्छित स्रोत हैं तथा बैंकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदान करती हैं।

डिफॉल्ट करने के संभावित कारण

- **कॉरपोरेट शासन मानदंडों में गंभीर कमियां:** जैसे कि गठित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 2015 से 2018 के मध्य केवल एक बार हुई।
- **शेयरधारकों की लापरवाही:** LIC, HDFC जैसे प्रमुख संस्थान जो 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' के प्रमुख शेयरधारक थे, वे लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, HDFC द्वारा पिछले वर्ष से ही 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।
- **परिसंपत्ति और देयता सम्बन्धी असंगतता और कमजोर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट**: 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज', लघु अवधि के वित्तपोषण द्वारा वित्त-पोषित दीर्घावधिक अवसंरचना का स्वामित्व धारण करती है, क्योंकि दीर्घावधिक (10 वर्ष से अधिक अवधि का) ऋण भारत में उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यह अनेक कारणों से लघु-आवधिक दायित्वों के पुनर्भुगतान में विफल रही। जैसे:
    - भारत में **नई अवसंरचना परियोजनाओं की मंद गति तथा** सड़क एवं बंदरगाहों सहित 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' द्वारा धारित निर्माण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण लागत सीमा में अधिक वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनुबंधों पर होने वाले विवादों ने सरकार से प्राप्त होने वाली लगभग 9000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान में अवरोध उत्पन्न कर दिया है।
- **प्रभावी नियमन का अभाव:**
    - भारतीय रिजर्व बैंक, जो 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण करता है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय, जो प्रमुख शेयरधारकों जैसे LIC, SBI, इत्यादि का निरीक्षण करता है, यहां विफल रहें हैं क्योंकि इनके द्वारा संकट को दीर्घावधि तक बढ़ने दिया गया।

संकट का प्रभाव

- **भारत में लेहमैन ब्रदर्स जैसा मामला:** तरलता की संतोषजनक स्थिति एवं सार्वजनिक क्षेत्रक की प्रमुख इकाइयों के समर्थन जैसे कारकों के कारण IL&FS के ऋण दस्तावेजों को लंबे समय से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से **सर्वोच्च सुरक्षा स्थिति** प्राप्त थी। यद्यपि, वर्तमान संकट **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की विफलता** को दर्शाता है।
    - क्रेडिट रेटिंग में विश्वास की कमी भारत की वित्तीय स्थिरता को कमजोर करने का खतरा उत्पन्न करती है, जिससे शैडो ऋणदाताओं (shadow lenders) के लिए क्रेडिट लाइनें समाप्त हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव व्यापक चिंता का कारण बन सकते हैं।
- **पूंजीगत व्यय का अभाव:** इसका प्रभाव विस्तृत अवसंरचना उद्योग तक भी पहुँच सकता है, जिससे वित्तीयन लागत में वृद्धि हो सकती है और वर्ष 2022 तक 'न्यू इण्डिया' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार के निवेश में कमी आ सकती है।
- **स्टॉक मार्केट पर प्रभाव:** इसके महत्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं जिनमें व्यापक रूप से ऋणमुक्ति दबाव, ऋण बाजार में बिक्री पर प्रतिबंध, तरलता संकट और पर्याप्त पूंजी की कमी के कारण लगभग 1,500 लघु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लाइसेंसों का संभावित निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित हैं।
- **तरलता संकट:** बाज़ार में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा संगृहीत वाणिज्यिक पत्रों (commercial papers) के लिए लघु अवधि की तरलता के संबंध में चिंताएं व्याप्त हैं।
- **शैडो बैंकिंग पर प्रभाव**: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत में लगभग 11,000 शैडो वित्तीयन कंपनियां विद्यमान हैं जिनमें से 248 प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं हैं। ये अत्यधिक विनियामकीय जांच और लघु-अवधि की तरलता के संकट का सामना कर रही हैं, जिससे कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का स्थायित्व प्रभावित हो सकता है।
- '**इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिग सर्विसेज**' के विफल होने (डिफाल्ट करने) **के अन्य कास्केडिंग इफेक्ट**: हाल के दिनों में बाजारों में उत्पन्न अस्थिरता के कारण ऋणों की लागतों में वृद्धि, इस क्षेत्र में ऋण संकट को बढ़ावा देगी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **प्रबंधन को नियंत्रण में लेना: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241(2)** के तहत, सरकार ने 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' के बोर्ड को अपने अधिकार में ले लिया है। यह धारा सरकार को किसी कंपनी के बोर्ड का अधिग्रहण करने हेतु सक्षम बनाती है ताकि लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए भविष्य में कुप्रबंधन को रोका जा सके। इसके निम्नलिखित निहितार्थ हैं-
    - 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' के बकाया ऋणों का पुनर्भुगतान किए जाने का आश्वासन प्रदान कर **ऋणदाताओं के विश्वास में वृद्धि करना**।
    - **वित्तीय बाजार की स्थिरता में सुधार करना**: यह कदम अंतर्संबंधित वित्तीय प्रणाली (विशेष रूप से उस स्थिति में जब वित्तीय, धन और पूंजी बाजारों में आकस्मिक भय व्याप्त होना आरंभ हो गया हो) में प्रणालीगत अस्थिरता के प्रसार को प्रभावी रूप से रोकता है।
    - यह वित्तीय बाजार में विश्वास की पुनर्बहाली और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सहायता प्रदान करता है।

VISION IAS

- वित्तीय अनियमितताओं संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को भी संकटग्रस्त 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' एवं इसकी सहायक कम्पनियों की जाँच करने का आदेश दिया गया है।

आगे की राह

- अल्पकालिक उपाय जैसे पुनर्गठन योजना(restructuring plan) को अंतिम स्वरूप प्रदान करना, परिसंपत्तियों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, परिसंपत्तियों की बिक्री एवं बकाया ऋणों का पुनर्भुगतान करना।
  - सरकार को भावी विफलताओं को रोकने एवं अवसंरचना परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' हेतु पर्याप्त तरलता की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।
- **कोटक पैनल की अनुशंसाओं** का कार्यान्वयन करके **कार्पोरेट प्रशासन मानदंडों को सुदृढ़ बनाना** और विभिन्न बोर्डों को कंपनी कार्यकारिणी का निरीक्षण करने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **शेयरधारकों की जागरुकता:** शेयरधारकों को प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान रखने के लिए अनिवार्य रूप से और अधिक सक्रियतापूर्वक संलग्न रहना चाहिए।
- आरंभिक स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए फर्म स्तर पर **प्रभावी नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली।**
- लेखा परीक्षण मानकों के प्रवर्तन हेतु **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की क्षमता का लाभ उठाना** और परीक्षणों की गुणवत्ता सुदृढ़ करने एवं कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशकों एवं लोगों का विश्वास बढ़ाने हेतु लेखा परीक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक स्वतंत्र नियामक का गठन करना**, जिससे कि रेटिंग संबंधी कार्रवाई अग्र-सक्रिय रूप से हो न कि प्रतिक्रियात्मक रूप से।
  - रेटिंग एजेंसियों को पुराने डेटा एवं विगत अनुमानों पर आधारित किसी संरचना पर निर्भर होने के बजाय बेहतर बाजार आसूचना एवं निगरानी की आवश्यकता भी है।
- **ऋण बाजारों की गहनता में वृद्धि:**
  - केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे अवसंरचना क्षेत्रक में कार्यरत्त कंपनियों को दीर्घावधिक वित्तीयन हेतु ऋणों तक पहुंच उपलब्ध हो सके।
  - दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के माध्यम से बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या का सफल समाधान दीर्घावधिक ऋणों के स्रोतों को बढ़ा सकता है।

  - वर्तमान में भारतीय कार्पोरेट बॉन्ड बाजार का झुकाव उच्च मूल्यांकित ऋण पत्रों (AA एवं AAA) के प्रति अधिक है, क्योंकि भारत में अधिकांश नियामकों द्वारा निवेश हेतु पात्रता के लिए बॉन्ड हेतु न्यूनतम 'AA' रेटिंग निर्धारित की गई है। बजट घोषणा के अनुरूप सरकार को अपेक्षाकृत निम्न दर वाले बॉन्डों में अधिक निवेश को संभव बनाने के लिए विभिन्न नियामकों के साथ कार्य करना चाहिए।
- **परियोजना को समय पर स्वीकृति प्रदान करना:** विशेष रूप से अवसंरचनागत परियोजनाओं की समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करना, इन परियोजनाओं की लागत मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आवश्यक है। अन्य क्षेत्रकों के लिए 'प्लग एंड प्ले' दृष्टिकोण को विस्तारित करना एक संभावित समाधान प्रदान कर सकता है।
- **रेटिंग प्रणाली की सटीकता में सुधार :**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को कॉरपोरेट बॉन्डों के लिए रेटिंग जारी करने की प्रक्रिया का परीक्षण करना चाहिए तथा यह ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए कि रेटिंग एजेंसिया आरंभ में ही संकट की पहचान करने में सक्षम क्यों नहीं हैं।

- o रेटिंग करते समय इस तथ्य पर अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि उस कंपनी को समर्थन प्रदान करने वाला प्रमोटर कौन है। इसके स्थान पर रेटिंग निर्दिष्ट करने के लिए ऋण की राशि, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

3.2. बैंक समेकन

(Bank Consolidation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय यह लिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को **"समामेलित या एकीकृत"** करके एक नई इकाई के रूप में **भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक** बनाया जाएगा।

समामेलन या एकीकरण बनाम विलय (Amalgamation vs Merger)

- एकीकरण का तात्पर्य एक या अधिक कंपनियों का एक **नई इकाई में संयोजन** से है (उदाहरण के लिए बैंक A और बैंक B एक नया बैंक C बनाने के लिए संयुक्त होते हैं)।
- विलय में एक कंपनी दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करती है। (उदाहरण के लिए बैंक B, बैंक C और D का अधिग्रहण करता है और अंत में केवल बैंक B अस्तित्व में रहता है)।

पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1991 में गठित नरसिम्हन समिति** ने भारतीय बैंकों के पुनर्गठन हेतु अनुशंसा करते हुए कहा कि 3-4 बड़े बैंकों को वैश्विक बैंकों तथा 8-10 छोटे बैंकों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त बैंकों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **वर्ष 2014 में पी.जे. नायक समिति** ने सुझाव दिया था कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रक के कुछ बैंकों का निजीकरण या विलय कर देना चाहिए।
- वर्ष 2017 में, सरकार ने **SBI के पांच** सहयोगी बैंकों और तत्पश्चात भारतीय महिला बैंक (BMB) का भी SBI के साथ **"विलय"** किये जाने को स्वीकृति प्रदान की थी।
- पिछले वर्ष, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्तावों की जांच-पड़ताल हेतु वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में **वैकल्पिक तंत्र पैनल** (Alternate Mechanism Panel) का गठन किया था।
  - o समामेलन की योजना तैयार करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को वैकल्पिक तंत्र के समक्ष रखा जाएगा।
  - o वैकल्पिक तंत्र द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर रिपोर्ट प्रत्येक तीन महीने में मंत्रिमंडल को भेजी जाएगी।
  - o वैकल्पिक तंत्र बैंकों को समामेलन प्रस्तावों की जांच करने के लिए भी निर्देशित कर सकता है।
  - o वैकल्पिक तंत्र इनको सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सूचना या इनपुट प्राप्त करेगा।

समेकन के पक्ष में तर्क

- **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों की अत्यधिक संख्या (PSB):** वर्तमान में भारत में 21 PSB विद्यमान हैं जो प्राय: एक दूसरे के व्यापार को प्रभावित करते हैं।
- **NPA की समस्या का समाधान करना:**
  - o भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2018 के 15.6% से बढ़कर मार्च 2019 तक 16.3% हो जाएगा।
  - o समेकन को कमजोर बैंकों के खातों पर तनाव को कम करने वाले "सुदृढ़" बैंकों के माध्यम से NPA की समस्या दूर करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
- **व्यापार में वृद्धि:** समेकन से पर्याप्त वृद्धि होगी:
  - o ग्राहक आधार में,
  - o बाजार पहुंच में, तथा
  - o ग्राहकों को अधिक सेवाएं या उत्पाद प्रदान करने में।
- **वैश्विक बैंक:** समेकन वैश्विक रूप से मजबूत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान बनाने में सहायता करेगा। वर्तमान में भारतीय बैंक अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में छोटे हैं।
- **लागत में कटौती:** समेकन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिचालन लागत में कमी आ सकती है, क्योंकि:
  - o सभी दोहरे परिचालन एवं अतिरिक्तताएं युक्तियुक्त हो जाएंगी (उदाहरण के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनेक अतिव्यापी शाखाओं का स्थानांतरण और समापन)।
  - o दीर्घावधि में अतिरिक्त श्रमशक्ति को हटाया जा सकता है।

VISION IAS

- **संवर्धित भौगोलिक पहुंच:** उदाहरण के लिए, विजया बैंक की दक्षिण भारत में अधिक पहुँच है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक का पश्चिमी भारत में मजबूत आधार है। इसका अर्थ प्रस्तावित नई इकाइयों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए व्यापक पहुंच होगी।
- **अधिक पूंजी और तरलता:**
  - विलय से पूंजी आधार बढ़ेगा तथा तरलता में वृद्धि होगी, जिससे BASEL III के मानदंडों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
  - इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बार-बार पुनर्पूंजीकरण के सरकार के बोझ में भी कमी आएगी।
- **संवर्धित मानव संसाधन:** विलय से बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता की उपलब्धता हो सकती है और इससे अक्षमता की स्थिति को कम करने में सहायता मिलेगी जो छोटे बैंकों में एक सामान्य बात है।
- **कर्मचारी कल्याण:**
  - विलय से इनमें से किसी भी बैंक में नौकरियों की कोई हानि नहीं होगी और बैंकों के किसी कर्मचारी की सेवा-शर्तें उनकी वर्तमान सेवा-शर्तों के प्रतिकूल नहीं होंगी।
  - बैंकों के कर्मचारियों के मध्य **पारिश्रमिक में व्याप्त असमानता** कम हो जाएगी और सेवा शर्तें एक समान हो जाएंगी।

हाल के बैंकिंग सुधार/उठाए गए कदम:

- वर्ष 2016 में सरकार ने PSBs और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों का चयन एवं अनुशंसा करने तथा बैंकों की रणनीतियां विकसित करने एवं पूंजी जुटाने की योजनाओं में सहायता करने के लिए **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)** नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की थी।
- **ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता (IBC)** ने बैंकों के लिए परिसंपत्तियों के परिसमापन के माध्यम से आर्थिक संकट से बाहर आना आसान बना दिया है।
- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रूपए के पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **EASE - संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता:** यह ग्राहक अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायी बैंकिंग, क्रेडिट संवृद्धि, उद्यमी मित्र के रूप में PSBs, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने और 'ब्रांड PSB' के लिए कार्मिकों को कौशल प्रदान करने जैसे छह विषयों पर केंद्रित सुधार एजेंडा है।
- RBI ने बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक उपाय के रूप में **तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई** (Prompt Corrective Action: PCA) ढांचा प्रस्तुत किया है। PCA के अंतर्गत, बैंकों के लिए लाभांश वितरित करना और लाभ प्रेषित करना,अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना, उच्च प्रावधान बनाए रखना आदि प्रतिबंधित है।
- सरकार ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के तीव्र समाधान हेतु सुझाव देने के लिए **सुनील मेहता समिति** का गठन किया था। इसने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए **सशक्त** परियोजना नामक पांच-आयामी रणनीति का सुझाव दिया था।

समेकन के विरुद्ध तर्क

- **कॉर्पोरेट शासन परिप्रेक्ष्य के लिए बाधा:**
  - बैंकों का विलय एक निकृष्ट संकेत प्रेषित करता है कि वर्चस्वशाली शेयरधारक (अर्थात सरकार) द्वारा लिए गए निर्णय अल्पसंख्यक शेयरधारकों को प्रभावित कर सकते हैं।
  - कमजोर बैंकों के साथ सुदृढ़ बैंकों के बलात विलय के कारण सुदृढ़ बैंकों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए इस घोषणा के कारण बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयर मूल्य में तीव्र गिरावट आई।
- **अभिशासन सुधारों को कार्यान्वित किए बिना अर्थहीन:** जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समग्र कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होंगे, नई इकाई को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विलय केवल अस्थायी राहत दे सकता है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य ऋणों (bad loans) और कुशासन जैसी समस्याओं का वास्तविक उपचार नहीं करता है।
- **वित्तीय समावेशन में बाधा:**
  - समेकन के माध्यम से विलय की जा रही इकाइयों की अतिव्यापी शाखाएं बड़े पैमाने पर बंद हो सकती हैं।
  - अधिकांश बैंकों के पास सेवाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्राहकों का बड़ा आधार मौजूद है और विलय से विकेंद्रीकरण का विचार नष्ट हो जाएगा।
- **सुव्यवस्थित जोखिम:** इस धरणा पर वैश्विक सहमति है कि ऐसे बैंक जो "इतने बड़े होते हैं कि विफल नहीं हो सकते हैं" (too big to fail) वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम का स्रोत हैं और समेकन ऐसे परिदृश्य का कारण बन सकता है।
- **विरोध**: कर्मचारी यूनियनों एवं शेयरधारकों के हितों की पूर्ति करना अवरोध उत्पन्न कर सकता है।
- **कार्य संस्कृति का भिन्न होना:** विषम मानव संसाधन प्रथाओं को संरेखित करना भी नए प्रबंधन के लिए चुनौती बनेगा।
- **प्रौद्योगिकी का सुमेलन:** यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्तमान में विभिन्न बैंक भिन्न-भिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों पर परिचालनरत हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट औचित्य**:
  - बैंकों के बीच समेकन प्रक्रिया मुख्यतः सहक्रियाशीलता, दक्षता, लागत बचत और वृहद पैमाने की मितव्ययिता द्वारा संचालित होनी चाहिए।

VISION IAS

- भविष्य की संभावित लागतों के विरुद्ध लागत तर्कसंगतता, अतिरिक्त व्यापार इत्यादि जैसे लाभों का आकलन करके बैंकों के विलय का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
- **गैर-आरोपण:**
  - विलय वाणिज्यिक हितों पर आधारित होना चाहिए और राजनीतिक रूप से अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।
  - यद्यपि PSBs सरकार द्वारा प्रवर्तित होते हैं किन्तु उन्हें उनके संबंधित व्यावसायिक बोर्डों द्वारा संचालित किया जाता है। बैंक से संबंधित निर्णयन इन बोर्डों को करना चाहिए।
- **दोहरा अभिशासन सुधार:**
  - राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता।
  - PSBs पर RBI की अधिक नियामकीय शक्ति।
- **स्वस्थ इकाई का निर्माण:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन विलयों से ऐसी इकाई का निर्माण न हो जो विलय पूर्व मजबूत मूल बैंक की तुलना में कमजोर हो।
- **मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण:** छोटे बैंकों के मानव संसाधन को नई प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और वातावरण से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **"गैर-जोखिम पूर्ण" विफलताओं की अनुमति देना:** असफलता 'मुक्त बाजार' का सारतत्व है इसलिए कभी-कभी हमें ऐसे उपायों की भी आवश्यकता होती है जो बैंकों को व्यवस्था सम्बन्धी आघात पहुंचाए बिना सुरक्षित रूप से विफल होने की अनुमति प्रदान करें।

3.3. भुगतान नियामक

(Payments Regulator)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रारूप भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2018 प्रस्तुत किया है।

पृष्ठभूमि

- **बढ़ता डिजिटल भुगतान:** गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के डिजिटल भुगतान 2020 के शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार, **भारत में डिजिटल भुगतान** वर्ष 2016 के 50 बिलियन डॉलर से **बढ़कर वर्ष 2020 तक 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।** इसलिए भुगतान उद्योग में पहुंच और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतान क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता थी।
- **नचिकेत मोर समिति की रिपोर्ट (2013) से ज्ञात हुआ है कि** बैंकों की अगुआई वाली भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद लघु व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए मूलभूत भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में एक वृहद् अंतराल व्याप्त है।
- **वाटल समिति (2016)** ने भारत में भुगतान व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु **RBI से स्वतंत्र एक भुगतान नियामक बोर्ड** (PRB) का गठन करने की अनुशंसा की थी।
- **2017 के बजट** में भारत में भुगतान प्रणाली की निगरानी रखने वाले वर्तमान '**भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड' को** प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में **भुगतान नियामक बोर्ड** का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया था।

भुगतान विनियामक: जिसके सन्दर्भ में समिति वित्त विधेयक, 2017 से भिन्न मत रखती है-

वित्त विधेयक,2017

- RBI का गवर्नर पदेन अध्यक्ष।
- RBI का डिप्टी गवर्नर भुगतान और निपटान प्रणाली का प्रभारी हो तथा एक RBI अधिकारी RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा मनोनीत हो।
- केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य मनोनीत किए जाएं।
- कुल 6 सदस्य।

समिति

- अध्यक्ष की नियुक्ति RBI से परामर्श पश्चात् सरकार द्वारा की जाए।
- उपाध्यक्ष RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए जो कार्यकारी निदेशक से निम्न रैंक का न हो।
- RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा 2 पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाएं।
- सरकार द्वारा संयुक्त सचिव स्तर का एक सदस्य मनोनीत किया जाए तथा 2 पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाएं।
- कुल 7 सदस्य।

भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2018 के प्रावधान

- **उद्देश्य:** प्रारूप विधेयक भुगतानों से संबंधित कानूनों को समेकित करना चाहता है।
- **स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना:** विधेयक PRB की संरचना में बदलाव लाना चाहता है और अनुशंसा करता है कि अध्यक्ष RBI के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
    - **PRB के उद्देश्य:**
        - **उपभोक्ता संरक्षण:** (i) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, (ii) भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना, और (iii) भुगतान प्रणाली में विश्वास और भरोसा उत्पन्न करना।
        - **व्यवस्था सम्बन्धी स्थिरता और लचीलापन:** बैंकिंग प्रणाली में व्यवस्था सम्बन्धी जोखिम और दक्षता, स्थिरता और लचीलेपन का नियंत्रण।
        - **प्रतिस्पर्धा और नवाचार:** उपभोक्ताओं के हित में, (i) वस्तुनिष्ठ, स्वामित्व तटस्थ और आनुपातिक मानकों पर आधारित भुगतान प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रणाली प्रतिभागियों को सक्षम बनाना, (ii) प्रणाली प्रतिभागियों के मध्य और भुगतान प्रणाली के मध्य अंतःक्रियाशीलता को संभव बनाना, (iii) भुगतान प्रणाली और भुगतान सेवाओं को इस रीति से विकसित और संचालित किया जाना जिनका सुगमता से उपयोग किया जा सके और (iv) भुगतान प्रणालियों और भुगतान सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और किफायत में सुधार को संभव बनाना।
- **RBI की भूमिका को परिभाषित करना:** विधेयक में RBI को निपटान प्रणाली एवं भुगतान प्रणाली प्रदान करने के इसके कार्य के संबंध में एक अवसंरचना संस्थान के रूप में भूमिका प्रदान की गयी है।
- **बैंकों और गैर-बैंकों के बीच समता:** यह प्रावधान करता है कि भुगतान प्रणालियों के विभिन्न वर्गों के लिए प्राधिकरण मानदंड जोखिम आधारित और स्वामित्व तटस्थ होने चाहिए।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

- इसे भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- **RBI को सशक्त बनाता है:** यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की देखरेख करने के लिए आवश्यक सांविधिक समर्थन प्रदान करता है। इन प्रणालियों में अंतर-बैंक हस्तांतरण, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS), ATMs, क्रेडिट कार्ड इत्यादि शामिल हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड

- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अनुसार एक **सांविधिक निकाय** है।
- यह भुगतान प्रणालियों पर **उच्चतम नीति निर्माता निकाय** है।
- यह देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करने हेतु अनुमति प्रदान करने, नीतियां निर्धारित करने और मानक स्थापित करने वाली अधिकारसंपन्न संस्था है।
- RBI का **भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग** बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसके निर्देशों को निष्पादित करता है।

महत्व

- **RBI से PRB को शक्तियों का स्थानांतरण:** विधेयक भुगतान उद्योग में एक बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित करता है। यह इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यह देखा गया है कि केंद्रीय बैंक केवल प्रणालीगत महत्व के मामलों से संबंध रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना होता है।
- **दक्षता में सुधार** क्योंकि PRB केवल दो प्रकार के प्रपत्र, विनियम और आदेश जारी करेगा, अतः इनकी बहुलता कम होगी।
- **RBI की अपेक्षित सत्ता का पुनर्स्थापन:** विधेयक RBI को किसी भी ऐसे प्रकरण को विचार करने के लिए PRB को संदर्भित करने की शक्तियां प्रदान करता है जो RBI के अनुसार मौद्रिक नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो।
- **विश्वास में सुधार:** यह स्वतंत्र नियामक उपयोगकर्ताओं और निवेशकों के मध्य विश्वास उत्पन्न करेगा।
- **वित्तीय समावेशन में सुधार:** मजबूत भुगतान नियामक भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देगा, जो वर्तमान में लगभग 90 मिलियन है।

VISION IAS

चुनौतियां

- **एक अन्य नौकरशाही स्तर:** निगरानी और नियामकीय कार्य में हस्तक्षेप करके भुगतान और निपटान प्रणाली में नीतिगत विफलताओं हेतु बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **क्रिप्टो करेंसी लेन-देन** अभी भी संदेहास्पद है और इसे अभी तक कानूनी दायरे में नहीं लाया गया है।
- **बहुमत के विचारों के विरुद्ध:** स्वतंत्र PRB भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के विपरीत है। RBI चाहता है कि नए विनियामक का अध्यक्ष केंद्रीय बैंक के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तथा उसे निर्णायक मताधिकार प्राप्त हो। इसने रतन पी वाटल पैनल की अनुशंसाओं को भी दरकिनार कर दिया है। इस पैनल ने केंद्र द्वारा मनोनीत रिज़र्व बैंक से बाहर के सदस्यों के बहुमत के साथ RBI की संरचना के भीतर PRB की स्थापना करने का सुझाव दिया था।
- **साइबर अतिक्रमण की लागत:** साइबर हमले भारत को वार्षिक रूप से अनुमानत: 4 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं और ये साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करने वाले भुगतानों के डिजिटलीकरण के साथ 2025 तक 20 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ सकता है।

आगे की राह

- **वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC)** ने प्रारूप **भारतीय वित्तीय संहिता** की अनुशंसा की है जो वर्तमान क्षेत्रवार विनियमन को ऐसी प्रणाली से प्रतिस्थापित करे जिसमें RBI बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का विनियमन करे और एकीकृत वित्तीय एजेंसी शेष वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करने के लिए SEBI, IRDA, PFRDA और FMC जैसे वर्तमान नियामकों को एकीकृत कर सके।
- FSLRC भी वित्त सम्बंधित सभी अपीलों की सुनवाई हेतु वर्तमान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) को सम्मिलित करके, एक **एकीकृत वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (FSAT)** की परिकल्पना करता है।
- **भुगतान और निपटान प्रणाली - विज़न 2018' के लक्ष्य की प्राप्ति।**

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ: विज़न-2018 (Payment and Settlement Systems in India: Vision-2018)

अनुक्रियाशील विनियमन, सुदृढ़ अवसंरचना, प्रभावशाली निरीक्षण और ग्राहक केन्द्रीयता के माध्यम से एक "नकद-रहित भारत" हेतु सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना।

रणनीतिक पहलें:

अनुक्रियाशील विनियमन

- नीति को उभरते विकास और पहलों के अनुकूल बनाना।
- नई नीति का ढांचा तैयार करना:
  - सेंट्रल काउंटर पार्टी (CCPs) हेतु नीतिगत ढांचा।
  - प्राधिकृत इकाइयों हेतु बहिर्गमन नीति (exit policy)।
  - दंड के आरोपण हेतु रूपरेखा।
  - पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं और पेमेंट एग्रीगेटर्स का विनियमन।
  - नवीन प्रौद्योगिकी हेतु निगरानी ढांचा।
- निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान नीतियों/दिशा-निर्देशों की समीक्षा:
  - प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs)।
  - मोबाइल बैंकिंग।
  - व्हाइट लेबल ATMs (WTA)।
  - बिचौलियों हेतु नोडल खाते।
- परामर्शी प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु उद्योगों और सरकारी प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों वाली भुगतान प्रणाली सलाहकार परिषद (PSAC) की स्थापना।
- भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम में संशोधन।
  - भुगतान प्रणाली परिचालक (PSO) के शासन में सुधार।
  - सेंट्रल काउंटर पार्टी (CCP) का प्रस्ताव।
  - वित्तीय बाजार अवसंरचना (FMI)।
  - CCPs के साथ सम्पार्श्व प्रभार का पंजीकरण न करना।
- वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाना।
  - वित्तीय इकाइयों द्वारा कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) के अंगीकरण को प्रोत्साहन देना।
  - केन्द्रीय बैंक में वित्तीय लेन-देनों के निधि पक्ष का समाधान।

VISION IAS

मजबूत अवसंरचना

- त्वरित भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना।
    - नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर (NEFT)- अधिक नियमित निपटान चक्र तथा ISO मैसेजिंग फॉर्मैट को अपनाने की व्यवहारिकता का अन्वेषण करना।
    - मोबाइल बैंकिंग-
        - मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु ग्राहक पंजीकरण के लिए विकल्पों में वृद्धि करना।
        - गैर-स्मार्टफोन प्रयोक्ताओं की विविध भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक विस्तृत पहुंच को सक्षम बनाना।
    - नवाचारी मोबाइल आधारित भुगतान समाधानों को प्रोत्साहित करना।
- अभिगम्यता में सुधार करना।
    - स्वीकरण अवसंरचना में वृद्धि करना।
    - भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) का क्रियान्वयन।
    - व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रानिक छूट प्रणाली (TReDS) का कार्यान्वयन।
- अन्तर-संक्रियता को प्रोत्साहित करना।
    - यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI)।
    - कर संग्रहण।
    - सामूहिक पारगमन प्रणालियों हेतु भुगतान।
- सुरक्षा सुनिश्चित करना।
    - EMV और पिन काड्र्स की ओर स्थानान्तरण।
    - चिप डेटा पर आधारित ATM पर EMV कार्ड की प्रॉसेसिंग।
    - ATM अवसंरचना की सुरक्षा को समग्र रूप से सुदृढ़ करते हुए ATM लेन-देनों को सुरक्षा प्रदान करना।
    - आधार- आधारित प्रमाणीकरण की व्यवहार्यता की जांच करना।
- चेक समाशोधन प्रणालियाँ
    - राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी चेकों हेतु पेपर-टू-फॉलो व्यवस्थाओं के उन्मूलन का प्रयास करना।
    - अनुकूल भुगतान तंत्र, चेक इमेजेज पर राष्ट्रीय पुरालेख इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा देना।
    - CTS-2010 (चेक ट्रंकेशन सिस्टम-2010) मानकों हेतु चेक के पूर्ण स्थानान्तरण को प्रोत्साहित करना।

प्रभावशाली निरीक्षण

- सिस्टम-वाइड इम्पोर्टेन्ट पेमेंट सिस्टम्स (SWIPS) तथा वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (FMIs) को शामिल करते हुए भुगतान और निपटान अवसंरचना की लोचशीलता का आकलन करना।
    - लोचशीलता की जाँच हेतु ड्राफ्ट फ्रेमवर्क।
    - संचार/सन्देश प्रेषण अवसंरचना की लोचशीलता।
    - PSOs की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की नम्यता।
    - एक से दूसरी प्रणाली में लेन-देनों की प्रक्रिया हेतु क्षमता निर्माण।
- एक निरीक्षण ढांचे की रूपरेखा।
    - PSOs द्वारा उत्पन्न जोखिमों की आनुपातिकता के आधार पर।
    - बड़े मूल्यों के भुगतान की प्रणालियों, खुदरा भुगतान प्रणालियों {सूचना प्रणाली (IS) ऑडिट सहित}, BBPS और TReDS हेतु।
- धोखाधड़ी निगरानी सहित सूचना तंत्र (reporting framework) को सुदृढ़ बनाना।
    - भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा आवधिक रिटर्न्स की रिपोर्टिंग को एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) प्लेटफ़ॉर्म पर अंतरित करना।
    - भुगतान प्रणालियों में धोखाधड़ी पर डेटा के संग्रहण हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना।
- आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्टों का प्रकाशन।
    - चयनित खुदरा और अति-मूल्य प्रणालियों पर रिपोर्ट का पर्यवेक्षण।
    - बैंक के अंतर्गत आंकड़ों से संबंधित भुगतान प्रणाली का विश्लेषण।

ग्राहक केन्द्रीयता (Costomer Centricity)

- ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र का सुदृढीकरण
    - प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में अधिक उन्नत ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
    - पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित फ्रंट-ऑफिस कर्मचारियों और एजेंटों हेतु भुगतान प्रणाली परिचालकों की आवश्यकता को पूर्ण करना।

VISION IAS

- ग्राहक शिक्षा और जागरुकता में वृद्धि करना
    - इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग (e-BAAT)।
    - अपनी सेवा शर्तों और नियमों तथा शुल्कों को प्रकट करने हेतु फ्रेमवर्क को PSOs की आवश्यकता है।
- ग्राहक के हितों का संरक्षण
    - धोखाधड़ी और जोखिम निगरानी की सुदृढ़ प्रणालियों के विकास हेतु PSOs को प्रोत्साहित करना।
    - अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों हेतु ग्राहक के दायित्व को सीमित करने के लिए एक ढांचे के निर्माण का प्रयास करना।
- सकारात्मक पुष्टीकरण
    - रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) में प्रेषक को भुगतान का सकारात्मक पुष्टीकरण भेजने की विशेषता को शामिल करना।
    - NEFT की सकारात्मक पुष्टिकरण विशेषता को सुदृढ़ बनाना।
- ग्राहक सर्वेक्षणों का संचालन करना।
    - भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर प्रयोक्ता/ग्राहक सर्वेक्षणों को संचालित करने हेतु विभिन्न अंशधारकों/पेशेवरों के साथ सहभागिता।

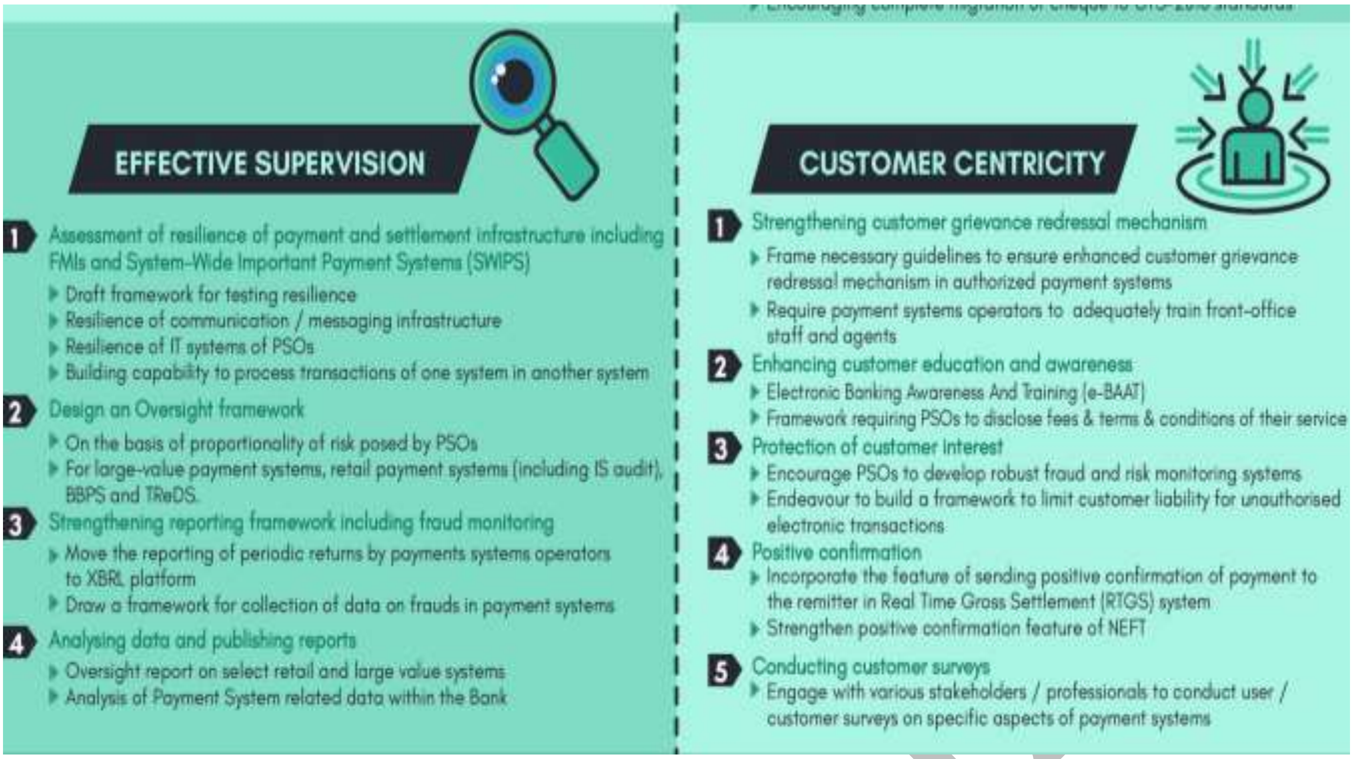

3.4. भारतीय डाक भुगतान बैंक

(India Post Payments Bank: IPPB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 सितम्बर को प्रधानमंत्री ने **भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB)** का शुभारम्भ किया जो ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

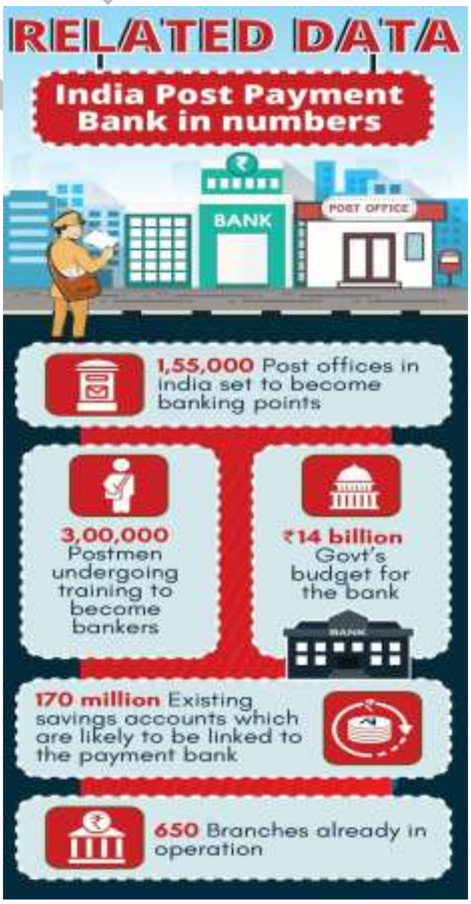

IPPB के बारे में

- भारतीय डाक भुगतान बैंक को सरकार की **100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के तहत एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया है**। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित किया जाता है।
- **30 जनवरी, 2017** में जयपुर और रांची में दो प्रायोगिक शाखाओं का आरम्भ कर इसका परिचालन प्रारम्भ किया गया।
- 2018 के अंत तक यह **अपनी सभी 155 लाख डाकघर शाखाओं को भारतीय डाक भुगतान बैंक सेवाओं से जोड़कर** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने पर फोकस करेगा। यह ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ **देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क का निर्माण करेगा।**
- इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले **उत्पादों की श्रृंखला में** – बचत और चालू खाते, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान, उद्यम और व्यापारिक भुगतान आदि शामिल होंगे। इन उत्पादों और सेवाओं को विविध चैनलों (काउंटर सर्विसेज, माइक्रो-ATM, मोबाइल बैंकिंग ऐप, SMS और IVR) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह तृतीय पक्ष की वित्तीय सेवाओं जैसे **बीमा, म्यूचुयल फंड्स, पेंशन, क्रेडिट कार्ड और विदेशी विनिमय** तक भी पहुंच प्रदान करेगा।
- यह ATM डेबिट कार्ड प्रदान नहीं करेगा, इसके स्थान पर यह अपने ग्राहकों को **QR कोड-आधारित बायोमीट्रिक कार्ड** प्रदान करेगा। कार्ड में ग्राहक का खाता नंबर अंतःस्थापित (embedded) होगा और ग्राहक को अपने खाते तक पहुंचने के लिए अपना खाता नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
- IPPB के द्वारा ऋण, निवेश और बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए कई वित्तीय संस्थानों से भागीदारी की गयी है।

IPPB पारम्परिक बैंकों से कैसे भिन्न है?

- भुगतान बैंक एक **विभेदीकृत बैंक (differentiated bank)** है, जो उत्पादों की एक सीमित श्रृंखला प्रस्तुत करता है।
- यह **प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार** कर सकता है।
- परंपरागत बैंकों की भांति **यह ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।**
- यह **तीन प्रकार के बचत खाते**– रेगुलर, डिजिटल और बेसिक पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान कर सकता है।
- यह प्रत्येक लेन-देन के लिए 15-35 रुपए के शुल्क पर डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। डोरस्टेप बैंकिंग की सीमा 10000 रुपए है।
- **अन्य भुगतान बैंक** जिन्होंने संचालन प्रारम्भ किया है, वे एयरटेल बैंक लिमिटेड, Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैं।

विश्लेषण

IPPB के समक्ष विभिन्न मुद्दे और चुनौतियां विद्यमान हैं, अर्थात्:

- **शुल्क और प्रतिबन्ध:** 80 अलग-अलग शुल्क और प्रतिबन्ध मौजूद हैं (डोरस्टेप डिलीवरी, लेन-देन, निकासी और जमा आदि पर शुल्क सहित) जो इसके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के समक्ष चुनौती सिद्ध हो सकते हैं।
- **डाकघरों में सीमित श्रमशक्ति:** ग्राहकों को ग्रामीण डाकघरों से नकद निकासी में कठिनाई अनुभव हो सकती हैं, क्योंकि इनका प्रबन्धन एक या दो व्यक्ति ही करते हैं जिनके द्वारा अपने पास बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा रखे जाने की सम्भावना कम ही है।
- **सीमित पहुँच:** IPPB अभी ATM कार्ड प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- **तकनीकी मुद्दे:** यह आवश्यक है कि प्रत्येक लेन-देन के लिए ग्राहक के फिंगरप्रिंट UIDAI के डाटाबेस से सुमेलित हो जाएं। समस्या यह है कि UIDAI ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह 100% बायोमीट्रिक मैचिंग सुनिश्चित नहीं कर सकता है।
- **शहरी ग्राहकों के लिए सीमित आकर्षण,** विशेषकर उन ग्राहकों के लिए जिन्हें निजी बैंकों द्वारा प्रदत्त अधिक सेवाओं सहित डिजिटल खाते, 6 प्रतिशत तक ब्याज दर और UPI जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं।
    - यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका अधिक औचित्य होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जन-धन योजना ने पहले ही पूर्ण स्तर के बैंकों में रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा सहित ज़ीरो बैलेंस खाते प्रदान कर दिए हैं।
- **डाक विभाग की खराब स्थिति** –डाक विभाग की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2016-17 में इसका वित्तीय घाटा दोगुना हो गया है और देश में पिछले पांच वर्षों में केवल 55 नए डाकघर ही जोड़े गए हैं।
- **निजी अभिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा:** IPPB को निजी कम्पनियों से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। निजी कंपनियां आमतौर पर व्यावसायिक वास्तविकताओं के प्रति अनुकूलन करने में अधिक दक्ष हैं और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों की तुलना में अधिक ग्राहक-अनुकूल होती हैं।

देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु की गयी पहलें:

- प्रधानमंत्री जनधन योजना।
- अपने ग्राहक को जानो **(KYC मानकों)** को सुगम बनाना।
- वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप **व्यावसायिक सहयोगियों (Business Correspondents: BCs)** को नियुक्त करना।
- बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में बैंक की शाखाएं खोलना।

हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद IPPB की स्थापना से प्राप्त होने वाले विविध लाभों को समझने की आवश्यकता है -

- डाक विभाग और IPPB एक साथ मिल कर सरकारी योजनाओं के लाभों और वित्तीय सेवाओं का लाभ वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की वंचित जनसंख्या तक पहुँचाने का कार्य करेंगे जहाँ ये सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं। IPPB का उद्देश्य व्यवसायिक हितों को प्रोत्साहित करने के स्थान पर लोक सेवा होगी।
- हालाँकि कई अन्य बैंक और वित्तीय संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, परन्तु IPPB की ताकत यह है कि वितरण डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों, बचत एजेंटों और अन्य फ्रेंचाइजीज़ की मदद से यह बैंक लोगों को उनके घर पर ही अत्याधुनिक बैंकिंग और भुगतान सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रकार IPPB जन समान्य के लिए सर्वाधिक पहुँच वाला, किफायती और विश्वसनीय बैंक बन कर उभरने की आशा करता है। इसका आदर्श वाक्य है– **"हर ग्राहक खास, हर लेन-देन अहम, और हर जमा विशेष"।**

यदि नए भुगतान बैंक सफल होते हैं तो ये सम्पूर्ण ग्रामीण भारत को तेजी से नए वित्तीय समावेशन के युग में प्रवेश करा सकते हैं।

VISION IAS

3.5. रुपए और चालू खाता घाटे (CAD) पर नियंत्रण

(Reining In CAD And Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू खाता घाटे (CAD) की बढ़त और रुपए की गिरावट पर रोक लगाने के लिए, सरकार ने हाल ही में डॉलर को आकर्षित करने एवं वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के समाधान हेतु कुछ विशिष्ट उपायों की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में रुपए के मूल्य में गिरावट मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के भारतीय बाजारों से बाहर निकलने और भारतीय निर्यात की मांग घटने के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते भय और अमेरिका की उच्च ब्याज दरों के कारण हुई है।
- 2018-19 की पहली तिमाही में भारत का CAD मार्च 2018 में सकल घरेलु उत्पाद के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया है।
- आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले पांच महीनों से तेजी से गिर रहा है।

डॉलर को आकर्षित करने हेतु उठाए गये हालिया कदम

- बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ECBs) बढ़ाने हेतु अधिक कम्पनियों को सक्षम बनाना।
- अब विनिर्माण फर्में 1 वर्ष (जो पूर्व में 3 वर्ष थी) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के साथ 50 मिलियन डॉलर तक **ECBs** प्राप्त कर सकती हैं।
- किसी एकल कॉर्पोरेट समूह के लिए **FPI** के कॉर्पोरेट बांड पोर्टफोलियो की 20% की जोखिम सीमा (exposure limit) को हटाना।
- 2018-19 में जारी किए गए मसाला बॉन्ड पर कर कटौती से छूट देना।
- मसाला बॉन्ड के विपणन व जोखिम अंकन (underwriting) पर प्रतिबंधों में छूट देना।

मसाला बॉन्ड के बारे में:

मसाला बॉन्ड, भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत के बाहर जारी रुपये-नामित ऋण प्रतिभूतियां (rupee-denominated debt securities) हैं। ये बॉन्ड प्रत्यक्षतः भारतीय मुद्रा से नियंत्रित होते हैं। अतः निवेशक प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा जोखिम या विनिमय दर जोखिम लेते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

यह वित्तीय उपकरण है, जिसका उपयोग घरेलू देश में वाणिज्यिक गतिविधियों में निवेश के लिए विदेशी स्रोत से धन उधार लेने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों में निवेश के लिए अनिवासी उधारदाताओं से उधार लेने को विदेशी वाणिज्यिक उधारी कहा जाता है।

कर की कटौती (Withholding tax)

यह वह राशि है जिसे नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से काटता है और प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान करता है। कटौती की गयी राशि किसी वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किये जाने वाले आयकर के विरुद्ध क्रेडिट है। यह किसी गैर-निवासी के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों से प्राप्त आय (ब्याज+लाभांश) के साथ-साथ किसी देश के गैर-निवासियों को भुगतान की गई किसी अन्य आय पर आरोपित कर भी है।

आगे की राह

- जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक, घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है तथा सरकार निर्यात वृद्धि और आयात को कम करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाती है, तब तक NRI बॉन्ड जारी करने जैसे आपातकालीन उपाय ही रुपये को अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं।
- सरकार, गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे स्टील, फर्नीचर आदि के आयात में कटौती करने और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे कदम भी उठाएगी।
- टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के कुछ वर्गों को सम्मिलित करने के लिए सरकार चरणबद्ध विनिर्माण योजना में विस्तार पर भी विचार कर रही है।

(नोट – कृपया अगस्त 2018 की समसामयिकी के 'रूपये में गिरावट' का संदर्भ लें।)

3.6. प्रधानमंत्री जनधन योजना

(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को ओपन-एंड योजना के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, अर्थात् यह योजना अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।

सरकार की नई पहलें

- ओवरड्राफ्ट की सीमा 5000 रुपये से बढ़ा कर दोगुना अर्थात 10000 कर दी गई है।
- 2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग के लिए पूर्व की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया गया है।
- नए रुपे (RuPay) कार्ड धारकों की दुर्घटना बीमा की राशि को एक लाख रुपए से बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

VISION IAS

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- यह भारत सरकार का एक **वित्तीय समावेशन कार्यक्रम** है, जिसका उद्देश्य बैंक खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार और उन तक पहुंच विकसित करना है।
- इसका फोकस गांवों को कवर करने वाली विगत योजनाओं के विपरीत **शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों** को कवर करने पर है। 10 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति मूल बचत बैंक खाता (BSBDA) खोल सकता है।
- यह योजना **बैंकिंग सुविधाओं की व्यापक पहुंच** की परिकल्पना करती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का एक मूल बैंक खाता हो, वित्तीय साक्षरता हो तथा उसे ऋण बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा जिसमें 1 लाख रुपयों तक का दुर्घटना बीमा कवरेज अंतर्निहित होगा।
- इस योजना के तहत **सभी सरकारी लाभों** (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने की परिकल्पना की जाती है तथा इस प्रकार इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना को बढ़ावा देना है। निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी, ऑनलाइन लेन-देन जैसे तकनीकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

महत्व

- विश्व आर्थिक मानचित्र पर भारत की सुदृढ़ स्थिति के बावजूद, भारत **निर्धनता और निम्नस्तरीय वित्तीय समावेशन की समस्या से ग्रस्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 58.7% परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है।**
- औपचारिक ऋण तक पहुंच के अभाव में भारत के निर्धन परिवारों को विवश होकर महाजनों एवं साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, जो उनसे अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। **हाउसहोल्ड सर्वे ऑन इंडियाज़ सिटीजन एनवायरनमेंट एंड कंस्यूमर इकोनॉमी, 2016** से ज्ञात होता है कि जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग के प्रत्येक तीन में से दो लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं।
- हालाँकि समय के साथ **औपचारिक वित्तीय संस्थानों** तक पहुंच में वृद्धि हुई है, परन्तु अभी भी हजारों गाँवों में किसी भी बैंक की शाखा मौजूद नहीं है और **सभी वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण का केवल 10 प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच पाता है।** ध्यातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 70% का आवासीय क्षेत्र है।

उपलब्धियां

- **जीरो बैलेंस खातों के प्रतिशत में कटौती:** निष्क्रियता को इंगित करने वाले जीरो बैलेंस खातों का भाग 2015 के 125.47 मिलियन जनधन खातों के 67% से 2016 में 210 मिलियन खातों का 28.88% रह गया है।
- **खातों में जमा में वृद्धि:** 2016-17 से इन खातों के कुल जमा में तीन गुना वृद्धि हुई है। यह निर्धन वर्ग में सरकार के प्रति विश्वास में उस वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसे सरकार गरीबों के मध्य विकसित करने में सफल रही है।
- **सब्सिडी में लीकेज की रोकथाम: 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार** LPG सब्सिडी हस्तांतरण की लीकेज में **24% की गिरावट** आई है और जनधन खातों, आधार और मोबाइल नेटवर्क (JAM ट्रिनिटी) द्वारा बलात बैंकिंग अवसरंचना के सृजन के कारण लाभार्थियों के अपवर्जन में भारी कमी आई है।

चुनौतियां

- **इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या:** विशेषकर पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में अपर्याप्त इंटरनेट अवसंरचात्मक सुविधा आधार के परिणामस्वरूप **व्यवसायिक अभिकर्ताओं को** आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु निर्धारित वित्त का विपथन (डायवर्जन):** जनधन खातों के तहत निर्धारित ओवरड्राफ्ट की सुविधा निर्धन वर्ग के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, परन्तु इसके वित्तपोषण हेतु वित्त कहाँ से प्राप्त होगा, यह अभी तक अस्पष्ट है।
- **बिजनेस कॉरस्पान्डेन्ट्स हेतु बढ़ती हुई लागत:** यदि इन खातों को सक्रिय बनाये रखना है और निष्क्रिय नहीं होने देना है तो बैंकिंग कॉरस्पान्डेन्ट्स की सघनता में वृद्धि करनी होगी जो बैंकिंग सेवाओं की लागत में वृद्धि करेगी।
- **एकाधिक बचत खातों का प्रबंधन:** अधिकांश व्यक्ति, जिनके पहले से ही अन्य बैंकों में बचत खाते हैं उन्होंने भी **एक लाख रूपए के दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए** PMJDY के अंतर्गत जनधन खाते खोल लिए हैं। PMJDY के मानकों के अनुसार केवल वही व्यक्ति जनधन खाता खोल सकता है, जिसका सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक की बैंकिंग प्रणाली में कोई खाता नहीं है।
- **नोटबंदी के दौरान जमा हुए अनधिकृत धन से निपटना:** विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात नवम्बर में 255 मिलियन जनधन खातों में 642521 मिलियन रुपये जमा कराए गए थे।

आगे की राह

- गरीब परिवारों के मध्य **व्यापक अभियान प्रारम्भ** करना और उनमें **वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा** के स्तर के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना ताकि वे इस योजना के अंतर्गत लाभ और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों की पहचान कर उनसे लाभान्वित हो सकें।

VISION IAS

- संपूर्ण देश में दूरस्थ स्थानों तक विस्तृत **डाकघरों के नेटवर्क** का प्रयोग जनधन योजना के **प्रभावी कार्यान्वयन** हेतु किया जा सकता है।
- नीति का फोकस समावेशन की मात्रात्मकता से समावेशन की **गुणवत्ता** की ओर परिवर्तित होना चाहिए। सफलता के मापकों में उपयोग और लेन-देन के लक्ष्यों की स्पष्ट परिभाषा सम्मिलित होनी चाहिए।
- जनता और बैंक अधिकारियों के बीच विश्वास तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि बैंकिंग कॉरस्पान्डेन्ट्स में विश्वास के अभाव के कारण अनौपचारिक ऋण प्राप्त करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।
- यह अनुशंसा की जाती है कि जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में **इन्टरनेट कनेक्टिविटी और गति** में वृद्धि होनी चाहिए ताकि विश्वास निर्माण एवं बैंकिंग लेन-देन में सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

3.7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना –'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PM-AASHA) को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली** में सीमित भौगोलिक पहुँच तथा फसल कवरेज (उदाहरण के लिए, इसमें तिलहन शामिल नहीं है) जैसी **विभिन्न कमियां विद्यमान हैं**। यह प्रणाली केवल वहीं सफल होती है जहाँ उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतें MSP से भी कम हो गई हैं। इस कारण देश भर में किसानों में असंतोष बढ़ रहा है।
- PM-AASHA योजना का लक्ष्य **खरीद प्रणाली में व्याप्त अंतरालों को कम करना,** MSP प्रणाली से संबंधित मुद्दों का समाधान करना तथा किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है।

योजना के बारे में

इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप निम्नलिखित **तीन घटक** विद्यमान हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दालों, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
- **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme- PPSS):** तिलहनों के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

योजना का महत्व

- **गैर-लाभकारी कीमतों की समस्या के लिए अभिनव MSP-प्लस दृष्टिकोण: इस योजना के** तीन भिन्न-भिन्न घटक **फसलों की खरीद तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था** के मध्य अंतराल को कम करेंगे। इस प्रकार ये किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता करेंगे।
- **फसल विविधीकरण को सुनिश्चित करना तथा मृदा एवं जल पर दबाव कम करना:** किसानों द्वारा बार-बार कुछ ही फसलों यथा धान, गेहूं तथा गन्ना उगाए जाने की वर्तमान प्रणाली के विपरीत, यह नई योजना फसल विविधीकरण को सुनिश्चित करेगी। इससे जल तथा मृदा पर दबाव कम होगा।
- **केंद्र के लिए बचत:** वर्तमान भौतिक खरीद के अंतर्गत, सरकारी एजेंसियां अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का संग्रहण करती हैं जिससे भंडारण में लागत वृद्धि के साथ-साथ अत्यधिक बर्बादी और लीकेज भी होता है। नवीन योजना में इन समस्याओं को संबोधित किया जाएगा।
- **वर्धित MSP का किसानों की आय के रूप में बेहतर रूपांतरण:** हाल ही में सरकार ने उत्पादन लागत के 1.5 गुना सिद्धांत का अनुपालन करते हुए खरीफ़ फसलों के MSP में वृद्धि की है। इसे राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुदृढ़ खरीद तंत्र के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।

VISION IAS

- **संवर्द्धित वित्तीय प्रावधान:** केन्द्रीय एजेंसियों के लिए PSS के तहत किसानों से प्रत्यक्ष खरीद हेतु सरकार ने बैंक गारंटी के रूप में 16,550 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, जबकि PM-AASHA के लिए 15,053 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन किया गया है।
- **यह उत्पादकता में वृद्धि,** कृषि लागत को कम करने और बाजार संरचना सहित फसल कटाई पश्चात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए **एक महत्वपूर्ण कदम है।**

चुनौतियां

- **कृषि बाज़ारों में पारदर्शी रूप से कार्य होना चाहिए तथा सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पादक संघ (कार्टेल) को समाप्त करने हेतु आवश्यक रूप से कदम उठाए जाने चाहिए:** भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत PDPS को कार्यान्वित करने के मध्य प्रदेश के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यापारियों द्वारा एक-दूसरे के साथ लामबंदी कर मंडी में मूल्य कम कर दिया जाता है। उनके द्वारा किसानों को कम मूल्यों पर अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया गया तथा सरकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त की गई।
- **छोटे एवं सीमांत किसान कम मूल्य तथा क्षतिपूर्ति के अभाव का दोहरा भार वहन करते हैं:** अधिकांश छोटे एवं सीमांत किसान अपेक्षाकृत कम मूल्य तथा क्षतिपूर्ति की राशि के अभाव में भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी फसल को बेचने में असमर्थ थे। सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक रूप से किसी सशक्त प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए कि आय का हस्तांतरण किसानों को हो सके।
- **PSS के लिए पूंजी उपलब्ध कराना केंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी** चूँकि राज्य सरकारें इसे वित्तीय भार के रूप में देखती हैं। यदि सभी राज्य सरकारें NAFED/FCI के माध्यम से तिलहनों तथा दलहनों की खरीद प्रकिया संचालित करें तो इन एजेंसियों के पास पूँजी का अभाव हो जाएगा।
- **इस योजना के तहत कुल विपणन योग्य अधिशेष के केवल 25% की ही खरीद की जाएगी:** केवल 25% की खरीद के बजाए, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को पुनर्गठित कर उसे 'किसान आय तथा कल्याण आयोग' नाम दिया जाना चाहिए तथा इसे एक परिवार हेतु न्यूनतम आजीविका आय का आकलन करने तथा इसे प्रदान करने हेतु साधनों का निर्धारण करने का अधिदेश भी प्राप्त होना चाहिए।
- **माल-गोदाम एवं भंडारण अवसंरचना संबंधी कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया है:** कई राज्य यथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा संगठनों के पास पर्याप्त अवसंरचना के अभाव के कारण MSP पर धान की संतोषजनक मात्रा की खरीद करने हेतु असमर्थ हैं।
- राज्यों को भी शीघ्र ही आरम्भ होने वाली वर्तमान खरीफ़ विपणन अवधि से इस योजना को लागू करने में कठिनाई होगी ।

आगे की राह

- **E-NAM तथा अंतर-बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए:** केंद्र द्वारा मंडियों को आपस में संबद्ध कर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर व्यापारियों की गुटबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए तथा राज्यों द्वारा अग्र-सक्रियतापूर्वक नियामक सुधार किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, **एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति** बनाए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, राज्यों द्वारा विधि निर्माण कर मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध कृषि एवं सेवा अधिनियम, 2018 सहित विभिन्न **बाजार सुधार** अपनाए जाने चाहिए।
- सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावी निजी सहभागिता इस योजना की समग्र सफलता के महत्वपूर्ण साधन हैं। राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर निजी सहभागिता के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।

3.8. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

(Dairy Processing & Infrastructure Development Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2028-29 तक की अवधि के दौरान 10881 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **"डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष"** (DIDF) को स्वीकृति प्रदान की है।

ऑपरेशन फ्लड

- यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की एक परियोजना है। इस योजना को वर्ष 1970 में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया था। यह **देश में श्वेत क्रांति के लिए भी उत्तरदायी था।**
- इस परियोजना के पूर्व भारत में दुग्ध उत्पादन अत्यल्प था किन्तु इस परियोजना के फलस्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। भारत ने वर्ष 1998 में दुग्ध उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2010-11 में वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत थी।
- 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता दोगुनी हो गयी है और डेयरी व्यवसाय 'आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगारों' का भारत में सबसे बड़ा सृजनकर्ता बन गया।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल थे:
    - दुग्ध उत्पादन में वृद्धि,
    - ग्रामीण आय में वृद्धि, तथा
    - उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दुग्ध की उपलब्धता।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- **ऑपरेशन फ्लड** (जिसका 1996 में समापन हुआ) के दौरान भारत में डेयरी सहकारी समितियों के साथ ही बड़ी संख्या में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की गयी।
- इसके पश्चात् इनमें से अधिकांश संयत्रों का कभी विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं किया गया। इन संयंत्रों का संचालन पुरानी तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकियों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें ऊर्जा दक्षता का अभाव है।
- दक्षता में सुधार लाने तथा उत्पादों के उच्च मूल्य-संवर्द्धन के साथ उत्पादन में वृद्धि करने हेतु, भारत सरकार ने 2017-18 के केन्द्रीय बजट में DIDF के गठन की घोषणा की है।

इस कोष के बारे में

- **उद्देश्य**
  - शीतलन अवसंरचना (chilling infrastructure) और इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण उपकरणों की स्थापना के साथ यह एक **कुशल दुग्ध खरीद प्रणाली के** निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
  - दुग्ध संघों / दुग्ध उत्पादन कंपनियों हेतु मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण अवसंरचना और विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण/आधुनिकीकरण /विस्तार करना।
- **प्रबंधन:**
  - इस परियोजना का **कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम (NCDC)** द्वारा दुग्ध संघों, राज्य डेयरी फेडेरेशन, दुग्ध उत्पादक कंपनियों आदि अंतिम ऋणग्राहियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
- **निधियन:**
  - इस कोष का उपयोग एक **कुशल दुग्ध खरीद प्रणाली** और अन्य प्रसंस्करण अवसरंचनाओं के निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अंतिम ऋणग्राहियों को 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण प्राप्त होगा। इसके पुनर्भुगतान की अवधि प्रारंभिक 2 वर्षों के अधिस्थगन के साथ 10 वर्ष होगी।
  - DIDF के अंतर्गत NDDB और NCDC को **नाबार्ड (NABARD) द्वारा 8004 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा।** शेष राशि का योगदान अंतिम ऋणग्राहियों NDDB, NCDC और कृषि मंत्रालय द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा।

किसानों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त इस कोष से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।

3.9. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

(Multidimensional Poverty Index-2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, 2018, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा जारी किया गया था।

ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल (OPHI) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का एक आर्थिक शोध केंद्र है।

- OPHI का उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता में कमी लाने हेतु एक अधिक व्यवस्थित पद्धति और आर्थिक ढांचे का निर्माण एवं विकास करना है। इस दिशा में OPHI निम्न प्रकार से कार्य करती है:
  - निर्धनता मापन का विस्तार करना।
  - निर्धनता के आंकड़ों में सुधार करना।
  - क्षमता निर्माण करना।
  - नीति को प्रभावित करना।

OPHI का कार्य **अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण** पर आधारित है। OPHI, निर्धनता को कम करने हेतु नीतियों को सूचित करने वाले वास्तविक उपकरणों के सृजन द्वारा इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर कार्य करती है।

MPI 2018 के मुख्य निष्कर्ष

2018 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) में कुल 105 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें वैश्विक जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग या 5.7 बिलियन लोग निवास करते हैं।

- **105 देशों के कुल 1.34 बिलियन लोग (अर्थात् इन देशों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 23.3%) बहुआयामी रूप से निर्धन हैं।** वे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मानकों यथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, पर्याप्त पोषण या प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाओं के अभाव में कम-से-कम एक-तिहाई अतिव्यापी वंचनाओं से ग्रसित हैं।
- 83% बहुआयामी निर्धन लोग (1.1 बिलियन से अधिक) या तो उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिण-एशिया में निवास करते हैं।
- **सभी MPI निर्धन लोगों में से दो-तिहाई** (लगभग 892 मिलियन लोग) मध्य-आय वाले देशों में निवास करते हैं।
- बहुआयामी निर्धनता **शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सघन है;** विश्व स्तर पर शहरी क्षेत्रों के 0.2 बिलियन लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
- लगभग 612 मिलियन लोग अर्थात् **बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित जनसंख्या में से 46% लोग,** अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात् वे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के भारित संकेतकों में से कम-से-कम आधे मानकों में वंचित हैं। उप-सहारा अफ्रीका में विश्व के 56% अत्यंत निर्धन लोग निवास करते हैं।
- **भारत में,** 271 मिलियन लोग 2005-06 तथा 2015-16 के मध्य निर्धनता से बाहर आ गए, किन्तु फिर भी **विश्व के बहुआयामी निर्धनता में रहने वालों लोगों की सर्वाधिक संख्या** (364 मिलियन लोग) भारत में ही है। हालांकि 10 वर्षों में भारत अपनी निर्धनता की दर को 55% से घटाकर 28% के स्तर पर लाया है।

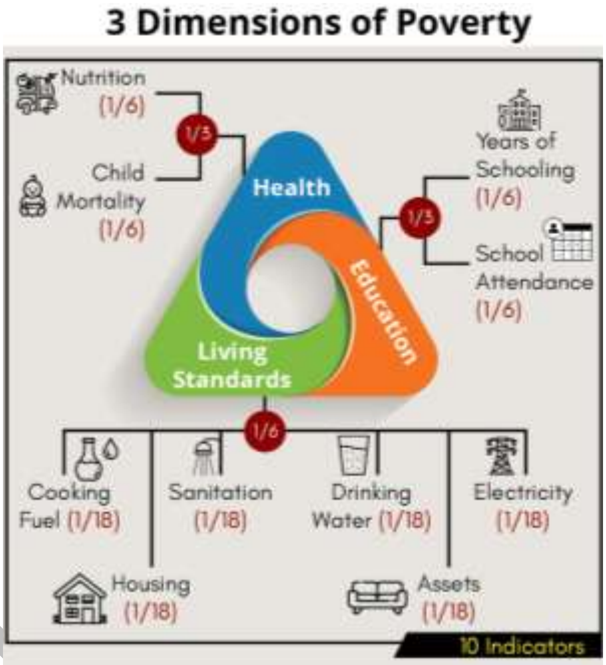

- भारत के पश्चात बहुआयामी निर्धनता में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया (97 मिलियन), इथियोपिया (86 मिलियन), पाकिस्तान (85 मिलियन), और बांग्लादेश (67 मिलियन) में है।

MPI की माप :

- **निर्धनता की व्यापकता (incidence):** जनसंख्या का वह अनुपात जो MPI के अनुसार निर्धन है (जो भारित संकेतकों के कम से एक-तिहाई में वंचित हैं)।
- **निर्धनता की औसत गहनता:** एक ही समय में लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली वंचनाओं का औसत भाग।
- **MPI का मान:** MPI मान, जिसकी रेंज शून्य से एक तक होती है, की गणना निर्धनता की औसत गहनता को निर्धनता की व्यापकता से गुणा करके की जाती है। यह एक देश के निर्धनों द्वारा महसूस की जाने वाली वंचनाओं के कुल सम्भावित वंचनाओं से अनुपात को दर्शाता है। यहाँ कुल सम्भावित वंचनाओं का आशय है, वे वंचनाएँ जिनका अनुभव तब किया जाता जब समाज के सभी व्यक्ति निर्धन और सभी संकेतकों में वंचना से ग्रस्त होते हैं।

वैश्विक MPI क्या है?

- वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) अत्यधिक निर्धनता का एक **अंतर्राष्ट्रीय मापक है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करता है।** यह **शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर** के सम्बन्ध में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति की गम्भीर वंचनाओं को शामिल करते हुए पारम्परिक आय आधारित निर्धनता मापकों का पूरक है।
- MPI शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर तथा **10 अन्य संकेतकों,** नामतः पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, विद्युत्, आवास और सम्पत्ति इत्यादि के आधार पर **परिवारों में वंचनाओ की माप करता है।**
- एक व्यक्ति की **पहचान बहुआयामी निर्धन के रूप (या 'MPI' निर्धन) की जाती है, यदि वह कम से कम एक-तिहाई आयामों में वंचित हो।** MPI की गणना निर्धन लोगों में निर्धनता की औसत गहनता से निर्धनता की व्यापकता (MPI निर्धन के रूप में पहचाने गये लोगों का प्रतिशत) से गुणा करके की जाती है। अतः यह निर्धन लोगों के अनुपात और जिस कोटि (डिग्री) तक वे वंचित हैं, दोनों को दर्शाता है।
- **वैश्विक MPI को** 2010 में **OPHI और UNDP द्वारा** UNDP की प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट (HDR) में सम्मिलित करने के लिए विकसित किया गया था। उस समय से ही इसे HDR में प्रकाशित किया जाता है।

VISION

MPI आय निर्धनता से किस प्रकार बेहतर है?

- विश्व बैंक के अनुसार, 2011 की क्रय शक्ति समता के सन्दर्भ में **वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का मान 1.90 डॉलर** निर्धारित किया गया है। आय लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्षम बनाती है परन्तु व्यवहारिक स्तर पर हम देखते हैं कि यह सदैव आय निर्धनता का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- उदाहरण के लिए: लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो सकते हैं, परन्तु फिर भी यह संभव है कि वे आवास जैसी आवश्यकता से वंचित हों। इसलिए निर्धनता के मापन का एक और उपाय यह है कि आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा तक पहुंच जैसी कई मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की क्षमता के सन्दर्भ में इसे प्रत्यक्ष रूप में मापा जाए। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है।
- इस परिप्रेक्ष्य में आय, साध्य की प्राप्ति हेतु साधन है, जबकि साध्य स्वयं ही मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष फोकस साध्य पर है।

MPI 2018 में नया क्या है?

नए वैश्विक MPI में मूल MPI के दस संकेतकों में से पांच में परिवर्तन किया गया है: पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आवास और परिसम्पत्तियां।

- **पोषण की नयी सीमा** में आयु के लिए BMI (बॉडी मॉस इंडेक्स), और बच्चों के लिए स्टंटिंग (आयु के अनुसार पर्याप्त लम्बाई न होना) के साथ-साथ सामान्य से कम वजन (अंडरवेट) को भी सम्मिलित किया गया है।
- **बाल मृत्यु दर के लिए,** इस बात पर भी विचार किया जाता है कि क्या परिवार में साक्षात्कार की तिथि के पूर्व पांच वर्षों में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है।
- **स्कूली शिक्षा के वर्षों के लिए,** पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा के स्थान पर अब छः वर्षों की स्कूली शिक्षा आवश्यक है।
- एक परिवार को **आवासीय संकेतक** से वंचित माना जाएगा, यदि उसके घर की फर्श प्राकृतिक सामग्री से बनी हो; या छत तथा दीवारें प्राकृतिक एवं कच्ची सामग्री से निर्मित हों।
- अंत में, **परिसम्पत्ति संकेतक** में अब कंप्यूटरों और पशु-वाहनों का स्वामित्व भी सम्मिलित है।

MPI 2018 को संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। MPI दर्शाता है कि SDG 1,2,3,4,6,7 और 11 से सम्बन्धित वंचनाएं वस्तुतः निर्धन व्यक्तियों के जीवन से संबद्ध हैं। वैश्विक MPI प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बहुल SDG क्षेत्रों में व्याप्त शिक्षा, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि की वंचनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। यह कम से कम सात SDG से सम्बद्ध चिन्ताओं को MPI एक हेडलाइन मापदंड के अंतर्गत लाता है। यदि लोग भारित संकेतकों में से एक-तिहाई संकेतकों में वंचित हैं तो वे MPI निर्धन हैं। MPI उन लोगों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो एक साथ कई SDG में पिछड़े हुए हैं।

MPI निर्धनता अनुमानों और कई देशों के 1.90 डॉलर/प्रति दिन निर्धनता आकलन के मध्य इतनी विसंगतियां क्यों हैं?

- MPI आय-निर्धनता माप का पूरक है। यह विभिन्न वंचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से मापता है। हालाँकि, व्यवहार में MPI और 1.90 डॉलर/प्रति दिन निर्धनता में एक स्पष्ट समग्र सम्बन्ध है, फिर भी कई देशों में इन आकलनों में भिन्नता है। इसके संभावित कारणों में सार्वजनिक सेवाओं के साथ-साथ आय को बेहतर परिणामों, जैसे कि अच्छे पोषण में परिवर्तित करने की क्षमताओं में भिन्नता का होना हो सकता है।
- वास्तव में भिन्नता का तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रीय निर्धनता संख्या या MPI की गणना गलत है– यह केवल निर्धनता की विभिन्न अवधारणाओं का मापन है। इसके साथ ही, इसे राष्ट्रीय निर्धनता उपायों के विपरीत राष्ट्रीय परिदृश्य को सटीकता से प्रतिबिम्बित करने हेतु डिजाइन किया गया है और बहुधा अत्यंत उपयोगी तरीकों से यह 1.90 डॉलर माप से भिन्न होता है। संभव है कि कुछ देश अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक तैयार करना चाहें जो उनके सन्दर्भ में वैश्विक MPI का पूरक हो।
- इन मापों के मध्य सम्बन्ध और उनके नीतिगत प्रभाव एवं प्रणालीगत सुधार भावी शोध की प्राथमिकताएं हैं।

MPI की सीमाएं:

- संकेतकों में स्कूली शिक्षा के वर्ष जैसे आउटपुट और खाना पकाने के ईंधन जैसे **इनपुट, दोनों सम्मिलित हैं।** इसमें **स्टाक और प्रवाह संकेतकों** दोनों को सम्मिलित किया जाता है। एक स्टॉक संकेतक को समय के किसी बिंदु पर मापा जाता है, और यह अतीत में संग्रहित किया जा सकता था। इसके विपरीत, एक प्रवाह संकेतक की माप प्रति इकाई समय में की जाती है। सर्वेक्षण में सभी आयामों के लिए प्रवाह संकेतक नहीं होते हैं।
- **स्वास्थ्य डेटा तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं** और कुछ समूहों की वंचनाओं, विशेष रूप से पोषण की वंचनाओं को नजरंदाज कर देते हैं, हालाँकि इससे उत्पन्न होने वाले पैटर्न संभाव्य और सामान्य होते हैं। उदाहरण के लिए कई देशों में महिलाओं हेतु पोषण सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। अन्य देशों में पुरुषों के बारे में तो कुछ अन्य देशों में तो बच्चों के बारे में भी पोषण संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

VISION IAS

- यद्यपि, यथासम्भव विभिन्न देशों के मध्य तुलनात्मकता को सुनिश्चित करने के क्रम में MPI संकेतकों का चयन किया गया था, तथापि दो कारणों से **संकेतकों की तुलनात्मकता अभी भी अपूर्ण है:**
    - जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, पोषण के मामले में, प्रयुक्त सर्वेक्षणों में सूचना भिन्न-भिन्न होती है।
    - यहाँ तक कि यदि वे एक ही सूचना एकत्रित करते हैं तो कुछ निश्चित संकेतकों पर न्यूनतम स्वीकार्य मानकों (जैसे-जीवन स्तर के मामले में) पर संस्कृतियों के अनुसार आंकड़ें काफी भिन्न हो सकते हैं।
- **अंतर-परिवारिक असमानताएं** गंभीर हो सकती हैं, किन्तु उन्हें वैश्विक MPI में प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चित रूप से सभी संकेतकों के लिए व्यक्तिगत-स्तर की कोई सूचना नहीं होती है।
- MPI, अनुभव की गयी निर्धनता की गहनता को सम्मिलित करने हेतु हेडकाउंट अनुपात से परे चला जाता है, किन्तु यह **निर्धनता की गंभीरता का मापन नहीं करता** जैसे कि प्रत्येक संकेतक में वंचनाओं की निर्दिष्ट सीमा से निर्धन लोग औसतन कितने दूर हैं। न ही यह निर्धन जनसंख्या के मध्य असमानता की माप करता है, कि निर्धनों के मध्य किस रूप में वंचना का वितरण व्याप्त है।
- प्रस्तुत आकलन **सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है तथा इनके अंतर्गत 2005 और 2015 के मध्य विभिन्न वर्षों को कवर किया गया है,** जो प्रत्यक्ष रूप से देशों के मध्य तुलनात्मकता को सीमित करते हैं।

3.10. मानव विकास सूचकांक

(Human Development Index)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार हुआ है, जिससे यह **189 देशों में 130वें स्थान** पर पहुंच गया है।

सूचकांक से संबंधित तथ्य

- दक्षिण एशिया में, भारत का HDI मान **क्षेत्र के औसत मान 0.638** से ऊपर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः 136वें और 150वें स्थान पर हैं।
- 1990 से 2017 के मध्य **भारत के HDI मान** में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह मान **0.427 से बढ़कर 0.640 हो गया** है। यह लाखों लोगों की निर्धनता को कम करने और **मध्यम मानव विकास श्रेणी** में स्थान प्राप्त करने में देश की उल्लेखनीय उपलब्धि का संकेतक है।
- भारत में जीवन प्रत्याशा 57.9 वर्ष (1990) से बढ़कर 68.8 वर्ष (2017) हो गई है।
- PPP के संदर्भ में **भारत की प्रति व्यक्ति आय** 1990 से 2017 के मध्य **1,733 डॉलर से बढ़कर 6,353 डॉलर** हो गई है।
- **स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्षों में भी सुधार हुआ है तथा ये 7.6 वर्ष (1990) से बढ़कर 12.3 वर्ष (2017)** हो गए हैं।
- विकास का समान रूप से प्रसार नहीं हुआ है, बांग्लादेश की 15.7% और पाकिस्तान की 11.6% आय असमानता की तुलना में **भारत में 18.8% की दर से असमानता व्याप्त है।** वास्तव में, जब इसे **असमानता के लिए संशोधित किया जाता है तो भारत के HDI मान में 26.8% तक की गिरावट आती है और यह 0.468 के स्तर तक पहुँच जाता है।**

भारत के लिए परिणाम

- **अधिकांश सुधारों का लाभ सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित लोगों को प्राप्त हुआ है,** जबकि निचले स्तर पर विद्यमान लोगों को केवल निर्धनता से मुक्त किया गया है।
- मध्यम वर्ग का विकास अपेक्षित स्तर से कम हुआ है, जबकि छोटे एवं मध्यम उद्यम कृषि कार्यबल को विनिर्माण क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं।
- **उच्च आर्थिक विकास के साथ असमानता भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है।** हालांकि भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आर्थिक विकास के लाभों को व्यापक रूप से साझा किया जाए और विकास के लाभ को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए।

- भारत में **महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त हैं।** उदाहरण के लिए, केवल 11.6 प्रतिशत संसदीय सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तथा 64 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं।
- श्रम बाजार में 78.8 प्रतिशत पुरूष भागीदारी की तुलना में, महिला भागीदारी 27.2 प्रतिशत है।
- **प्रमुख भारतीय शहरों में खराब वायु गुणवत्ता** और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव भी चिंताजनक है। विश्व में निम्नीकृत भूमि पर निवास करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भारत में विद्यमान है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहयोगी ज्ञान, अनुभव और संसाधनों के लिए देशों को आपस में जोड़ने तथा परिवर्तन लाने का समर्थन करता है।

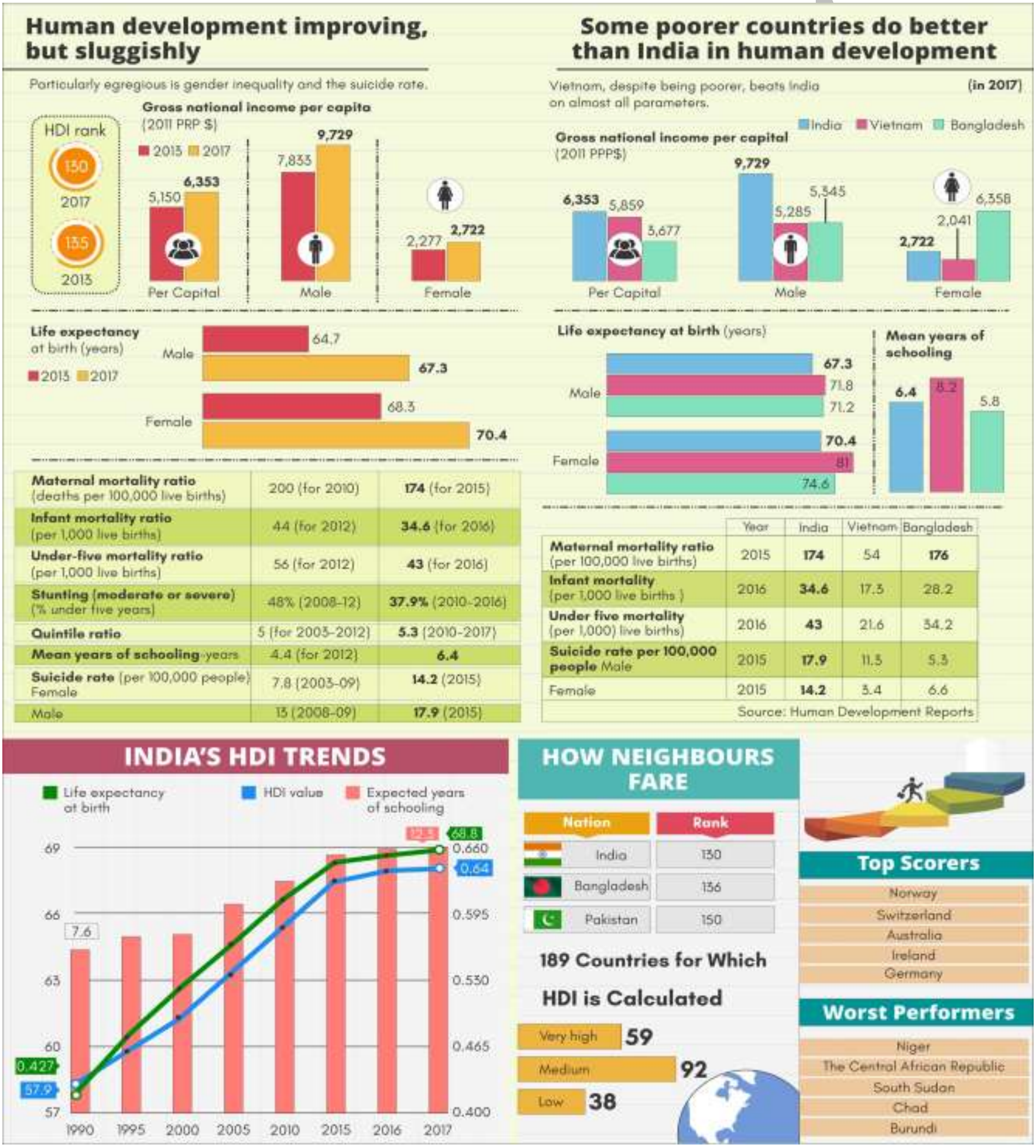

3.11. जीवन सुगमता सूचकांक

(Ease of Living Index)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जीवन सुगमता सूचकांक (ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स) की रैंकिंग के अनुसार, पुणे भारत में रहने के लिए श्रेष्ठतम शहर है, जबकि दिल्ली आर्थिक संभावनाओं के मामले में निकृष्टतम शहरों में से एक है।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, 2018 के परिणाम

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष **10 रहने योग्य शहर** पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपति, चंडीगढ़, थाणे, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा और भोपाल हैं।
- कुल रैंकिंग के शीर्ष 5 शहर प्रत्येक उप-सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है: **संस्थागत उप-सूचकांक** में नवी मुंबई का, **सामाजिक उप-सूचकांक** में तिरुपति का, **आर्थिक सूचकांक** में चंडीगढ़ का और **भौतिक उप-सूचकांक** में ग्रेटर मुंबई का स्कोर उच्चतम है।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में

- यह वैश्विक और राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर 111 भारतीय शहरों की ईज़ ऑफ लिविंग का आकलन करने का एक प्रयास है। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों, राजधानियों और दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले कुछ शहरों को सम्मिलित किया गया है।

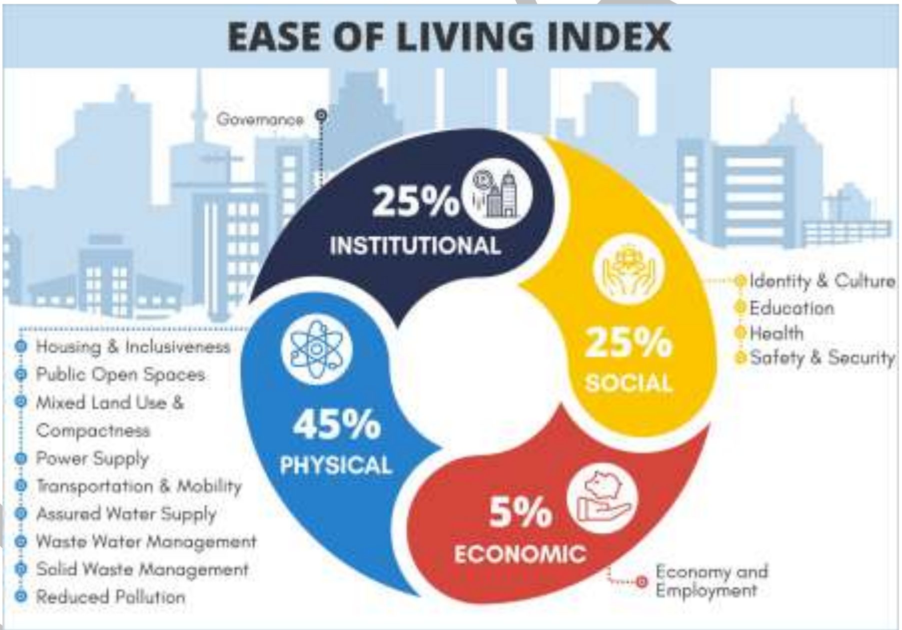

- यह सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों के 360 डिग्री मूल्यांकन के अंतर्गत शहरों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह 78 संकेतकों का उपयोग करते हुए 4 स्तंभों और 15 श्रेणियों में शहरों में जीवन की गुणवत्ता का आकलन करता है। इन संकेतकों में से 56 मूल संकेतक हैं और 22 सहायक संकेतक हैं।
- मूल संकेतक ईज ऑफ लिविंग के उन पहलुओं का मापन करते हैं जिन्हें 'आवश्यक' शहरी सेवाएं माना जाता है। सहायक संकेतकों का उपयोग उन नवोन्मेषी प्रथाओं को अपनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें ईज ऑफ लिविंग में सुधार के लिए वांछनीय माना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन** (AMRUT) के अंतर्गत राज्यों के 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' की रैंकिंग में **आंध्रप्रदेश** शीर्ष स्थान पर है, तत्पश्चात **उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान आता है।**
- अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। इस मिशन का मुख्य फोकस अवसंरचना निर्माण पर केंद्रित है जो कि नगरीय जीवन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स किस प्रकार सहायक है?

- यह शहरों के निर्णय निर्माण में सुधार करता है और अंतराल क्षेत्रों के आधार पर संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करता है।
- यह डेटा संग्रह की गुणवत्ता और तुलनात्मकता को बढ़ाता है।
- यह समय के साथ सभी शहरों में सीखने के गुण का विकास करने के माध्यम से ईज़ ऑफ लिविंग में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मॉडल की पहचान करता है।
- यह चुनावी विमर्श की गुणवत्ता में सुधार करता है तथा शहर के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही में सुधार लाता है। साथ ही यह नागरिकों और शहरी मामलों के निर्णय निर्माताओं के मध्य संवाद के लिए आधार के रूप में भी कार्य करेगा।

 ©Vision IAS

- यह संधारणीय शहरीकरण की दिशा में सभी शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए "परिणाम-आधारित" दृष्टिकोण की ओर बढ़ने तथा शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- यह सतत विकास लक्ष्यों और भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने सहित व्यापक विकास परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने को प्रोत्साहित करेगा। 17 SDG लक्ष्यों में से 8 लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से SDG 11 (शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संधारणीय बनाना) एवं भारत के ईज़ ऑफ लिविंग असेसमेंट फ्रेमवर्क के साथ संबंधित हैं।
- यह विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से प्राप्त परिणामों का आकलन करता है।

3.12. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

(National Digital Communications Policy- 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति - 2018 (NDCP-2018)** तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम **"डिजिटल संचार आयोग"** प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

दूरसंचार आयोग (अब डिजिटल संचार आयोग)

इसे दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। दूरसंचार आयोग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- सरकार की स्वीकृति के लिए दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग का बजट तैयार करना और सरकार द्वारा इसको अनुमोदित कराना; और
- दूरसंचार से संबंधित सभी प्रकरणों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन।

नई नीति की आवश्यकता:

- NDCP-2018 को दूरसंचार क्षेत्र में **आधुनिक प्रौद्योगिकीय उन्नतियों** जैसे 5G, IoT, मशीन टू मशीन (M2M) लर्निंग आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। इनके लिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 'ग्राहक केंद्रित' और 'अनुप्रयोग संचालित' नीति की आवश्यकता थी।
- इससे ग्रामीण टेली-घनत्व, पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड में वृद्धि इत्यादि जैसे क्षेत्रों में पिछली **राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012** की कमियों को दूर करने की अपेक्षा की गई है।
- यह नीति दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार आधारित सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए उभरते अवसरों को संबोधित कर **डिजिटल इंडिया** के मुख्य स्तंभ का निर्माण कर सकती है।
- NDCP-2018 के माध्यम से सरकार दूरसंचार क्षेत्र को केवल एक राजस्व स्रोत के रूप में देखने के बजाय, इस क्षेत्र की सहायता से देश के **सामाजिक-आर्थिक विकास** पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।

तीन मिशनों के लिए रणनीतियां

1. कनेक्ट इंडिया

- सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान'** की नींव रखना
  - USOF और सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से वित्त पोषित की जाने वाली निम्नलिखित ब्रॉडबैंड पहलों का कार्यान्वयन:
    - **भारतनेट** - ग्राम पंचायतों को 1 Gbps स्पीड का नेटवर्क प्रदान करना जिसको 10 Gbps तक अपग्रेड किया जा सके।
    - **ग्रामनेट** - सभी प्रमुख ग्रामीण विकास संस्थानों को **10 Mbps की स्पीड वाले नेटवर्क के साथ जोड़ना जिसको 100 Mbps** तक अपग्रेड किया जा सकेगा।
    - **नगरनेट** - शहरी क्षेत्रों में दस लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की स्थापना करना।
    - **जनवाईफाई** - ग्रामीण क्षेत्रों में बीस लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की स्थापना करना

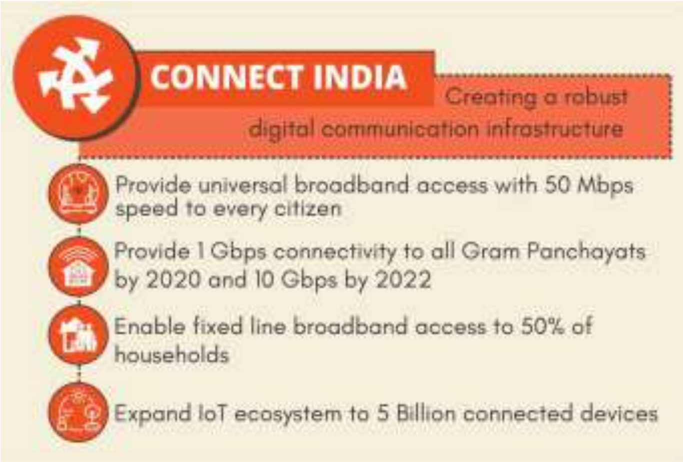

  - श्रेणी I, II और III के शहरों और ग्रामीण समूहों में घरों तक, उद्यमों तक और महत्वपूर्ण विकास संस्थानों तक फाइबर ले जाने हेतु 'फाइबर फर्स्ट पहल' कार्यान्वित करना।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड** की स्थापना, इसके अंतर्गत निम्न की स्थापना द्वारा:
    - राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण।
    - **कॉमन राइट्स ऑफ वे** हेतु केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगी संस्थागत तंत्र।
  - इसके अन्य घटकों में सम्मिलित हैं - विधिक, लाइसेंसिंग और नियामकीय ढांचे का पुनर्गठन करके IT, दूरसंचार और प्रसारण का अवसंरचनात्मक अभिसरण संभव बनाना, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए **ब्रॉडबैंड तत्परता सूचकांक** (Broadband Readiness Index) का निर्माण, मोबाइल टॉवर अवसंरचना की स्थापना को सुविधाजनक बनाना, इत्यादि।
- भारत के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपलब्धता एवं उपयोगिता को इष्टतम बनाने हेतु **स्पेक्ट्रम को जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता प्रदान करना।**
- भारत में **उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों का सुदृढ़ीकरण**। इसमें सम्मिलित हैं,
  - ऐसी लाइसेंसिंग और नियामकीय शर्तों को संशोधित करना जो उपग्रह संचार का उपयोग सीमित करती हैं, जैसे कि गति संबंधी बाधाएँ।
  - लचीली, प्रौद्योगिकी-तटस्थ और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाने के लिए, अंतरिक्ष विभाग के साथ संचार सेवाओं के लिए **SATCOM नीति की समीक्षा करके**, भारत में उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित बनाना।
  - उपग्रह आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं हेतु **नए स्पेक्ट्रम बैंड (जैसे Ka बैंड) उपलब्ध कराना।**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का यथोचित ध्यान रखते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में **उपग्रह संचार के लिए परिवेश** का विकास करना।
  - **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को चैनलाइज** करके अनाच्छादित क्षेत्रों और समाज के डिजिटल रूप से वंचित वर्गों का समावेशन सुनिश्चित करना।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाला दूरसंचार लोकपाल और केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करके ग्राहक संतुष्टि, सेवा की गुणवत्ता और प्रभावी शिकायत निवारण को सुनिश्चित करना।

2. प्रोपेल इंडिया

- दूरसंचार अवसंरचना को **महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसंरचना** का दर्जा प्रदान करके, निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने हेतु लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था में सुधार लाकर डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए निवेश को बढ़ाना।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों** एवं संचार क्षेत्र जैसे कि 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि में इसके उपयोग हेतु **रोडमैप बनाकर** उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करने के लिए समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेंट होस्टिंग और डिलीवरी हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा डिजिटल संचार को **स्मार्ट शहरों के मुख्य अवयव के** रूप में मान्यता प्रदान करना।
- स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों के लिए नई प्रौद्योगिकियों में **R&D हेतु फंड बनाकर** R&D पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु कर, लेवी और विभेदक शुल्कों को तर्कसंगत बनाकर **स्थानीय विनिर्माण और मूल्य संवर्धन**, पहचाने गए उत्पाद खंडों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम आरम्भ करना तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में घरेलू स्वामित्व वाले IPR के साथ घरेलू उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देना।
- अन्य रणनीतियों में क्षमता निर्माण, PSUs का सुदृढ़ीकरण तथा 2020 तक **उद्योग 4.0 में संक्रमण के लिए रोडमैप बनाना** आदि सम्मिलित हैं।

3. सिक्योर इंडिया

- कोर रणनीतियों में मजबूत, लचीली और मजबूत **डेटा संरक्षण व्यवस्था** स्थापित करना, एन्क्रिप्शन और डेटा प्रतिधारण पर नीति तैयार कर डिजिटल संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खंड-वार **साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Cyber Security Incidence Response System: CSIRT)** को स्थापित करना सम्मिलित है।

VISION IAS

- **नेटवर्क तैयारी, आपदा अनुक्रिया राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण घटकों के लिए एक व्यापक योजना** का विकास करना। इसमें सम्मिलित हैं –
    - आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनुसरण की जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को तैयार और प्रवर्तित करना,
    - भारत के लिए **सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (PPDR)** योजना का निर्माण करना। इसमें सम्मिलित हैं:
- सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (PPDR) हेतु अखिल भारतीय नेटवर्क की स्थापना को संभव बनाना।
- INSAT उपग्रह आधारित मोबाइल संचार प्रणालियों की स्थापना करने समेत PPDR के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना।

चिंताएं

- 2012 की नीति में सूचीबद्ध कुछ प्रमुख लक्ष्य अभी भी प्राप्त करने शेष हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड 512 kbps पर निर्धारित है, जबकि 2012 की नीति में 2015 तक 2 Mbps की न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड की परिकल्पना की गयी थी। इस विषय की छानबीन करने के बजाय कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक क्यों हुई और इन दशाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 और अधिक एवं नए लक्ष्य सूचीबद्ध करती है।
- इसके अतिरिक्त, यह न तो ये बताती है कि उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना क्या है और न ही विभिन्न प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु विशिष्ट समय सीमा ही निर्धारित करती है।

महत्व

- NDCP का मूलतत्व, अभिकल्पना, नवाचार और सृजनात्मकता प्रेरित उद्यमिता (DICE) के सिद्धांतों का लाभ उठाकर भारत के ICT उद्योग का चेहरा बदलने के इसके अंतर्जात दृष्टिकोण में निहित है।
- यह सराहनीय है कि नीति 'कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया एंड सिक्योर इंडिया' के मूल विषय (थीम) के अंतर्गत समग्र ICT वैल्यू चैन में शुरुआत से लेकर अंत तक समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।
- कुल मिलाकर, इसका दृष्टिकोण (विजन) अत्यंत श्रेष्ठ है और नीतियां सर्वोत्तम निहितार्थ के साथ निर्मित की गई हैं। तथापि, यह आवश्यक है कि कार्यान्वयन के मोर्चे पर हम इस बार पीछे न रहें।

3.13. स्थावर संपदा निवेश न्यास

(Real Estate Investment Trust: REIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्लैकस्टोन समूह ने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के साथ स्थावर संपदा निवेश न्यास (Real Estate Investment Trust: REIT) के लिए भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टस फ़ाइल किया है।

REIT क्या है?

- **REIT सूचीबद्ध संस्थाएं हैं, जो आय सृजन हेतु भवनों/संपत्तियों (जैसे कार्यालय, पार्क, मॉल, होटलों, आवासीय इमारतों) के स्वामित्व के साथ-साथ उनका संचालन एवं प्रबंधन करती हैं**। ये संस्थाएं SEBI तथा RERA, 2016 के द्वारा परिभाषित मानदण्डों से परिबद्ध हैं।
- किन्तु REIT म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करती हैं तथा कई निवेशकों से धन एकत्रित करती हैं एवं निवेशकों को प्रतिफल के रूप में लाभांश प्रदान करती हैं।
- **REIT के संदर्भ में RERA का विनियम**
    - REIT के द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं को RERA के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
    - किसी विशिष्ट परियोजना हेतु एकत्रित धनराशि का 70% एक पृथक खाते में जमा किया जाना चाहिए, जिसमें क्रेताओं से प्राप्त धन का 70 प्रतिशत केवल उस परियोजना के विकास में प्रयोग हेतु जमा किया जाना चाहिए।

VISION

- **REIT के संदर्भ में SEBI का विनियम**:
  - REIT को अपनी आय का 90 प्रतिशत छमाही आधार पर निवेशकों में वितरित करना चाहिए।
  - निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 2 लाख रूपए निर्धारित की गयी है।

REIT के लाभ

- **अधिक निवेश जुटाना**: REIT परिसम्पतियों के **मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, कार्पेट एरिया में स्पष्टता, बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन, स्पष्ट प्रकटीकरण तथा वित्तीय पारदर्शिता प्रक्रियाओं** के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में और अधिक घरेलू तथा विदेशी निवेश में सहायक होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे देशों में REIT का सफल क्रियान्वयन किया गया है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि**: जब पारदर्शिता की बात आती है तो भारत में रियल एस्टेट के क्षेत्र में सदैव अपारदर्शी होने के आरोप लगाए जाते हैं। इसके विपरीत, REIT में छमाही तथा वार्षिक आधार पर पूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- **रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन:** भारत में नगरीय रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीयन काफी निम्न स्तर पर बना हुआ है। इस संबंध में REIT उद्देश्यपूर्ण ढंग से, शहरी पुनर्विकास संभावनाओं का प्रयोग करते हुए वित्तीयन को बढ़ावा दे सकता है तथा खुदरा निवेशकों के लिए आकर्षक, स्थिर तथा दीर्घावधिक लाभ प्रदान कर सकता है। REITs में स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास हेतु निवेश आकर्षित करने की क्षमता है।
- **लघु निवेशकों हेतु बेहतर विकल्प**: REITs वैसे निवेशकों के लिए एक बेहतर अवसर है जो कम मात्रा (2 लाख रूपए तक) में निवेश करने की इच्छा रखते हैं परन्तु व्यावसायिक रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अर्थात्, वृहद ऋण की चिंता किये बगैर, आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को भी सम्मिलित कर सकते हैं।
- **स्थिर प्रतिफल**: एक प्रमुख कंसल्टेंसी द्वारा ज़ारी की गयी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, REITs न्यूनतम जोखिम के साथ 7-8% का वार्षिक प्रतिफल प्रदान कर सकते हैं।
- **पोर्टफोलियो का विविधीकरण:** REITs, निवेशकों के पोर्टफोलियो के विविधीकरण में सक्षम हैं तथा निवेशकों को नियमित आय सृजित करने वाला एक नया उत्पाद प्रदान करेंगे।
- REITs वित्त की कमी का सामना कर रहे डेवलपर्स के साथ ही अन्य डेवलपर्स को परियोजना से बाहर आने का विकल्प प्रदान करके वाणिज्य क्षेत्र में अधिक तरलता का प्रवाह करेंगे।

REITs की समस्याएं

- यद्यपि RERA को 2016 में अधिनियमित किया गया था, किन्तु भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास की कमी के कारण SEBI द्वारा कई छूट प्रदान किए जाने के बावजूद प्रथम REIT लिस्टिंग 2018 में होने वाली है।
- RERA तथा REIT के अंतर्गत रियल एस्टेट क्षेत्र में वर्तमान गैर निष्पादित परिसम्पतियों (NPA) की स्थिति को लेकर स्पष्टता का अभाव है।
- न्यूनतम REIT निवेश राशि को 2 लाख रूपए के उच्च मूल्य पर निर्धारित किया गया है। यह REIT में खुदरा निवेशकों (retail investors) को निवेश करने से रोकती है।
- भूमि के राज्य सूची में होने के कारण कुछ राज्यों में REITs की वैधानिक स्थिति अस्पष्ट है।
- जहाँ सरकार ने REITs की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं राज्य स्तर पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण REITs के एक आकर्षक प्रस्ताव बनने के मार्ग में अवरोध है, क्योंकि इसके चलते इससे प्राप्त होने वाले लाभ में कमी होती है और इस प्रकार यह निवेश कम आकर्षक हो जाता है।

रियल एस्टेट (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, (Real Estate (Regulation and Development) (RERA) को 2016 में अधिनियमित किया गया था। RERA, 2016 की विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य आवासीय तथा व्यापारिक रियल एस्टेट डेवलपर्स के **क्रेताओं एवं प्रवर्तकों के मध्य वित्तीय लेन-देन को विनियमित करना है।**
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण** का सृजन, जिसमें शहरी नियोजन, विधि तथा व्यापार आदि का अनुभव रखने वाले एक अध्यक्ष एवं कम से कम दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। साथ ही सभी आवासीय परियोजनाओं को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
- RERA के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का सृजन। रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलों के मामले में समय-बद्ध निर्णय प्रदान करेगा।
- प्रमोटर को प्रत्येक परियोजना के लिए एक 'पृथक खाते' की व्यवस्था करनी है। प्रमोटर्स को समय-बद्ध रूप से परियोजनाओं को पूरा करना है, तथा यदि प्रमोटर परिसंपत्ति पर समय-सीमा के भीतर अधिकार प्रदान करने में असफल होता है, तो उसे उस परिसंपत्ति के लिए प्राप्त धन को क्रेता को वापस करना होगा।

VISION IAS

3.14. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क

(Goods and Services Tax Network: GSTN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) में सरकार के स्वामित्व में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- इसने निर्णय लिया है कि **GSTN में गैर-सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व के अधीन सम्पूर्ण 51% इक्विटी** का अधिग्रहण समान रूप से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- अतः, पुनर्गठित GSTN में **100% सरकारी स्वामित्व होगा**। जो केंद्र (50%) तथा राज्य सरकारों (50%) के मध्य समान रूप से वितरित होगा।
- GSTN बोर्ड की वर्तमान संरचना में भी परिवर्तन किया जाएगा। इसमें कुल 11 निदेशक होंगे:
  - एक अध्यक्ष
  - एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
  - केंद्र से तीन निदेशक
  - राज्य से तीन निदेशक
  - निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत तीन अन्य स्वतंत्र निदेशक
- इस निर्णय के पीछे सरकार का यह मत था कि GST संबंधी व्यापक आंकड़ों की निगरानी को पूर्णतया सरकार के अधीन होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 करोड़ से अधिक करदाताओं की संवेदनशील सूचनाएं समाविष्ट हैं।

GSTN

- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है, जिसे **कंपनी अधिनियम** की धारा 8 के अंतर्गत शासित किया जाता है।
- वर्तमान में इसमें केंद्र के पास 24.5% इक्विटी तथा राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली तथा पुडुचेरी सहित) के पास 24.5% इक्विटी विद्यमान है। शेष 51% इक्विटी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास है।
- कंपनी की स्थापना, मूल रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हितधारकों को **IT अवसंरचना तथा सेवाएं** प्रदान करने हेतु की गयी थी।

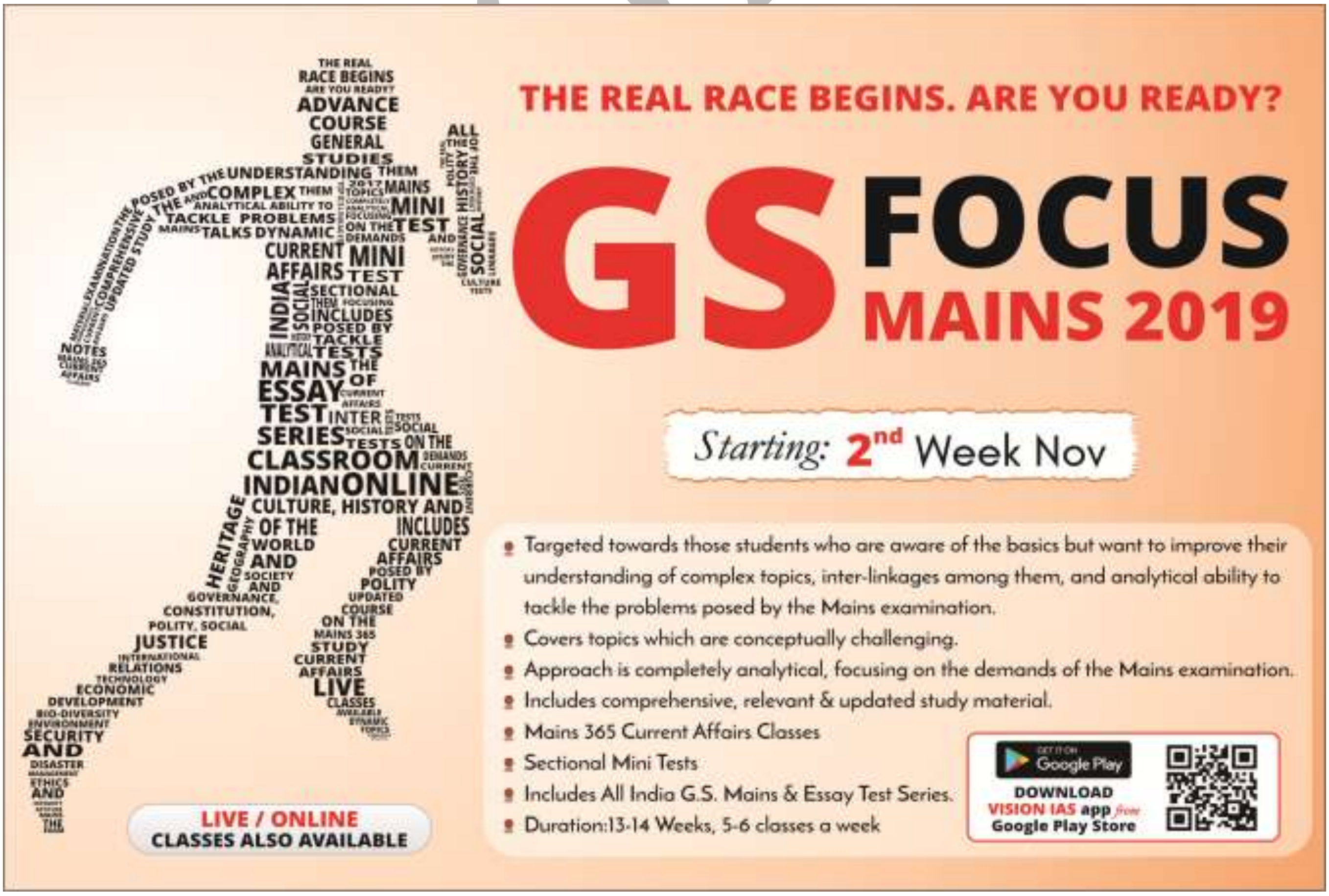

4. सुरक्षा (Security)

4.1. स्मार्ट बॉर्डर फेंस

(Smart Border Fence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) कार्यक्रम के तहत स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग एक तकनीकी समाधान है जिसे सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है तथा जम्मू में भारत-पाक अंतराष्ट्रीय सीमा के संलग्न पांच किलोमीटर क्षेत्र में पायलट आधार पर दो परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।
- इसमें एक हाई-टेक सर्विलांस सिस्टम है जो भूमि, जल और यहां तक कि वायु एवं भूमिगत स्थानों पर अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बैरियर भी स्थापित करेगा।
- अवैध प्रवासन को रोकने के लिए नवंबर में बांग्लादेश के साथ असम की 60 किलोमीटर सीमा पर भी CIBMS पायलट परियोजना आरंभ की जाएगी।
- गृह मंत्रालय अब तक 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण करने के साथ ही सीमा अवसंरचना को अपग्रेड करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।
- यह व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) कार्यक्रम के तहत निर्मित स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग परियोजनाएं देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसे ऐसे इलाकों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है जहां दुर्गम (inhospitable) क्षेत्रों अथवा नदी सीमाओं के कारण मानवीय निगरानी (फिजिकल सर्विलांस) संभव नहीं है।

सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मौजूदा प्रणाली का उन्नयन:** मशीनों के साथ कार्य करने वाले मानवों द्वारा बेहतर खोज और अवरोधन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को **मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकृत** किया जा सकता है।
- **घुसपैठ की जांच:** यह क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरे, थर्मल इमेजर्स व नाइट विजन डिवाइसेज, बैटल फील्ड सर्विलांस रडार (BFSRs), अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर्स और सीमा पर लेजर बैरियर को तैनात करके भूमि, जल के नीचे, वायु और सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ का पता लगाने में सहायता कर सकती है।
- **सीमा-पार व्यापार:** यह सीमा पार व्यापार को भी सुविधाजनक बना सकता है। उदाहरण के लिए: ब्लॉकचेन तकनीक लेन-देन प्रक्रिया को तीव्र और सुरक्षित रूप से संचालित करने में सहायता कर सकती है। यह अवैध व्यापार की पहचान करने और उसका पता लगाने को भी आसान बनाता है।
- **मानवीय त्रुटियों को समाप्त करना:** चूंकि मनुष्य के सतर्क रहने, देखने और सुनने की क्षमता सीमित है अतः स्मार्ट गैजेट्स का प्रयोग मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह मानवीय त्रुटियों और मानवीय तनाव को कम करने में भी सहायता करेगा।
- **गतिशीलता:** सीमावर्ती क्षेत्रों के आस-पास वाहनों में उन्नत तकनीकों का उपयोग कर बख्तरबंद वाहनों (armored vehicles) की कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन बहुउद्देश्यीय होते हैं, जिन्हें मरूस्थलीय क्षेत्रों, मानव रहित भूमियों और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे दुर्गम इलाकों में आवागमन में सहायता के लिए तैयार किया जाता है।
- **संचार:** इसका उपयोग विभिन्न हितधारकों तथा राज्यों और केंद्र के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। GSAT-7 इसरो द्वारा निर्मित प्रथम समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है जो भारतीय रक्षा बलों को (मुख्य उपयोगकर्ता भारतीय नौसेना) सेवाएं प्रदान करेगा।
- **निगरानी:** इसका प्रयोग तटीय क्षेत्रों की गश्त और निगरानी में सुधार करने के लिए (विशेष रूप से तट के निकटवर्ती उथले क्षेत्रों में) किया जाता है। ड्रोन को सर्वाधिक खतरनाक और विषम परिस्थितियों में भी तैनात किया जा सकता है और इस प्रकार इनके माध्यम से बचाव दलों और सैन्य बलों की सहायता की जा सकती है।

सीमाओं पर मौजूदा प्रणाली

- BSF को नाइट सर्विलांस क्षमताओं जैसे पैसिव नाइट विजन गॉगल्स (PNG), नाइट वेपन साइट (NWS), हैंड हेल्ड सर्च लाइट्स (HHSL), हैंड हेल्ड डीप सर्च मेटल डिटेक्टर (HHMD) इत्यादि प्रदान किये गए हैं।
- हैंड हेल्ड थर्मल इमेजरी (HHTI) सिस्टम, लांग रेंज रिकॉनिसेंस ऑब्ज़र्वेशन सिस्टम्स (LORROS), बैटल फील्ड सर्विलांस रडार (BFSR) इत्यादि परिष्कृत उपकरणों का उपयोग सीमाओं पर पहले से ही किया जा रहा है।

भारत के समक्ष उपस्थित होने वाले संभावित मुद्दे

- प्रणाली में अत्यधिक फाल्स अलार्म्स , लाइन ऑफ़ साइट बाधाओं, अविश्वसनीय सूचना संचरण और उपकरण खराब होने जैसी कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ सकता है।

VISION IAS

- वर्तमान में, BSF द्वारा तैनात कई उच्च तकनीक निगरानी उपकरणों का बेहतर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता सैन्यबल के कर्मियों के मध्य एकसमान रूप से उपलब्ध नहीं है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अत्यधिक लागत और स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता का अभाव उनके उपयोग को हतोत्साहित करने वाले कारक है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में अनियमित विद्युत् आपूर्ति तथा प्रतिकूल जलवायु और क्षेत्रों की अवस्थिति परिष्कृत प्रणाली की कार्य-पद्धति को संभावित रूप से क्षीण कर सकती है।

प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अन्य उपाय

- संपूर्ण सीमा की सुभेद्यता मानचित्रण को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बना दिया गया है। इसके आधार पर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाती है और इन स्थानों में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।
- खुफिया नेटवर्क का उन्नयन और सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय और सीमा के निकट विशेष ऑपरेशंस का संचालन किया जा रहा है।
- समकक्ष देशों के साथ विभिन्न बैठकों (कंपनी कमांडेंट मीटिंग, कमांडेंट लेवल मीटिंग, सेक्टर कमांडर लेवल मीटिंग, फ्रंटियर लेवल मीटिंग और डायरेक्टर जनरल लेवल टॉक्स) के दौरान सीमा-पार से घुसपैठ के मुद्दों को उठाना।

CIBMS

- यह एक **सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली** है जो मानव संसाधन, हथियारों और उच्च तकनीक निगरानी उपकरणों को निर्बाध रूप से एकीकृत करके सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में अंतराल को समाप्त करने में सक्षम है।
- इसमें निम्नलिखित तीन मुख्य घटक शामिल हैं:
    - अंतरराष्ट्रीय सीमा की चौबीस घंटे निगरानी के लिए मौजूदा उपकरणों के साथ-साथ सेंसर, डिटेक्टर, कैमरा इत्यादि जैसे **नए उच्च तकनीक निगरानी उपकरण**।
    - एकत्रित डेटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल और उपग्रह संचार सहित एक **कुशल और समर्पित संचार नेटवर्क**; तथा
    - एक **कमांड और कंट्रोल सेंटर,** जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति से संबंधित समग्र सूचना युक्त डेटा प्रेषित किया जाएगा।

सीमा सुरक्षा ग्रिड (Border protection grid)

- यह विभिन्न अवैध गतिविधियों को प्रतिबंधित करने हेतु **भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा** को सुदृढ़ करने के लिए बांग्लादेश के सीमावर्ती भारतीय राज्यों में स्थापित है।
- ग्रिड में विभिन्न घटक शामिल हैं जैसे भौतिक बाधाएं, गैर-भौतिक बाधाएं, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस, BSF तथा अन्य राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियां।

4.2. LCA तेजस की मिड-एयर रिफ्यूलिंग

(Mid-Air Refuelling of LCA Tejas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस की पहली बार मिड-एयर रिफ्यूलिंग (हवा में ईंधन भरना) सफलतापूर्वक की गई।

महत्व

- भारत वैसे **देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया** है जिन्होंने सैन्य विमानों के लिए एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
- LCA के लिए एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग क्षमता IAF की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी क्योंकि यह विमान की अधिक समय तक तक हवा में रहने की (एयरबोर्न) क्षमता को बढ़ाती है, इस प्रकार इसकी रेंज और स्थायित्व में वृद्धि होती है।
- यह LCA की परिचालन क्षमता का लाभ उठाने के IAF के विकल्पों को बढ़ाने के साथ-साथ कई स्थानों पर रुकने या उतरने के बिना अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेने को भी सक्षम बनाएगा।
- LCA एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग के इस परीक्षण के साथ फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस (FOC) नामक महत्वपूर्ण बैटल रेडी टैग प्राप्त करने के अधिक निकट आ गया है।

LCA तेजस

- यह **एकल सीट वाला बहु-उपयोगी जेट लड़ाकू विमान है, जो एकल इंजन द्वारा संचालित होता है।** इसे अपनी श्रेणी में विश्व के सबसे छोटे और हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में देखा जाता है।
- इसे LCA कार्यक्रम (जिसे 1980 के दशक में भारत के पुराने मिग-21 लड़ाकू विमान को प्रतिस्थापित करने के लिए आरंभ किया गया) के भाग के रूप में राज्य स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।

- **परास (रेंज):** इसकी लगभग 400 किमी से कुछ अधिक की सीमित पहुंच है और इसका मुख्य रूप से नज़दीकी एयर-टू-ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाएगा (रूस के सुखोई -30MKIs अथवा राफेल के विपरीत, जिनकी लंबी दूरी परास के कारण दुश्मन क्षेत्र में दूर तक प्रहार करने की क्षमता है)।
- **हथियार:** यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दागने तथा बम और सटीक निर्देशित गोला-बारूद ले जाने की क्षमता से युक्त है।

4.3. सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

- **अभ्यास काजींड (Exercise Kazind)- 2018:** यह भारतीय और कजाकिस्तान सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है जो कजाकिस्तान के ओतर क्षेत्र में आयोजित किया गया था।
- **युद्ध अभ्यास:** यह भारतीय और अमेरिकी सेना के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 14वां संस्करण है जो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था।
- **अभ्यास 'स्लिनेक्स' (Exercise Slinex)- 2018:** यह भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 6ठा संस्करण है जो त्रिंकोमली, श्रीलंका में आयोजित किया गया।
- **नोमाडिक एलीफेंट, 2018:** यह भारतीय और मंगोलियाई सेनाओं के मध्य एक वार्षिक, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- **बिम्सटेक मिलेक्स (BIMSTEC MILEX)- 18:** यह BIMSTEC (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) देशों के मध्य प्रथम बहुपक्षीय सैन्य क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास है।
- **अभ्यास एविया इंद्र- 18:** यह 2014 से भारत और रूसी संघ की वायु सेना के मध्य आयोजित एक द्वि-वार्षिक अभ्यास है।

अतिरिक्त जानकारी

- **त्रि-सेवा अभ्यास:** भारत और अमेरिका ने अगले वर्ष भारत के पूर्वी तट पर अपना पहला वृहत स्तरीय **त्रि-सेवा अभ्यास** आयोजित करने का निर्णय लिया है।
    - रूस के बाद अन्य किसी देश के साथ आयोजित यह ऐसा दूसरा त्रि-सेवा अभ्यास होगा।

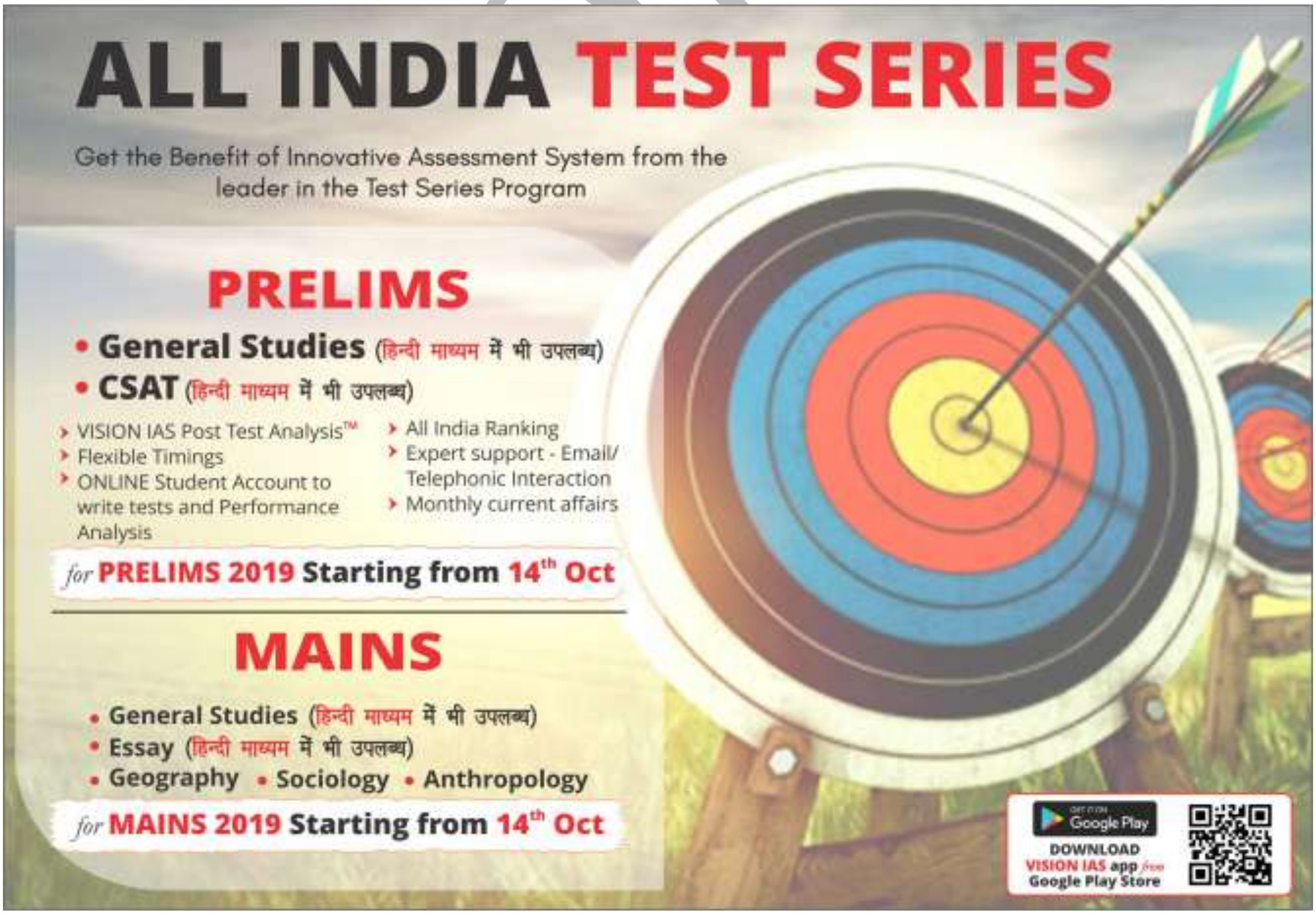

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. ब्लैक कार्बन

(Black Carbon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि पश्चिमी विक्षोभों और पवन प्रवाह के माध्यम से भूमध्यसागरीय देशों से प्रवाहित होने वाला ब्लैक कार्बन, प्रदूषण और हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने की दर में वृद्धि करने वाले कारकों में से एक हो सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जनवरी और फरवरी में ब्लैक कार्बन की उच्च सांद्रता स्थानीय स्रोतों से नहीं उत्पन्न होती है** क्योंकि इन क्षेत्रों में शीतकाल के कारण लगभग संपूर्ण जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में प्रवास कर जाती है, अत: इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ लगभग न के बराबर होती हैं।
- **ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं।**

ब्लैक कार्बन के बारे में

- ब्लैक कार्बन जीवाश्म **ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter: PM)** का एक शक्तिशाली जलवायु-तापन घटक है।
- ब्लैक कार्बन वायुमंडल में उत्सर्जन के कुछ दिनों से सप्ताहों तक स्थिर रहने वाला एक **अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक** है। इस छोटी अवधि के दौरान, ब्लैक कार्बन जलवायु, हिमनद क्षेत्रों, कृषि और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

ब्राउन कार्बन (Brown Carbon): यह मुख्य रूप से **कार्बनिक बायोमास के दहन** के दौरान उत्पन्न होता है और ब्लैक कार्बन के साथ पाया जाता है। प्रकाश अवशोषण के गुण के कारण इसके जलवायविक प्रभाव ब्लैक कार्बन के समान ही होते हैं।

ब्लू कार्बन (Blue Carbon): यह मैंग्रोव वन, समुद्री घास भूमि अथवा अंत:ज्वारीय लवणीय दलदल जैसे **तटीय पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित और प्रच्छादित कार्बन** है।

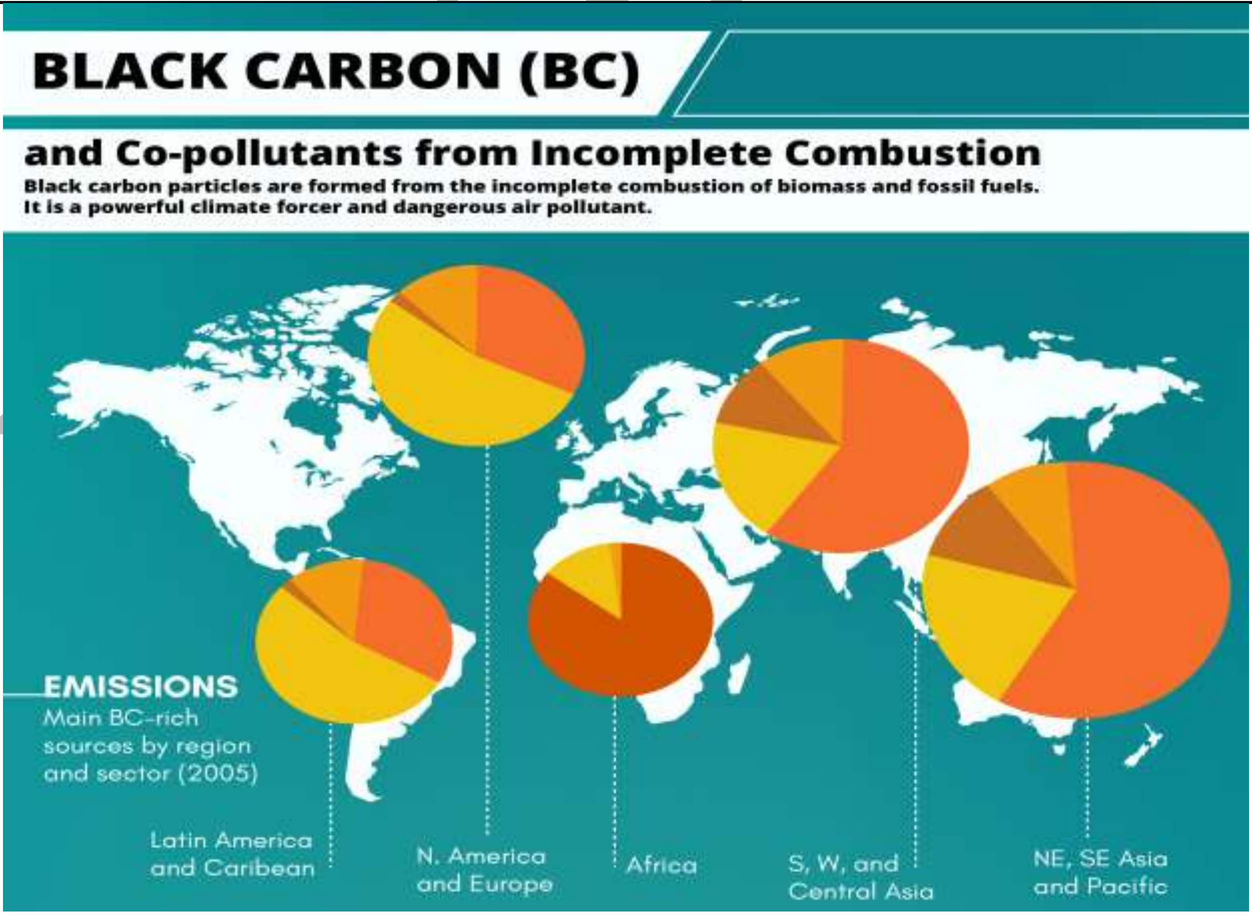

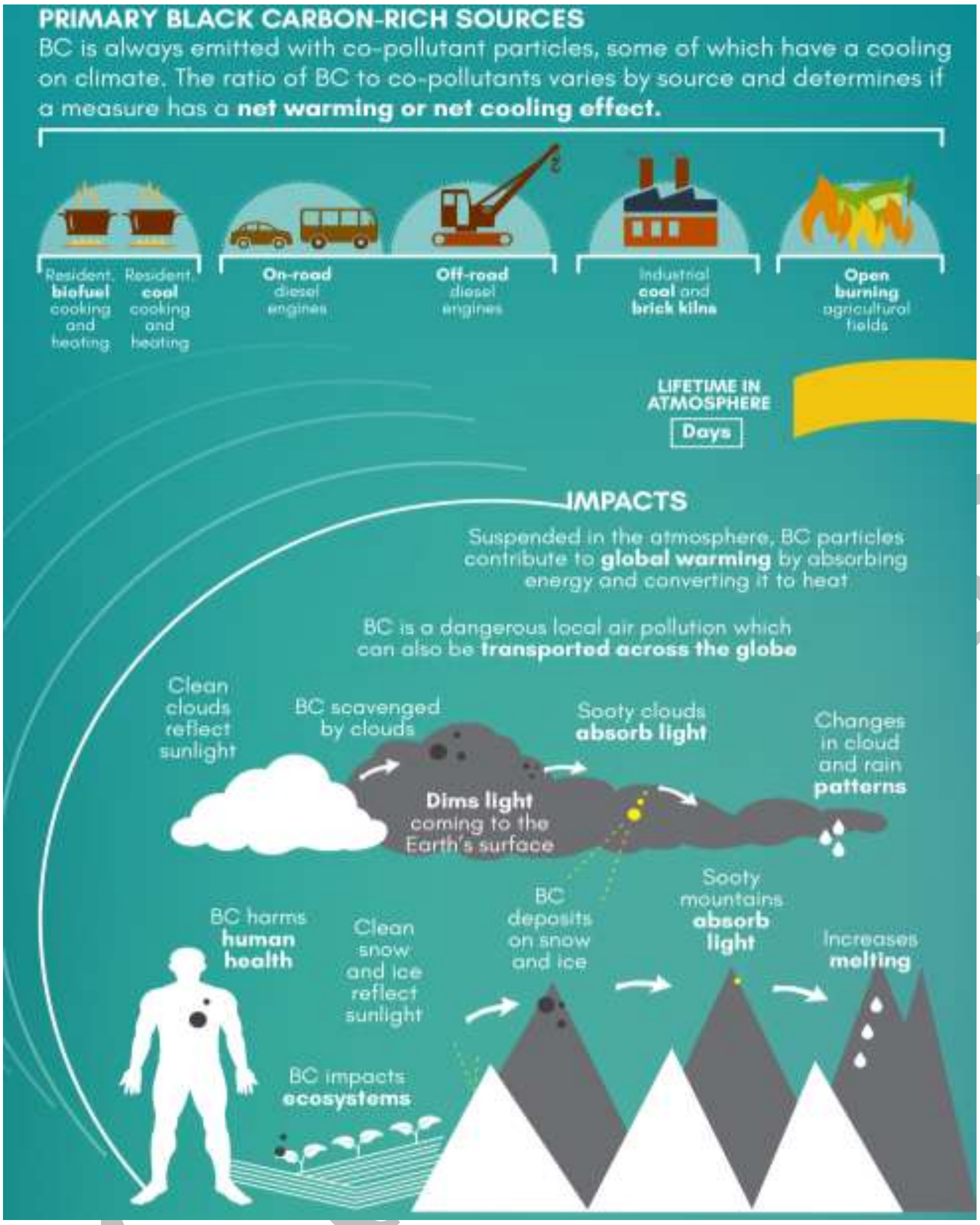

ब्लैक कार्बन का प्रभाव

- **जलवायु पर प्रभाव**
    - ब्लैक कार्बन वार्मिंग या तापन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करने और निकटवर्ती वातावरण की ऊष्मा में वृद्धि करने में अत्यधिक प्रभावी है।
    - यह बादल निर्माण के साथ-साथ क्षेत्रीय परिसंचरण और वर्षा के प्रतिरूप को भी प्रभावित करता है।
    - बर्फ तथा हिम पर निक्षेपित होने पर, ब्लैक कार्बन और सह-उत्सर्जित कण सतह के ऐल्बिडो प्रभाव (सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता) को कम करते हैं तथा सतह के तापमान में वृद्धि करते हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्कटिक और हिमालय जैसे ग्लेशियर क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगती है।

Global Warming Potentials (GWP)

Pollutants	GWP 20 years	GWP 100 years
Carbon dioxide	1	1
Carbon monoxide	18.6	5
Sulphur dioxide	-268	-71
Oxide of Nitrogen	-560	-149
Fossil methane	85	30
Nitrous oxide	264	265
Black carbon	3200	900
Organic carbon	-160	-46

Source: AR5 WGI

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव**
  - ब्लैक कार्बन और इसके सह-प्रदूषक सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ (PM2.5) वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक हैं।
  - यह विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित हैं जिसमें हृदय और फेफड़ों के रोग, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, चिरकालिक श्वसन रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, गंभीर अस्थमा तथा अन्य कार्डियो-रेस्पिरेटरी लक्षणों सहित वयस्कों में समयपूर्व मृत्यु शामिल हैं।
- **वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव**
  - ब्लैक कार्बन अनेक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है तथा उनके तापमान में वृद्धि कर देता है। पृथ्वी पर आपतित सूर्यातप में कमी करता है तथा वर्षा प्रतिरूप को भी परिवर्तित कर देता है।
  - वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन के पारिस्थितिक तंत्र और मानव आजीविका दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के लिए यह मानसून में अवरोध उत्पन्न करता है, जो एशिया और अफ्रीका के वृहद क्षेत्रों में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
  - ब्लैक कार्बन में वृद्धि के कारण, हिमरेखा के समीप हिम आच्छादित क्षेत्र में कमी के साथ-साथ मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियों के विलुप्त होने जैसे प्रभाव दृष्टिगत होते हैं।

ब्लैक कार्बन को नियंत्रित करने संबंधी उपाए:

- पारंपरिक खाना पकाने वाले ईंधन के स्थान पर खाना पकाने हेतु बायोमास स्टोव, LPG इत्यादि जैसे आधुनिक स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाना चाहिए।
- उद्योगों में पारंपरिक ईंट भट्टों को लंबवत शाफ्ट ईंट भट्टों के रूप में संवर्द्धित किया जाना चाहिए।
- भारत स्टेज VI वाहनों और कार्बन-उत्सर्जन मुक्त बसों और ट्रकों को तीव्रता से अपनाया जाना चाहिए तथा उच्च मात्रा में प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले डीजल वाहनों को हटाया जाना चाहिए।
- खेतों में कृषि अपशिष्टों (पराली) को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाना।
- तेल के दहन (oil flaring) और गैस उत्पादन को नियंत्रित और सुधार करना।
- नगर पालिका अपशिष्ट को खुले में जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाना।

5.2. भारत में निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन

(Construction And Demolition (C&D) Waste Management In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायलय ने उन राज्यों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है जिन्होंने अभी तक कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार नहीं की है।

आंकड़े एवं तथ्य

- अवसंरचना संबंधी कुल निवेश में **निर्माण का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है**, इसलिए निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट को प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है।
- भारत में **प्रतिवर्ष 25-30 मिलियन टन C&D अपशिष्ट** उत्पन्न होता है जिसमें से **केवल 5 प्रतिशत अपशिष्ट का ही प्रसंस्करण** किया जाता है।
- विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, **36 प्रतिशत C&D अपशिष्ट में मिट्टी, रेत और बजरी सम्मिलित है।** अनियंत्रित रेत खनन ने नदी तलों को निम्नीकृत कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अत: इस परिप्रेक्ष्य में C&D अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के **अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** और 2017 के दिशा-निर्देशों द्वारा नीतियों को तैयार करने, अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थलों की पहचान करने तथा उनका परिचालन आरम्भ करने के सन्दर्भ में स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण किया गया है, किन्तु इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के बारे में

- यह भवनों अथवा संरचनाओं के निर्माण, नवीनीकरण और विध्वंस के दौरान उत्पन्न होता है। इस अवशिष्ट के अंतर्गत कंक्रीट, ईंटें, लकड़ी, छत, दीवारें, भू-दृश्य और अन्य अपशिष्ट सामग्रियां शामिल होती हैं।
- आवास और सड़क क्षेत्रों में इसकी अत्यधिक मांग है किन्तु इनकी मांग और आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। इस मांग को कुछ सीमा तक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- ईंट, टाइल्स, लकड़ी, धातु इत्यादि जैसी कुछ निर्माण सामग्रियों का पुन: उपयोग (Re-used) और पुनर्चक्रण (Recycled) किया जाता है। हालाँकि, कंक्रीट और चिनाई, कुल निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का लगभग 50% है किन्तु वर्तमान में भारत में इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है।
- निजी ठेकेदार कुछ कीमत लेकर इस अपशिष्ट को निजी स्वामित्व वाली निम्न-भूमि अथवा सामान्यतः सड़कों या अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारे अनधिकृत तरीके से डंप कर देते हैं।

VISION IAS

भारत में C & D अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने संबंधी पहलें:

- **स्वच्छ भारत अभियान** के तहत एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में अक्टूबर 2019 तक शहरों/कस्बों में उत्पन्न 100% ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की परिकल्पना की गई है, जिसमें निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट भी शामिल हैं।
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में **पर्यावरण अनुकूल C & D पुनर्चक्रण सुविधाओं** की स्थापना के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं।
- **भारतीय मानक ब्यूरो और इंडियन रोड कांग्रेस** निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में पुनर्चक्रित सामग्री तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादों का उपयोग करने के लिए कार्यप्रणालियों और मानकों से संबंधी संहिता निर्मित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 2016 में **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद** द्वारा "सरकार की आवास योजनाओं में आवास इकाइयों और संबंधित अवसंरचना" के निर्माण में C & D अपशिष्ट के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
- **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग** के "सतत पर्यावास के लिए दिशा-निर्देश" निर्माण और विध्वंस (C & D) अपशिष्ट के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण संबंधी दिशानिर्देशों की व्याख्या करते हैं।

C&D सामग्री के निपटान को कम करने के लाभ:

- **पर्यावरणीय (Environmental)-** यह खनन/प्राकृतिक संसाधनों से भवन सामग्री के विनिर्माण के लिए आवश्यक **ऊर्जा और जल की मांग को कम** करता है (परिणामस्वरूप खनन, विनिर्माण और परिवहन से उत्पन्न GHGs और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाते हैं)।
  - **कम निपटान सुविधाओं की आवश्यकता** होगी तथा साथ ही अपशिष्ट निपटान हेतु स्थान विशेष की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है।
- **आर्थिक (Economical) -** यह पुनर्चक्रण उद्योगों में **रोजगार** और आर्थिक गतिविधियों का भी सृजन कर सकता है।
  - यह खरीद/निपटान लागत को कम करने के साथ-साथ परियोजना स्थल पर इसके पुन: उपयोग के द्वारा परिवहन लागत को कम करते हुए **समग्र भवन परियोजना व्यय को कम** करता है।
  - पुनर्चक्रण के माध्यम से भवन सामग्री की कमी की पूर्ति की जाएगी परिणामस्वरूप आवास लागत में कमी आएगी तथा साथ ही इसे **'किफायती आवास'** का एक अभिन्न पहलू भी होना चाहिए।

मुद्दे और चुनौतियां

- यह **मृदा की उर्वरता** क्षमता को प्रभावित करता है और शहरी क्षेत्रों में **स्वास्थ्य संबंधी खतरा** उत्पन्न करता है।
- पुनर्चक्रण संबंधी सुविधाओं की वास्तविक कमी, **भारत की कार्बन उत्सर्जन में कमी संबंधी प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत** है।
- पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए न तो सशक्त **सामाजिक जागरूकता** है और न ही **पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति** है।
- अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण तंत्र अत्यधिक **असंगठित** है जो स्क्रैप संदूषण को बढ़ावा देता है।
- संग्रहण, परिवहन और स्क्रैप यार्ड के संदर्भ में अधिकांश नगरपालिका **अवसंरचनाएं अप्रचलित और अपर्याप्त** हैं।
- पुनर्चक्रण से पुन:प्राप्ति को अधिकतम करने हेतु उपयुक्त **प्रौद्योगिकियां** अभी भी विकास के आरंभिक चरण में ही हैं।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- **व्यक्तिगत स्तर पर:** प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादनकर्ता **भवन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का पृथक्करण करेगा** और उसे संग्रह केन्द्रों पर निक्षेपित करेगा अथवा अधिकृत प्रसंस्करण सुविधाओं को सौंपेगा।
  - बड़े पैमाने पर अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले उत्पादनकर्ता अपशिष्ट को **चार भागों** जैसे- कंक्रीट, मिट्टी, इस्पात, काष्ठ एवं प्लास्टिक, ईंट और मोर्टार में पृथक करेंगे। इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपशिष्ट के कारण यातायात अथवा जनता या नालियों के लिए कोई व्यवधान न उत्पन्न हो।
- **स्थानीय स्तर पर:** सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट के लिए एक **व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना** को तैयार किया जाएगा।
  - सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से **पूरे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का निपटान** किया जाएगा।
- **राज्य स्तर पर:** राज्य सरकार में भूमि से संबंधित विभाग **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण संबंधी सुविधाओं** के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएगा।
  - नगर निगम और सरकारी संविदाओं में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से निर्मित 10-20 प्रतिशत सामग्रियों की खरीद और उपयोग को अनिवार्य बनाया जाएगा।
  - पुनर्चक्रण सुविधाओं के ऑपरेटरों को **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकृति** प्राप्त करनी होगी।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड C&D अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित **प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार** करेगा तथा **भारतीय रोड कांग्रेस** को सड़क निर्माण में C&D से संबंधित उत्पादों के लिए मानक और पद्धतियां तैयार करने की आवश्यकता है।
  - प्रसंस्करण / पुनर्चक्रण स्थलों को **पर्यावास बस्तियों, वन क्षेत्रों, जल निकायों, स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों, आर्द्रभूमि और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक महत्व के स्थलों** से दूर अवस्थित होना चाहिए।

C&D अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने हेतु **" सस्टेनेबल मॉडल"** को अपनाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

C&D अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 'सस्टेनेबल मॉडल'

निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 हेतु **'सतत मॉडल (सस्टेनेबल मॉडल)'** के प्रमुख घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- C&D अपशिष्ट उत्पादन का **व्यावहारिक आकलन**।
- स्थानीय प्रशासन/नागरिक निकायों के आवश्यक अनुमोदन के साथ एकीकृत C&D प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए **स्थलों की पहचान और उनका समय पर अधिग्रहण करना**।
- गुणवत्ता स्वीकृति के लिए पुनर्चक्रित C&D अपशिष्ट उत्पादों हेतु विनिर्देश / मानक स्थापित करना।
- C&D अपशिष्ट से **पुनर्चक्रित उत्पादों के उपयोग को सूचीबद्ध करना और उसे आवश्यक बनाना**।
- **जुर्माना** - लैंडफिल लेवी
- **शहर/क्षेत्र के जल निकायों का मानचित्रण** - शहरी क्षेत्रों में 'भूमि' संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जल निकायों का अतिक्रमण करना एक सामान्य व्यवहार है जिसे कई शहरों में देखा गया है।
- **आर्थिक रूप से व्यवहार्य** C&D पुनर्चक्रण विकल्पों पर शोध करना।
- **जागरूकता अभियान** - यह जन सामान्य को संवेदनशील बनाने का एक साधन है।

5.3. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान

(India Cooling Action Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)** के मसौदे को जारी करने वाला पहला देश बन गया है। यह एक्शन प्लान 'सस्टेनेबल कूलिंग थ्रू थर्मल कम्फर्ट फॉर ऑल' पर केंद्रित है।
- इसे 24वें विश्व ओजोन दिवस (16 सितंबर) के अवसर पर जारी किया गया। इस वर्ष की थीम **"कीप कूल एंड कैरी ऑन": द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** है।

भारत की कूलिंग आवश्यकता चिंता का विषय क्यों है?

- उपोष्ण कटिबंधीय देश होने के बावजूद, स्पेस कूलिंग में भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 69kWh है जो 272kWh के विश्व औसत से काफी कम है।
- शीतलन (कूलिंग) मानव स्वास्थ्य, कल्याण और उत्पादकता से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु को देखते हुए सभी के लिए थर्मल कम्फर्ट और शीतलन तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- शीतलन से संबंधित ऊर्जा उपभोग का वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान (10%) है।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तीव्र नगरीकरण के साथ वर्तमान समय में एयर कंडीशनिंग तक कम पहुंच जैसे कारक आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2037-38 तक भारत की शीतलन संबंधी आवश्यकताओं को 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में:

- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के निम्नलिखित **लक्ष्य** हैं:
  - वर्ष 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में शीतलन (Cooling) मांग में 20% से 25% तक की कमी करना।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2022-23 तक 1,00,000 सेवा क्षेत्र तकनीशियनों का प्रशिक्षण।
  - वर्ष 2037-38 तक प्रशीतक (refrigerant) मांग में 25% से 30% तक की कमी करना।
- ड्राफ्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान निम्नलिखित **दो परिदृश्यों** को दर्शाता है:
  - **वर्तमान नीतियों में कोई बदलाव नहीं:** बिल्डिंग क्षेत्रक के विकास के साथ आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2037-38 तक भारत की शीतलन संबंधी आवश्यकताओं के 8 गुना तक बढ़ने का अनुमान है।
  - **हस्तक्षेप परिदृश्य:** अग्र-सक्रिय उपायों के माध्यम से वर्ष 2037-38 तक कुल प्रशीतक मांग को 25% -30% तक कम किया जा सकता है।

- **रेफ्रिजरेंट-आधारित शीतलन** सर्वाधिक सामान्य शीतलन तकनीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुसार, भारत को 2047 तक प्रशीतक आधारित शीतलन में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से 2020-26 के स्तर से 85% तक कम करना होगा।
- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंतर्गत सुझाव:
    - **सक्रिय (एयर कंडीशनिंग) और निष्क्रिय शीतलन रणनीतियों का संयोजन,** भवन ऊर्जा संहिता का बेहतर कार्यान्वयन, अनुकूलक थर्मल कम्फर्ट मानकों को अपनाना, कमरे में प्रयोग किए जाने वाले एयर कंडीशनर और पंखों की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना।
    - व्यावसायिक रूप से निर्मित स्थलों के लिए एयर कंडीशनिंग उपकरण के तापमान का पूर्व निर्धारण निर्दिष्ट करने के लिए **अनुकूलक थर्मल कंफर्ट मानकों को अपनाना** और अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए ऊर्जा कुशल और नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित कोल्ड चेन का विकास करना है।

5.4. प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास का संरक्षण

(Conservation of Migratory Birds and their Habitats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018-23 की अवधि के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) के साथ प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) विकसित की है।

NAP का लक्ष्य

- राष्ट्रीय कार्य योजना का समग्र **दीर्घकालिक लक्ष्य** पक्षियों की संख्या में गिरावट को नियंत्रित करना और प्रवासी पक्षियों के पर्यावासों को सुरक्षित करना है।
- कार्य योजना के **अल्पकालिक** लक्ष्यों में 2027 तक मेटा-पापुलेशन (एक ही प्रजाति की अलग-अलग क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी) में गिरावट को रोकना और स्वस्थ आबादी के लिए स्थिर या वृद्धि की प्रवृतियों को बनाए रखना है।

NAP के उद्देश्य: कार्य-योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या को रोकना तथा इनकी संख्या में वृद्धि करना;
- भूदृश्य दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण पर्यावासों पर दबाव को कम करना;
- दीर्घकालिक गिरावट का सामना कर रहे पर्यावासों और प्रजातियों के लिए प्रत्याशित खतरों और उनसे सुरक्षा करने हेतु कई स्तरों पर क्षमता निर्माण करना;
- पर्यावासों के प्रबंधन और प्रजातियों के विज्ञान आधारित संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए डेटाबेस और निर्णय-समर्थन प्रणाली में सुधार करना;
- पर्यावासों और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए सहयोगात्मक कार्य को अपनाने हेतु हितधारकों को संवेदनशील बनाना; तथा,
- इनके विस्तार क्षेत्र वाले देशों (range countries) में प्रवासी पक्षी प्रजातियों और पर्यावासों को सुरक्षित करने हेतु सीमा-पार सहयोग को समर्थन प्रदान करना।

फ्लाईवे उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रवासी प्रजातियों के सदस्य या समूह अपने वार्षिक चक्र (प्रजनन, स्टेजिंग और गैर-प्रजनन आदि) को पूरा करते हैं। इसमें प्रजनन क्षेत्र, अस्थायी पर्यावास क्षेत्र (stop-over areas) और शीतकालीन क्षेत्र शामिल हैं।

- **मध्य एशिया फ्लाईवे** (CAF) : यह विश्व के नौ फ्लाईवेज़ में से एक है, जिसमें विभिन्न जल पक्षियों के लिए 30 देशों में अतिव्यापी प्रवासी मार्ग सम्मिलित हैं, जो रूस (साइबेरिया) में स्थित सर्वाधिक उत्तरी प्रजनन स्थल को पश्चिम और दक्षिण एशिया, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में दक्षिणतम गैर-प्रजनन (शीतकालीन) स्थलों से जोड़ते हैं।
- फ्लाईवे में भारत की रणनीतिक भूमिका है, क्योंकि यह इस प्रवासी मार्ग का उपयोग करने वाली पक्षी प्रजातियों के लगभग 90% से अधिक को महत्वपूर्ण अस्थायी पर्यावास स्थल (stopover sites) प्रदान करता है।
- तीन फ्लाईवेज (CAF, पूर्वी एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे और एशियाई-पूर्वी अफ्रीकी फ्लाईवे) से प्रवासी पक्षियों की कम से कम 370 प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा करती हैं, जिनमें से 310 प्रजातियों द्वारा मुख्य रूप से पर्यावास के रूप में आर्द्रभूमि का उपयोग किया जाता है। शेष स्थलीय पक्षियों के रूप में, विभिन्न विस्तृत स्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसे व्हाइट-बेलीड हेरॉन (Cr), ग्रेटर एडजुटेंट (EN), बाएर पोचर्ड (Cr), साइबेरियन क्रेन (Cr), ब्लैक-नेक्ड क्रेन (VU), स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर (Cr)।

VISION IAS

प्रवासी पक्षियों के लिए खतरा

- **परिवर्तित होता भूमि उपयोग** वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रजनन और गैर-प्रजनन स्थलों में स्थलीय पक्षियों को प्रभावित करता है।
- गैर-धारणीय गतिविधियाँ और **जलवायु परिवर्तन** अन्य खतरे हैं।
- प्रवासी पक्षियों की आबादी पर **प्रमुख दबावों** में पर्यावास ह्रास एवं विखंडन, प्रदूषण, अवैध शिकार और विषाक्तीकरण, पवन टरबाइन जैसी संरचनाओं से टकराना, विद्युत लाइनों से टकराकर मृत्यु और रात्रि के समय में प्रकाश में वृद्धि होना सम्मिलित है।
- कई माइग्रेटरी रैप्टर (प्रवासी शिकारी पक्षी) प्रवास के दौरान विशेष रूप से जोखिम में होते हैं क्योंकि वे एक बड़े झुण्ड का निर्माण करने हेतु एकत्रित होते हैं और अपने फ्लाईवे में विशाल झुंडों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उदाहरण के लिए, संकीर्ण स्थलीय पुलों या समुद्र क्रॉसिंग, जो कुछ खतरों के संभावित प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कार्य-योजना को **छह अंतर्संबंधित घटकों में संरचित किया गया** है-

प्रजाति संरक्षण	**पर्यावास संरक्षण और सतत प्रबंधन**	**क्षमता निर्माण**	**संचार और पहुँच**	**शोध और निगरानी**	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**
प्रवासी पक्षियों और उनकी आबादी की स्थिति से संबंधित अस्थायी पर्यावास (स्टॉप-ओवर) और शीतकालीन स्थलों की राष्ट्रीय सूची	प्राथमिक आर्द्रभूमियों का एकीकृत प्रबंधन	क्षेत्रवार क्षमता विकास	विभिन्न समुदायों को लक्षित कर उन तक वे सामग्रियां पहुंचाना जो अभी तक उनकी पहुच से बाहर थीं	मौजूदा दीर्घकालिक डेटासेट का विश्लेषण	भारत में CAF सचिवालय की स्थापना करना
संभावित खतरे की स्थिति के साथ सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान (SSAP) का निर्माण और क्रियान्वयन	भूमि उपयोग रिकॉर्ड में सीमाओं का निर्धारण, अधिसूचना और समावेशन	शिक्षा और जागरूकता साधनों, जनसंख्या/ पर्यावास संबंधी प्रशिक्षण साधनों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लक्षित प्रशिक्षण का विकास करना	एक 'छात्र राजदूत' नेटवर्क का सृजन करना	आबादी प्रवृत्तियों की निगरानी करना	प्रवासी पक्षियों के विस्तार क्षेत्र वाले देशों (range countries) के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन करना
शिकार किए जा रहे प्रवासी पक्षियों, उनके शिकार के मौसम और व्यापार प्रतिरूप की सूची निर्मित करना	पारिस्थितिकीय कार्यप्रणाली हेतु जल का आवंटन करना	रिंगिंग प्रोग्राम	पंचायती राज संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) द्वारा 'ज्ञान केन्द्रों', संरक्षक और प्रबंधक के रूप में कार्य किया जाना	आर्द्रभूमि पर्यावासों की सूची, आकलन और निगरानी	संयुक्त पहल
आवधिक रूप से रोगों की निगरानी करना	क्रॉस सेक्टोरल संस्थागत व्यवस्था	रोगों की निगरानी के लिए क्षमता और प्रोटोकॉल	राष्ट्रीय ग्रीन कोर को प्रोत्साहित करना	CAF पर राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण	
नागरिक विज्ञान समूहों सहित स्थानीय समुदाय सहभागिता के	PA योजनाओं में CAF प्रजातियों और पर्यावास	स्थानीय स्थलों के स्वामित्व और संरक्षण हेतु हितधारकों का	मीडिया के मध्य जागरूकता और आवधिक रूप से सूचनापत्र का	'डेटा-डिफिशिएन्ट' साइट्स (अपर्याप्त आंकड़ों वाले स्थल) से संबंधित नॉलेज	

VISION IAS

माध्यम से संरक्षण पहलें।	संरक्षण उद्देश्यों को एकीकृत करना	क्षमता निर्माण।	प्रकाशन	बेस में सुधार करते समय निर्णय-समर्थन प्रणाली के साथ प्रभावशीलता निगरानी प्रबंधन करना	

नोट: ये सामान्य आयाम हैं इनमें से कुछ बिन्दुओं को अन्य समान क्षेत्रों की चर्चा में भी सम्मिलित किया जा सकता है।

NAP का महत्व

- यह भारत (जो क्षेत्र फ्लाईवे की सीमा के भीतर है) में प्रवासी प्रजातियों की स्वस्थ आबादी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय प्राथमिकता और विशिष्ट कार्यवाही निर्धारित करता है।
- NAP **केंद्रीय एशियाई फ्लाईवे एक्शन प्लान** पर आधारित है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षी प्रजातियों और उनके आवासों की आबादी का प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्स्थापन और स्थायी रूप से प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग और सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु एक सामान्य रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है।
- **विभिन्न हितधारकों को सहयोग प्रदान करना:** यह कार्य योजना राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति तथा निर्णय निर्माताओं, प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावासों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी लोगों तथा प्रवासी पक्षियों की आबादी को सुरक्षित करने और उसमें वृद्धि करने हेतु समन्वित कार्यवाही करने वाले हितधारकों और समाज को सक्षम बनाएगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** NAP को कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल (CMS), विशेष रूप से जल-पक्षियों के पर्यावास के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन (रामसर), कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी (CBD) और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ़ एनडेंजर्ड स्पीशीज (CITES) के अंतर्गत प्रवासी पक्षियों एवं उनके पर्यावासों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु भी तैयार किया गया है।
- यह कार्य योजना प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावासों (जैसे- आर्द्रभूमि और वन) के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों (जैसे- जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि और अन्य), राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि **के मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं का संज्ञान भी लेती** है।

5.5. दूरसंचार सेवाओं को आपदाओं के प्रति अभेद्य बनाना

(Disaster Proofing of Telecommunications)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केरल की बाढ़ के दौरान दूरसंचार ऑपरेटरों, नीति निर्माताओं और आपदा प्रबंधन एजेंसियों द्वारा आपदा के पश्चात् होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु पर्याप्त तैयारी उपायों की व्यवस्था के अंतर्गत संचार सेवाओं में बड़े पैमाने पर विफलता देखी गई है।

संचार अवसंरचना विफलता के परिणाम:

- **आपातकालीन अनुक्रिया में अवरोध:** यदि अनुक्रिया एजेंसियां एक-दूसरे के साथ संवाद करने में असमर्थ हों तो आपदा के तत्काल बाद के घंटो में अनुक्रिया प्रयास असफल या विलंबित हो सकते हैं।
- **प्रभावी समन्वय और अधिक जटिल हो जाता है:** अति-महत्वपूर्ण कमांड संरचना का अभाव, दुर्घटना और कार्रवाई में विलम्ब कर सकता है। यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में सूचना साझाकरण और त्वरित निर्णय निर्माण को प्रभावित कर सकता है।
- हाल ही में उत्तराखंड, मुंबई और चेन्नई बाढ़ के दौरान यह देखा गया है कि बेहतर तरीके से डिजाइन की गयी संचार और सूचना अवसंरचना का अभाव **खतरे के संपर्क में आने वाले समुदायों की प्रत्यास्थता को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।**
- **गलत सूचना और भ्रम का प्रसार:** सूचना के एक संगठित प्रवाह के बिना, उस समय गलत सूचना और भय का प्रसार हो सकता है जब संगठन और प्राधिकरण बचाव अभियान को अतिशीघ्र और कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा निर्धारित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP):

- किसी भी आपदा के प्रभावों का सामना करने में सक्षम होने के लिए आपदा प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर **दूरसंचार उपकरण** स्थापित किए जाने चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलप्लावन की स्थिति से बचने के लिए एक्सचेंज / महत्वपूर्ण उपकरणों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **महत्वपूर्ण उपकरणों** को एक ही भवन में भी नहीं स्थापित किया जाना चाहिए, ज्ञात जोखिम वाले क्षेत्रों में **भूकंप-प्रतिरोधी टावर** और उपग्रह-आधारित प्रणाली (जो बैक-अप संचार और डेटा कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है) विकसित करने को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

VISION IAS

- रिडंडेंट माइक्रोवेव, हवाई या भूमिगत लिंक और स्विच जैसे अन्य **नेटवर्क घटकों** को वैकल्पिक स्थानों पर सुरक्षित किया जाना चाहिए। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्र में, उपग्रह कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- आदर्श **सघन यातायात प्रबंधन तकनीक** (जो तात्कालिक रूप से आवश्यक और विलम्ब-सहनशील सेवाओं को पृथक करती है) तत्काल सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है, जबकि विलम्ब सहन कर सकने वाली सेवाओं को कुछ समय के लिए किसी अस्थायी सुविधा केंद्र की ओर प्रेषित किया जा सकता है।
- दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs) को अपनी दूरसंचार अवसंरचना की **सुभेद्यता की पहचान** करनी चाहिए और तदनुसार आपातकालीन स्थितियों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। नेटवर्क घटक, जेन-सेट / बैटरी और ईंधन आदि के संबंध में **पर्याप्त बैकअप के प्रावधान** मामूली उपकरण क्षति के कारण होने वाली बड़ी विफलताओं को रोक सकते हैं। सभी सुभेद्य/महत्वपूर्ण स्थलों पर कम विद्युत का उपभोग करने वाले उपकरणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **राहत कार्यों में लगे नामित उपयोगकर्ताओं** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब भी मोबाइल नेटवर्क में वॉयस कॉलिंग में अतिसंकुलता (congestion) हो, तब SMS या इंटरनेट मीडिया जैसे **संचार के वैकल्पिक तरीके** का उपयोग करने के लिए जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है।
- TSPs केंद्रीय स्तर पर और प्रत्येक दूरसंचार सर्कल स्तर पर **मुख्य और वैकल्पिक नोडल अधिकारी की पहचान** करेंगे और आपदा प्रबंधन से संबंधित समन्वय के लिए अपने पूर्ण संपर्क विवरण को प्रचारित करेंगे।
- TSPs के पास राज्य स्तर पर **डिजास्टर रिस्पांस टास्क फोर्स (DRTF)** और **रैपिड डैमेज असेसमेंट टीम (RDAT)** उपलब्ध होगी। तत्काल आपातकालीन संचार प्रदान करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए DRTF टीम उत्तरदायी होगी, जबकि RDAT सटीक प्रकृति और क्षति की सीमा निर्धारित करने के लिए कार्य करेगी ताकि दूरसंचार सेवाओं की बहाली की योजना कुशल और प्रभावी तरीके से पूर्ण की जा सके।
- **आपातकाल और आपदा स्थितियों में दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए TSPs के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए।** TSPs द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए विशेष संसाधनों और इंट्रा-सर्कल रोमिंग साझा करने के लिए पारस्परिक रूप से समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया जा सकता है।
- डेटा सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए **भौगोलिक रूप से विस्तारित सर्वर** और **क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म** का उपयोग किया जाना चाहिए।
- स्थलीय नेटवर्क के क्षतिग्रस्त होने पर आपदा की स्थिति में **मोबाइल बेस स्टेशन और बैकपैक डिवाइस** प्रदान करना ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

आपदा के दौरान संचार अवसंरचना किस प्रकार विफल हो जाती है?

- **उपकरणों या घटकों की भौतिक क्षति:** चक्रवात, बाढ़ का जल और भूकंपीय गतिविधियाँ भौतिक अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं जिससे संचार उपकरणों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। ये उपकरण अविश्वसनीय रूप से महंगे हैं और इनको पुनर्स्थापित करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि संचार व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए इनके रख-रखाव अथवा कभी-कभी जटिल नेटवर्क हार्डवेयर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।
- **वायरलेस सिस्टम को नुकसान:** क्योंकि विभिन्न तरंगदैर्ध्य संकेतों का अत्यधिक वर्षा, बर्फ या धुंध के प्रभाव से संपर्क समाप्त हो सकता है। ट्रांसमीटर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं अथवा इसके रिसीवर के साथ संरेखण समाप्त हो सकता है।
- **नेटवर्क संकुलता:** आपदाओं के दौरान, संचार नेटवर्क प्रायः डेटा ट्रैफिक के अत्यधिक उच्च स्तर के कारण संकुलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संचार गंभीर रूप से सीमित या पूर्णतः समाप्त हो सकता है, और महत्वपूर्ण संदेश प्रायः नष्ट हो जाते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- नई डिजिटल दूरसंचार नीति में नेटवर्क तैयारी, आपदा अनुक्रिया राहत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने के संबंध में भी चर्चा की गयी है।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (NDCN) के बारे में

- NDCN मौजूदा संचार नेटवर्क [जिसमें NICNET, SWANs, POLNET, DMNET (ISRO) शामिल हैं] का लाभ उठाकर बनाए गए नेटवर्कों का एक नेटवर्क होगा, जो वर्तमान संचार नेटवर्क को राष्ट्रीय (NEOC), राज्य (SEOCs) और जिला (DEOCs) स्तर पर विभिन्न आपदा संचालन केंद्रों (EOCs) से जोड़ेगा।

VISION IAS

आगे की राह

- आपदा के सभी चरणों के दौरान प्रभावित समुदाय को **अंतिम-बिंदु तक कनेक्टिविटी** पर विशेष बल देने के साथ एक विश्वसनीय, समर्पित और नवीनतम तकनीक आधारित **राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (NDCN)** की स्थापना के माध्यम से डेटा के साथ वैल्यू एडेड सूचना सही लोगों को सही समय पर प्रेषित की जानी चाहिए।
- आपदा के दौरान संचार विफलता के जोखिम को कम करने के लिए **नेटवर्क पाथ डायवर्सिटी (Network path diversity)** सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियों में से एक है। इसे दो या दो से अधिक नेटवर्क कनेक्शन (जो या तो एक अलग प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं या एक अलग भौतिक पथ का पालन करते हैं) स्थापित करके पूरा किया जाता है, जिससे दोनों कनेक्शनों के एकसाथ ध्वस्त होने की संभावना को न्यून किया जा सकेगा।
- चूंकि आपदा परिदृश्य में नेटवर्क कनेक्शन सदैव संरक्षित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए घटना के तुरंत बाद के घंटों में संचार व्यवस्था को बनाए रखने और / या बहाल करने के लिए एक और प्रभावी तरीका एक या अधिक **अस्थायी नेटवर्क लिंक** स्थापित करना है।
- भविष्य में विविध खतरों से निपटने हेतु अवसंरचना क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और रिकवरी के संबंध में **"बिल्ड बैक बेटर"** सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

5.6. भूस्खलन चेतावनी प्रणाली

(Landslide Warning System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पूर्वोत्तर हिमालय के सिक्किम-दार्जिलिंग क्षेत्र में एक **वास्तविक समय (रियल टाइम) आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली** की स्थापना की गई है।

पृष्ठभूमि

- **ग्लोबल फैटल लैंडस्लाइड डाटाबेस (Global Fatal Landslide Database: GFLD)** के अनुसार, एशिया महाद्वीप को सर्वाधिक प्रभावित माना गया है जहां 75% (भारत में 20%) भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई हैं। ये घटनाएं मुख्य रूप से हिमालयी चाप के साथ संलग्न क्षेत्र में घटित हुई हैं।
- भूस्खलन से संबंधित वैश्विक डेटाबेस के अनुसार, विश्व के शीर्ष दो **भूस्खलन हॉट स्पॉट भारत में विद्यमान हैं**: हिमालयी चाप की दक्षिणी सीमा और दक्षिण-पश्चिम भारत का तट जहां पश्चिमी घाट अवस्थित है।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** के अनुसार, भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग 12.6% भूस्खलन-प्रवण संकटग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- **सिक्किम की सुभेद्यता:** यह 4,895 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जिसमें से 3,638 वर्ग किमी क्षेत्र मानव जनसंख्या, सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं से घिरा हुआ है।

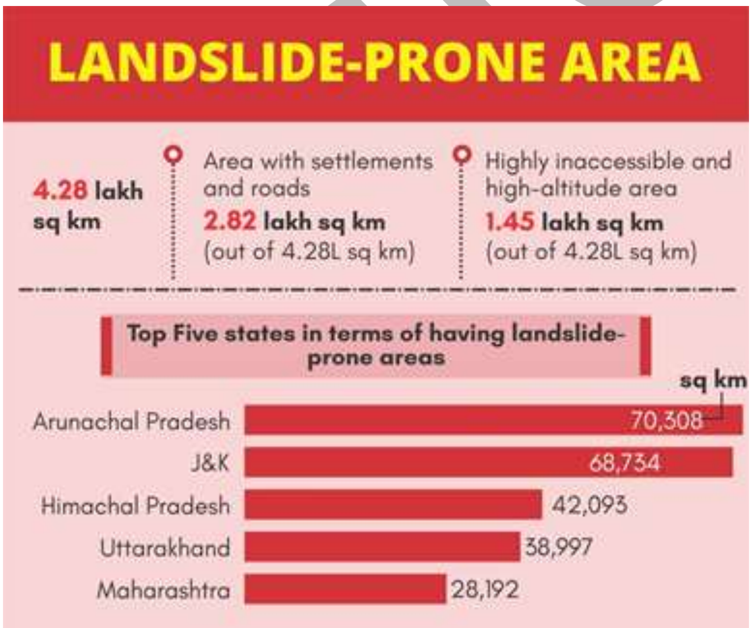

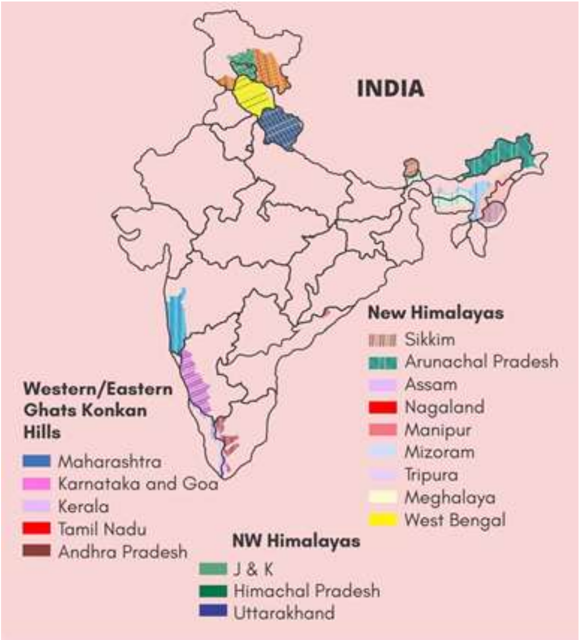

चेतावनी प्रणाली के बारे में

- इसके माध्यम से 24 घंटे पूर्व अग्रिम चेतावनी जारी की जा सकेगी, परिणामस्वरूप **संपत्ति की क्षति को सीमित करने और लोगों की सुरक्षा** करने में सहायता मिलेगी।

VISION IAS

- चेतावनी प्रणाली में **200 से अधिक सेंसर** हैं जो भूगर्भीय और हाइड्रोलॉजिकल मानदंडों जैसे- वर्षा, पोर प्रेशर (मृदा में स्थित जल का दाब) और भूकंपीय गतिविधियों का मापन कर सकते हैं।
- इसे सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से केरल स्थित अमृता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे आंशिक रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
- इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में **केरल के मुन्नार जिले** में एक भूस्खलन चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जा चुकी है।

भूस्खलन के बारे में

- **परिभाषा:** गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टानी मलबे एवं भू-सतह जैसे ढलान पर स्थित पदार्थों का नीचे तथा बाहर की ओर संचलन भूस्खलन कहलाता है।
- **प्रमुख कारण:** भूस्खलन की घटनाएँ मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं जैसे भूकंपीय कंपन और दीर्घकालिक वर्षा या सीपेज के कारण मृदा परतों के मध्य जल का दाब। हाल के दशकों में, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन कारणों में ढलानों पर स्थित वनस्पति की कटाई, प्राकृतिक जल निकासी में अवरोध, जल या सीवर लाइनों में रिसाव तथा सड़क, रेल, भवन निर्माण के माध्यम से ढलानों को परिवर्तित करना आदि शामिल हैं।
- भारत में **मानव-प्रेरित घातक भूस्खलनों की संख्या में** तीव्रता से वृद्धि हो रही हैं।
  उल्लेखनीय है कि 2004-2016 के दौरान 28% निर्माण-प्रेरित भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई थीं, इसके पश्चात् चीन (9%), पाकिस्तान (6%), फिलीपींस (5%), नेपाल (5%) और मलेशिया (5%) का स्थान है।
- **मौसम-प्रेरित भूस्खलन:** उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्मकाल के दौरान भूस्खलन की घटनाएँ उस समय अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जब एशिया के कुछ हिस्सों में चक्रवात, तूफान और टाइफून की अधिकता होती है और मानसूनी मौसम के कारण भारी वर्षा होती है।
- **अवैध खनन:** पहाड़ों को काटने के कारण होने वाले भूस्खलन ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख समस्या हैं, जहां लोग घरों के निर्माण के लिए अवैध रूप से पहाड़ी ढलानों पर स्थित सामग्री को एकत्रित करते हैं। घातक भूस्खलन सामान्यतः सड़कों और बहुमूल्य संसाधनों से समृद्ध स्थलों के निकट स्थित बसावटों में अधिक घटित होते हैं।
- **भूकंप-प्रेरित भूस्खलन:** भूस्खलन-प्रवण हिमालयी क्षेत्र, अत्यधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्र भी है जहां संशोधित मर्केली मान के अनुसार VIII से IX तक की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और इस प्रकार यह क्षेत्र भूकंप-प्रेरित भूस्खलन के लिए भी प्रवण बन जाता है।
- **फ्लैश फ्लड की परिघटना:** भूस्खलन के कारण कृत्रिम झीलों का निर्माण हो जाता है, जो प्रभावित क्षेत्र में फ्लैश फ्लड (अकस्मात् आने वाली बाढ़) को प्रेरित कर सकता है।
- **आर्थिक लागत:** पृथ्वी पर भूस्खलन तीसरी सर्वाधिक घातक प्राकृतिक आपदा है, जहां भूस्खलन आपदा प्रबंधन पर प्रतिवर्ष लगभग 400 अरब डॉलर का व्यय किया जा रहा है। भूकंप-प्रेरित भूस्खलन के कारण हिमालय में लगभग 70 जल विद्युत परियोजनाएं खतरे में हैं।

भूस्खलन और हिमस्खलन (Snow Avalanches) के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश

- देश को प्रभावित करने वाली **भूस्खलन घटनाओं से संबंधित सूची तैयार करना और उसे निरंतर अद्यतन करना।**
- सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के परामर्श से क्षेत्रों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात् सूक्ष्म और वृहत स्तर पर **भूस्खलन खतरे की क्षेत्रीय मैपिंग करना।**
- भूस्खलनों की नियमितता और जोखिम अनुमान का आकलन करने हेतु चयनित भूस्खलनों के **विस्तृत अध्ययन और निगरानी के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।**
- **ढलानों के स्थिरीकरण के लिए गति अवरोधकों (pacesetter) की स्थापना करना** तथा जोखिम मूल्यांकन और लागत-लाभ अनुपात के आधार पर पूर्व चेतावनी प्रणाली की भी स्थापना करना।
- प्रमुख भूस्खलनों और योजना क्रियान्वयन उपायों का **पूर्ण रूप से स्थल विशिष्ट अध्ययन करना** और इन उपायों को जारी रखने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न हितधारकों के मध्य भूस्खलन के खतरे के संबंध में जागरूकता के सृजन और इससे निपटने की तैयारी हेतु **संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।**
- **भूस्खलन संबंधी शिक्षा एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना,** तथा भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की **क्षमता का विकास करना।**
- अनुक्रिया तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए **क्षमता विकास और प्रशिक्षण।**
- भूस्खलन अध्ययन पर **नई संहिता और दिशा-निर्देशों का विकास करना** तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करना।
- भूस्खलन शोध, अध्ययन और प्रबंधन के लिए **एक स्वायत्त राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना।**

VISION IAS

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India: GSI)

- GSI भूस्खलन डेटा संग्रह और भूस्खलन अध्ययन के लिए भारत सरकार की एक "नोडल एजेंसी" है तथा इसके द्वारा सभी प्रकार के भूस्खलनों और ढाल स्थिरता संबंधी शोध कार्य किया जाता है।
- यह **खान मंत्रालय** के तहत कार्यरत है।

नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग (NLSM), 2014

- GSI द्वारा 2018 के अंत तक लगभग 1.71 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने वाले **भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों (Landslide Susceptibility Maps)** के निर्माण को संपन्न करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- इस परियोजना द्वारा भारत के सभी भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का समेकित भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र और भूस्खलन इन्वेंटरी मानचित्र प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन समूहों के वास्तुकारों तथा भावी योजनाकारों द्वारा किया जा सकता है।

NDMA द्वारा एक **नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (NLRMP)** चलाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत मिजोरम में एक भूस्खलन स्थल का चयन किया गया है।

भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (International Programme on Landslides: IPL)

- IPL का उद्देश्य भूस्खलन जोखिम शमन पर विशेष रूप से विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और क्षमता निर्माण करना है। समाज और पर्यावरण के लाभ के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जाएगा। IPL की गतिविधियों द्वारा **आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (ISDR)** में योगदान दिया जाएगा।

5.7 हिमनद झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़

(Glacial Lakes Outburst Floods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सिक्किम में आपदा प्रबंधक और वैज्ञानिक **ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) को रोकने के लिए** झील से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल रहे हैं।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में **ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड** (GLOF) चिंता का विषय हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने के कारण कई झीले निर्मित हो गई हैं।
- इस प्रकार की झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आपदा को रोकने के क्रम में, साउथ ल्होनाक झील में एक परियोजना आरम्भ की गई थी, जिसके अंतर्गत उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (HDPE) पाइप्स को हिमनद झील से जल को बाहर निकालने के लिए लगाया गया।
- पाइपों को अत्यधिक ऊंचाई पर परिवहन करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाइप और अन्य सामग्रियों को 17,000 फीट पर स्थित झील तक ले जाने के लिए याक्स का उपयोग किया जाता है। झील तक पहुँचने का रास्ता तीव्र ढलान और संकीर्ण मार्गों से भरा हुआ है।
- सिक्किम ने साउथ ल्होनाक झील में एक **झील निगरानी एवं सूचना प्रणाली** स्थापित की है। यहाँ पर स्थापित किया गया सेंसर झील के जल स्तर के बारे में सूचना देता है और जल के स्तर में अकस्मात् होने वाले उतार-चढ़ाव पर नज़र रखता है

ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) क्या है?

- हिमनद झीलों के टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है।
- हिमोढ़ दीवार एक प्राकृतिक बाँध के रूप में कार्य करती है। यह ग्लेशियर से पिघले हुए जल को रोकने और एक हिमनद झील के निर्माण का कार्य करती है।
- ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप ग्लेशियरों के पीछे की ओर खिसकने के फलस्वरूप ग्लेशियर झीलों की संख्या में वृद्धि के साथ ही अन्य विद्यमान झीलों के आकार में भी वृद्धि होगी।
- ऐसे हिमोढ़ अवरोध वाली हिमनद झीलें और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) भूटान, तिब्बत (चीन), भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में चिंता के विषय हैं।

- हिमालयी राज्य यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर संभावित रूप से 200 खतरनाक हिमनद निर्मित झीलों से घिरे हुए हैं किन्तु अभी भी इन झीलों (जिनके किनारे मलबों वाली पतली दीवारों एवं ढीली मृदा से गठित हैं) में दरार आने पर लोगों को वहां से निकालने के लिए किसी भी पूर्व चेतावनी प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, यदि मलबे के जमाव में वृद्धि होने पर और अधिक हिमनद झीलें निर्मित होती हैं, और यदि इन संचयी ग्लेशियरों के क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन (कालिख) का परिवहन करके लाया जाता है, तो यह प्रक्रिया और प्रभावित हो सकती है।

GLOFs को सक्रिय करने वाले कारक

- **ढलानों का** झील में **खिसकना** और बांध में जमी बर्फ का पिघलना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ग्लेशियरों के आकार के कम होने से सम्बंधित है जिसमें मानवजनित कारकों से और भी वृद्धि हुई है।
- **ग्लोबल वार्मिंग** के कारण हिमनदों के आकार में कमी, ग्लेशियर झीलों की संख्या में वृद्धि करती है और अन्य मौजूद झीलों के आकार को भी बढ़ाती है।
- विकिरण संतुलन - मानव गतिविधियों के कारण हाल के वर्षों में पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा वापस की गई ऊर्जा में व्याप्त संतुलन में परिवर्तन हुआ है। यह असंतुलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने तथा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटनाओं के रूप में लगातार सामने आता है।
- हाल के वर्षों में, तेजी से अनियमित और अप्रत्याशित मानसून वर्षा प्रतिरूप और जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि ने गंभीर रूप से और निरंतर बाढ़ आपदाओं को जन्म दिया है।
- योगदान देने वाली मानवीय गतिविधियों में सामूहिक पर्यटन शामिल है; सड़कों और जल विद्युत परियोजनाओं जैसे विकास संबंधी हस्तक्षेप; और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में स्थानान्तरण कृषि या झूम कृषि (slash and burn) को अपनाया जाना।
- एल्बीडो प्रभाव के कारण पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघलाने में ब्लैक कार्बन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अन्य कारक जैसे- कास्केडिंग प्रक्रियाएं (जैसे- नदी के ऊपरी प्रवाह में अवस्थित झील से बाढ़), भूकंप, बांध में जमी / बांध निर्मित करने वाली बर्फ का पिघलना, उपसतही बहिर्प्रवाह सुरंगों/ नहरों में अवरोध तथा लम्बे समय तक बांध का निम्नीकरण भी GLOFs को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रभाव

- **प्रलयकारी सामाजिक प्रभाव :** अचानक और तीव्र बाढ़ जो कि आस-पास के समुदायों के लिए विनाशकारी हो सकती है। घातक GLOFs को एंडीज और हिंदुकुश-हिमालय क्षेत्रों में देखा गया है।
- **महासागरीय परिसंचरण पर प्रभाव :** प्रमुख रूप से बर्फ से घिरी झीलों से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के परिणामस्वरूप सागरों में होने वाला प्रवाह लवणता के स्तर में कमी करके परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन करेगा और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करेगा।
- **भूआकृति पर प्रभाव :** GLOFs के पास क्षरण-संचयन अंतःक्रिया और तलछट के प्रवाह को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है जैसे कि तटों का एवं धाराओं/नदी चैनल का गहराई में अपरदन, विसर्पण का स्थानान्तरण और, कुछ मामलों में, मौजूदा चैनलों की जगह नये चैनलों का निर्माण या अपरदित सीढ़ीनुमा आकृतियों का निर्माण।

उपाय

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तक पहुंच और समय पर जानकारी** बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुक्रियात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **हिमालय के हिमनदों की गतिशीलता को समझने के लिए निरंतर निगरानी की** आवश्यकता है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) कई अन्य संगठनों की भाँति भारतीय नदी बेसिन के हिमालयी क्षेत्र में जल निकायों समेत **हिमनद झील निगरानी** में संलग्न है।
- जोखिम युक्त झीलों की पहचान करने के लिए, **सुदूर संवेदी डेटा-आधारित प्रणालियों** को स्थापित किया जा सकता है।
- बाढ़ की तीव्रता में कमी या रोकथाम, जैसे कृत्रिम बांध, सुरंग, खुला निकास, कंक्रीट बहिर्वाह, बाढ़ रोधी दीवारें।
- शमन उपाय महत्वपूर्ण हैं, इसके अंतर्गत **सामुदायिक तैयारियां, GLOFs जोखिम का मानचित्रण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम वाले क्षेत्रों का सीमांकन, सुरक्षित निकासी वाली GLOFs साइटों की पहचान, समुदाय आधारित वैकल्पिक पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास तथा सुभेद्य समुदायों की पहचान इत्यादि** आते हैं।
- आपदा के बाद होने वाले नुकसान में कमी और आकलन करने के लिए आपदा डेटाबेस स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन और विकास क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन संबंधी संभावित प्रभावों का पता लगाया जा सकता है।

VISION IAS

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. फूड फोर्टिफिकेशन

(Food Fortification)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

पृष्ठभूमि

- **भारत में लगभग 70% लोग** सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुशंसित आहार मान (Recommended Dietary Allowance: RDA) **के आधे से भी कम का उपभोग करते हैं।** सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को **"प्रच्छन्न भूख (Hidden Hunger)"** भी कहा जाता है।
- **खुले बाजार** तथा ICDS, MDMS, PDS इत्यादि जैसी **सरकारी योजनाओं** के माध्यम से फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पोषण रणनीति (कुपोषण मुक्त भारत) में, फूड फोर्टिफिकेशन पर अत्यधिक बल दिया गया है।
- FSSAI ने फोर्टिफिकेशन के लिये मानक भी निर्धारित किए हैं:
  - गेहूँ-आटा-चावल (आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ)
  - दूध और खाद्य तेल (विटामिन A और D के साथ)
  - डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडीन और आयरन के साथ)।
- इसके द्वारा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए **+F लोगो** की शुरुआत की गयी है।
- इसके द्वारा संपूर्ण भारत में वृहद् स्तर पर फूड फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित करने हेतु **फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्सेज़ सेंटर (FFRC)** की स्थापना की गई है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम, 2018

- इसके द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादों के फोर्टिफिकेशन के लिए **मानकों** का निर्धारण किया गया है। जैसे कि सभी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित न्यूनतम मापदंडों को पूर्ण करना चाहिए।
- **गुणवत्ता आश्वासन:**
  - फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के प्रत्येक विनिर्माता और पैकिंग करने वाले गुणवत्ता आश्वासन पर सहमति प्रदान करेंगे।
  - फोर्टिफिकैंट्स और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ का आकस्मिक परीक्षण
- फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर **फोर्टिफिकैंट का नाम** और इसे सूचित करने हेतु **लोगो** होगा।
- FSSAI फोर्टिफाइड फूड के **उत्पादन, निर्माण, वितरण, विक्रय और उपभोग को प्रोत्साहित** करने हेतु कदम उठाएगी।

कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

- 1920 के दशक में स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में **नमक आयोडीकरण** आरंभ किया गया था और तब से संपूर्ण विश्व में इसका प्रगतिशील विस्तार हुआ है।
- **वेनेजुएला** में, गेहूँ और मक्के के आटे को आयरन से फोर्टिफाइड किया गया है, इससे आयरन की अल्पता के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **मोरक्को** में, डबल फोर्टिफाइड नमक के फोर्टिफिकेशन ने एनीमिया को दूर करने में बेहतर परिणाम प्रदर्शित किए हैं।

फूड फोर्टिफिकेशन क्या है?

- फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में **एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि** से है जिससे इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।
- इसके माध्यम से केवल एक सूक्ष्म पोषक तत्व के संकेन्द्रण में वृद्धि हो सकती है (उदाहरण के लिए नमक का आयोडीकरण) अथवा खाद्य-सूक्ष्म पोषक तत्वों के संयोजन की एक पूरी श्रृंखला हो सकती है।
- फूड फोर्टिफिकेशन एक **"पूरक रणनीति"** है एवं यह कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए संतुलित और विविधतापूर्ण आहार का प्रतिस्थापन नहीं है।

VISION IAS

फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ

- **स्वास्थ्य संबंधी लाभ:**
    - सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले एनीमिया, गोइटर, जीरोफ्थैल्मिया आदि जैसे भारत में प्रचलित रोगों का उन्मूलन। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 50% महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
    - विटामिन D की कमी (भारत की जनसंख्या के 70% से अधिक में व्याप्त) से निपटने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन को एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
    - यह संक्रामक रोगों से मृत्यु के खतरे को कम करता है।
- **व्यापक जनसंख्या कवरेज:** चूंकि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में जोड़ा जाता है, अतः इसके माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार संभव है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य:** इसके लिए लक्षित जनसंख्या की खाद्य आदतों और पैटर्न में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
- **लागत प्रभावी:**
    - कोपेनहेगन कंसेंसस का अनुमान है कि फोर्टिफिकेशन पर खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपये से अर्थव्यवस्था को 9 रुपये का लाभ होता है।
    - फूड फोर्टिफिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी सरल और कार्यान्वित करने में आसान है।
- **खाद्य सुरक्षा के अनुपूरक के रूप में:** खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पोषण सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है।

चुनौतियां

- **स्वैच्छिक प्रकृति:** राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड बनाने के सीमित प्रयासों के कारण फोर्टिफिकेशन अनिवार्य होने के स्थान पर **निरंतर स्वैच्छिक** बना हुआ है।
- **राज्यों द्वारा अकुशल कार्यान्वयन:** हालांकि कुछ राज्यों ने ICDS, MDMS और PDS में फोर्टिफिकेशन को अपनाया है, परन्तु कुछ निश्चित नीतिगत दिशानिर्देशों, बजटीय बाध्यताओं, तकनीकी ज्ञान और लॉजिस्टिक समर्थन के अभाव के कारण राज्यों ने समग्र रूप से फोर्टिफिकेशन को नहीं अपनाया है।
- **FSSAI की अकुशलता:** इसके पास अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों और जनशक्ति का अभाव है।
- **जागरूकता का अभाव:** वर्तमान में, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उपयोग और लाभों के संबंध में अत्यधिक गलत-सूचना और अनभिज्ञता व्याप्त है।

आगे की राह

- **राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन:** सरकारी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफिकेशन के अखिल-भारतीय कार्यान्वयन से प्रतिवर्ष आवंटित कुल बजट में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- **राज्यों के लिए समर्थन:** भारत सरकार द्वारा केवल आदेश और अधिसूचनाएं जारी करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकारों को अत्यधिक समर्थन की आवश्यकता होती है तथा उन्हें फोर्टिफिकेशन के लाभ के बारे में संवेदनशील होना चाहिए और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड स्टेपल्स की खरीद के लिए सक्षम होना चाहिए।
- **मानकों को सुनिश्चित करना:** वृहद पोषक पदार्थों एवं गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकों के अनुपालन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- **जागरूकता:** खुले बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा मांग में वृद्धि हेतु फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन:** यह प्रमुख भोजन (staple food) के पोषण संबंधी मूल्य में सुधार करने हेतु एक दीर्घकालिक कदम है।

6.2. निश्चित खुराक संयोजन (FDCs)

(Fixed Dose Combinations: FDCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 328 निश्चित खुराक संयोजनों (फिक्स्ड डोज कांबिनेशंस: FDCs) के बिक्री के लिए उत्पादन, मानव उपयोग के उद्देश्य से बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा 6 FDCs के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण को भी कुछ शर्तों के अधीन प्रतिबंधित कर दिया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- 2016 में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 349 FDCs पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा **चंद्रकांत कोटक समिति (2015)** के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यह दावा किया था कि वे उपभोग के लिए **"असुरक्षित" और "अतार्किक"** थे। हालांकि, प्रभावित निर्माताओं द्वारा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को चुनौती दी गई।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 344 फिक्स्ड डोज कांबिनेशन (FDCs) दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और चिकित्सकीय औचित्य की समीक्षा करने हेतु **नीलिमा शिरसागर समिति** का गठन किया। समिति ने प्रतिबंध जारी रखने की अनुशंसा के साथ कुछ अन्य अवलोकन भी प्रस्तुत किए, जैसे कि:
    - FDCs को उचित उद्यम के बिना तैयार किया गया था, जिसमें खुराक संबंधी विसंगतियां थीं जिसके परिणामस्वरूप विषाक्तता उत्पन्न हो सकती थी।
    - फार्मा कंपनियां जिनके उत्पादों की जांच की जा रही थी, उनके द्वारा **"अप्रासंगिक" डेटा** प्रदान किए गए, जो पक्षपातपूर्ण अध्ययनों पर निर्भर थे और लगभग 95% FDC सुरक्षा, उपयुक्तता और सुसंगतता सिद्धकरने में असफल रहे।
    - विशेषज्ञों का मानना है कि कांबिनेशन ड्रग्स असुरक्षित हैं क्योंकि अनभिज्ञ चिकित्सक गलत खुराक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो मानव शरीर को उपचार के लिए प्रतिरोधी बना सकता है।
    - पिछले कुछ वर्षों में, भारत ऐसे **अतार्किक FDCs के लिए "डंपिंग ग्राउंड"** बन गया है जो उपभोग के लिए अन्य देशों में अनुमोदित नहीं है।
- DTAB ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि 328 FDCs में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और इन FDCs से मानव स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है।
- इन प्रतिबंधित दवाओं का लगभग 20-22 अरब रुपये का बाजार होने का अनुमान है और यह देश के शीर्ष दवा निर्माताओं को प्रभावित करेगा।

भारत में औषधि प्रशासन (Drug regime in India)

- दवाओं को **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945** द्वारा विनियमित किया जाता है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत **केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन** (CDSCO) नई दवाओं के विनिर्माण और आयात की स्वीकृति प्रदान करता है।
- राज्य औषध प्राधिकरण दवाओं के विपणन हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकरण हैं।
- **औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB):** यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी मामलों पर सर्वोच्च सांविधिक निर्णय-निर्माणकारी निकाय है। इसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार किया गया है।

FDC के बारे में

- एक FDC एकल खुराक में ही दो या दो से अधिक चिकित्सीय दवाओं का एक मिश्रण है। भारत में विभिन्न कफ सिरप, दर्दनिवारक और चर्म रोग संबंधी दवाएं FDCs हैं।
- **लाभ:** ये एकल इकाई सामग्री की तुलना में विशिष्ट लाभ, जैसे वर्धित प्रभावकारिता, और/या प्रतिकूल प्रभावों की घटनाओं में कमी, संभवतः कम लागत और सीमित संसाधनों की परिस्थितियों में प्रासंगिक वितरण के लिए सरल लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं।
- **उपभोक्ता के लिए सस्ता:** रोगी विभिन्न रोगों के लक्षणों के उपचार के लिए केवल एक FDC दवा खरीद सकता है।
- **व्यवसाय के लिए लाभकारी:** फार्मा कंपनियों के लिए, नई दवाओं की खोज के मुकाबले नए उत्पादों के उत्पादन में मौजूदा सक्रिय सामग्रियों के संयोजन के लिए FDC सस्ते और आसान है। ये मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के दायरे में भी शामिल नहीं हैं।
- ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (AIDAN) के अनुसार, भारत में असुरक्षित, संदिग्ध FDCs का बाजार 1.3 ट्रिलियन मूल्य के कुल फार्मा बाजार का कम से कम एक-चौथाई हिस्सा है।

6.3 हाइड्रोजन-सीएनजी

(Hydrogen-CNG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019 में दिल्ली **हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी (HCNG) ईंधन चालित बसों को आरंभ करने वाला भारत का पहला शहर** बन जाएगा।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- यह निर्णय हाइड्रोजन संचालित लागत प्रभावी और शून्य उत्सर्जन वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के संचालन को प्रारंभ करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मोटर वाहन ईंधन के रूप में H-CNG संबंधी नीति आयोग के एक प्रस्ताव के बाद एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी।
- प्रौद्योगिकी के साथ-साथ इसकी अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने में सहायता करने के क्रम में, सरकार ने 50 HCNG - ईंधन चालित बसों को आरंभ करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ करार किया है।
- बसों के प्रदर्शन के साथ-साथ उत्सर्जन में कमी का परीक्षण प्रत्येक बस में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में 18 से 20 प्रतिशत हाइड्रोजन मिश्रित करके किया जाएगा।

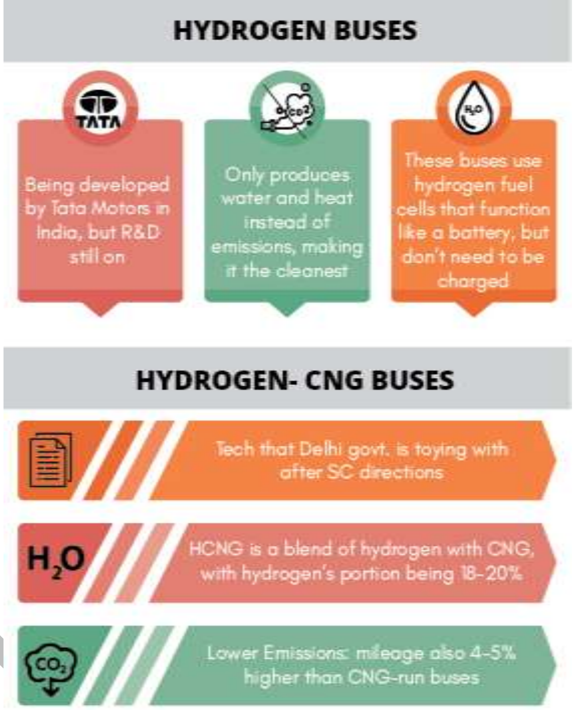

HCNG क्या है?

- HCNG एक वाहन ईंधन है जो **संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) और हाइड्रोजन का मिश्रण** है, आमतौर पर इसमें कुल आयतन का 8-50% भाग हाइड्रोजन होती है।
- मौजूदा प्राकृतिक गैस इंजनों का उपयोग HCNG के साथ किया जा सकता है, हालांकि उच्च हाइड्रोजन मिश्रणों के इष्टतम प्रदर्शन के लिए इंजनों के पुन: समंजन (re-tuning) की आवश्यकता होती है। अध्ययनों से पता चलता है, कि प्रदर्शन और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आयतन के 20-30% भाग हाइड्रोजन वाला HCNG मिश्रण इष्टतम है।

संबंधित जानकारी

- इससे पूर्व 2002 में, दिल्ली में प्रदूषण की खराब स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) बसों की शुरुआत की थी।
- इसके अतिरिक्त, पूरे देश में भारत स्टेज उत्सर्जन मानदंडों का पालन करके प्रदूषण से निपटना अपेक्षित है। हाल ही में, दिल्ली अल्ट्रा-क्लीन भारत स्टेज (BS) VI ग्रेड ईंधन (पेट्रोल और डीजल दोनों) की आपूर्ति करने वाला देश का **पहला शहर** बन गया।

HCNG के लाभ

- **किसी प्रकार के रेट्रोफिटमेंट की आवश्यकता नहीं -** इसे इंजन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है जिससे यह सरकारों और एजेंसियों को कम लागत पर अधिक लोगों को हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।
    - यह मौजूदा CNG अवसंरचना के साथ प्रयोग योग्य है। इसके लिए केवल प्राकृतिक हाइड्रोजन के छोटे भंडार और प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए एक स्तंभ (column) की आवश्यकता होती है। सुरक्षा संबंधी विशेषताएं CNG के समान हैं।
- **निम्न प्रदूषक उत्सर्जन -** अभी तक किए गए वैश्विक HCNG परीक्षणों ने पारंपरिक CNG की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड (NOx), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (लगभग 70%) और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन (लगभग 15%) जैसे वाहन उत्सर्जनों को कम करने की ईंधन की क्षमता का प्रदर्शन किया है।
    - प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण इंजन के **अदहित हाइड्रोकार्बन को कम** कर सकता है और दहन प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है।
- **ईंधन बचत में सुधार -** यह इंजन दक्षता में सुधार करता है, CNG बस की तुलना में ईंधन की खपत को 5 प्रतिशत तक कम करता है।

प्राकृतिक गैस और HCNG दोनों की ऊष्मीय दक्षता भार में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, जो इसे उच्च लोड अनुप्रयोगों और हेवी-ड्यूटी वाहनों के लिए आदर्श ईंधन बनाती है।

चुनौतियां

- **इष्टतम हाइड्रोजन/संपीड़ित प्राकृतिक गैस अनुपात का निर्धारण करना-** यदि हाइड्रोजन के अनुपात में एक निश्चित सीमा से ऊपर वृद्धि होती है, तो इसके परिणामस्वरूप असामान्य दहन जैसे प्री-इग्निशन, नॉक और बैकफायर हो सकता है।

VISION

- **सुरक्षित आधारभूत संरचना सुनिश्चित करना-** नए ईंधन के व्यापक प्रसार के लिए सम्भवतः सबसे स्पष्ट चुनौती वर्तमान में संबंधित अवसंरचना का अभाव है। अन्य गैसीय ईंधन के समान, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन दोनों वायु की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए यदि कोई रिसाव होता है तो यह पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ तीव्रता से वायु में प्रसारित हो जाएगा।
- **लागत और निरंतर उपलब्धता-** हाइड्रोजन की लागत प्राकृतिक गैस की लागत से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप HCNG, CNG की तुलना में महंगा है। इसके अतिरिक्त, IC इंजनों में इसके उपयोग को प्रमुखता से आरंभ करने से पूर्व HCNG की निरंतर उपलब्धता का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
    - उपभोक्ताओं और निर्माताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए विभिन्न इंजन प्रकारों और आकारों में **निरंतर इंजन प्रदर्शन**, उत्सर्जन और स्थायित्व परीक्षण विकसित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान में अधिकांश वाहन डीजल या पेट्रोल संचालित हैं जिससे प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। बढ़ते प्रदूषण स्तर ने स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। अतः, हमें ऊर्जा के हमारे स्रोतों के पुन: परीक्षित करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में, CNG वाहनों से उत्सर्जन को कम करने की विधि के रूप में HCNG के उपयोग की स्पष्ट संभावना है। हालांकि, वर्तमान में HCNG ईंधन के संबंध में व्यापक पैमाने पर अनुसंधान किये जा रहे हैं, परन्तु विस्तृत कार्यान्वयन से पूर्व निश्चित रूप से कई अन्य कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

6.4. विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रेन

(World's First Hydrogen Fuel Cell Train)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जर्मनी ने **कोराडिया आईलिंट (Coradia iLint)** नामक विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रेनों को लॉन्च किया है।

ट्रेन के बारे में

- इसे यूरोप के सबसे बड़े रेलवे निर्माता, अल्स्टॉम द्वारा निर्मित किया गया था।
- कोराडिया आईलिंट, विश्व की प्रथम शोर रहित (noise free), शून्य उत्सर्जन (zero emissions) ट्रेन है, इसकी गति 140 किमी/घंटा है तथा इसमें 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। यह हाइड्रोजन के पूरे भरे टैंक के साथ 1000 किमी की दूरी तय करती है।
- ट्रेन को 40 फुट ऊंचे मोबाइल हाइड्रोजन स्टील कंटेनर से रीफ्यूल किया जाएगा।
- इसकी प्रचालन लागत डीजल ट्रेनों से कम है।

हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में

- यह एक ईंधन सेल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विद्युत का उत्पादन किया जाता है जिससे उप-उत्पाद के रूप में केवल जल और वाष्प प्राप्त होते हैं।
- अतिरिक्त ऊर्जा को यात्रा के दौरान ही आयन लिथियम बैटरी में संग्रहीत किया जा सकता है।
- यह एक जलवायु अनुकूल ईंधन है, क्योंकि यह डीजल, कोयला इत्यादि जैसे पारंपरिक ईंधन के समान कार्बन डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित नहीं करता है।

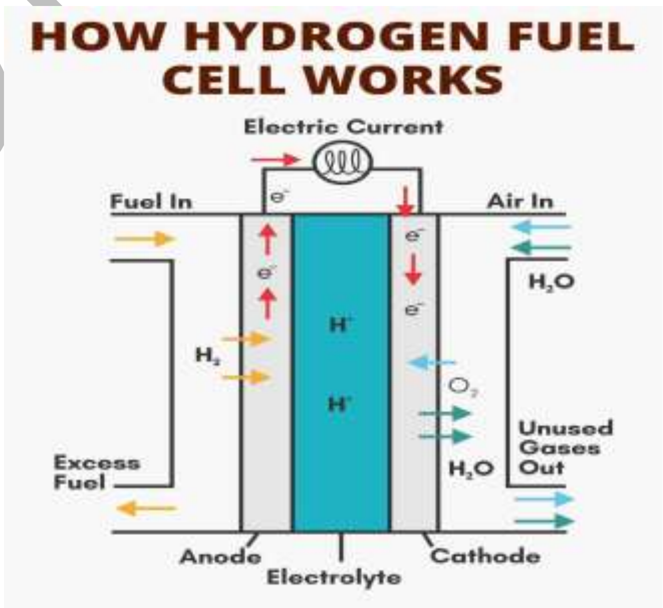

हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसे कार्य करता है?

- एक ईंधन सेल **एक एनोड, एक कैथोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन** से मिलकर निर्मित होता है।
- एक ईंधन सेल **के कैथोड के माध्यम से ऑक्सीजन और एनोड के माध्यम से हाइड्रोजन** के प्रवाह द्वारा ईंधन सेल कार्य करता है।
- एनोड पर, हाइड्रोजन अणु इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन में विभाजित होते हैं।
- **प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से गुज़रते हैं,** जबकि **इलेक्ट्रॉनों को सर्किट के माध्यम से गुज़रने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे विद्युत प्रवाह और अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है।**
- कैथोड पर, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल के अणुओं का उत्पादन करते हैं।
- ईंधन का दहन करने वाली **पारंपरिक दहन प्रौद्योगिकियों के विपरीत, ईंधन सेल** में हाइड्रोजन-समृद्ध ईंधन को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए **रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना** पड़ता है।
- ईंधन सेल को समय-समय पर **बैटरियों की तरह रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है,** बल्कि **ईंधन स्रोत उपलब्ध रहने तक यह निरंतर विद्युत का उत्पादन करता रहता है।**

आगे की राह

वर्तमान में, हाइड्रोजन का उत्पादन करने का सबसे किफायती तरीका उच्च तापमान पर प्राकृतिक गैस का दहन है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है जिससे हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेनों को चलाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाता है। बेहतर भविष्य के लिए एक सतत और लागत प्रभावी रेल परिवहन हेतु जल से हाइड्रोजन उत्पादित करने की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

6.5. अप्सरा - U

(Apsara – U)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक स्विमिंग पूल के आकार के शोध रिएक्टर **"अप्सरा-अपग्रेडेड (Apsara-U)"** या **'अप्सरा-उन्नत'** का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC), ट्रॉम्बे में परिचालन आरंभ हुआ है।

शोध रिएक्टर

- शोध रिएक्टर **अनुसंधान, रेडियो आइसोटोप उत्पादन, शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि उद्देश्यों** के लिए प्रयुक्त न्यूक्लियर रिएक्टर हैं।
- शोध रिएक्टर **पॉवर रिएक्टरों की तुलना में सरल** होते हैं और कम तापमान पर कार्य करते हैं।
- इसमें **पॉवर रिएक्टरों के समान, कोर के शीतलन की आवश्यकता होती है** और सामान्यतः न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए मंदक (मॉडरेटर) का उपयोग किया जाता है।
- ये उद्योग, चिकित्सा, कृषि, फोरेंसिक आदि में उपयोग के लिए न्यूट्रॉन का उत्पादन करते हैं जो कि इनका मुख्य कार्य है। इसलिए अधिकांश शोध रिएक्टरों को **कोर से न्यूट्रॉन की क्षति को कम करने के लिए रिफ्लेक्टर की भी आवश्यकता होती है।**
- शोध रिएक्टर देश के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य आधारस्तंभ हैं।
- वर्तमान में भारत में परिचालित शोध रिएक्टर **अप्सरा-u, ध्रुव और कामिनी** हैं।

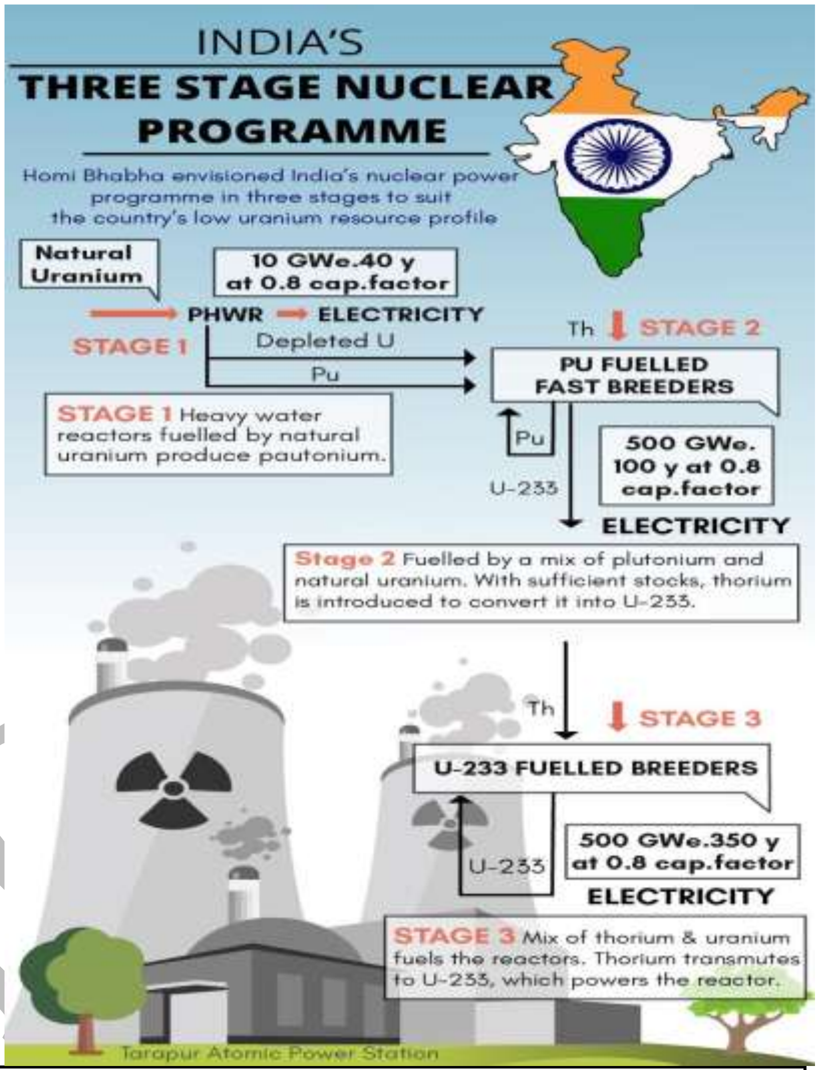

कामिनी (कलपक्कम मिनी)

- कामिनी 233U ईंधन के साथ कार्यरत विश्व का एकमात्र रिएक्टर है, 233U ईंधन का उत्पादन निकटवर्ती फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर द्वारा उपयोग किए गए थोरियम ईंधन चक्र द्वारा किया जाता है।
- यह भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तृतीय चरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

ध्रुव (BARC, ट्रॉम्बे में)

- यह भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है।
- यह हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का प्राथमिक स्रोत है।

अप्सरा-U के बारे में अधिक जानकारी

- यह स्वदेश निर्मित रिएक्टर है।
- यह एशिया के प्रथम शोध रिएक्टर **"अप्सरा" का उन्नत संस्करण** है, जिसका परिचालन 1956 में प्रारंभ हुआ था और जिसे 2009 में बंद कर दिया गया था।
- इसमें **निम्न परिष्कृत यूरेनियम (LEU)** से निर्मित प्लेट के आकार के प्रकीर्णन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है।
- उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह के कारण यह रिएक्टर स्वास्थ्य अनुप्रयोग में रेडियो-आइसोटोप के स्वदेशी उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।
- इसका उपयोग नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और रेडियोधर्मी आवरण (radiation shielding) के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भी किया जाएगा।

6.6. कणों का क्षय

(Particle Decay)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, CERN के वैज्ञानिक द्वारा हिग्स बोसॉन का बॉटम क्वार्क के रूप में जाने जाने वाले मूलभूत कणों में क्षय का अवलोकन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हिग्स बोसॉन का निम्नलिखित प्रतिशत में निम्नलिखित कणों के युग्मों में क्षय होता है: बॉटम क्वार्क (58 प्रतिशत), W बोसॉन (21 प्रतिशत), Z बोसॉन (6 प्रतिशत), टाऊ लेप्टॉन (2.6 प्रतिशत) और फोटॉन (0.2 प्रतिशत)।
- **महत्व:** यह मानक भौतिकी के सिद्धांत की पुष्टि करता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि लगभग 60% हिग्स बोसॉन का क्षय बॉटम क्वार्क के एक युग्म में हो जाता है।
    - मानक मॉडल: यह इस अवधारणा पर विकसित किया गया है कि हिग्स फील्ड क्वार्क और अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान के साथ उत्पन्न करता है।
    - मानक मॉडल में **डार्क मैटर सम्मिलित नहीं हैं** जो ब्रह्मांड के 85 प्रतिशत द्रव्यमान का निर्माण करता है अथवा इसका वर्णन करता है कि क्वांटम स्तर पर गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार कार्य करता है।
- क्वार्क भौतिकी में **मूलभूत कणों में से एक है।** वे **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे हेड्रॉन के निर्माण के लिए संयोजित** होते हैं, जो परमाणुओं के नाभिक के घटक होते हैं।
- क्वार्क कणों और प्रबल बल के माध्यम से उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कण भौतिकी (पार्टिकल फिजिक्स) कहा जाता है।
- क्वार्क का एंटीपार्टिकल एंटीक्वार्क है। **क्वार्क और एंटीक्वार्क केवल दो मूलभूत कण हैं जो भौतिकी के सभी चार मूलभूत बलों, अर्थात् गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुम्बकत्व, प्रबल अंतःक्रिया और दुर्बल अंतःक्रिया के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं।**
- क्वार्क परिबद्धता (confinement) प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि क्वार्क अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये सदैव अन्य क्वार्क के साथ संयोजन में होते हैं। इस कारण इनके गुणों (द्रव्यमान, स्पिन और समता) का प्रत्यक्ष निर्धारण संभव नहीं होता है।
- क्वार्क छह प्रकार के होते हैं: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम तथा टॉप। क्वार्क के प्रकार इसके गुणों को निर्धारित करते हैं।

Particle Decay (higgs boson)

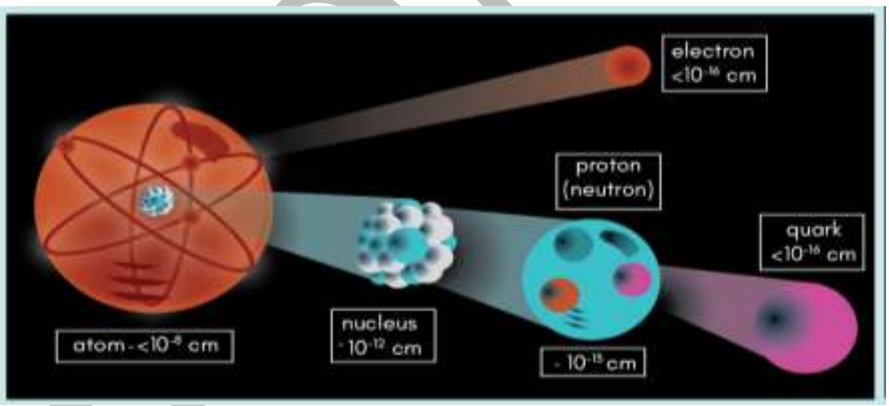

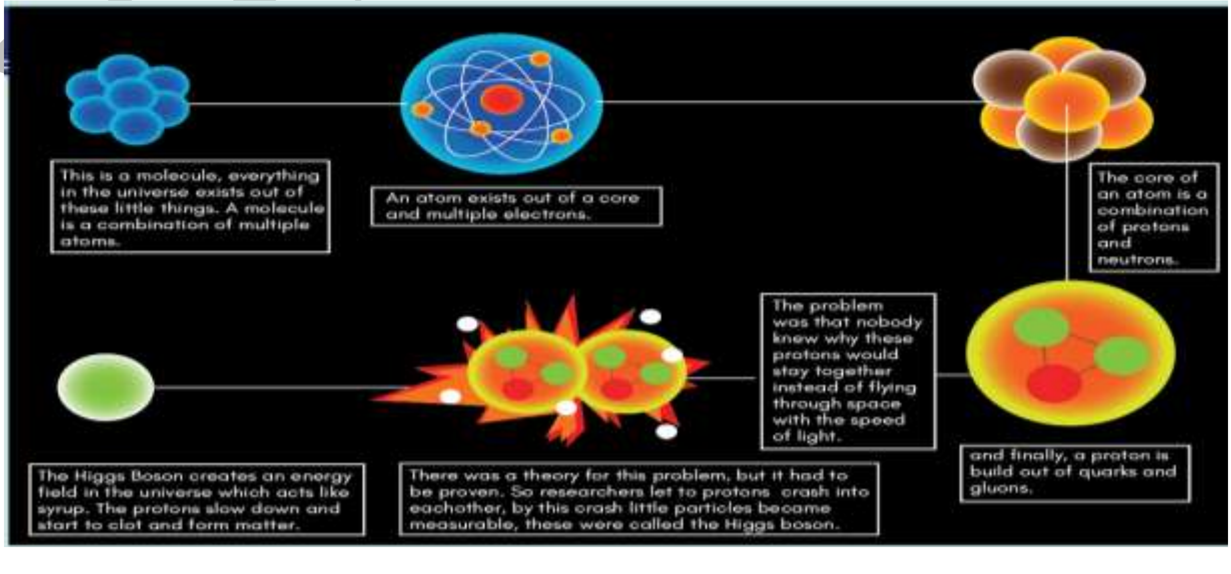

हिग्स बोसॉन के बारे में

- इसे लोकप्रिय रूप से **गॉड पार्टिकल** के रूप में जाना जाता है और यह मूलभूत उप-परमाण्विक कणों के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है।
- CERN में **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)** द्वारा यूरोपीय संघ के परमाणु अनुसंधान के लिए इसकी खोज की गई।
- CERN विश्व की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिकी प्रयोगशाला है। CERN में, वैज्ञानिक और इंजीनियर ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं।
- LHC एक्सेलरेटर हिग्स बोसॉन्स के अवलोकन में सक्षम दो लार्ज-पार्टिकल फिजिक्स डिटेक्टरों को होस्ट करता है- द **कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड (CMS)** और **ए टोरॉइडल LHC एपरेटस (ATLAS)**।

6.7. आइससैट-2

(ICESat-2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नासा द्वारा **'आइस, क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट-2 (ICESat-2)'** नामक उपग्रह लॉन्च किया गया।

ICESat क्या है?

- ICESat (आइस, क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट) बर्फ की चादरों का द्रव्यमान संतुलन, मेघ और एयरोसोल ऊंचाई, साथ ही भू-स्थलाकृति और वानस्पतिक विशेषताओं के मापन के लिए बेंचमार्क **अर्थ ऑब्जरवेशन सिस्टम मिशन** है।
- ICESat को 2003 में लॉन्च किया गया था और इसने 2009 में कार्य करना बंद किया। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया कि समुद्री बर्फ की मोटाई कम हो रही थी तथा ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका के तटीय क्षेत्रों से बर्फ का आवरण समाप्त हो रहा था।
- ICESat-2 21वीं शताब्दी के आरंभ में परिवर्तन का निरंतर दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए मूल ICESat मिशन (2003 से 2009) और **ऑपरेशन आइस ब्रिज एयरबोर्न एफर्ट** (2009 से वर्तमान तक) द्वारा आरंभ किए गए क्रायोस्फीयर के प्रमुख एलिवेशन अवलोकनों को जारी रखेगा।

यह मिशन महत्वपूर्ण क्यों है?

- ICESat-2 के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से शोधकर्ताओं को अधिक निश्चितता के साथ **समुद्र स्तर के बढ़ने का पूर्वानुमान** करने में मदद मिलेगी, जिससे समुदायों को परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा।
- यद्यपि वैज्ञानिक नियमित रूप से उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से समुद्री बर्फ के कवरेज का मापन करते हैं, उनके पास **क्षेत्र-व्यापी समुद्री बर्फ की मोटाई की माप संबंधी आँकड़ों का अभाव है।** ICESat-2 उन्हें बर्फ की मोटाई और आयतन-ऊंचाई के मापन की सुविधा प्रदान करता है।
- क्रायोस्फीयर के अतिरिक्त, ICESat-2 विश्व के वनों, झीलों, शहरी क्षेत्रों, क्लाउड कवर की और अन्य ऊंचाइयों का सर्वेक्षण करेगा, इससे अंतरिक्ष से ली जाने वाली **पृथ्वी की समतल छवियों में एक विस्तृत तीसरा आयाम जुड़ेगा।**

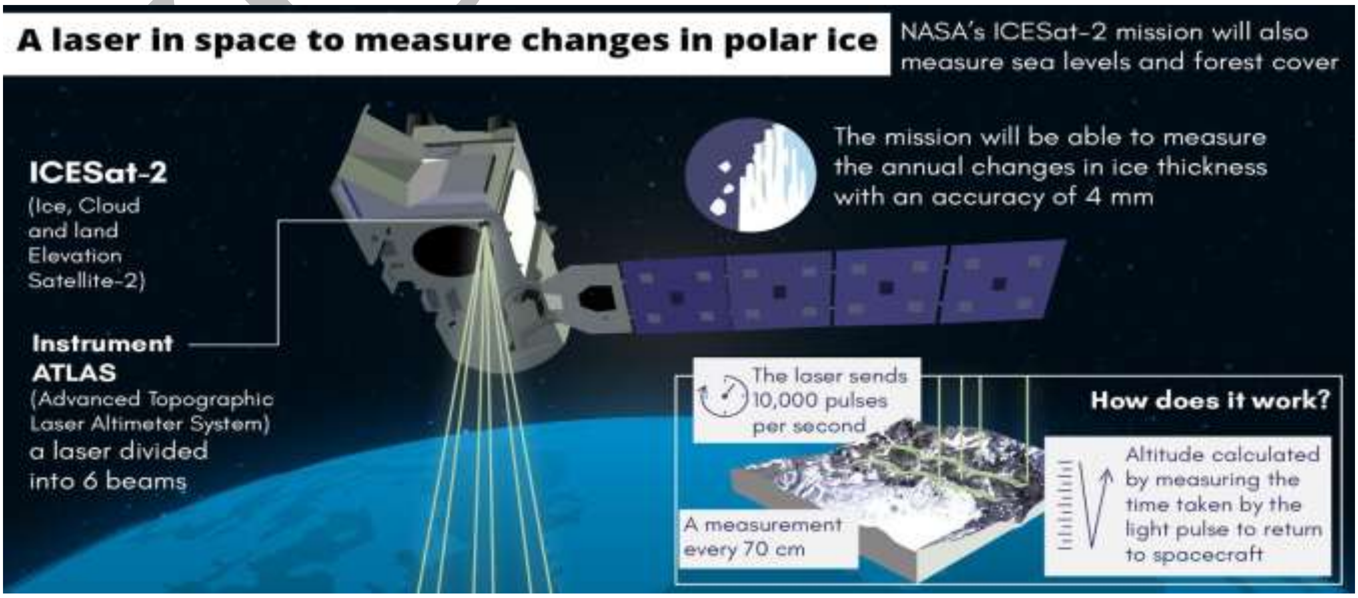

6.8. पोलारिमेट्री डॉप्लर मौसम रडार

(Polarimetry Doppler Weather Radar)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से **पोलारिमेट्री डॉप्लर मौसम रडार** को प्रक्षेपित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पोलारिमेट्री डॉप्लर मौसम रडार** उन्नत जानकारी प्रदान करता है, गंभीर मौसम से संबद्ध प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जीवन और संपत्ति के नुकसान को बचाने के लिए आवश्यक लीड-टाइम को बढ़ाता है।
    - मौसम प्रणालियों की गंभीरता को मात्रात्मक रूप से अधिक सटीकता से अनुमानित किया जा सकता है तथा मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अधिक सटीक उन्नत चेतावनी प्रसारित की जा सकती हैं।
    - यद्यपि परंपरागत रडार चक्रवातों को ट्रैक करने और पूर्व-सूचना देने में सक्षम हैं, डॉप्लर मौसम रडार चक्रवात के आंतरिक वायु प्रवाह और संरचना पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
    - इसरो के पूर्व प्रदर्शन के अनुसार, रडार की पोलारिमेट्री क्षमता वर्षा के पूर्वानुमान की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार करेगी। जिससे सटीक और समय पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी प्राप्त हो सकेगी।
- रडार स्वदेशी रूप से **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)**, बेंगलुरू द्वारा विकसित किया गया है।
- यह "मेक इन इंडिया" के तहत देश में निर्मित इस प्रकार का सातवां रडार है।

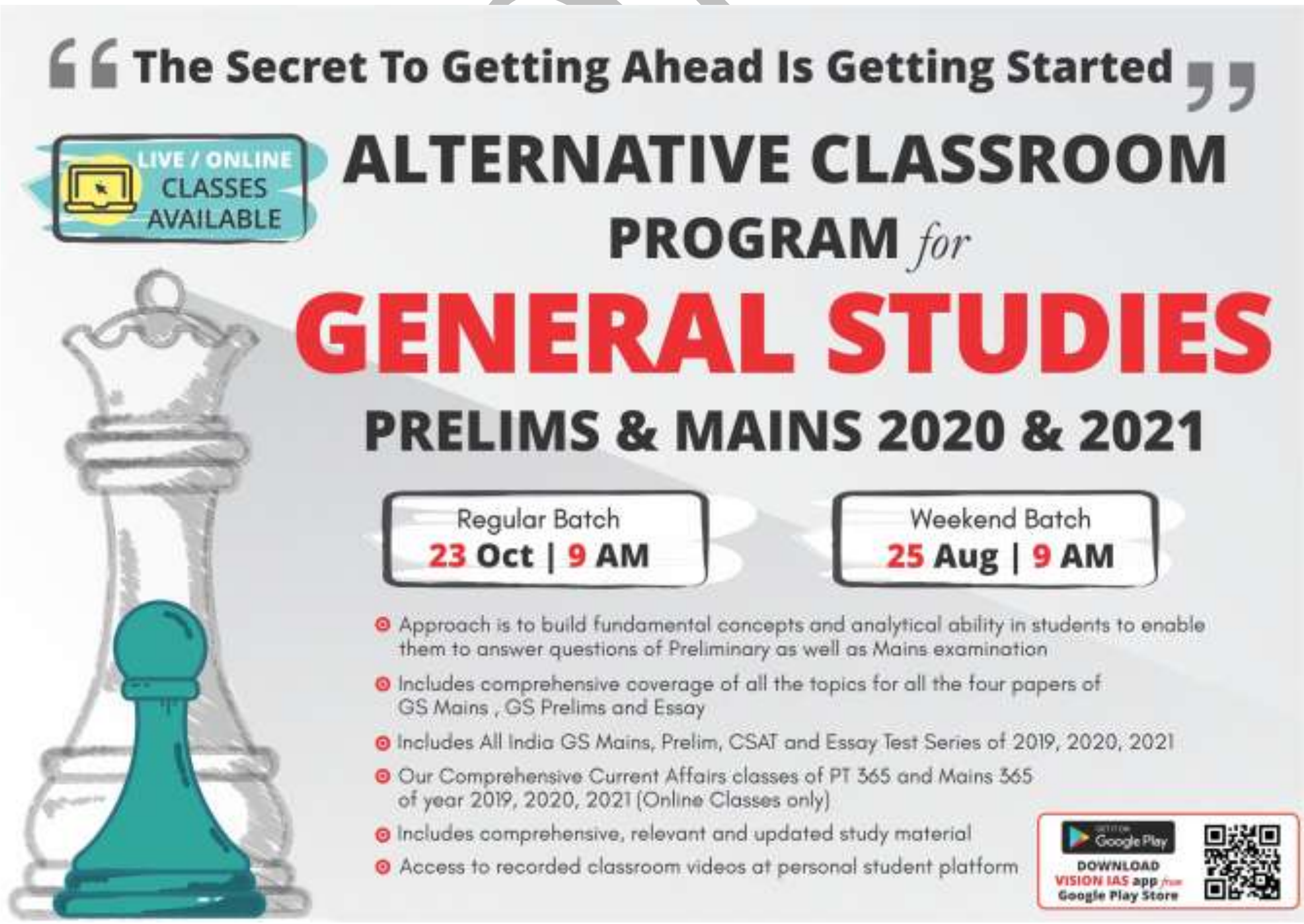

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

7.1 सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(SC Judgement on Sabarimala Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश का अधिकार प्रदान किया है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- *इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1965 के केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेशाधिकार) अधिनियम, 1965 के नियम 3 (बी) [The Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Act of 1965], को संविधान के अधिकारातीत (as ultra vires the Constitution) घोषित किया है। यह नियम "रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं" के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को अधिकृत करता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा 1991 के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। इस निर्णय (केरल उच्च न्यायालय के) में देवता की ब्रह्मचारी प्रकृति (celibate nature of the deity) को "युवा महिलाओं पर इस प्रतिबंध को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण" मानते हुए प्रवेश पर निषेध को बनाए रखा गया था।

अनुच्छेद 14: यह प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15: यह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 17: यह अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है और किसी भी रूप में इस प्रकार के आचरण को निषिद्ध करता है।

अनुच्छेद 25: यह अन्तः करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वंतंत्रता प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी धार्मिक आचरण को संरक्षित किया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'अनिवार्यता' परीक्षण (essentiality' test) विकसित किया गया है।
- किसी धर्म का अनिवार्य आचरण राज्य के हस्तक्षेप से बाहर है और केवल अनुच्छेद 25 में निहित आधारों पर प्रतिबंधों के अधीन है।
- दूसरी ओर, एक गैर-अनिवार्य धार्मिक आचरण एक मौलिक अधिकार नहीं है और किसी भी उचित आधार पर इसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंधों के विपक्ष में तर्क:

- **महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध स्त्री समुदाय के लिए अपमानजनक:** नैतिकता को किसी व्यक्ति, वर्ग या धार्मिक संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री की व्यक्तिगत गरिमा भीड़ की दया पर निर्भर नहीं हो सकती है।
- **प्रतिबंध एक अभिभावी पितृसत्तात्मकता का प्रतीक:** धर्म में पितृसत्ता किसी धार्मिक रीति को करने/न करने की स्वतन्त्रता सुनिश्चित नहीं कर सकती।
- **जैविक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बहिष्कार असंवैधानिक :** इसने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत महिलाओं के विधि के समक्ष समता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त यह प्रतिबन्ध एक प्रकार से अस्पृश्यता का रूप भी था और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के भी विरुद्ध था।
- **प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वर्णित धर्म का एक अनिवार्य** धार्मिक आचरण (religious practice) **नहीं था:** इस प्रकार इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया था।
- **मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए हैं, न कि देवताओं या मूर्तियों के लिए:** संविधान के भाग III के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकार व्यक्ति को मूल इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। यह तर्क यहाँ लागू नहीं होता है कि देवता के ब्रह्मचर्य को संरक्षित करने का अधिकार एक संरक्षित संवैधानिक अधिकार है।
- **उपासना का अधिकार पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध है:** महिलाओं का पूजा करने का अधिकार किसी भी कानून पर निर्भर नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। महिलाओं के पूजा करने के इस मूल अधिकार के अपवर्जन और अस्वीकृति के लिए धर्म को एक आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंधों के पक्ष में तर्क:

- **धार्मिक समुदायों / संप्रदायों को यह तय करना चाहिए कि एक अनिवार्य धार्मिक आचरण का निर्माण कैसे होता है:** यह न्यायाधीशों द्वारा उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए।
- **न्यायिक अतिक्रमण:**किसी विशेष आचरण अथवा रीति की अनिवार्यता और धर्म में उसकी अंतर्निहितता के निर्धारण के माध्यम से, न्यायपालिका कानूनों और संवैधानिक अधिकारों की तर्कसंगतता को छोड़ देती है और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार यह एक न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न करता है।
- **निर्णय भेदभाव और विविधता में विभ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है:** यह निर्णय भारत की विविध सामाजिक वास्तविकताओं और विशाल विविधताओं की उपेक्षा करता है। धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए न्यायाधीशों को भी सतर्कतापूर्वक निर्णय करना चाहिए।
- **विविध धर्मों सहित एक बहुलवादी समाज होने के नाते भारत में संवैधानिक नैतिकता ने तर्कहीन या विसंगत रीति-रिवाजों और प्रथाओं के आचरण को स्वतंत्रता प्रदान की है:** संवैधानिक नैतिकता को सभी व्यक्तियों, धार्मिक समुदायों या संप्रदायों के अधिकारों के सामंजस्य की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को किसी प्रकार कमजोर नहीं किया गया है।
- **संविधान के अनुच्छेद 25 में उपबंधित धार्मिक मान्यताओं के आचरण की स्वतंत्रता:** अयप्पा भगवान् के भक्तों के पास विशिष्ट धार्मिक विशेषताएं थी जैसे विशिष्ट नाम, गुण आदि। इसके अतिरिक्त, सबरीमाला मंदिर को समेकित निधि से वित्त पोषित नहीं किया गया था। इस प्रकार मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि उन्हें राज्य के हस्तक्षेप के बिना मंदिर के लिए नियम तैयार करने की अनुमति थी।
- **प्रतिबंधों की ऐतिहासिक उत्पत्ति:** क्योंकि रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों का प्रवेश देवता की "नाइष्टिका ब्रह्मचारी" (celibate) प्रकृति के विपरीत था, अतःमंदिर प्रवेश 'निषेध स्त्री जाति से द्वेष' पर आधारित नहीं था।
- **महिलाओं के लिए देवता के दर्शन हेतु आवश्यक 41 दिन के कठोर तप का पालन करना शारीरिक रूप से भी कठिन था:** तीर्थयात्रियों के लिए 41 दिनों तक कठोर तप का अनुपालन करना आवश्यक होता है जो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से कठिन होती है।
- **धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देना:** विविध विश्वास और परंपराओं वाले लोगों के साथ एक बहुलतावादी समाज में, किसी भी समूह, समुदाय या संप्रदायों की धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करने से देश की संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।
- **पहाड़ी पर स्थित मंदिर के अद्वितीय भौगोलिक पहलुओं और विशिष्ट परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए था:** यह ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि मंदिर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ महिला भक्तों का प्रवेश आरम्भ होने पर दर्शनार्थियों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रांगण इत्यादि के विस्तार की आवश्यकता होगी और यह पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

आगे की राह:

- विधि द्वारा अधिरोपित सुधारों पर लोगों की अत्यंत नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है अतः बेहतर होगा कि दीर्घजीवी सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक दबाव उत्पन्न किया जाए। जीवन और स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले मामलों में धार्मिक सुधार न्यायिक हस्तक्षेप की माँग करते हैं, हालांकि, न्यायालय सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए विकल्प नहीं हो सकते हैं।
- यह निर्णय पूजा के अन्य स्थानों पर प्रचलित समान रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा।
- मंदिर प्रबंधन को उच्चतम न्यायालय के आदेश के सुगम अनुपालन हेतु महिला भक्तों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

7.2. दहेज़ उत्पीड़न क़ानून

(Dowry Harassment Law)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A, भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code :IPC) में तत्काल गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान पुनः स्थापित किया है।

IPC की धारा 498A - इस धारा के अंतर्गत, चाहे महिला का पति हो या पति का कोई रिश्तेदार, यदि वह उस महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसके लिए कठोर कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है, जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस धारा के अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि :

- उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक जिले में 'परिवार कल्याण समितियों' की स्थापना करने का आदेश दिया गया था। यह समितियां ऐसी महिलाओं के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा प्रदान करती हैं जो अपने पति एवं ससुराल वालों के विरुद्ध IPC की धारा 498A के दहेज़ उत्पीड़न विरोधी प्रावधान का उपयोग 'सुरक्षा' के रूप में न करके एक 'हथियार' के रूप में करती हैं।

VISION IAS

- न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि जब तक समिति द्वारा शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जाती, तब तक दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर सामान्यतः कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि पुलिस भी FIR तभी दर्ज कर सकती है, जब सम्बंधित समिति द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि शिकायत वैध (valid) है।

नवीनतम निर्णय:

- उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे पैनल/समितियां स्थापित आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं और ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता के दायरे से बाहर हैं।
- इस निर्णय ने विवाहित महिला द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न शिकायत पर तुरंत एक FIR दर्ज करने और कार्यवाही करने के लिए पुलिस की शक्ति पुनः बहाल की है ।
- दहेज उत्पीड़न के केस में विवाहित महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एवं अपनी जमानत के लिए अदालतों से संपर्क कर सकने का प्रावधान है।
- यह अपराध गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती दोनों प्रकार का है, जिसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत जमानत केवल मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार ही दी जा सकती है और जहां तक संभव हो सके जमानत याचिकाओं को उसी दिन सुना जाएगा।

धारा 498A आईपीसी- एक विश्लेषण :

विपक्ष में तर्क :

- यह कानून पति तथा पति के रिश्तेदारों की ब्लैकमैलिंग और उत्पीड़न का साधन बन गया है। जैसे ही दहेज़ उत्पीड़न की शिकायत (FIR) दर्ज की जाती है, पुलिस को प्रारंभिक जांच अथवा आरोपों के अंतर्निहित मूल्य पर विचार किए बिना ही पति और उसके अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने की धमकी देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पुलिस की यह शक्ति ब्लैकमेल करने का एक सरल साधन बन जाती है।
- जब किसी परिवार (पति के) के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जमानत की तत्काल संभावना के बिना उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो इस स्थिति में वैवाहिक झगडे को सुलझाने या इस वैवाहिक संबंध को बचाने की संभावनाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं।
- वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं पर इस तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि यह एक संवेदनशील पारिवारिक समस्या है तथा इस समस्या को और अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यह इंगित किया गया है कि समस्या धारा 498 A में नहीं बल्कि CrPC के प्रावधानों में है जिसके अंतर्गत इसे अशमनीय और गैर-जमानती (non-compoundable and nonbailable) अपराध घोषित किया गया है।

पक्ष में तर्क :

- धारा 498A और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को विशेष रूप से समाज के एक सुभेद्य वर्ग की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है जो क्रूरता एवं उत्पीड़न का शिकार है। यदि प्रावधान की कठोरता कम कर दी जाती है तो इस प्रावधान का सामाजिक उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।
- कानून के उल्लंघन/दुरुपयोग की सम्भावना इस प्रावधान विशेष तक ही सीमित नहीं है। दुरुपयोग की सम्भावना को कानून के मौजूदा ढांचे के भीतर ही कम किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने और गिरफ्तारी संबंधित कानूनों में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को ऐडवाइज़री (advisories)' जारी की जा सकती है।
- आरोपी परिवार के सदस्यों को शिकायत के सबंध में जानकारी होने के पश्चात शिकायतकर्ता महिला को और अधिक यातना सहनी पड़ सकती है तथा यदि पुलिस द्वारा तीव्रता और कठोरता से कार्यवाही नहीं की जाती है तो महिला के जीवन एवं स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह:

- गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग केवल शिकायत के सशक्त पक्षों और आरोपी बनाए गए व्यक्तियों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद ही किया जाना चाहिए।
- "क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल" की अध्यक्षता सुप्रशिक्षित और वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। तथाकथित दुरुपयोग को रोकने में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।
- संघर्ष की स्थिति में पति-पत्नी के मध्य सुलह कराने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं और धारा 498A के अंतर्गत चार्जशीट केवल उन मामलों में दायर की जानी चाहिए जहां ऐसे प्रयास विफल हो गए हों और प्रथम दृष्टया मामले में कुछ गंभीरता दिखती हो।
- दोनों पक्षों को व्यावसायिक रूप से योग्य परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, न कि केवल पुलिस द्वारा।

7.3. व्यभिचार

(Adultery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा सर्वसम्मति से व्यभिचार को दंडनीय अपराध के रूप में घोषित करने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को समाप्त कर दिया गया है।

VISIONIAS

न्यायालय का पक्ष:

- SC ने कहा कि 158 वर्ष पुराना यह कानून असंवैधानिक था और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) एवं अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करता था। यह कानून महिलाओं की गरिमा को नष्ट करने के साथ ही महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था।
- जब तक व्यभिचार, IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए प्रेरित करना) से नहीं जुड़ता तब तक इसे अपराध नहीं माना जाएगा। यह विवाह की सम्पति/तलाक सहित अन्य सिविल मुद्दों के लिए आधार हो सकता है किन्तु यह दण्डनीय अपराध नहीं हो सकता है।
- समानता, किसी भी व्यवस्था का निर्धारक सिद्धांत है और पति, पत्नी का स्वामी नहीं होता है। महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी भेदभाव संविधान के विरुद्ध होगा। व्यभिचार से संबंधित IPC की धारा 497 स्पष्ट रूप से पुर्णतः एकपक्षीय है।
- उच्चतम न्यायालय ने CrPC की धारा 198(1) और 198(2) को भी असंवैधानिक घोषित किया है, जो किसी पति को उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति देता है जिसके साथ उसकी पत्नी ने व्यभिचार का कृत्य किया है।

व्यभिचार संबधी कानूनों में अस्पष्टताएं:

(Ambiguities in Adultery Law)

- यदि एक विवाहित व्यक्ति के विवाह से इतर किसी अन्य अविवाहित महिला के साथ यौन सम्बन्ध बनते है, तो यह वर्तमान कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, हालांकि दूसरी ओर यह विवाह की पवित्रता को अवश्य प्रभावित करता है।
- यदि किसी महिला के पति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाने के लिए मौन सहमति दी जाती है, तो यह कानून के प्रावधानों के अंतर्गत व्यभिचार नहीं कहलाएगा।
- व्यभिचार करने वाली एक महिला को इस कृत्य के लिए "उकसानेवाला" (abettor) भी नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा व्यभिचार में शामिल महिला के पति की सहमति या मौन सहमति से किए गए व्यभिचार के कृत्य को भी वैध घोषित करती है।
- Cr.P.C. की धारा 198 (2) में केवल व्यभिचारिणी महिला के पति द्वारा व्यभिचार की शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दी जाती है, किन्तु व्यभिचार में लिप्त पति की उसकी पत्नी द्वारा शिकायत नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष:

- SC के नए निर्णय में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वैवाहिक मुद्दे सिविल कानूनों के दायरे के अंतर्गत आते है। इनका समाधान आपराधिक कानून के माध्यम से न करना, अधिक तर्कसंगत है। यह निर्णय व्यभिचार को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि केवल यह निर्धारित करता है कि व्यभिचार एक दण्डनीय अपराध नहीं है। हालाँकि न्यायालय एवं समाज दोनों का ही कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवर्तनों का उपयोग व्यभिचार को बढ़ावा देने हेतु न किया जाए।

7.4. धारा 377 को गैर-आपराधिक घोषित किया गया

(Section 377 Decriminalized)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद** में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस प्रकार समलैंगिता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि:** "कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध स्थापित करता है, वह आजीवन कारावास अथवा दस वर्षों तक के कारावास तथा साथ ही अर्थदंड का भी भागी होगा "।
- धारा 377 वस्तुत: यौन पहचान को दण्डित नहीं करती। यह उन यौन कृत्यों को प्रतिबंधित करती है जिन्हे प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायिक निर्णय ने यह घोषित किया है कि धारा 377 **संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है,** क्योंकि यह निजी रूप से दो वयस्कों चाहे वे समलैंगिक, विषमलैंगिक, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो के मध्य सहमति से बने किसी भी प्रकार के यौन संबंधों को दंडित करती है।

VISION IAS

- धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध, अल्पवयस्कों के साथ शारीरिक संबंध के सभी कृत्यों और पशुगमन के कृत्यों के मामले में **प्रवर्तनीय बने रहेंगे।**

IPC की धारा 377 की पृष्ठभूमि तथा संबंधित न्यायिक घोषणाएं

- भारतीय दंड संहिता,1861 (IPC) की धारा 377 ब्रिटिश शासन के दौरान समलैंगिक गतिविधियों सहित "प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध" यौन क्रियाकलापों को अपराध घोषित करने हेतु वर्ष 1861 में प्रभावी हुई।
- धारा 377 के समक्ष **प्रथम विधिक चुनौती** वर्ष 1994 में प्रस्तुत हुई जब एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलन (ABVA) नामक एक गैर सरकारी संगठन (NGO) द्वारा इसके निरसन हेतु एक याचिका दायर की गयी थी जिसे न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया था।
- जुलाई 2009 में नाज़ **फाउंडेशन वाद** में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमत वयस्कों के मध्य समलैंगिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन मानते हुए इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया था।
- **सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन वाद** में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया कि "देश की आबादी का अत्यंत छोटा हिस्सा ही LGBTQ के अंतर्गत आता है," और 150 से अधिक वर्षों में 200 से कम लोगों पर इस धारा के अंतर्गत अपराधी सिद्ध करने हेतु मुकदमा चलाया गया था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता के अपराधीकरण को सुदृढ़ किया।

यौन अभिमुखता और निजता पर दो ऐतिहासिक निर्णय

- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) वाद, 2014-** इस वाद में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यौन अभिमुखता और लिंग पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- **जस्टिस के.एस.पुत्तास्वामी (2017) अथवा 'निजता वाद'** में एक 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था कि "यौन अभिमुखता निजता की एक अनिवार्य विशेषता है।" निर्णय में यह भी कहा गया कि "निजता का अधिकार और यौन अभिमुखता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के मूल में निहित हैं।"

निर्णय के मुख्य बिंदु

- **यौन स्वायत्तता और निजता का अधिकार:** एक व्यक्ति की यौन अभिमुखता तथा अपने यौन सहभागी के चयन में स्वायत्तता जीवन का महत्वपूर्ण आधार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न पहलू है। यह पहचान की अभिव्यक्ति है, जिसे अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा संरक्षित किया गया है। यौन अभिमुखता के आधार पर भेदभाव **चयन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** (अनुच्छेद 19) का **उल्लंघन** है।
- **राज्य की कार्यवाही को सीमित करना:** अंतरंगता (intimacy) की अभिव्यक्ति **"निजता के अधिकार का मर्म"** है। यौन अभिमुखता का अधिकार निजी सुरक्षात्मक क्षेत्र तथा व्यक्तिगत चयन एवं स्वायत्तता की परिधि में आने वाला महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अधिकार है। **राज्य के पास** इन निजी मामलों **में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।** इसमें समुदाय के व्यक्तियों का राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त उनकी अपनी शर्तों पर सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन का अधिकार भी शामिल है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 377:** इसे "स्वेच्छाचारी और अतार्किक" माना गया है। न्यायालय ने कहा है कि-
  - धारा 377 सक्षम वयस्कों के मध्य सहमति से किये गए तथा बिना सहमति के किए गए यौन कृत्यों के मध्य एक भेद स्थापित करने में विफल सिद्ध हुई है, जो इसे स्पष्ट रूप से स्वेच्छाचारी बनाता है। यह धारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है जिसमें स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है।
  - हालांकि यह निजी स्थल में वयस्कों के मध्य सहमति से किये गए उन यौन कृत्यों को संज्ञान में नहीं लेती है जो समाज के लिए हानिकारक या संक्रामक नहीं है।
- **विधि द्वारा शासन के स्थान पर विधि का शासन:** न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि धारा 377 विधि के शासन के स्थान पर विधि द्वारा शासन का प्रावधान करती है। विधि का शासन एक न्यायसंगत कानून की मांग करता है जो इसके सभी पहलुओं में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की सुविधा प्रदान करता है। विधि द्वारा शासन राज्य के स्वेच्छाचारी व्यवहार को वैधता प्रदान करता है। धारा 377 संविधान में प्रत्याभूत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार तथा निजता के मौलिक अधिकारों का "अतिक्रमण" है।
- **संवैधानिक नैतिकता:** किसी समाज को सदैव बहुलवादी और समावेशी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक सजातीय, समरूप, और मानकीकृत दर्शन के आरोपण का कोई भी प्रयत्न संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करेगा। लौकिक भावनाओं या बहुसंख्यकवाद की किसी भी प्रवृति को नियंत्रित करना राज्य के तीनों अंगों का उत्तरदायित्व है।
- **बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध:** सुरेश कौशल वाद (2013) में इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि जनता का अत्यंत छोटा हिस्सा ही LGBT समुदाय में शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान केवल बहुसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है। मौलिक अधिकार "प्रत्येक व्यक्ति" और "प्रत्येक नागरिक" हेतु प्रत्याभूत हैं तथा इन अधिकारों के संपोषण हेतु बहुसंख्यक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

VISION IAS

- **स्वास्थ्य पहलू:** समलैंगिकता **न तो मानसिक व्याधि है तथा न ही अनैतिकता।** सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के तर्क को उद्धृत किया है कि **"समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है"** और समलैंगिकता, विषमलैंगिकता एवं उभयलैंगिकता की भांति मानव लैंगिकता का एक सामान्य रूपांतर है। इसके अतिरिक्त **भारत का नया मानसिक रोग कानून** समलैंगिकता को मानसिक व्याधि के रूप में स्वीकार नहीं करता।

निर्णय का विश्लेषण

- न्यायालय ने घोषणा की है कि LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शूअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर) यौन-अभिमुखता और यौन-सहभागी के चयन सहित सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त LGBTQ को समान नागरिकता तथा विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। यह निर्णय विविधता और मानवाधिकारों के महत्व पर आधारित **सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने** में सहायता करेगा।
- न्यायालय ने ससंद द्वारा अधिनियमित विधियों की संवैधानिकता को परखने के लिए **संवैधानिक नैतिकता के एक नवीन परीक्षण का आरम्भ** किया है। यह निर्णय सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता देते हुए **व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र का विस्तार** करता है।
- **रूपान्तरकारी संविधानवाद** जिसका अर्थ है संविधान को "गतिशील, जीवंत और यथार्थपरक बनाना जो केवल एक निर्जीव संहिता बन कर न रह जाए बल्कि यह नागरिकों के प्रति अनुक्रियाशील हो।
- **यौन स्वास्थ्य का अधिकार:** यह निर्णय LGBTQ समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु राज्य के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के दायित्वों को रेखांकित करता है।
    - **नकारात्मक दायित्व** स्वास्थ्य के अधिकार के साथ राज्य के अहस्तक्षेप से सम्बंधित है।
    - **सकारात्मक दायित्व** स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार सुविधाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। यह लैंगिकता को समझने और समानता एवं गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने तथा मानवाधिकारों का सम्मान करने हेतु व्यक्तियों, परिवारों, कार्यस्थलों, शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं की सहायता करने के लिए संवेदनशील परामर्शदाताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश देता है।
    - इसके अतिरिक्त यह **HIV/AIDS की रोकथाम करने वाले प्रयासों की सहायता** भी करेगा जो समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में अभियोजन के कलंक और भय के कारण अवरुद्ध थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान को स्वीकार करने हेतु दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथ ही जो वे नहीं हैं वह बनने हेतु उन्हें बाध्य करने के बजाय जो वे हैं उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को LGBTQ लोगों पर आरोपित कलंक के उन्मूलन हेतु **इस निर्णय के प्रसार** और **लोक जागरूकता** अभियानों को आयोजित करने का निर्देश दिया है। सरकारी अधिकारियों, पुलिस इत्यादि को आवधिक संवेदीकरण अभियान के संचालन की ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने LGBTQ लोगों एवं उनके परिवारों से उनके द्वारा सहे गए अपमान और बहिष्कार के निवारण में विलंब हेतु खेद प्रकट किया है।

समान-लिंग संबंधों की वर्तमान सामाजिक स्वीकार्यता

- वर्ष 2016 में दिल्ली स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा 19 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में समलैंगिकता के विरुद्ध कठोर मत पाए गए।
- 61% उत्तरदाताओं ने समलैंगिक संबंधों को अस्वीकृत कर दिया। केवल एक चौथाई उत्तरदाताओं ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार किया।
- प्रौढ़ लोगों की तुलना में नवयुवा लोगों (15 से 17 वर्ष) ने समलैंगिकता को अधिक स्वीकृति प्रदान की थी।

चिंताएं जिनका अभी भी समाधान किया जाना है

- चूँकि **निर्णय भूतलक्षी नहीं होगा,** इसलिए धारा 377 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्तियों को इस निर्णय से कोई प्रभावी लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 2014 और 2016 के मध्य धारा 377 के अंतर्गत 4,690 मामले दर्ज किए गए थे।
- समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना एक अपेक्षाकृत अधिक समान समाज के निर्माण की ओर केवल एक कदम है। मिशन फॉर इंडियन गे एंड लेस्बियन एम्पावरमेंट (MINGLE) के वर्ष 2016 के सर्वेक्षण ने उजागर किया कि **कार्यस्थल पर प्रत्येक 5 LGBT कर्मचारियों में से एक भेदभाव का शिकार था।** इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के आर्थिक नुक़सान भी थे। वर्ष 2014 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के अपवर्जन के कारण भारत को 31 बिलियन डॉलर की क्षति हुई है।
- न्यायिक निर्णय अथवा कानून **सामाजिक पूर्वाग्रहों** को अपने बल पर नहीं हटा सकते। मॉब लिन्चिंग (mob lynching) पर हालिया निर्णय इसका एक उदाहरण है। भारतीय समाज और राजनीतिक समूहों को निर्णय को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।

VISIONIAS

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समलैंगिकता को केवल अपराध की श्रेणी से हटाता है परन्तु न्यायालय ने इस पर आरोपित **सिविल कानून / वैयक्तिक कानूनों को** परिवर्तित नहीं किया है। समलैंगिक विवाह, उत्तराधिकार तथा दत्तक ग्रहण के विधिमान्यकरण हेतु विधायन की आवश्यकता होगी जिसके सम्बन्ध में संसद को कार्य करना पड़ेगा।

7.5. यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस

(National Database on Sexual Offenders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) को प्रारम्भ करने वाला विश्व का नौवां देश बन गया है। इसका प्रारंभ गृह मंत्रालय (MHA) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) के साथ संयुक्त रूप से किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2012 के निर्भया गैंग-रेप मामले के पश्चात राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना के प्रस्ताव को लाने हेतु सरकार द्वारा पहल की गई थी।
- **अपराधी कानून अधिनियम, 2018** यौन अपराधों पर राष्ट्रीय रजिस्ट्री (National Registry of Sexual Offenders) हेतु प्रावधान करता है।
- **NDSO की आवश्यकता:** महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 2015 के 3,29,243 की तुलना में 2016 में 3,38,954 के साथ ही समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जिसमें बलात्कार संबंधी मामलों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह न्याय की प्राप्ति और अपराधी के भविष्य के व्यवहार की निगरानी करने में मदद करेगा।

NDSO की विशेषताएं

- **विभिन्न यौन संबंधी अपराधों के लगभग 4.5 लाख लोगों का विवरण शामिल हैं:** इसमें 2005 के पश्चात के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offenders Act-POCSO) और छेड़खानी इत्यादि मामलों के दोषी अपराधियों के नाम एवं उपनाम, पता, फोटो, पहचानपत्र जैसे- PAN कार्ड एवं आधार, आपराधिक इतिहास, फिंगर-प्रिंट एवं हथेली की छाप सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा अधिकृत किया जाएगा:** यह राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड के नियमित अद्यतनीकरण को भी ट्रैक करेगा।
- **केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंच योग्य:** इसका उपयोग यौन अपराधों एवं कर्मचारी सत्यापन संबंधी मामलों की जांच और पर्यवेक्षण हेतु किया जायेगा। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का विवरण होगा और राज्य कारागारों द्वारा सजा के विरुद्ध की गई अपीलों का अद्यतनीकरण किया जाएगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को तब तक ट्रैक किया जा सकेगा जब तक उसे अंतिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो। यह कारागार से मुक्त होकर किसी अन्य पर स्थानांतरित होने वाले अभियुक्तों को भी ट्रैक करने में सहायता करेगा।
- **किसी भी व्यक्ति की निजता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा:** यह संवेदनशील मामलों (जैसे - बच्चों के आश्रय गृहों तथा NRI पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को छोड़ने संबंधी मामलों में वृद्धि) में घटित यौन उत्पीड़न के मुद्दों का समाधान करता है।

ऑनलाइन पोर्टल- cybercrime.gov.in के बारे में

- सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री और यौन संबंधी अन्य सामग्री जैसे की बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने हेतु एक अन्य ऑनलाइन पोर्टल - cybercrime.gov.in का शुभारंभ किया गया है।

अन्य देशों के उदाहरण

- विभिन्न देशों जैसे-अमेरिका, यूके, कनाडा, आयरलैंड, न्यूज़ीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भी इसी प्रकार के यौन अपराधों के डेटाबेस का निर्माण किया गया है।
- उपर्युक्त सभी देशों में केवल दोषी व्यक्तियों से संबंधित जानकारियों को दर्ज किया गया है, जबकि केवल अमेरिका ने ही रजिस्ट्री को जनता एवं समुदायों के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस कदम का विरोध:

- **यह न तो एक निवारक के रूप में कार्य करता है और न ही यौन हिंसा के पीड़ितों की सहायता करता है:** कुछ पश्चिमी देशों में इस कारणवश रजिस्ट्री को बनाए रखने के निर्णय की समीक्षा की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त डेटा CCTNS नेटवर्क के साथ-साथ NCRB की वार्षिक अपराध रिपोर्ट के माध्यम से पूर्व से ही उपलब्ध है, परंतु यह एक निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- **भारत में अधिकांश यौन अपराध पीड़ित के संबंधी द्वारा किए जाते हैं:** 2015 के NCRB डाटा के अनुसार दर्ज किये गए बलात्कार के कुल 34,651 मामलों में से 33,098 मामलों में पीड़िता के ज्ञात व्यक्ति या संबंधी दोषी पाए गए हैं, अतः यौन हिंसा या उत्पीड़न की शिकार स्त्रियाँ भी इन मामलों को दर्ज करने में अनिच्छुक होती हैं।

- **दोषी से संबंधित जानकारी को जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है:** इस प्रकार इसके कारण सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है।
- **दोषी को कलंकित कर सकती हैं:** ऐसी संभावना है कि यह रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के जीवन को सदैव के लिए लांछित कर सकती है, भले ही वह सजा भुगतने के पश्चात सुधर गया हो।

आगे की राह

- यद्यपि यह डेटाबेस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है यह किस प्रकार विभिन्न पुलिस एजेंसियों के मध्य कार्यान्वित एवं समन्वित किया जाता है।
- इसके साथ ही हमें समग्रता से पुलिस सुधारों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस तथा राजनेताओं के मध्य कथित गठजोड़ को समाप्त किया जा सके।
- हमें मौजूदा प्रतिकूल तंत्र से एक अन्वेषक आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है ताकि इसे पीड़ित केंद्रित बनाया जा सके। इसके अलावा, फास्ट ट्रैक न्यायालयों को विशेषकर यौन हिंसा संबंधी मामलों हेतु प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।
- डेटाबेस को प्रभावी बनाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.6. मैला ढोने की प्रथा

(Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली में पांच मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) की हालिया मृत्यु की घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है।

मैला ढोने की प्रथा क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** इसे सार्वजनिक सड़कों, शुष्क शौचालयों से मानव अपशिष्ट (human excreta) को हटाने और सेप्टिक टैंक, सीवर एवं गटर की सफाई के रूप में परिभाषित करता है।

मैला ढोने की प्रथा पर वैधानिक स्थिति

- मैला ढोने की प्रथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और भारतीय कानून दोनों द्वारा निषिद्ध की गयी है। UNICEF (जल और स्वच्छता संबंधी मुद्दे के रूप में), WHO (एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में), UNDP और ILO जैसी सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया है।
- भारत का संविधान अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है और **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955** किसी को भी मैला ढोने की प्रथा के लिए बाध्य करने का निषेध करता है।
- विशेष रूप से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से, **मैनुअल सफाई कर्मचारियों का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993** ने मैनुअल सफाई कर्मचारियों को इस रोजगार में नियोजित करने और शुष्क शौचालयों के निर्माण को जुर्माना एवं कारावास के साथ दंडनीय बनाया है।
- 1993 के अधिनियम को प्रतिस्थापित (Superseding) करते हुए **2013 का अधिनियम** शुष्क शौचालयों पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी करता है तथा अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढे की सभी प्रकार की हाथ से की जाने वाली मानव मल-मूत्र सफाई का निषेध करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैकल्पिक आजीविका और अन्य सहायता प्रदान करके मैला ढोने वाले समुदायों द्वारा सहन किए गए ऐतिहासिक अन्याय और तिरस्कार को रोकते हुए एक संवैधानिक दायित्व को मान्यता प्रदान करता है।

यद्यपि, इस प्रकार के कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद **मैनुअल स्कैवेंजर भेदभाव का सामना करते हैं।** इसके निम्नलिखित कारण हैं।

- सर्वप्रथम, **स्वच्छता राज्य सूची का विषय है** अतः इसे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
- दूसरा, कानून के लिए आवश्यक है कि मौजूदा योजनाओं के अनुसार सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करना चाहिए तथा ये योजनाएं अतीत में इस प्रथा को समाप्त करने में सफल नहीं हुई हैं।
- तीसरा, यह केवल कानून ही नहीं बल्कि **सार्वजनिक अधिकारियों का दृष्टिकोण** है जो सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा में वृद्धि करता है। सरकार द्वारा बार-बार इस समस्या के निराकरण के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही इस संबंध में प्रतिबद्धता की कमी देखी गई है।

VISION IAS

मैला ढोने की प्रथा से संबंधित समस्याएं

- प्रत्येक वर्ष हाथ से मैला धोने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों की जहरीले गैसों के कारण दम घुटने (asphyxiated) से मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार **1993 से अभी तक मैला ढोने की प्रथा के कारण 634 मौतें हुईं**, इनमें सर्वाधिक तमिलनाडु में 194, ततपश्चात गुजरात में 122, कर्नाटक में 68 और उत्तर प्रदेश में 51 मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि राज्यों से विवरण एकत्रित करने और डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
- मैला ढोने की प्रथा न केवल जाति आधारित बल्कि यह एक लैंगिक प्रकृति का **व्यवसाय भी है जिसमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं।** शुष्क शौचालय (घर के अंदर स्थित होने के कारण) वाले परिवार में मल-मूत्र की सफाई पुरुषों के बजाय महिलाओं द्वारा की जाती हैं। **ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट** के अनुसार, औसतन महिलाओं को प्रति परिवार 10 रुपये और 50 रुपये प्रति माह के रूप में भुगतान किया जाता है। यह पुरुषों की तुलना में बहुत कम है जिन्हें सीवर लाइनों की सफाई के लिए 300 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता हैं।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स **वायरल और जीवाणु संक्रमण के सर्वाधिक विषाक्त रूपों से प्रभावित होते** हैं जो उनकी त्वचा, आंखों और अंगों, श्वसन और जठरांत्र प्रणाली (gastro-intestinal systems) को प्रभावित करते हैं।
- जाति आधारित बहिष्कार और भेदभाव की प्रथा न केवल आर्थिक अधिकारों बल्कि नागरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच और अधिकारों की विफलता को भी दर्शाती है। इसे '**लिविंग मोड एक्सक्लूज़न**'के रूप में वर्णित किया गया है; जिसमें सामाजिक और आर्थिक अवसरों से नुकसान एवं बहिष्करण तथा राजनीतिक भागीदारी से बहिष्करण शामिल है।
- **निर्धनता और सामाजिक गतिहीनता का एक दुष्चक्र-** कमजोर शारीरिक क्षमता और भेदभाव के इस रूप से संबद्ध सुभेद्यता और निराशा की भावना हाथ से मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दरिद्रता, अल्प शिक्षा प्राप्ति तथा सामाजिक गतिहीनता के एक दुष्चक्र का कारण बनती है।

यह प्रथा अभी भी क्यों बनी हुई है?

- कानूनी रूप से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, परन्तु जाति, रंगभेद और निर्धनता इस प्रथा को बनाए रखते हैं।
- मैला ढोने की प्रथा में किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह बिना किसी प्रतिस्पर्द्धा, निवेश और जोखिम के साथ कुछ अतिरिक्त आय प्रदान करती है।
- इन विशेषताओं में शुष्क शौचालयों की सफाई की आवश्यकता और विकल्पों के अभाव के साथ-साथ इस व्यवसाय को जारी रखने के लिए सफाई कर्मचारियों (विशेष रूप से महिलाओं) को बाध्य करना शामिल है।
- कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि, मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण सफाई कर्मचारियों को छोटी दुकानें चलाने जैसे अन्य व्यवसायों के नियोजन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

भारत में मैला ढोने की प्रथा से संबंधित कुछ तथ्य

- 2011 में भारत की जनगणना से प्रमाणित होता है कि भारत में 2.6 मिलियन से अधिक शुष्क शौचालय विद्यमान हैं।
- भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, सम्पूर्ण देश में 740,078 परिवार हैं जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालय से मानव मल-मूत्र हटाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में 182,505 परिवार मैला ढोने की प्रथा में संलग्न हैं।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)** के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय औसतन प्रत्येक पांच दिन में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अस्पृश्यता को समाप्त करता है (अनुच्छेद 17) और जाति आधारित भेदभाव का निषेध करता है (अनुच्छेद 15)।
- संविधान के अंतर्गत मानव गरिमा एक अपरिहार्य अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार का भाग है।
- यह एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अधिकार है, जो अनुच्छेद 1, 22 और 23 के माध्यम से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा समर्थित है।

मैला ढोने की प्रथा पर वर्तमान कानून

- संसद द्वारा '**मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**' को अधिनियमित किया गया है।

VISION IAS

- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, यह संपूर्ण देश में 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था।
- इसकेअंतर्गत
    - अस्वच्छ शौचालय को समाप्त करना।
    - मैनुअल स्कैवेंजर्स, सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में रोजगार का निषेध।
    - मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास का सर्वेक्षण।
- इस प्रकार यह अधिनियम शुष्क शौचालयों और मल-मूत्र की सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ-साथ सुरक्षात्मक गियर के बिना गटर, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को भी प्रतिबंधित करता है।
- इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक कारावास या 2 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगा। किसी भी अतिरिक्त उल्लंघन के लिए, कारावास पांच वर्ष तक बढ़ाया सकता है और जुर्माना 5 लाख या दोनों हो सकता है।
- इस अधिनियम में चिह्नित किए गए मैनुअल सफाई कर्मचारियों के **पुनर्वास** के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी हैं-
    - प्रारंभ में एक बार नकद सहायता
    - मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति
    - आवासीय भूखंड का आवंटन और निर्मित भवन , निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
    - कम से कम 3000 रुपये प्रति माह के भुगतान के साथ आजीविका कौशल में प्रशिक्षण
    - परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी हेतु प्रावधान।

- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है और यह **'मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना'** (SRMS) का कार्यान्वयन करता है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास की पहचान के लिए प्रतिष्ठित NGOs जैसे सफाई कर्मचारी आंदोलन, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, सुलभ इंटरनेशनल इत्यादि को संबद्ध करता है।

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए तकनीकी समाधान

- हैदराबाद नगर पालिका 70 **मिनी जेटिंग मशीनों** का प्रयोग कर रहा है। इन मिनी वाहनों को अवरुद्ध सीवर पाइप (जल निकासी) को साफ़ करने के लिए संकीर्ण रास्तों और छोटी कॉलोनी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
- **बंदिकूट -** भारत का पहला 'मैनहोल सफाई रोबोट' एक एक्सोस्केलेटन रोबोट है जो मनुष्य के गड्ढे में प्रवेश करने की आवश्यकता के बिना मैनहोल को साफ करता है।

आगे की राह

- हाल ही में उठाए गए कदमों में 2013 के अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित प्रासंगिक कानूनों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए **अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना शामिल है।**
- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है।** पहले चरण में 12 राज्यों में 53236 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई है। सर्वेक्षण को लाभार्थियों को 2013 के अधिनियम के लाभों का विस्तार करने के लिए संपूर्ण देश में सर्वेक्षण का विस्तार करने और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने बिना मानव प्रवेश के शहरी सीवरों और सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक समाधान का प्रस्ताव देने के लिए नवप्रवर्तनकों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, कंपनियों और शहरों के लिए एक चैलेंज का आरम्भ किया है।
- दलितों को शिक्षा और आर्थिक उत्थान के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए। NCSK के आंकड़ों के अनुसार, मैला ढोने से होने वाली मृत्यु के मामले में कानून के अंतर्गत 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करना अनिवार्य है। जनवरी 2017 के बाद 123 मामलों में से केवल 70 को भुगतान किया गया है। इस क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए।
- **स्वच्छ भारत अभियान** में सीवर नेटवर्क के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा वैज्ञानिक रखरखाव के लिए एक योजना के साथ कार्य करना चाहिए जो 2019 तक मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेप्टिक टैंक की मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करेगा।

- इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक निर्धारित दृष्टिकोण के साथ सामाजिक पूर्वाग्रह और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक अभियान चलाए जाने की भी आवश्यकता है।

7.7. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

(Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

23 सितम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची (झारखण्ड) से विश्व की सबसे बड़ी राज्य वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का शुभारम्भ किया।

पृष्ठभूमि

2018-19 के आम बजट में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रक के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की है । इसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समग्र रूप से समाधान करना है । इसमे रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार दोनों शामिल हैं। आयुष्मान भारत के दो प्रमुख घटक हैं-

- **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के प्रस्ताव के अनुरूप इसके अंतर्गत 1.5 लाख केंद्र गैर-संक्रमणीय रोगों तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त ये केंद्र आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं को भी मुफ्त में प्रदान करेंगे।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** यह 10 करोड़ निर्धन एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 लाख लाभार्थियों) को सम्मिलित करेगी। इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल संबंधी सेवाओं हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये/प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इसके एक भाग के रूप में घोषित किया गया है।

इस योजना की विशेषताएं:

- **लाभार्थी की पहचान करना:** PMJAY मुख्य रूप से निर्धन एवं वंचित ग्रामीण परिवारों को लक्षित करती है। इसके साथ ही यह शहरी श्रमिकों के कुछ व्यावसायिक श्रेणियों को सम्मिलित करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत लाभप्राप्त परिवारों को मिलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु **सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना** (SECC) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के 8.03 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के 2.33 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के आकार, आयु की सीमा निर्धारण के साथ-साथ पूर्ववर्ती प्रशर्तों के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है।
- **इन पेशेंट देखभाल से लेकर पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन देखभाल संबंधी चिकित्सकीय सेवा प्रदान करना:** यह योजना प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये प्रति वर्ष की कवरेज प्रदान करेगी, जो की सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (EHCP) के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेगी। इन सेवाओं के अंतर्गत 1350 सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें पूर्व एवं पश्चात चिकित्सकीय सेवा, निदान और दवाएं शामिल हैं।
- **सार्वभौमिकता:** PMJAY की प्रमुख विशेषता पूर्ण रूप से संचालित होने के पश्चात इसकी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी होगी। इसके तहत लाभार्थी और समेकित रूप से प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण देश में किसी भी राज्य में सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी । इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)** राज्य सरकारों के साथ गठबंधन कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के डिजाइन, रोल-आउट, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टि तथा कार्यवाही प्रदान करेगी।
- **राज्यों के साथ गठबंधन:** यह योजना नियम आधारित नहीं, बल्कि सिद्धांत आधारित है:
    - यह योजना पैकेज, प्रक्रियाओं, योजना डिजाइन, अधिकारों के साथ-साथ अन्य दिशानिर्देशों के संदर्भ में राज्यों को पर्याप्त लचीलेपन की अनुमति प्रदान करती है साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी और धोखाधड़ी का पता लगाना भी सुनिश्चित करती है।
    - राज्यों के पास ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित करने का विकल्प उपलब्ध है । यद्यपि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी।
    - राज्यों के पास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में मौजूदा ट्रस्ट/सोसाइटी या नव गठित ट्रस्ट/सोसाइटी के उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके साथ ही राज्य कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रकार के तरीकों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
    - इस योजना में केंद्र द्वारा 60 प्रतिशत, जबकि राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत का योगदान दिया जाएगा।

VISION IAS

- नीतिगत निर्देश प्रदान करने एवं केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देने हेतु उच्चतम स्तर पर **आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद्** (AB-NHPMC) की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाएगी।
- **सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित:** नीति आयोग के साथ सहभागिता से एक सुदृढ़, प्रमापीय, मापनीय और अंतःप्रचालनीय (इंटर ओपरेबल) सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को परिचालित किया जाएगा। यह पेपरलेस, कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देगा।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना एवं डाटा संबंधी गोपनीयता:** NHA सूचना सुरक्षा नीति और डेटा गोपनीयता नीति को संस्थागत किया जा रहा है ताकि सभी कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में लाभार्थियों के व्यक्तिगत डेटा एवं संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित संचालन पर नियंत्रण प्रदान किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM):** यह योजना प्रमाणित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का एक कैडर तैयार कर रही है जिसे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) कहा जाता है, जो लाभार्थियों द्वारा अस्पताल में उपचार का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। अतः वे स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

PMJAY का महत्व

- **सार्वभौमिक स्वास्थ कवरेज हेतु मार्ग प्रशस्त होगा:** नीति आयोग के अनुसार इस योजना से स्वास्थ्य पर सार्वजानिक व्यय के मौजूदा 1 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 4 प्रतिशत हो जाएगा । इसके परिणामस्वरूप निर्धनों के स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रावधान में महत्वपूर्ण रूप से सुधार होगा।
- **परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक:** यह स्वास्थ्य प्रणाली में गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही को सक्षम बनाएगा।
  - सूचीबद्ध अस्पतालों का प्राथमिक कार्य उपचार संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। रोगी के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की निगरानी की जाएगी।
  - PMJAY का अन्य प्रभाव यह है कि इससे निजी क्षेत्रक में देखभाल की लागत तर्कसंगत हो सकेगी। मांग में वृद्धि के साथ, ऐसी आशा व्यक्त की गई है कि निजी क्षेत्रक कम मात्रा-उच्च रिटर्न प्रतिमान से उच्च मात्रा-पर्याप्त रिटर्न (और उच्च शुद्ध लाभ) मॉडल में स्थानांतरित हो जाएगा।
- PMJAY के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा प्राप्त आय उनके उन्नयन एवं प्रदात्ता दलों के प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध होगी क्योंकि इन फंडों को **रोगी कल्याण समिति** के साथ जमा किया जाएगा। इस योजना पर कुल सार्वजनिक व्यय का 30 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रक के संस्थानों को रिटर्न के रूप में प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 71 वें दौर में पाया गया है:

- 85.9% ग्रामीण परिवारों एवं 82% शहरी परिवारों की स्वास्थ्य सेवा बीमा तक पहुँच नहीं हैं।
- 17% से अधिक भारतीय जनसंख्या अपने पारिवारिक बजट का 10 प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करती है।
- विपत्तिपूर्ण स्थिति में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित व्यय परिवारों को ऋण लेने हेतु बाध्य कर देता है। ग्रामीण भारत में 24% से अधिक परिवार और शहरी क्षेत्र में 18% जनसंख्या, ऋण लेकर अपने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यय का निर्वहन करते हैं।

- **निर्धनता को कम करने के उपाय:** प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के छह से सात करोड़ लोग स्वास्थ्य से संबंधित व्यय के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। PMJAY इस संख्या में उल्लेखनीय ढंग से कमी करेगी। कुल व्यय का एक-तिहाई से अधिक (लगभग 5,000 रुपये प्रति परिवार) रोगी को अस्पताल में भर्ती करवाने में ही व्यय हो जाता है। प्रत्येक आठ परिवारों में से एक परिवार को प्रत्येक वर्ष अपने सामान्य घरेलू व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सेवा पर व्यय करना पड़ता है। PMJAY निर्धनों को इस भार से मुक्त करेगी।
- **रोजगार सृजन:** यह योजना पेशेवरों एवं गैर-पेशेवरों विशेषकर महिलाओं के लिए लाखों नौकरियां उत्पन्न करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उद्योग को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- वर्तमान में जारी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** एवं **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS)** को NHPM अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

चिंताएं

- नीति आयोग के एक अनुमान के अनुसार, इस योजना के संचालन हेतु 12 हज़ार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान PMJAY हेतु केवल 2,050 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, जो कि इस योजना के अंतर्गत विशाल जनसंख्या को कवर करने के प्रावधान की पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस समय सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्वयं योगदान करने की स्थिति में नहीं है और कुछ राज्य अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। अतः इस योजना में **वित्त पोषण की चुनौती** बनी हुई है।

- भारतीय संविधान के अंतर्गत **स्वास्थ्य एक राज्य विषय** है। राज्य सरकारों द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम के तहत ही अस्पताल क्षेत्रक को विनियमित किया जाना चाहिए। यह कानून सुविधाओं के मानकीकरण एवं प्रक्रियाओं की वहनीय दरों का भी प्रावधान करता है। लागत स्वास्थ्य सेवा प्रदात्ताओं और केंद्र सरकार के मध्य एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में बनी हुई है तथा अनेक लाभकारी अस्पताल सरकार के प्रस्तावों को अलाभकारी मानते हैं।
- केंद्र सरकार की योजना जातिगत जनगणना के आधार पर केवल वंचित लाभार्थियों को ही कवर करती है, अतः इस कारण कवर किए गए कुल लोगों की संख्या में कमी आती है। इसके विपरीत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं **लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर** करती हैं। उदाहरणार्थ, कर्नाटक की स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के सभी नागरिकों को कवर करती है। इसके कारण राज्यों ने PMJAY को अपनाने में अनिच्छा व्यक्त की है।
- **बीमा कंपनियों की संवहनीयता** सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा एकत्रित डाटा के अनुसार सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं हेतु किए गए दावों का अनुपात (प्रीमियम अर्निंग बनाम पे आउट) 2012-13 के 87 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 122 प्रतिशत हो गया। परंतु PMJAY के मामले में, सरकार ने 1,050 रुपये का प्रीमियम निर्धारित किया है। बीमा कंपनियां कवरेज प्रदान करने हेतु इस राशि को बहुत कम मानती हैं। यह केरल जैसे राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा है, जहां दावों का अनुपात बहुत अधिक है।
- हालांकि अस्पताल द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक व्यय होता है, परन्तु इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों को अपनी **जेब से (Out of pocket)** कम व्यय करना पड़ेगा। लोगों को ऐसे रोगों पर अधिक व्यय करना पड़ता हैं, जिनके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह बीमा के तहत कवर नहीं होता है। NSSO द्वारा 2014 के दौर से पता चलता है कि वर्ष 2004 से ही स्वास्थ्य व्यय में हुई वृद्धि से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है।
- बीमा मॉडल के साथ-साथ देश के **स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने** पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, अतः इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा। वैश्विक स्तर पर, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले देश स्वास्थ बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में सफल रहे हैं जैसे थाईलैंड, जिसने 2001 में अपनी सार्वभौमिक कवरेज योजना प्रारंभ करने से पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया।

निष्कर्ष: "न्यूनतम संभव लागत पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल" को समावेशी, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को लागत एवं गुणवत्ता हेतु उत्तरदायी बनाने वाला, रोगों के बोझ में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला तथा उपभोक्ता के लिए विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय को समाप्त करने वाला होना चाहिए। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य योजनाओं द्वारा सेवा वितरण के क्षेत्रीय, अनुभाग और खंडित दृष्टिकोण की तुलना में एक वृहद्, अधिक व्यापक और बेहतर द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के मांग आधारित वितरण हेतु एक आदर्श परिवर्तन है।

7.8. HIV / AIDS अधिनियम, 2017

(HIV / AIDS Act, 2017)

सुर्खियों में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा **HIV/AIDS अधिनियम, 2017** को प्रभावी बनाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी।

HIV रोगियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं:

HIV/AIDS रोगियों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक और शारीरिक क्षति के अतिरिक्त, उनके द्वारा सामाजिक रूप से सामना की जाने वाली अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे:

- **कलंक और भेदभाव-** कभी-कभी, HIV/AIDS से पीड़ित लोगों को उनके परिवारों द्वारा त्याग कर दिया जाता है और उन्हें अभावग्रस्तता में जीवन यापन करने हेतु बाध्य किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे मनोवैज्ञानिक क्षति से ग्रस्त हो जाते हैं।
- **सामाजिक और आर्थिक-** HIV संक्रमित लोगों पर मुख्य सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, इस बीमारी के कारण श्रम या शिक्षा के रूप में होने वाली हानि तथा स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन संबंधी व्यय में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। इन प्रभावों के संयोजित प्रभाव के परिणामस्वरूप प्रायः गरीबी, खाद्य असुरक्षा और पोषण की समस्याओं में वृद्धि हो जाती है।

VISION IAS

उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु विधिक उपायों की मांग उठी है।

संबंधित आंकड़े

- भारत, विश्व में तीसरा सबसे बड़ी HIV संक्रमित जनसंख्या वाला देश है, जहां इनकी संख्या लगभग 2 मिलियन है। भारत का लक्ष्य 2010 से 2020 के मध्य 75 प्रतिशत तक संक्रमण के नए मामलो को कम करना और 2030 तक AIDS को समाप्त करना है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation: NACO) के अनुसार हाल के वर्षों में नए HIV संक्रमण में वार्षिक गिरावट की दर अपेक्षाकृत धीमी रही है।
- हालांकि, HIV/AIDS नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, 1995 (जब इसका प्रभाव सर्वाधिक था) से संक्रमण के नए मामलो में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक की गिरावट का अनुमान है।
- 1995 (जब इसका प्रभाव सर्वाधिक था) से AIDS से होने होने वाली मृत्यु में 71 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **भेदभाव का निषेध** - यह उन विभिन्न आधारों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के साथ-साथ उनके साथ रहने वाले लोगों को निषिद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निवास या परिसंपत्ति किराए पर लेने, सावर्जनिक और निजी पद के लिए उम्मीदवारी और बीमा के संबंध में **अस्वीकृति, निष्कासन, बाधा उत्पन्न करना या अनुचित व्यवहार** करना शामिल है।
  - रोजगार या स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने हेतु HIV जांच की पूर्व-आवश्यकता को प्रतिबंधित किया गया है।
  - यह HIV संक्रमित व्यक्तियों और इनके साथ रहने वाले लोगों के विरुद्ध, व्यक्तियों को सूचना प्रकाशित करने या घृणा की भावनाओं को प्रचारित करने से प्रतिबंधित करता है।
- **सूचित सहमति-** किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति को उसकी सूचित सहमति के बिना चिकित्सा उपचार, चिकित्सा हस्तक्षेप या शोध के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी HIV संक्रमित गर्भवती महिला को उसकी सहमति के बिना बंध्याकरण या गर्भपात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।
- **जांच केंद्रों के लिए दिशानिर्देश** - किसी भी जांच या नैदानिक केंद्र या पैथोलॉजी प्रयोगशाला या ब्लड बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की HIV जांच नहीं की जाएगी, जब तक कि इन केन्द्रों, प्रयोगशालाओं या ब्लड बैंकों द्वारा इस प्रकार की जांच हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता।
- **HIV स्थिति का प्रकटीकरण-** न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी HIV स्थिति को प्रकट करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों भी हो सकते है।
  - प्रत्येक संस्थान HIV से संबंधित सूचना को सुरक्षित रखने हेतु बाध्य है। HIV संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में HIV का संक्रमण प्रसारित न हो सके, इस हेतु प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति, उचित सावधानी रखने हेतु बाध्य है।
- **डेटा की गोपनीयता** - संरक्षित व्यक्तियों की HIV संबंधित सूचना का रिकॉर्ड रखने वाले प्रत्येक संस्थानों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप डेटा संरक्षण उपायों को अपनाया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की सूचना प्रकटीकरण से सुरक्षित है।
- **केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय** - राज्य और केंद्र दिशानिर्देशों के अनुरूप HIV/AIDS के प्रसार की रोकथाम हेतु सभी प्रकार के उपाय अपनाएंगे तथा सभी HIV संक्रमित लोगों हेतु नैदानिक सुविधाएं, एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी और अवसरवादी संक्रमण (opportunistic infection) अर्थात् रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण होने वाले संक्रमण के प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और इन सुविधाओं का व्यापक प्रसार करेंगे।
- **कल्याणकारी उपाय और बच्चों की सुरक्षा-** प्रभावित व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के अतिरिक्त, सरकार द्वारा HIV या AIDS से प्रभावित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी उचित कदम उठाये जायेंगे।
  - 12 से 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति जो HIV या AIDS प्रभावित परिवार के मामलों का प्रबंधन करने हेतु सक्षम है, 18 वर्ष से कम आयु के अपने भाई के अभिभावक के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम होगा।

VISION IAS

- **व्यक्ति का अलगाव** - यह HIV संक्रमित व्यक्ति के अलगाव को रोकता है। प्रत्येक HIV संक्रमित व्यक्ति को साझा घर में रहने और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
- **लोकपाल-** अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने हेतु प्रत्येक राज्य को एक या अधिक लोकपाल की नियुक्ति करनी होगी। शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, लोकपाल द्वारा, जैसा वह उपयुक्त समझे, आदेश पारित किया जा सकता है। लोकपाल के आदेशों का अनुपालन करने में विफल होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।

हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि ये प्रावधान संक्रमित व्यक्तियों को केवल पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार और दृष्टिकोण से संरक्षण प्रदान करता हैं। ऐसे समुदाय जो संक्रमण के प्रति सुभेद्य हैं, ऐसे लोगों जिनका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है और संक्रमित लोगों के रिश्तेदारों द्वारा अभी भी इस प्रकार के कलंक और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का सामना किया जाता है। इसके अतिरिक्त, HIV/AIDS से संबंधित दवाओं की कमी के भी उदाहरण देखे गए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- उन लोगों को ट्रेस करने के लिए, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए छोड़ दिया गया है तथा जिन्हें ART सेवाओं के तहत लाया जाना है, **राष्ट्रीय कार्यनीति योजना (2017-24)** एवं मिशन **'संपर्क'** आरंभ किया गया है।
- सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना - **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** (NACP) को लांच किया गया है।
- भारत द्वारा HIV महामारी को रोकने और उसे पूर्णत: समाप्त करने संबंधी **6वें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG-6)** को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है।
- मां से बच्चे में HIV/HIV संक्रमण को रोकने हेतु:
    - **प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (PPTCT)** कार्यक्रम को RCH कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया है।
    - सभी HIV संक्रमित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं उनके नवजात शिशुओं के विवरणों के रखरखाव हेतु **PALS (PPTCT ART लिंकेज सॉफ्टवेयर) प्रणाली** को भी लांच किया गया है।
- सरकार द्वारा UNAIDS द्वारा अपनाई गई **90:90:90 रणनीति** को कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक नया HIV उपचार है। इसके द्वारा AIDS महामारी को समाप्त करने हेतु जमीनी स्तर की कार्य योजना का निर्धारण किया गया है।
- अधिकारियों और सलाहकारों की सहायता के लिए **HIV संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा पोर्टल** लांच किया गया है।
- भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को **HIV-AID के विरुद्ध उनकी कार्यवाही हेतु सहायता** प्रदान की गई है, जो भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

आगे की राह

- संक्रमित और सुभेद्य लोगों के प्रति भेदभाव का सफलतापूर्वक सामना करने और उनके लिए सुरक्षित परिवेश का सृजन करने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- अगला महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक शिक्षा होगी क्योंकि समाज में HIV/AIDS रोगियों की स्वीकार्यता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- HIV/AIDS से संबंधित दवाओं की खरीद और भंडारण की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की स्थापना की जानी चाहिए।

7.9. अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम

(Program for International Student Assessment: PISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने औपचारिक रूप से PISA में पुन: शामिल होने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने वर्ष 2012 से 2015 में निराशाजनक रूप से निम्न स्थान प्राप्त होने तथा वर्ष 2009 में भारत 74 देशों में 72वें स्थान प्राप्त होने पर स्वयं को इस आकलन से पृथक कर लिया था।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के साथ वर्ष 2021 में भारत की भागीदारी संबंधी शर्तों पर वार्ता करने हेतु भारत द्वारा अपने अधिकारियों को पेरिस भेजा जायेगा क्योंकि यह महसूस किया गया है कि शिक्षा केवल रटंत विद्या (rote learning) नहीं है।

VISION IAS

- वर्ष 2009 के विपरीत (जब तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का आकलन किया गया था) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में चंडीगढ़ का आकलन करने के लिए OECD से अनुरोध किया जायेगा।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

- यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका लक्ष्य विश्व भर के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करना है।
- इसके 36 सदस्य देश हैं और इसे 1960 में 18 यूरोपीय राष्ट्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा द्वारा स्थापित किया गया था।
- भारत, OECD का सदस्य नहीं है।

PISA के बारे में

- यह एक अंतरराष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम है जिसके द्वारा 15 वर्ष की आयु के छात्रों के पठन, गणित, विज्ञान साक्षरता और यहां तक कि सहयोगी समस्या समाधान एवं वित्तीय साक्षरता जैसे अभिनव विषयों का भी प्रत्येक तीन वर्ष पर आकलन किया जाता है।
- PISA को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया कि यह उन कार्यात्मक कौशलों पर बल देता है जिन्हें छात्रों द्वारा अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा के अंत में प्राप्त किया जाता है।
- इसे पहली बार वर्ष 2000 में संचालित किया गया था और इसे OECD द्वारा समन्वित किया गया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका संचालन नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स (NCES) द्वारा किया जाता है।
- इसके तहत 80 देशों में छात्रों एवं शिक्षा प्रणाली का आकलन किया जाता है तथा शिक्षा प्रणाली को समझने का प्रयास किया जाता । साथ यह इस संबंध में भी यह सहायता प्रदान करता है कि इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इसके परिणामों को व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रदर्शित किया जाता है बल्कि एक राष्ट्रीय औसत प्राप्तांक को प्रदर्शित किया जाता है। इसका लक्ष्य अधिगम परिणामों को प्रदर्शित करना है न कि विद्यालयी परिणामों को।

7.10. स्वच्छता ही सेवा अभियान

(Swachhata Hi Seva Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान का शुभारंभ किया गया।

अभियान के बारे में

- यह एक जन आंदोलन है जो वर्ष 2017 में आरंभ किए गए अभियान का द्वितीय संस्करण है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के विज़न को गति प्रदान करना है।
- SHS के उद्देश्य
  - स्वच्छ भारत अभियान की गति में इसकी चौथी वर्षगांठ तक **तीव्रता** से वृद्धि करना।
  - स्वच्छ भारत जन आंदोलन को **पुनः सक्रिय करना** और संधारणीयता की नींव स्थापित करना।
  - "प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के रूप में स्वच्छता" की अवधारणा को **सुदृढ़ करना**।
  - महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष समारोह को **राष्ट्रव्यापी अभियान** के साथ आरंभ करना।
- इसका उद्देश्य महिला सरपंचों, छात्रों, फिल्मी हस्तियों, खेल से संबंधित व्यक्तियों आदि जैसे जमीनी स्तर के स्वच्छता चैंपियनों के माध्यम से विशाल समुदाय के आंदोलन के साथ श्रमदान गतिविधियों को शामिल करना है।
- इस अभियान का उद्देश्य मीडिया के साथ संलग्न होना है जो स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन

- यह देशव्यापी अभियान है और देश में संचालित सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है।
- **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को श्रद्धांजलि के रूप में** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करके तथा ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने के माध्यम से वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

VISION IAS

- इसके विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - खुले में शौच का उन्मूलन करना।
    - अस्वच्छ शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण।
    - मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन।
    - नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण / निपटान / पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण।
    - स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यावहारिक परिवर्तन लाना
    - नागरिकों के मध्य स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
    - अपशिष्ट निपटान प्रणाली के डिजाइन, निष्पादन और संचालन में शहरी स्थानीय निकायों का समर्थन करना।
    - स्वच्छता सुविधाओं के लिए पूंजी व्यय और संचालन एवं रखरखाव लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना।

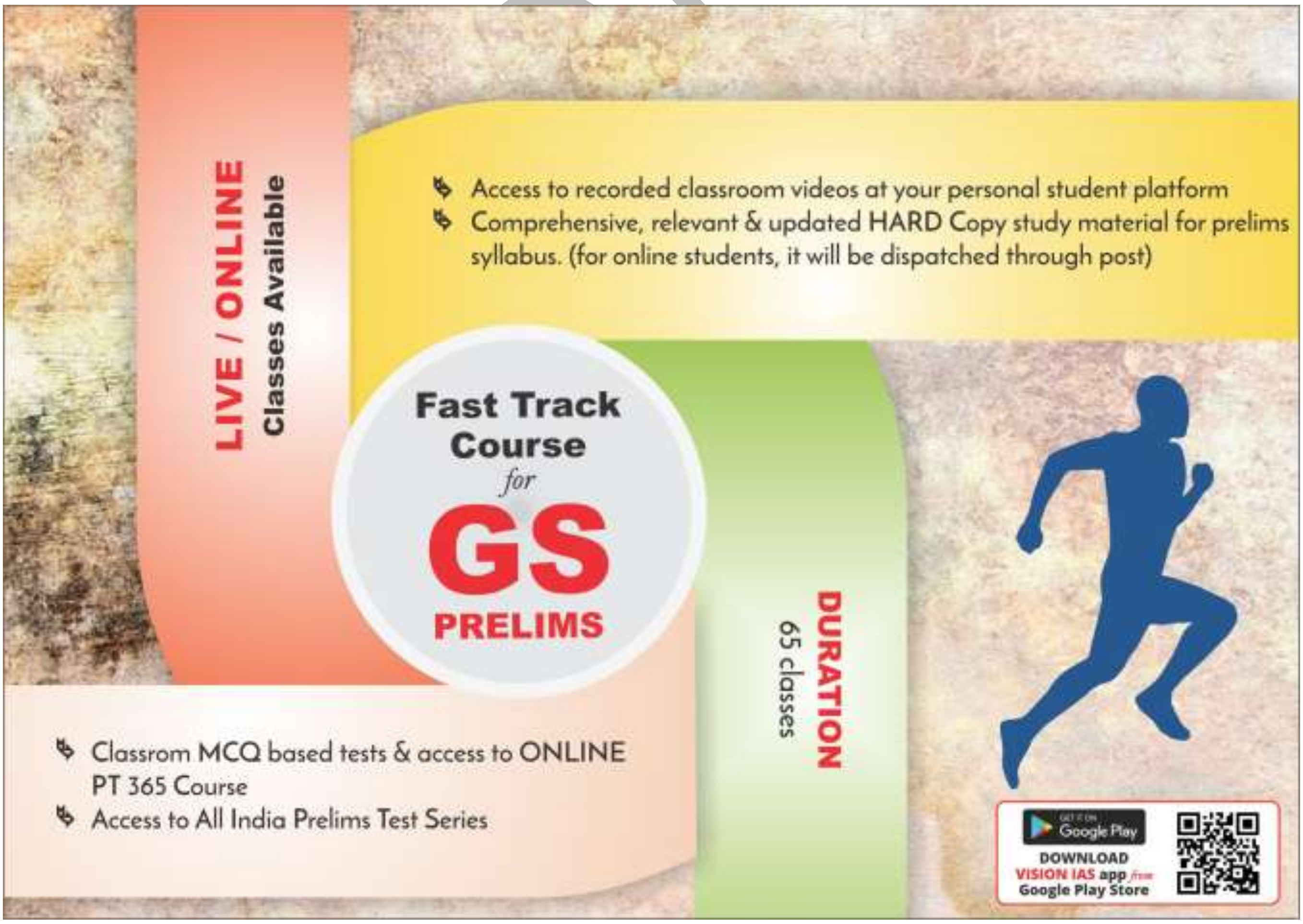

8. संस्कृति (Culture)

8.1. हाइफा का युद्ध

(Battle of HAIFA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय दूतावास द्वारा हाइफा युद्ध के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हाइफा में एक समारोह का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि 23 सितंबर, 1918 को **जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स के भारतीय सैनिकों** द्वारा हाइफा शहर को मुक्त कराया गया था।

हाइफा (HAIFA)

- यह इज़राइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
- यह एक बहाई विश्व केंद्र, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और बहाई धर्म के अनुयायियों (इज़राइल में धार्मिक समूहों में से एक) के लिए एक तीर्थ स्थल है।
- ब्रिटिश जनरल एडमंड एलेंबी के नेतृत्व में लड़ रहे भारतीय घुड़सवार ब्रिगेडों ने 1918 में हाइफा को तुर्की-जर्मन सेना के नियंत्रण से मुक्त कराने में सहायता की थी।

प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी

- प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने (ब्रिटेन के साथ) पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया, मिस्र और गैलीपोली में पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था।
- इसमें 3.7 मिलियन टन आपूर्ति, 10,000 से अधिक नर्स, 1,70,000 पशु, 146 मिलियन पौंड भारतीय राजस्व और गांधीजी सहित अन्य लोगों द्वारा दिया गया राजनीतिक समर्थन भी शामिल था। गांधीजी ने राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद भारतीय स्वयंसेवकों को भर्ती करने में सहायता की थी।
- भारतीय सेना विश्व की **सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना** थी, जिसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार जैसे क्षेत्रों से विदेशों में सेवा करने हेतु 1.5 मिलियन सैनिक भेजे थे।
- इनमें से लगभग 50,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, 65,000 सैनिक घायल हो गए तथा 10,000 सैनिक लापता हो गए थे जबकि 98 भारतीय नर्सों की मृत्यु हो गई थी।
- स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने के परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था को तोड़ने का अवसर मिला, क्योंकि एक सैनिक के रूप में उन्हें बेहतर भुगतान किया जाता था और इसका अर्थ था 'योद्धा' या क्षत्रिय जाति का हिस्सा बनना, जिसे समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त थी।
- पश्चिम एशिया में भारतीय सेनाओं का सर्वाधिक प्रभाव था। मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक) में 60 प्रतिशत तथा मिस्र और फिलीस्तीन में 10 प्रतिशत भारतीय सैनिक सेवारत थे।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने वाले 70,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु **नई दिल्ली में इंडिया गेट** की स्थापना की गई थी। इस स्मारक पर 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिमी सीमांत में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम भी अंकित हैं।
- अंग्रेजों को दिया गया भारतीय सहयोग मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को पारित करने के प्रमुख कारणों में से एक था, जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन (जिसका अर्थ है कि भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जायेगा और वे प्रांतों में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करेंगे) का आरम्भ किया गया था।
- इस अवधि के पश्चात्, फरवरी 1919 में गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने प्रथम भारत-व्यापी सविनय अवज्ञा अभियान का आरम्भ किया। यह अभियान पश्चिम-विरोधी या ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित नहीं था, बल्कि आत्म-निर्णय के लक्ष्य से प्रेरित था।

8.2. पर्यटन पर्व, 2018

(Paryatan Parv 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के देश-व्यापी उत्सव - "पर्यटन पर्व" के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया।

पर्यटन पर्व के बारे में

- पर्यटन पर्व का आयोजन, पर्यटन के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने, देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने और **"सभी के लिए पर्यटन"** के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जाता है।

VISION IAS

- **पर्यटन पर्व के घटक**
    - **देखो अपना देश:** यह भारतीयों को अपने देश में भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अंतर्गत वीडियो, फोटोग्राफ और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के मध्य ब्लॉग प्रतियोगिताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों के अनुभव से प्राप्त भारत के वृत्तांत चित्रण आदि शामिल होंगे।
    - **सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सहभागिता के साथ लोगों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यकलापों में नृत्य, संगीत, थिएटर, पर्यटन प्रदर्शनियां, पाक शैली, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि का प्रदर्शन शामिल है।
    - **पर्यटन और शासन:** देश भर में विभिन्न विषय वस्तुओं (पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, पर्यटन में नवाचार और प्रतिष्ठित स्थलों के निकट स्थित स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन का विकास आदि) पर हितधारकों के साथ मिल कर संवादमूलक सत्रों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- **इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 (IMT-2018):** पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ (Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality: FAITH) की भागीदारी के साथ पर्यटन पर्व के दौरान पहली बार IMT-2018 का आयोजन किया जाएगा।
- FAITH, देश के सभी महत्वपूर्ण व्यापार और अतिथि सत्कार संगठनों का सर्वोच्च संगठन है।
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे विश्व के देशों में आयोजित होने वाले प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट्स के अनुरूप भारत के लिए वार्षिक वैश्विक पर्यटन मार्ट का निर्माण करना है।
    - यह मार्ट पर्यटन और अतिथि सत्कार उद्योगों से संबंधित सभी हितधारकों को परस्पर वार्ता एवं व्यावसायिक अवसरों के लेन-देन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सांसदों और विधायकों के लिए आचरण संहिता

(Code of Conduct For MPs and MLAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने विधायिका के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर अपने सदस्यों के लिए आचरण संहिता पर सर्वसम्मति विकसित करने हेतु राजनीतिक दलों से बातचीत की।

विधायी आचरण संहिता क्या है?

विधायी आचरण संहिता एक औपचारिक दस्तावेज है जो विधायकों के लिए एक स्वीकार्य या अस्वीकार्य आचरण की स्थापना के माध्यम से उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देना है जो शिष्टता, सत्यता, पारदर्शिता तथा संसद सदस्यों के आचरण की ईमानदारी पर अत्यधिक बल देती है।

जर्मनी, इज़राइल, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा औपचारिक आचरण संहिता को स्वीकृत किया गया है, जबकि भारत में एक प्रथागत आचरण संहिता है।

आचरण संहिता का उद्देश्य:

- सार्वजनिक मानकों को निर्धारित करना जिसके द्वारा सांसदों के आचरण का आकलन किया जा सके।
- प्रस्तावित कार्यों के आकलन हेतु आधार प्रदान करना और इस प्रकार उचित आचरण हेतु मार्गदर्शन करना।
- अस्वीकार्य आचरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु सहमति के आधार पर विकसित मूल सिद्धांतों की स्थापना करना।
- समुदाय को आश्वस्त और पुन: आश्वस्त करना कि उनका सांसदों के प्रति जो विश्वास है वह पूर्णतः संरक्षित है।

विश्व भर में आचरण संहिता को कैसे बनाए रखा जाता है:

- **प्रथम दृष्टिकोण:** विधायिका के बाहर एक स्वतंत्र, स्वायत्त निकाय की स्थापना के माध्यम से विधायी फ्रेमवर्क के तहत एक संहिता की स्थापना करना। यहां इस संहिता का उल्लंघन, कानून के उल्लंघन के समान होगा।
- **द्वितीय दृष्टिकोण:** विधायिका के भीतर एक निकाय की स्थापना करना जो सदस्यों के आचरण पर निगरानी रखेगी। उदाहरण के लिए, एक संसदीय समिति या एक स्वतंत्र संसदीय आयुक्त। इस निकाय द्वारा स्वयं विधायिका को ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस दृष्टिकोण को यूनाइटेड किंगडम में अपनाया गया है।
- **तृतीय दृष्टिकोण:** नियमों और दिशानिर्देशों के एक विस्तृत समुच्चय का निर्धारण। अपने सदस्यों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक सदन की अपनी स्वयं की आधिकारिक आचरण संहिता विद्यमान है। प्रत्येक सदन में नैतिक समिति भी विद्यमान है, जो परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। प्रत्येक समिति व्याख्यात्मक और सलाहकारी निर्णय प्रदान करती है, जिसका प्रत्येक सदन के सदस्यों और अधिकारियों पर अधिकार क्षेत्र है तथा यह अनुचित आचरण के आरोपों की जांच कर सकती है और उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस प्रकार के एक दृष्टिकोण का अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुकरण किया जाता है।

भारत में वर्तमान परिदृश्य

- 1964 में, केंद्रीय मंत्रियों के लिए एक संहिता को अपनाया गया था तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे भी इसे इसी रूप में अपनाएं।
- 1997 में, दोनों सदनों में नैतिकता पर एक संसदीय स्थायी समिति गठित की गई थी।
- राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता 2005 से ही प्रभावी है। लोकसभा के लिए इस प्रकार की कोई संहिता नहीं है।

राज्यसभा में स्थापित संहिता

- राज्यसभा द्वारा वर्ष 2005 से ही सदन के सदस्यों के लिए **14 सूत्री आचरण संहिता** का अनुकरण किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:
    - हितों के टकराव के मामले में, सदस्यों के सार्वजनिक पद से संबंधित कर्तव्य उसके निजी हितों से सदैव ऊपर होने चाहिए।
    - सदस्यों को सदन में मतदान करने या न करने, किसी विधेयक को प्रस्तुत करने, किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने या रोकने, प्रश्न पूछने या प्रश्न पूछने से बचने या सदन या संसदीय समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार के लाभ को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

VISION IAS

लोकसभा में स्थापित संहिता

- लोकसभा में वर्ष 2000 में पहली आचार समिति गठित की गई थी।
- 2014 में, लोकसभा में प्रस्तुत आचार समिति (एल. के. आडवाणी की अध्यक्षता में) की रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं:
  - आचार समिति द्वारा सदस्यों के लिए आचरण संहिता का निर्माण किया जाएगा और समय-समय पर आचरण संहिता में संशोधनों की अनुशंसा की जाएगी।
- हालांकि, नियम समिति (स्पीकर की अध्यक्षता में) अमेरिकी कांग्रेस की शैली को अपनाना चाहती है अर्थात्:
  - किसी व्यक्ति (जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है) द्वारा शिकायत के रूप में दी गई सूचना केवल उसी स्थिति में आचार समिति को प्रेषित की जा सकती है जब सदन का कोई सदस्य यह प्रमाणित (प्रतिहस्ताक्षरित) करता है कि सूचना अच्छे प्रयोजन से प्रस्तुत की गई है और समिति को इस पर विचार करना चाहिए।
  - इन अनुशंसाओं को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और इसलिए लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता उपलब्ध नहीं है।

भारत में एक कठोर आचरण संहिता क्यों होनी चाहिए?

- संसद में विद्यमान आचरण के नियम पर्याप्त नहीं हैं। ये नियम विरोध प्रदर्शन के क्रम में पेपर बॉल्स फेंकना, दस्तावेजों को फाड़ना और सदन के मध्य में एकत्रित होना या लॉबी में हंसना आदि के विरुद्ध तक ही सीमित हैं।
- विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त होने पर सांसद और विधायक अपने बचाव हेतु संसदीय विशेषाधिकारों का सहारा लेते हैं।
- कुछ सांसदों और विधायकों का व्यवधान डालने वाला आचरण सदन और उन्हें चुनने वाले लोगों के प्रतिअशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है तथा इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी भी होती है।
- कई सदस्य अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और उनका योगदान सदन में संवाद की प्रक्रिया को काफी समृद्ध बना सकता है परन्तु वे प्राय: सदन से अनुपस्थित रहते हैं। अत: सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने वाली एक संहिता की भी आवश्यकता है।
- वास्तविक बहस और चर्चा केवल तभी हो सकती है जब राजनीतिक प्रतिनिधि अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और अच्छे से व्यवहार करें।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, मंत्रियों के लिए नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- मंत्रियों का उनके विभागों और एजेंसियों की नीतियों, निर्णयों और कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
- मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सार्वजनिक कर्तव्यों और निजी हितों के मध्य कोई संघर्ष उत्पन्न न हो या उत्पन्न होने की संभावना न हो।
- उन्हें मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को पृथक रखना चाहिए।
- उन्हें सरकारी संसाधनों का उपयोग अपने दल या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए और इस संदर्भ में केवल गलत सलाह पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए।
- मंत्रियों को सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता (भेदभाव-रहित होना) को बनाए रखना चाहिए और सिविल सेवकों से ऐसे कार्यों के लिए नहीं कहना चाहिए, जो सिविल सेवकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ संघर्ष उत्पन्न करते हों।
- मंत्रियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि आधिकारिक पद या सूचना का दुरुपयोग सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के रूप में उनमें निहित विश्वास का उल्लंघन करता है।
- मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक धन का उपयोग अत्यधिक मितव्ययता और सावधानी से किया जाए।

आगे की राह

आचरण संहिता एक नैतिक शासन व्यवस्था की स्थापना के प्रमुख तत्वों में से एक है, जो सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों में लोक विश्वास के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास बेहतर, जन-केंद्रित शासन की कुंजी होती है। अत: इससे संबंधित नियमों को संहिताबद्ध करने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

आचरण संहिता मंत्रियों के उचित आचरण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रारंभिक बिंदु है। हालांकि, इसका कवरेज क्षेत्र व्यापक नहीं है और इसमें निषेधात्मक कार्यों का वर्णन अधिक है। यह नीतिपरक आचार संहिता के समान नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि आचरण संहिता के अतिरिक्त, मंत्रियों को उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में संवैधानिक और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को कैसे बनाए रखना चाहिए, इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नीतिपरक आचार संहिता भी होनी चाहिए। इस नीतिपरक आचार संहिता को सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों यथा निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, निष्पक्षता, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए।

VISION IAS

10. विविध (Miscellaneous)

10.1 'चैम्पियन ऑफ़ द अर्थ' पुरस्कार

(Champion of the Earth Award)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान "चैम्पियंस ऑफ़ द अर्थ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- उन्हें यह सम्मान 2022 तक भारत में समस्त प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने के उनके अभूतपूर्व संकल्प के लिए प्रदान किया गया है।
- उनके साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति **इमानुएल मैक्रॉन** को भी **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के समर्थन में अग्रणी योगदान देने हेतु **'पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी'** में सम्मानित किया गया है।
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन को भी सतत ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु **'ऑन्ट्रप्रनोरल विज़न (Entrepreneurial Vision) पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया है।

'चैम्पियन ऑफ़ द अर्थ' पुरस्कार

- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है जो किसी व्यक्ति को उसके ऐसे कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है जिनका पर्यावरण पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा हो।
- इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा वर्ष 2005 में आरंभ किया गया था। यह ऐसे दूरदर्शी व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो अपने नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और सभी के लिए गरिमामय जीवन संबंधी कार्यों का समर्थन करते हैं।
- यह पुरस्कार उस प्रक्रिया का समर्थन करता है जो यह दर्शाती है कि विश्व निम्न कार्बन, संसाधन-कुशल, समावेशी एवं संधारणीय विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संबंधित तथ्य :

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: (International Solar Alliance (ISA))

- यह एक भारतीय पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन द्वारा की गई थी ।
- ISA का गठन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में किया गया है ।
- इसका उद्देश्य बेहतर समेकन और पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित सौर समृद्ध देशों की मांग के समूहन के माध्यम से सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर परिनियोजन के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

भारत सरकार द्वारा की गयी अन्य पहलें:

- भारतीय संधारणीय नीति का कार्यान्वयन और ग्रीन ग्रास रुट पहलें जैसे खाना पकाने हेतु नए गैस कनेक्शन प्रदान करना, LED बल्बों को लगाया जाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना जो भारत को विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने में सहायता करेगा, आदि।

10.2. मैग्सेसे पुरस्कार

(Magsaysay Awards):

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, दो भारतीय नागरिकों, **भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक** को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इससे संबंधित अन्य तथ्य:

- मैग्सेसे पुरस्कार को **एशिया के नोबल पुरस्कार** के रूप में भी जाना जाता है।
- 1957 में स्थापित, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह फिलीपीन्स के तीसरे राष्ट्रपति, रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। इसे प्रत्येक वर्ष एशिया महाद्वीप के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को

VISION IAS

प्रदान किया जाता है जो मैग्सेसे के समान एक निःस्वार्थ सेवाभाव और परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रकट करते हैं। इन गुणों ने इस भूतपूर्व फिलीपींस के नेता के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया था।

- मनोचिकित्सक वाटवानी ने भारत की सड़कों एवं गलियों में जीवन यापन करने वाले **मानसिक रूप से बीमार लोगों के उद्धार** के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 400,000 है। इन्होंने ऐसे लोगों को 'श्रद्धा रिहेबिलेशन फाउंडेशन' के माध्यम से उपचार और आश्रय प्रदान किया है।
- सोनम वांगचुक को सुदूर उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में 'लर्निंग सिस्टम' में उनके विशिष्ट व्यवस्थित, सहयोग आधारित और समुदाय संचालित सुधारों के लिए पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने इसकी सहायता से **लद्दाख क्षेत्र के युवाओं के जीवन के अवसरों में सुधार किया है** तथा आर्थिक प्रगति के लिए रचनात्मक रूप से विज्ञान और संस्कृति के द्वारा स्थानीय समाज के सभी क्षेत्रों में रचनात्मक भागीदारी की है। इस प्रकार उन्होंने विश्व में अल्पसंख्यक लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

10.3 आपूर्ति ऐप

(Aapoorti App)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे ई-खरीद प्रणाली (IREPS) संबंधी **'आपूर्ति'** नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।

ऐप के बारे में:

- यह ई-खरीद प्रणाली अर्थात **'IREPS'** के तहत भारतीय रेलवे की आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के डिजिटलीकरण का एक हिस्सा है।
- यह ऐप भारतीय रेलवे की ई-निविदा और ई-नीलामी गतिविधियों से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं प्रदान करेगी।
- यह भारतीय रेलवे में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।

भारतीय रेलवे ई-खरीद प्रणाली (IREPS: Indian Railways e-procurement system):

- यह भारतीय रेल का आधिकारिक पोर्टल' है, जिसका उपयोग वस्तुओं, कार्यों व सेवाओं की खरीद, सामग्री की बिक्री करने, परिसंपतियों को पट्टे पर देने इत्यादि के लिए ई-निविदा, ई-नीलामी एवं रिवर्स ऑक्शन आदि के लिए किया जाता है।
- इसका विकास रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा किया गया है और यही इसका रख-रखाव करता है।
- यह सबसे बड़ा G2B पोर्टल है।
- इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2017 का **'विजिलेंस एक्सीलेंस अवार्ड'** प्रदान किया गया है।

10.4 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट

(UN Global Media Compact)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत के **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** सहित विश्व भर के तीस से अधिक संगठन वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट के निर्माण हेतु एकजुट हुए।

कॉम्पैक्ट से संबंधित अन्य तथ्य:

- यह यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ की गई संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (SDGS) के संबंध में जागरुकता बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के साथ विषय वस्तु को साझा करने (कंटेंट शेयरिंग) और लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों और रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाने हेतु विश्व भरके संगठनों को प्रेरित करना है।
- यह 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु विश्व भर की सरकारों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा।

10.5. हाथी पक्षी वोरोम्बे टाइटन

(Elephant Bird Vorombe Titan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, **वोरोम्बे टाइटन** को विश्व का विशालतम पक्षी घोषित किया गया है।

VISION IAS

संबंधित अन्य तथ्य

- लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह हाथी पक्षियों की प्रजातियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह 3 मीटर लंबा और इसका वजन 800 किलोग्राम तक था, जो मुख्य रूप से मेडागास्कर में पाए जाते थे और वर्तमान में ये विलुप्त हो गए हैं।
- ये इस द्वीप के विकासक्रम के इतिहास में भी सबसे महत्वपूर्ण पक्षी रहें हैं। इसका कारण यह है कि बड़े शरीर वाले जानवरों का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि वे पौधों को खाने, बायोमास को विस्तारित करने और अपने मल के माध्यम से बीजों को फैलाने आदि के द्वारा वनस्पति को नियंत्रित करते हैं।
- मेडागास्कर के पारिस्थितिक तंत्र पर इस पक्षी के विलुप्त होने के प्रभाव अभी भी दृष्टिगत हैं।
- उड़ने में असमर्थ विशाल हाथी पक्षी(colossal flightless) विलुप्त पक्षियों का एक समूह हैं, जो उत्तरवर्ती क्वार्टरनरी युग के दौरान मेडागास्कर में निवास करते थे।
- इससे पूर्व, 1984 में **एपयॉर्निस टाइटन (Aepyornis Titan)** को अब तक का सबसे विशालतम हाथी पक्षी माना जाता था।

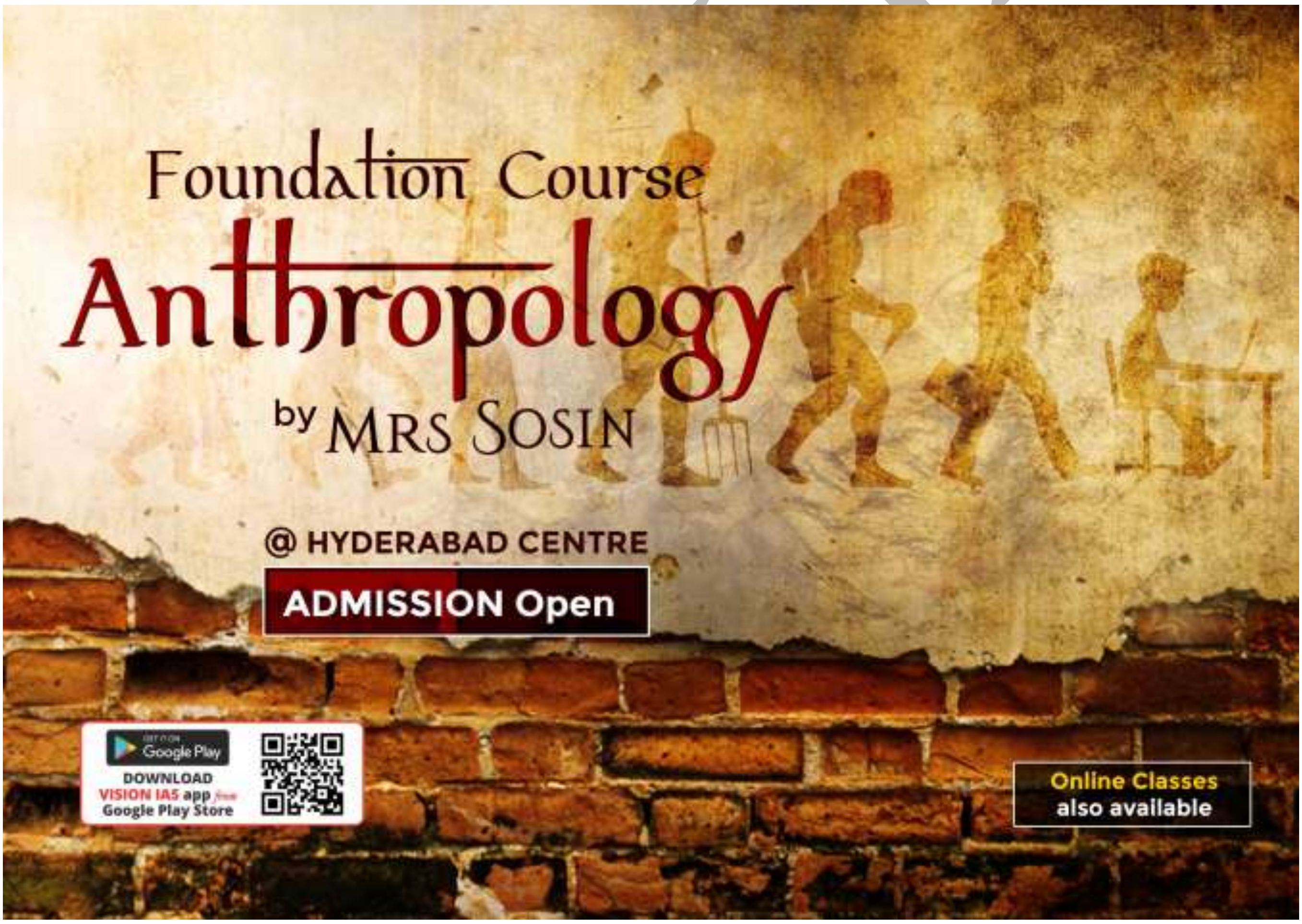

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS